

सा-34

L.A.M/31(5)
31-08-22
Rt-260850226
05-11-22
2791
05/11/22
प्रशासक, नगर निगम
1-अनुसूचित

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पणी

लेखे का नाम:- नगर निगम, गाजियाबाद ।

सम्परीक्षा-अवधि:-2019-20

A.O.
नगर आयुक्त

“ यह रिपोर्ट भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण तथा इसके द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण तथा मापदण्ड तथा लेखा प्रमाणन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य अधिनियम/स्थानीय निकायों के नियमों के अन्तर्गत तैयार की गयी है ”

लेखा परीक्षा स्वरूप:- उप लेखा परीक्षा ।

सम्परीक्षा का दिनांक :-आलोच्य अवधि की लेखा परीक्षा दिनांक-22-02-2021 को प्रारम्भ एवं दिनांक-03-01-2022 को समाप्त की गयी ।

प्रशासन:- आलोच्य अवधि में नगर निगम के महापौर पद पर श्रीमती आशा शर्मा आसीन रहीं आलोच्य अवधि में नगर आयुक्त के पद पर दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक श्री दिनेश चन्द्र कार्यरत रहे। आलोच्य अवधि में विकास कार्यों का आहरण वितरण का कार्य नगर आयुक्त एवं लेखाधिकारी तथा वेतन भुगतान का आहरण वितरण का कार्य लेखाधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित किया गया ।

वर्तमान लेखा परीक्षा

भाग-क

निर्माण विभाग:-

1- नगर निगम गाजियाबाद में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों पर रॉयल्टी की कम/न कटौती किये जाने के कारण शासन को ₹0 1,82,08,760/- की राजस्व हानि:-

उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0 3385/88-2015-292/2015 दिनांक 15-10-2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उप-खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम एम-11) के आधार पर परिवहन किये गये हैं, जिन मामलों में रॉयल्टी का भुगतान किये बिना उप-खनिजों की आपूर्ति हुई हो उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखाशीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 द्वारा यह भी इंगित किया गया था। कि उक्त शासनादेश की आठ में कार्यदायी संस्था के संबंधित ठेकेदारों द्वारा ऐसे स्थान अथवा ऐसे जनपदों में जहाँ उप-खनिजों के खनन के लिये खनन पट्टे स्वीकृत हैं एवं वैध अभिवहन प्रपत्र किया जा सकता है, उन स्थानों पर भी उपखनिज यथा, बालू, मीरन, मिट्टी आदि) का अवैध रूप से खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार से खनिज उपलब्ध किये जाने से न सिर्फ अवैध खनन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, अपितु अनियमित खनन से पर्यावरण एवं परिस्थिति के भी कुप्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

उक्त अधिनियम की धारा-21(5) के प्रावधानों के अनुसार यदि खनिजों का अवैध खनन कर उसका उपभोग कर लिया गया है, तो अवैध खननकर्ता से रॉयल्टी के साथ-साथ खनिज का मूल्य सामान्यतः रॉयल्टी का पौंच गुना की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 102 खनिज रियामत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाए तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जायेगी।

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया गया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र-11 प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी, जो रॉयल्टी दर का पौंच गुना होती है उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी।

जिससे शासन को धनराशि रूपये 1,82,08,760/- (विवरण संलग्न) की हानि हुयी। शासनादेश संख्या-243/86-2016-200/77 टी0सी0-ग्यारह दिनांक 19-1-2016 के द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी की दर निर्धारित की गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार उक्त काटी गई रॉयल्टी की धनराशि रु० 3641752/- का पाँच गुना पैनाल्टी लगाने पर 3641752×5रु० 18208760=00 की राजस्व क्षति परिलक्षित हुई। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए। ऐसे प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है।

2-निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा विलम्ब से कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदारों से अर्धदण्ड की वसूली न करने के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान रु० 3,09,71,682 /-/-

निगम द्वारा आलोच्य अवधि में निगम निधि चौदहवें वित्त आयोग एवम अवस्थापना विकास निधि से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों में जिसमें ठेकेदारों द्वारा कार्यदेश में दी गयी अवधि के अन्तर्गत कार्य को पूर्ण न करके विलम्ब से कार्य पूर्ण किया गया था। वहाँ पर निगम द्वारा ठेकेदार पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार या तो विलम्ब हेतु आर्थिक दण्ड लगाया ही नहीं गया था या बहुत कम लगाया गया था जिस कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान हो गया था। अनुबन्ध की शर्त सं०-2 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगमन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड आरोपित किया जायेगा बिना अर्धदण्ड की यह धनराशि आगमित धनराशि के 10 प्रतिशत के अधिक नहीं होगी। ठेकेदारों पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अर्धदण्ड आरोपित न करने के कारण ठेकेदारों को रूपया-3,09,71,682/- का अधिक भुगतान हो गया था। वर्ष 2019-20 तक देरी से किये गये कार्य पर ठेकेदारों पर अनुबन्ध की शर्त-2 के अनुसार अर्धदण्ड की धनराशि की गणना करके ठेकेदारों से वसूल की जाए। सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

3- निर्माण कार्यों में बिलों की धनराशि में 1 प्रतिशत अतिरिक्त लेबर सेस जोड़े जाने के कारण ठेकेदारों को रु० 3383247 /-/-का अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि समस्त बिलों की धनराशि में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोड़ने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी, जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था। वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ सामान्य वर्ग के पत्रांक 9755 एम.टी./सामान्य वर्ग/40 एस0टी0-45/2017दिनांक 19-12-2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित "भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च,2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर 4.2 में अनुशंसा की गयी है।

कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये”।

“विड डाक्यूमेंट में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट है जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। उक्त के क्रम में एतद् द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाये”।

अतः परिशिष्ट-ट पर सलग्न सूचि के अनुसार बिल में रुपये 3383247/- लेबर सेस के रूप में जोड़े गये थे जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था। अतः लेबर सेस की जोड़ी गयी धनराशि अंकन रुपये 3383247/- का भुगतान अविक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है। उक्त का विवरण परिशिष्ट-ट में दिया गया है।

4- निर्माण कार्यों में इंटरलॉकिंग टाईल्स का परीक्षण कराये बिना कार्य कराये जाने से अनियमित एवं आपत्तिजनक भुगतान रूपया-92,26,542/-

नगर निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि जिन कार्यों में इंटरलॉकिंग टाईल्स का कार्य कराया गया था, उनमें इंटरलॉकिंग टाईल्स की गुणवत्ता की जाँच प्रयोगशाला में नहीं कराई गई थी, जिस कारण गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-सी.ई.सी.जेड.सा. /7 दिनांक 31-1-2007 द्वारा सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इंटरलॉकिंग टाईल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये थे। इनके अनुसार इंटरलॉकिंग टाईल्स का प्रयोग करने से पूर्व प्रत्येक 500 से 1000 टाईल्स में से एक टाईल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाईलों का प्रयोग इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।

निर्माण पत्रावलियों में इंटरलॉकिंग टाईल्स की लैब टैस्टिंग सम्बन्धी प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। बिना टेस्ट रिपोर्ट के सम्परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निम्नलिखित विवरण में दर्शाया गये रूप से निर्मित निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण इंटरलॉकिंग का प्रयोग किया गया था। शासनादेश के अनुसार इंटरलॉकिंग सड़कों के निर्माण या टाईल्स के उपयोग से पूर्व लैब टैस्टिंग कराया जाना था, जो नहीं कराया गया था। इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में टाईल्स का प्रयोग वगैर परीक्षण के कराये जाने के कारण रूपया 92,26,542/- का अनियमित भुगतान किया गया था। उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट-ठ पर दिया गया है।

5- निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी के कम लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति रूपया 3,24,01,242 /-:-

नगर निगम द्वारा कराये गये निगम निधि, चौदहवें वित्त आयोग एवं अवस्थापना निधि से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा निर्माण विभाग की विभिन्न पत्रावलियों (विवरण संलग्न) में अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी आगणन धनराशि या 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/ टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलों (न्यून) तक .50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक थी।

शासनादेश सं०-622/23-12-2015-2आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08-06-2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी ली जायेगी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण निर्माण कार्यों पर निगम द्वारा अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी कम लिये जाने से संलग्न विवरणानुसार रूपया— 3,24,01,242 /- की आर्थिक क्षति हुई थी। कम परफोरमेंन्स गारन्टी लिये जाने सम्बन्धी यदि कोई अन्य आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्थिति में कम अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी लिये जाने के कारण स्पष्ट करते हुए ली गई कम अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी ठेकेदारों से जमा कराई जाए। उक्त स्थिति नगर निगम के वित्तीय हितों के नितान्त प्रतिकूल थी। कम अतिरिक्त परफोरमेंन्स गारन्टी लिये जाने से निगम को ₹0 32401242 /-की आर्थिक क्षति हुई थी।

उक्त से सम्बंधित विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'ड' पर दिया गया है।

6- निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में मिट्टी पर 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज न काटे जाने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान रूपया- 90,303 /- :-

नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में निगम निधि, चौदहवें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में संलग्न विवरण के अनुसार कराये गये कार्यों में मिट्टी की मात्रा पर 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज की मात्रा नहीं घटाई गई थी, जिस कारण ठेकेदारों को रूपये 90,303 /- का अधिक भुगतान कर दिया गया था। 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज न काटे जाने का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष 2019-20 में निगम द्वारा कराये गये समस्त निर्माण कार्यों में नियमानुसार 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज की कटौती सुनिश्चित किया जाए, उक्त धनराशि की गणना कराकर ठेकेदारों से यसूली हेतु निगम की उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इससे सम्बंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ड' में दिया गया है।

7- नगर निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में स्टोन बैलास्ट के कार्यों पर 10 प्रतिशत बॉयडस न काटे जाने से ठेकदारों को अधिक भुगतान रूपया-2,07,0354/-

नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में निगम निधि, चौदहवें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास जॉच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में संलग्न विवरण के अनुसार स्टोन बैलास्ट की मात्रा पर 10 प्रतिशत बॉयडस की मात्रा नहीं घटाई गई थी, जिस कारण ठेकदारों को रूपया-2070354/-का अधिक भुगतान कर दिया गया था। 10 प्रतिशत बॉयडस न काटे जाने का कारण स्पष्ट करते हुये वर्ष 2019-20 में निगम द्वारा कराये गये समस्त कार्यों में नियमानुसार 10 प्रतिशत बॉयडस की कटौती सुनिश्चित किया जाए एवं इस धनराशि की गणना कराकर ठेकदारों से वसूली करने हेतु निगम के उच्चधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इससे सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट 'ण' में संलग्न है।

8- 50 लाख से अधिक के कार्यों हेतु डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) न बनाये जाने के कारण अनियमित भुगतान रूपये 24,71,82,374/-

सम्परीक्षा के समय 14 वॉ वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि 50 लाख से उपर के कार्यों हेतु डी0पी0 आर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) नहीं बनायी गयी थी। एवं संलग्न विवरण के दर्शाये गये कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं थी जबकि आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग एवं अवस्थाना विकास निधि की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु गठित समिति दिनांक 17-7-17 एवं दिनांक-27-10-2018 को हुई मीटिंग में भी द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि 50 लाख से उपर के कार्यों हेतु डी0पी0आर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराकर पत्रावली में संलग्न किया जाए। लेकिन उक्त दिये गये निर्देश के बावजूद भी संलग्न विवरणानुसार रूपये 24,71,82,374/-का भुगतान बिना डी0पी0आर0 तैयार कर संलग्न किये ही कार्यों हेतु किया गया था, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। अतएवं बिना डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रावली में संलग्न किये ही कार्यों हेतु किये गये अनियमित भुगतान रूपये 24,71,82,374/-के सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। एवं बिना डी0पी0आर0 के किये गये भुगतान रूपये 24,71,82,374/- के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

उक्त से सम्बन्धित विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'त' में दिया गया है।

9- निर्माण कार्य पत्रावलियों में डी0पी0आर, डिजाइन एवं ड्राईंग्स बनाये जाने हेतु अनियमित एवं आपत्तिजनक भुगतान रूपये-60,000/-

नगर निगम की आलोच्य अवधि की निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि निम्नांकित विवरणानुसार निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकदार के बिलों में डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट), डिजाइन एवं ड्राईंग्स तैयार कराये जाने हेतु रूपये 10,000/- प्रति कार्यों/पत्रावली की धनराशि सम्मिलित की गयी थी, जबकि डी0पी0आर0 डिजाइन एवं ड्राईंग्स तैयार किये जाने का दायित्व नगर निगम के

इंजीनियरिंग अनुभाग का था। उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि डी0पी0आर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) डिजाइन एवं ड्राइंग्स तैयार किये जाने का कार्य आगणन एवं निविदा आमंत्रण किये जाने के पूर्व किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति उक्त मद हेतु धनराशि आगणन एवं ठेकेदार के बिलों के सम्मिलित किये जाने का क्या औचित्य था। यदि उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया था तो यह गम्भीर रूप से आपत्ति जनक था। इस सम्बन्ध में यदि कोई सक्षम आदेश/शासनादेश हो तो सम्परीक्षा में दिखाया जाए अन्यथा स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'थ' के विवरणानुसार रुपये 60000=00 के किये गये अनियमित भुगतान की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण की कुछ पत्रावलियों में आगणन के उक्त मद हेतु धनराशि सम्मिलित की गयी थी किन्तु लेखा अनुभाग द्वारा उक्त मद की धनराशि की कटौती बिल से कर दी गयी थी।

उपरोक्त से भी स्पष्ट है कि डी0पी0आर0, डिजाइन एवं ड्राइंग्स हेतु किया गया भुगतान 60,000/- अनियमित है। जिसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है। उक्त का विवरण परिशिष्ट 'थ' में दिया गया है।

14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत

10- बार्ड-63 जनकपुरी में पावर हाउस से आराधना सिनेमा होते हुए जी0टी रोड तक आर0सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य में पायी गयी अनियमिततायें एवं अधिक/अनियमित/आपत्तिजनक भुगतान रुपये 11,97,202=00 :-

14 वें वित्त आयोग से वाउचर सं0 531 पी0 एफ0 एन0 एर0 इनवायस सं0 022003544972 दिनांक 11-2-20 द्वारा आकांक्षा कन्स्ट्रक्शन को भुगतानित धनराशि रुपये 159500/- से सम्बन्धित उपरोक्त सड़क सुधार कार्य की पत्रावली की जॉच के समय प्रकाश में आया कि उक्त कार्य हेतु आगणन 610 मी0लम्बाई की सड़क कार्य सुधार हेतु रुपये 10931734/- का तैयार किया गया था तथा रुपये 10925000/- की ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी जिस पर न्यूनतम 21.40 प्रतिशत बिलों (कम पर) न्यूनतम निविदा रुपये 8587050=00 की मेसर्स आकांक्षा कन्स्ट्रक्शन की प्राप्त एवं स्वीकृत की गयी थी, तथा उक्त धनराशि का ही कार्यदेश नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 055/2017-18 दिनांक 18-10-2017 को निर्गत किया गया था। उपर्युक्त कार्य की कार्य योजना दिनांक 17-7-17 को मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग की बैठक कार्ययोजना स्वीकृत की गयी थी उपर्युक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आयी।

1- उपर्युक्त कार्य के आगणन में सम्मिलित 8 मदों में आर0सी0सी0 1:2:4 793 m³@6700 था तथा मापपुस्तिका सं0 2485 में आर0सी0सी0 1:1.5:3 726.07 m³@6700 रुपये 4864669 का आब्रैक्ट तैयार भुगतान द्वितीय रनिंग बिल में दर्शाया गया था, जिसे तृतीय एवं चतुर्थ/फाईनल बिल में परिवर्तित कर अगली माप पुस्तिका संख्या 3321 में

आर०सी०सी० कार्य 1:1.5:3 दर 7300 रुपये 5300311/- का भुगतान किया गया था जबकि आगणन में दी गयी मद के अनुसार ही कार्य कराया जाना चाहिए था, जिससे रुपये 4,35,3642=00 का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था। आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति द्वारा स्वीकृत कार्य के आगणन की मदों में परिवर्तन कर कार्य कराया जाना गम्भीर रूप से अनियमित एवं आपत्तिजनक था। एवं पत्रावली में मद परिवर्तन करने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी उपलब्ध नहीं थी।

2- आयुक्त महोदय मेट्ट द्वारा स्वीकृत कार्य आर०सी०सी० द्वारा सड़क सुधार के अतिरिक्त इन्टर लॉकिंग (सड़क के दोनों किनारों पर) कार्य कराया गया था जबकि उक्त कार्य हेतु अलग से कार्ययोजना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति करायी जाना चाहिए थी। इस प्रकार स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त कराये गये कार्य हेतु किया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था विवरण निम्नवत है।

क्र०	विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	सप्टाई एण्ड स्टैकिंग स्टोन बेलास्ट 22:553 एम.एम शेष	69	2042	140804.90
2	उपर्युक्त की लेइंग स्त्रीकिंग एण्ड कान्स्टालिडेशन	69	185	12765
3	सप्टाई एण्ड लेइंग 80 एम.एम इन्टरलॉकिंग टाईल्स	690	881	607890.00
				761559.90 =
				761560

इस प्रकार उपर्युक्त भुगतान रुपये 761560/- अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

3- आगणन में सम्मिलित मद एक्सावेशन आफ मलवा 122 @ 7549150 तथा आर.सी.सी 1.2:4 का 793 दर 6700 रु० 531 3100 कुल रु० 5322250/- का कार्य नहीं कराया गया था जबकि उक्त कार्य कराये जाने की आवश्यकता नहीं थी तो उसे आगणन में सम्मिलित किये जाने का औचित्य क्या था उक्त से स्पष्ट था कि अवर अभियन्ता द्वारा मनमाने ढंग से आगणन तैयार किया गया था अत एवं उपर्युक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

अतएव उपर्युक्त अनियमितताओं एवं अधिक भुगतान के सम्बन्ध उत्तरदायी के विरुद्ध प्रभावी/ आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

11- अधिक दर से भुगतान के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान रु० 5,05,540=00 :-

पत्रावली की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि वार्ड-40 श्याम पार्क मेन के राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीज एरिया की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य का अनुबन्ध गाजियाबाद नगर निगम द्वारा मे नार्थ इण्डिया से दिनांक 18-10-17 को किया गया था। अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक-निर्माण/072/2017-18 दिनांक 18-10-17 द्वारा कार्य-आदेश दिनांक 18-10-17 को मे नार्थ इण्डिया डेवलपर्स को दिया गया था। उक्त कार्य की मद सं०-13 प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग एम-30 ग्रेड 30 एम एम थिक टाईल्स का

भुगतान 881=00 प्रति वर्ग की दर से किया था, जबकि उक्त मद के कार्य हेतु भुगतान दूसरी पत्रावली में "वार्ड-60 श्यामपार्क मैन में सत्यम एन्क्लेव एवं गिरधर एन्क्लेव में सीवर से क्षतिग्रस्त विभिन्न गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य में ₹0 720=00 प्रतिवर्ग मी की दर से किया गया था। दोनों कार्यों में एक ही समान मद की दरों में अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाए। अन्यथा स्थिति में ठेकेदार मै0 नार्थ इण्डिया डेवलपर्स को निम्न विवरणानुसार किये गये भुगतान ₹0 5,05,540/- की वसूली अपेक्षित है।

क्र०	मद	विवरण	विवरण
		वार्ड श्याम पार्क मैन के राजनंद नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया की क्षतिग्रस्त सड़कों का डेस द्वारा सुधार कार्य मै नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	वार्ड 60 श्यामपार्क मैन में सत्यम एन्क्लेव में सीवर से क्षतिग्रस्त विभिन्न गलियों में नाली व इण्टर लॉकिंग टाईल्स का कार्य में महेश चन्द्र कान्टेक्टर

	मात्रा	दर	दर	अधिक
प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग एम-30 ग्रेड 80 एमएम थिक रबर मॉड्यूल कलरड इंटरलॉकिंग टाईल्स	3140वर्गमी0	881	720	161

अधिक भुगतान= $3140 \times 161 = 5,05,540$

12- हिन्दन नदी के किनारे शमशान घाट वाली रोड से कुछ आश्रम तक डेन्स का कार्य की पत्रावली में पाई गई अनियमितताएँ परफोरमेन्स गारन्टी रुपये 78513/- कम लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति एवं ठेकेदारों को अनियमित एवं अधिक भुगतान ₹0 41302/- :-

उक्त कार्य का आगणन ₹0 14,99,400=00 का था, जिसमें 1 प्रतिशत लेबर सेस भी सम्मिलित था जो ₹0 13268.90/- को आगणन धनराशि में जोड़ने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। उक्त आगणन त्रुटिपूर्ण था।

उक्त कार्य हेतु दो निविदायें प्राप्त हुई थी न्यूनतम निविदा (-17.90 प्रतिशत) मै0 अनिल कुमार चौहान की ₹0 12,29,657=00 स्वीकृति की गई थी। मात्र दो निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित था। कम से कम तीन निविदायें होनी चाहिए थी जिस हेतु पुनः निविदा आमंत्रण किया जाना चाहिए था।

उक्त कार्य हेतु आगणन धनराशि 14,99,400/- या 18 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ₹0 2,69,982=00 जमा करानी चाहिए थी, जबकि मात्र ₹0 1,93,379/- जमा कराई गई थी। इस प्रकार ₹0 78,513=00 कम जमा कराने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

पत्रावली में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निगम एवं ठेकेदार के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र मूल/छायाप्रति सलग्न नहीं थी, जिस कारण रु० 100/- की राजस्व क्षति हुई एवं यह स्थिति निगम के विधिक हितों के विपरीत थी।

उक्त कार्य में 112.17 घनमीटर का स्टोन बैलास्ट का कार्य किया गया था, जिस पर 10 प्रतिशत वॉयड्स न नारे जाने के कारण ठेकेदार को $11.22 \times 2048 = \text{रु० } 22978-56$ का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

उक्त कार्य में खनिजों के प्रयोग पर रॉयल्टी नहीं काटी गई थी। और न ही पत्रावली में ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी काटे जाने के प्रमाणस्वरूप फार्म एन एम-11 लगाया गया था, जिस कारण ठेकेदार को रु० 8916.17/- का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था। उक्त हेतु दायित्व सुनिश्चित कर वसूली की जाए एवं खनिजों पर अवर अनियन्ता द्वारा रॉयल्टी न काटे जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उक्त कार्य हेतु किये गये फाइनल बिल में 1 प्रतिशत लेबर सेस रुपया 9407=00 को जोड़ कर दिखाया गया था, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस कारण ठेकेदार को रुपया 9407=00 का अधिक भुगतान किया गया था। इसका औचित्य स्पष्ट कर वसूली सुनिश्चित की जाए।

उक्त से स्पष्ट था कि ठेकेदार से रुपया— 76,513=00 परफोरमेन्स गारन्टी कम काटा जाना 10 प्रतिशत वॉयड्स की कटौती न किया जाना रु० 22,979/- रॉयल्टी न काटा जाना रु० 8,916/- एवं 1 प्रतिशत लेबर सेस जोड़कर भुगतान किये जाने के कारण ठेकेदार को रु० 41,302=00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था, तथा निगम को रु० 76,513/- की परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति हुई थी।

13- वार्ड-13, कान्हा फार्म के सामने आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितताएँ एवं लेबर सेस का अनियमित भुगतान रुपये 29,864.33/- परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से आर्थिक क्षति रु० 2,31,912=00 एवं विचलन की स्वीकृति के अभाव में अनियमित भुगतान रु० 66,828=00:-

उक्त कार्य का आगणन अवर अनियन्ता द्वारा दिनांक 20.10.18 को रुपया 4612000/- का बनाया गया था, जो भुटिपूर्ण था। सही आगणन रुपया—4408512/- का था। अतः स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा गलत आगणन के आधार पर निविदा आमंत्रित की गई। अवर अनियन्ता द्वारा आगणन में 1 प्रतिशत लेबर सेस जोड़ा जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। गलत आगणन बनाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उक्त कार्य हेतु तैयार किये गये बी०ओ०क्वू में शेड स्टील और आर०सी०सी० वर्क हेतु 6450/- प्रति कुन्तल की दर दिये जाने का क्या औचित्य था, स्पष्ट किया जाए।

उक्त कार्य 14 वे विल आयोग से कराया गया था, जबकि पत्रावली में प्रपत्रों पर अवस्थापना निधि अंकित किया गया था जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। यह आपत्तिजनक था।

उक्त कार्य हेतु कुल 5 निविदायें प्राप्त हुई थी जिनमें न्यूनतम स्वीकृत निविदा (-25 प्रतिशत न्यून) मै0 शान्तनु कन्स्ट्रक्शन की रूपया 3435017=06 की थी। उक्त कार्य करने हेतु अधिशारी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को इन्टीमेशन कम वर्क ऑर्डर सं0 55/2018-19 दिनांक 2-3-19 जारी किया गया था। जबकि नियमानुसार पहले इन्टीमेशन लैटर जारी करके अनुबंध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी किया जाना चाहिए था। कार्यादेश में कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि, कार्य समाप्ति की तिथि, अर्धदण्ड सम्बंधी प्रावधान की स्पष्ट जानकारी ठेकेदार को दी जानी चाहिए थी, किन्तु उक्त का अभाव परिलक्षित हुआ। निमानुसार कार्यादेश जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उक्त कार्य की पत्रावली में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर या ठेकेदार एवं निगम के मध्य अनुबन्ध संलग्न नहीं था। इससे जहाँ एक ओर 100 रुपये राजस्व की क्षति हुई वहीं दूसरी ओर यह अनुबंध बाध्यकारी भी नहीं था तथा निगम की वित्तीय एवं विधिक हितों के प्रतिकूल था।

उक्त पत्रावली में ठेकेदार द्वारा किये गये मदवार कार्य का बिल संलग्न नहीं था मात्र इनवायस बिल लगाया गया था, यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। सम्परीक्षा में बताया गया कि ठेकेदार का बिल लेखा अनुभाग की गार्ड फाईल में रहता है या तो दो बिल बनाये जाँच या लेखा अनुभाग द्वारा पास बिल की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न किया जाए।

उक्त कार्य में ठेकेदार को रु0 29864.33 था 1 प्रतिशत सेस जोड़कर भुगतान किया गया था, जबकि लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक-9755 एम0टी/सामान्य वर्ग/40 एम.टी-45/2017 दिनांक 29-12-2017 के कार्यालय ज्ञाप एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31-3-18 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि लेवरसेस की कटौती ठेकेदार के बिलों से की जाए एवं उसका के भुगतान का समस्त दायित्व ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये।

इस प्रकार रूपया 29864.33/- का ठेकेदार को अनियमित भुगतान किया गया था। उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 8 जून, 2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदा/टेण्डर पर 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्वोरिटी/परफोरमेन्स गारंटी ली जायेगी। उक्त कार्य हेतु ठेकेदार से रूपया 9,67,208=00 की परफोरमेन्स गारंटी ली गयी थी, जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार रु0 1199120=00 की परफोरमेन्स गारंटी ली जानी चाहिए थी। इस प्रकार स्पष्ट था कि रुपये 2,31,912=00 कम परफोरमेन्स गारंटी लिया जाना निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल था।

आगणन एवं फाइनल बिल की जाँच से प्रकाश में आया कि किये गये कुछ कार्यों में विचलन किया गया था तथा उक्त विचलन के लिये अवर अभियन्ता द्वारा कोई विचलन विवरण नहीं बनाया गया था। और न ही इसे स्वीकृत कराया गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। विचलन का विवरण निम्नवत था-

क्र०	कार्य की मद	आगणन के अनुसार कार्य की मात्रा	बिल के अनुसार कार्य की मात्रा	अधिक कार्य	दर	अधिक भुगतान
1	डी वाटरिंग ऑफ नाला	150घंटा	160घंटा	10	150	1500
2	मोकेग बंधा विंद सैन्ड	1000	1100	100	15	1500
3	डिस्सेन्टिलिंग ऑफ ओल्ड रैम्प	30घ.मी	32.87घ.मी	2.87	800	2296
4	अर्थवर्क इन एक्स्कावेशन	1043.70व.मी	1146.90	103.20	95	9804
5	आर.सी.सी.इन 1:1/2:3	310.63 व.मी	315.47	4.84	7700	37268
6	एम.एम.टोर स्टील	170.69 कु०	171.23	0.54	5800	3024
7	डिस्पोजल ऑफ मलवा	527.07 व.मी.	579.77 व.मी.	52.70	217	11436
					योग	66828

14-वार्ड-22 दौलतपुरा पुल के पास दोनों तरफ सी ब्लॉक में सबक सुधार कार्य में पाई गई अनियमिततायें एवं 1 प्रतिशत लेबर सेस रू० 22465/- का अधिक भुगतान, रॉयल्टी रू० 22462=00 न काटा जाना तथा परफोरमेंस गारन्टी रू० 216399.00 कम लिया जाना आपत्तिजनक:-

उक्त कार्य का आगणन रू० 3716000/- का अवर अभियन्ता श्री देवी सिंह द्वारा तैयार किया गया था जो त्रुटिपूर्ण था। सही आगणन (12 प्रतिशत जी.एस.टी सहित) रूपया 3685352-28 का था। अवर अभियन्ता द्वारा आगणन में 1 प्रतिशत लेबर सेस रू० 32887.44 जोड़ने एवं त्रुटिपूर्ण आगणन बनाये जाने का कारण/औचित्य स्पष्ट किया जाए। गलत आगणन पर ही निविदा आमंत्रित की गई थी। शा०सं०-1614/23-10-17-12 (सामान्य)/2017 दिनांक 8-11-2017 द्वारा भी इस सम्बन्ध में दिए गये निर्देश का उल्लंघन किया गया था।

उक्त कार्य हेतु कुल 4 निविदाएं प्राप्त हुई थी। न्यूनतम निविदा (-27.17 प्रतिशत न्यून) मै० अरुण कन्स्ट्रक्शन कं० की स्वीकृत कर अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक-निर्माण/47/2018-19 दिनांक 2-3-19 द्वारा इन्टीमेशन कम वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। पहले इन्टीमेशन लैटर देकर अनुबंध कराया जाना चाहिए था। तत्पश्चात कार्यदेश जारी करना चाहिए था, जिसमें सभी सूचनाएं/निर्देश स्पष्ट रूप से अंकित करने चाहिए। उक्त कार्य की पत्रावली में ठेकेदार का मदवार बिल अंकित नहीं किया गया था। इसे संलग्न किया जाए।

उक्त कार्य में शासनादेशानुसार परफोरमेंस गारन्टी रू० 1040480/- लगाई जानी चाहिए थी, जबकि मात्र 824081.00 की लगाई गई थी।

इस प्रकार कम परफोरमेंस गारन्टी रू० 216399.00 लगाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह निगम के आर्थिक हितों के विपरीत था। ठेकेदार से की गई कटौतियों के सम्बन्धित विभाग में जमा चालानों का पत्रावली में अभाव था जिस कारण इनके जमा की पुष्टि न हो सकी।

उक्त कार्य में ठेकेदार को रूपया 22465.37 का 1 प्रतिशत लेबर सेस जोड़कर भुगतान किया जाना आपत्तिजनक था। इस प्रकार ठेकेदार को रू० 22465.37/- का अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

अपर अभियन्ता द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी न काटे जाने से रु 2462/- का अधिक भुगतान ठेकेदार को करना पड़ा था। इसकी वसूली उत्तरदायी से की जाए।

15- वार्ड-60 श्याम पार्क मेन में सड़क सुधार कार्य में ठेकेदार को अधिक भुगतान रु0 6,750/- एवं लेबर सेस का अधिक भुगतान रु0 13860.35 तथा परफोरमेन्स गारन्टी रु0 176303/- कम लिये जाने से आर्थिक क्षति:-

उक्त कार्य में ठेकेदार मै0 मोहित चौधरी के फाइनल बिल में 12 एम.एम.थिक प्लास्टर इन 1:4 का कार्य 467.24 वर्ग मी0 दर रु0 165 प्रति वर्ग मी0 से रु0 77094/- होना चाहिए था, जबकि 77102.85 भुगतान किया गया था। इसी प्रकार इन्टरलॉकिंग टाईल्स के कार्य में 1202.17 वर्ग मी0 दर 720 प्रति वर्ग मी0 से रूपया 8,65,562.40 भुगतान होना चाहिए था जबकि 8,62,562/- का भुगतान बिल में अंकित था।

इस प्रकार पूरे बिल की गणना करने पर ठेकेदार को कुल रु0 6750.00 का अधिक शुद्ध भुगतान किया गया था। बिल में रु0 13860.35 का प्रतिशत लेबर सेस जोड़कर भुगतान किया जाना अनियमित था।

उक्त कार्य में 10 प्रतिशत जमानत 199170.00 एवं 20 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रु0 398340/- ली जानी चाहिए थी जबकि कुल 375473.00 जमानत एवं क्षति पर गारन्टी ली गई थी। इस प्रकार रु0 176303.00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी। उक्त के अतिरिक्त मात्र 2 निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना भी अनियमित था।

16- वार्ड-82 जवाहर पार्क, राहीदनगर में इन्टरलॉकिंग कार्य में अधिक भुगतान रु012732.39/- एवं परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति रु0 118172.00:-

उक्त कार्य का आगणन रु0 1129800/- था एवं न्यूनतम निविदा (-13.99 प्रतिशत न्यून) के आधार पर कार्य मै0 आर0के एसोसियेशन को दिया गया था। उक्त कार्य हेतु मात्र दो निविदाएं प्राप्त हुई थी। दो निविदा के आधार पर कार्य स्वीकृत करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

व्यय प्रमाणक सं0-4 दिनांक 4-2-20 के द्वारा इनके फाइनल बिल का भुगतान किया गया था। फाइनल बिल में अर्थ वर्क इन फिलिंग का कार्य 143.24 घ.मी.पर 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज न काटे जाने के कारण 17.91×229=रूपया 4101.39 का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

बिल में 1 प्रतिशत लेबर सेस रूपया 8631.00 जोड़कर फिर कटौती किये जाने के कारण ठेकेदार को रु0 8631.00 का अधिक भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

उक्त टेण्डर 13.99 प्रतिशत कम दर पर डाला गया था। अतः आगणन राशि रु0 1129800/- पर 14 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली जानी चाहिए किन्तु रु0 158172/- के स्थान पर रु0 40,000.00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली गयी थी। इस

प्रकार 118172.00 रूपया कम अति पर गारन्टी लिये जाने से निगम को आर्थिक क्षति हुई थी।

17- वार्ड-29 कुटी में पंचशील कालोनी में इण्टरलॉकिंग टाईल्स के कार्य में टाईल्स का जॉंच प्रमाण पत्र न होने से अनियमित भुगतान रु० 188496/- तथा वॉयडस न काटे जाने से अधिक भुगतान रु० 4280/- एवं लेबर सेस बिल में जोड़ने के कारण अधिक भुगतान रु० 3641.00:-

उक्त कार्य का आगणन रु० न्यूनतम था। न्यूनतम निविदा रु० एस0आर0 एन्टरप्राइजेज की थी। उक्त कार्य के फाइनल बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं० 397 दिनांक 21-12-19 द्वारा किया गया था। उक्त कार्य के बिल में ठेकेदार को 1 प्रतिशत लेबर सेस को जोड़कर रूपया 3641/- भुगतान किया गया था, जिस कारण ठेकेदार को रु० 3641/-का अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त कार्य में स्टोन बैलास्ट का कार्य 20.94 घ.मी. कराया गया था, किन्तु इस पर 10 प्रतिशत वॉयडस न काटे जाने के कारण $2.09 \times 2048 \times 4280.32$ का ठेकेदार को अधिक भुगतान कर दिया गया था। इण्टर लॉकिंग टाईल्स का लैब में गुणवत्ता परीक्षण न कराये जाने के कारण रूपया 188496.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

18- वार्ड-56 चिरंजीव विहार में डैन्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य में अनियमित भुगतान 2,10,006/- तथा अधिक भुगतान रूपया-12,848/-:-

उक्त कार्य का आगणन रु० 576356.00 था। न्यूनतम निविदा (5.80 प्रतिशत न्यून) के आधार पर रु० 50एम० कन्स्ट्रक्शन को उनके फाईनल बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं०-648 दिनांक 22-2-20 द्वारा किया गया था। माप पुस्तिका सं०-6478 के पृष्ठ 07 पर स्टोन बैलास्ट का कार्य 39.48 घ.मी. था। इस पर 10 प्रतिशत वॉयडस नहीं काटे जाने के कारण $3.948 \times 2048 = 8085$ का अधिक भुगतान किया गया था।

1 प्रतिशत लेबर सेस रूपया 4763/- का भी बिल में जोड़कर भुगतान किये जाने से ठेकेदार को रूपया 4763.00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

सड़क में प्रयोग किया गया विटमिन 29.57 घनमीटर ठेकेदार द्वारा कहीं से कय किया गया था, स्पष्ट नहीं था। नगर निगम द्वारा रिफाइनरी को भेजा गया कोई पत्र पत्रावली में सलग्न नहीं था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए। अन्यथा स्थिति में उक्त हेतु किया गया भुगतान रु० 210006.14 अनियमित था।

19- वार्ड न० 46, मानसी विहार में मन्दिर से मकान सं०-125, सी०-1 से मकान सं०-167 पार्क से मकान सं. 80 तक सड़क मरम्मत कार्य में पायी गयी अनियमितताएँ:-

वार्ड न० 46 मानसी विहार में मन्दिर से मकान सं०-125 सी. 1 से मकान सं० 167, पार्क से मकान सं०-80 तक सड़क मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जॉंच के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम निधि के वाउचर सं० 563 चेक सं० 907514 दिनांक

27-12-19 रुपये 740600.00 का भुगतान में अरुण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को उक्त कार्य के सापेक्ष आयकर रु0 17,716/- सेस रुपये 7819/- जी0एस0टी0 रु 15636/-अन्य रु0 52 की कटौती के पश्चात किया गया था। उक्त पत्रावली की जाँच में निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आयी-

1- उपर्युक्त कार्य की ई-निविदा सूचना पत्रांक 15/16/निमाण/2018-19 दिनांक 2-12-18 दैनिक जागरण नई दिल्ली दिनांक 6-12-18 एवं दबंग दुनिया नई दिल्ली दिनांक 7-12-18 में प्रकाशित की गयी थी, जिस हेतु आर0जी0 बिल्डटेक इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा आगणन धनराशि 8,87,585/- के सापेक्ष 18-60 प्रतिशत कम दर पर रु0 7,22,498/- पर कार्य करने हेतु निविदा दी गयी। लेकिन पत्रावली नोटिंग साईड में उक्त का उल्लेख नहीं किया गया है। यह पत्रावली के दाहिनी ओर पृष्ठ 6 से 13 पर निविदा विज्ञापन प्रकाशन एवं तत्सम्बंधी अन्य अभिलेख संलग्न थे पृष्ठ सं0 14 पर दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनांक 18-2-19 में विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 4 मार्च, 2019 को प्राप्त दो टेण्डर में से अरुण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 11.75 प्रतिशत कम दर प्राप्त निविदा को स्वीकृत कर कार्य कराया गया था, जबकि नियमानुसार कम से कम तीन टेण्डर प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा दाता की निविदा स्वीकृत की जानी चाहिए थी यह आपत्तिजनक था।

2- यदि प्रथम बार में प्राप्त निविदा आर0जी0बिल्डटेक इंजीनियर्स लि0 की 18.60 प्रतिशत कम दर पर कार्य कराया गया होता तो नगर निगम को 6.85 प्रतिशत 18.60-11.75 रुपये 60809/- 783307-722498 की बचत होती। इस प्रकार नगर निगम को रु0 60809/-की आर्थिक क्षति हुयी थी। उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली की नोटिंग साईज में कोई टिप्पणी अंकित न किया जाना आपत्तिजनक था।

3- उक्त कार्य के आगणन क्रमांक-3 पर अंकित कार्य S/L B0E मद हेतु 92 वर्ग मी0 दर 32029440/- का कार्य नहीं कराया गया था। उक्त से स्पष्ट था कि अवर अनियन्ता द्वारा उक्त मद की कार्य की आवश्यकता न होने पर भी आगणन में सम्मिलित किया गया था जिससे आगणन धनराशि एवं स्वीकृति निविदा धनराशि में उक्त सीमा तक वृद्धि हुयी। यह आपत्तिजनक था। अतएवं उपरोक्त कमियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जानी अपेक्षित है।

20- वार्ड न0-7 सुदामापुरी में ए-ब्लॉक से सुदामापुरी प्राईमरी स्कूल तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स सबक निर्माण का कार्य में पायी गयी अनियमितताएँ:-

पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि 14 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत वार्ड न0-7 सुदामापुरी में ए-ब्लॉक से सुदामापुरी प्राईमरी स्कूल तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स सबक निर्माण का कार्य का ठेका मै0 जुबेर कन्स्ट्रक्शन को दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के द्वितीय थालू बिल का भुगतान रु0 3503500/-दिनांक 16-12-19 को किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी।

1- उपरोक्त कार्य की आगणन धनराशि 80,00,000/- थी जो अतिरिक्त था। शुद्ध रूप से आगणन की धनराशि 79,87,084 थी। इस प्रकार आगणन की गणना रु0 12916/- अधिक की गयी थी। ठेकेदार को उपरोक्त कार्य का ठेका आगणन राशि सेस 27.88

प्रतिशत नीचे ₹0 57,89,600/- में दिया गया था। ₹0 12916 /-आगणन गणना में अधिक दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

2- ई निविदा सूचना हेतु समाचार पत्रों को जारी किया गया प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं था, जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कार्य की अवधि क्या थी, कार्य की अनुमानित लागत, धरोहर राशि, जमानत राशि क्या थी तथा प्रकाशित विज्ञापन में उपरोक्त सूचनाएँ नहीं दर्शायी गयी थी।

3- मै0 अनुज कन्स्ट्रक्शन की धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 नं0 719517 दिनांक 15-10-16 जिसकी परिपक्वता तिथि 15-10-18 थी जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था पुरानी अवधि की थी। एफ0डी0आर नं0 305896 ₹0 90,000/- दिनांक 7-5-18 परिपक्वता तिथि 7-5-17 थी जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था पुरानी अवधि की थी पुरानी अवधि की एफ0डी0आर0 होने की दशा में भी किस आधार पर धरोहर राशि वैध माना गया स्पष्ट किया जाए।

4- मै0 आर0जी0 बिल्डटेक इन्जीनियर्स लि0 की धरोहर राशि की एफ0डी0आर नं0-19355897 दिनांक 27-3-17 जिसकी परिपक्वता तिथि 27-3-18 थी, जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। एवं एफ0डी0आर- 183729356 दिनांक 27-3-17 धनराशि 1,00,000/- की परिपक्वता तिथि 27-3-18 थी, जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था पुरानी अवधि की थी। एफ0डी0आर0 नं0 177653257 दिनांक 14-10-16 धनराशि 1,00,000/- की परिपक्वता तिथि 14-10-17 थी जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था एफ0डी0आर नं0- 19312022 दिनांक 27-3-17 धनराशि ₹0 1,00,000/- की परिपक्वता तिथि 27-3-18 थी जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था।

उपरोक्त एफ0डी0आर पुरानी होने के बावजूद भी वैध माना गया था पुरानी एफ.डी. आर. को वैध माने जाने का आधार स्पष्ट किया जाए। अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार की निविदा निरस्त मानते हुए कार्यवाही अपेक्षित है।

5- उपरोक्त कार्य की ठेकेदार द्वारा खाली गयी निविदाएँ के प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य को किस आधार पर आंशिक किया गया था।

6- उपरोक्त कार्य का कायोदेश पत्रावली में संलग्न नहीं था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितने प्रतिशत निम्न पर दिया गया था। कार्य की अवधि क्या थी स्थिति स्पष्ट की जाए।

7- उपरोक्त कार्य का ठेकेदार द्वारा किया गया अनुबन्ध पत्रावली में संलग्न नहीं था, जिससे कार्य की शर्तें आदि की स्थिति अज्ञात रही।

21- 14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत नायफल गॉव में मैन रोड एवं आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य मै0 आर0जी0बिल्डटेक इन्जी0लि0 को किया गया अधिक भुगतान ₹0 20,688 /-

पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि 14 वॉ वित्त आयोग के अंतर्गत नायफल गॉव में मैन रोड एवं आर0सी0सी0 नाल निर्माण कार्य का ठेका मै0 आर0जी0बिल्डटेक

इन्जी० लि० को दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के प्रथम बिल का भुगतान रु० 70,81,600/- दिनांक 31-12-19 वाउचर सं० 686 द्वारा किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएं प्रकाश में आयी।

1- उपरोक्त कार्य की ठेकेदारों द्वारा डाली गयी निविदाओं के प्रपत्र पत्रावली में सलंगन नहीं थे, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य को किस आधार पर आवंटित किया गया था।

2- उपरोक्त कार्य का कार्यादेश पत्रावली में सलंगन नहीं था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितने प्रतिशत निम्न पर दिया गया था कार्य की अवधि क्या थी। स्थिति स्पष्ट की जाए।

3- ठेकेदार के प्रथम बिल का भुगतान रु० 70,81,600/- विभिन्न कटौतियों उपरान्त वाउचर सं०-686 दिनांक 31-12-19 द्वारा किया गया था जबकि बिल की शुद्ध गणनानुसार ठेकेदार को रु० 7081600/- का भुगतान ठेकेदार को विभिन्न कटौतियों उपरान्त किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ठेकेदार को रु० 20688/- 7081600-7060912 अधिक भुगतान किया गया था। इसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से कराकर नगर निगम कौष में जमा करायी जाए। शुद्ध गणना का विवरण निम्नवत है।

नगर निगम कार्यालय द्वारा गणना/एम०बी०में गणना	सम्परीक्षा द्वारा शुद्ध गणना	अधिक भुगतान	
बिल में लागत—	9291206.64	9264060.64	—
निम्न पर—(28.80)—	2675867.51	2668049.00	
	6615339.13	6596011.64	—
(+)-12प्रतिशत जी०एस०टी०	793840.70	791521.39	—
(+)-1प्रतिशत लेबर सेस	66153.39	65960.11	
	7475333.22	7453493.14	—
(-) टी०डी०एस०	169392.00	168897.00	
(-) जी०एस०टी	149507.00	149070.00	
(-) लेबर सेस	74754.00	74535.00	—
(-) अन्य	80	80	
शुद्ध भुगतान	7081600.00	7060911	20688

22- वार्ड-37,80 फुटा रोड पर विकस एक्स्लेव को जाने वाले मुख्य मार्ग का सुधार कार्य एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कार्य एवं पप्पू कालोनी मुख्य मार्ग से डागर अपार्टमेंट तक गली में नाली व इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य में पाई गई अनियमितताएं :-

पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि 14 वे बिल्ट आयोग के अंतर्गत वार्ड-37 80 फुटा रोड पर विकस एक्स्लेव को जाने वाले मुख्य मार्ग का सुधार कार्य एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कार्य एवं पप्पू कालोनी मुख्य मार्ग से डागर अपार्टमेंट तक गली में नाली व इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य का ठेका मै० आर०जी०बिल्डटैक

इन्जी०लि० को 25.80 प्रतिशत ब्लो पर रू० 8257656.00 में दिया गया था ठेकेदार के प्रथम बिल रू० 3503000 विभिन्न कटौतियों उपरान्त बाउचर सं०- 639 दिनांक 30-12-19 को किया गया था। कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी थी।

1- मै० आर०जी बिल्डटैक इन्जी०लि० द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की एफ०डी०आर० सं० 309181 दिनांक 25-7-17 मूल राशि रू० 120772.00 परिपक्वता तिथि 25-7-18 परिपक्वता राशि रू० 129133.00 व एफ०डी०आर सं० 275935 दिनांक 17-10-16 मूल धनराशि रू० 100000.00 परिपक्वता तिथि 17-10-17 परिपक्वता राशि 107344.00 व एफ०डी०आर० न० 309242 दिनांक 19-1-18 मूल राशि 125149 परिपक्वता तिथि 14-1-19 परिपक्वता राशि 129090.00 व एफ०डी०आर सं० 633199 दिनांक 14-10-16 मूल धनराशि 50,000.00 परिपक्वता तिथि 14-10-16 परिपक्वता राशि 53672 ई०टैण्डर निविदा सूचना निविदा आमन्त्रण से पूर्व अवधि की थी जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। उपरोक्त एफ०डी०आर की छायाप्रति परिपक्वता राशि 71616 परिपक्वता तिथि 25-8-16 थी, जो ई० टैण्डर सूचना/निविदा आमन्त्रण सूचना से पूर्व अवधि सूचना की थी। जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। उक्त एफ०डी०आर की धनराशि पत्रावली में संलग्न थी।

उपरोक्त एफ०डी०आर निविदा आमन्त्रण सूचना से पूर्व तिथि की होने के बावजूद किस आधार पर बैच माना गया स्पष्ट किया जाए।

2- उपरोक्त कार्य का आवंटन का अधिशासी अभियन्ता/सक्षम अधिकारी का कार्यक्षेत्र पत्रावली में संलग्न नहीं था। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितनी धनराशि में कितने प्रतिशत ब्लो पर आगणन लागत से किया गया था। परफोरमेंस गारन्टी के रूप में जमा की गयी एफ०डी०आर० एस०बी०आई० 600744 दिनांक 30-3-19 धनराशि रू० 24,00,000/-एफ०डी०आर 602516 दिनांक 30-3-19 धनराशि 10,69,754.00 एस०बी०आई० 804375 दिनांक 25-3-19 धनराशि 11,00,000/-एफ०डी०आर सं०-1603213 दिनांक 30-03-19 अंकन 12,00,000/- उपरोक्त जमा पत्रों की मूल प्रति/छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी। संलग्न न करने का कारण स्पष्ट किया जाए।

23- दो निविदा के आधार पर कार्य का आवंटन किया जाना अनियमित एवं कार्य में पायी गयी अन्य अनियमितताएँ-

पत्रावली की सम्परीक्षा से प्रकश में आया कि 14 वे विल आयोग के अन्तर्गत वार्ड-76 वैशाली सै-2बी में मकान सं०-2बी/25 वाली रोड 2बी/84 वाली रोड 2बी/74 से 2बी/65 तक एवं 2बी/306 से 2बी/272 तक रोड का डैन्स द्वारा सुधार कार्य व 2बी/306 से 2बी/272 तक वाली रोड की साईड पटरी का इन्टरलॉकिंग टार्गल द्वारा सुधार का कार्य का ठेका मै० आर०जी०बिल्डटैक इन्जी० लि० को 25.70 प्रतिशत ब्लो पर रू० 1857500/- में दिया। ठेकेदार के प्रथम बिल रू० 12,49,500/- बाउचर सं०-632 दिनांक 30-12-19 को किया गया था। कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी थी।

1- कार्य का आगणन रु० 25,00,000/- अंकित किया गया जबकि वास्तविक शुद्ध गणना के आधार पर रु० 2449194.68 आता है अतः आगणन रु० 50805(25,00,000-2449194.68) अधिक आंके जाने का आधार स्पष्ट किया।

2- मै० आर०जी०बिल्डटैक इन्जी०लि० द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की एफ०डी०आर सं० 061382 दिनांक 27-7-14 मूलधन 91045 परिपक्वता दिनांक 24-1-15 परिपक्वता राशि 94205.00 व एफ०डी०आर० न० 9303425 दिनांक 27-3-17 मूल धनराशि रु० 1,50,000/- परिपक्वता दिनांक 27-3-18 परिपक्वता धनराशि 160621.00 ई० टैण्डर निविदा सूचना/ निविदा आमन्त्रण से पूर्व अवधि की थी। जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। उपरोक्त एफ०डी० आर० की छायाप्रति पत्रावली में सलग्न थी।

फरफोरमेन्स गारन्टी के रूप में जमा की गयी एफ०डी०आर एस्०वी०आई सं.-602516 दिनांक 30-3-19 धनराशि रु० 1069754.00 की मूल प्रति/छायाप्रति पत्रावली में सलग्न नहीं थी। पुरानी सावधि एफ०डी०आर पत्रों को वैध माने जाने का आधार स्पष्ट किया जाए अन्यथा स्थिति में निविदा को अवैध माना जाए।

3- कार्य का आवंटन केवल दो वैध निविदाओं के तुलनात्मक आधार पर किया गया था जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड पौंध के नियमानुसार कार्य का आवंटन तीन वैध निविदाओं के तुलनात्मक के आधार पर किया जाना चाहिए था दो वैध निविदाओं के आधार पर कार्य का आवंटन किस आधार पर किया गया स्पष्ट किया जाए।

ई०टैण्डर निविदा सूचना का प्रकाशन केवल एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया था, जबकि नियमानुसार ई०टैण्डर निविदा सूचना का प्रकाशन कम से कम तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य था।

कार्य आवंटन हेतु वैध निविदायें के आने के बावजूद भी कार्य की ई-निविदा सूचना का प्रकाशन पुनः नहीं कराया गया था दो निविदाओं के आधार पर कार्य आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के संज्ञान ही लिया/स्थिति स्पष्ट सम्परीक्षा को कराया जाए।

4- उपरोक्त कार्य का आवंटन का अधिशासी अभियन्ता/सक्षम अधिकारी का कार्यदेश पत्रावली में सलग्न नहीं था,जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितनी धनराशि में आवंटित किया था तथा कार्य कितने प्रतिशत ब्लो आगणन लागत से किया गया था।

24- मेरठ रोड डिण्डन धर्म कांटे से हुन्डई पुलिया तक आर०सी०सी० नाला निर्माण का कार्य में पायी गयी अनियमितताएँ:-

पत्रावली की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि 14वे वित्त आयोग के अन्तर्गत मेरठ रोड डिण्डन धर्म कांटे से हुन्डई पुलिया तक आर०सी०सी० नाला निर्माण का कार्य का ठेका मै० आर० बिल्डटैक इन्जी लि० को 27.80प्रतिशत ब्लो पर रु० 2,31,80,532/- में दिया गया था। ठेकेदार के तृतीय चालू बिलय रु 14,37,200/- (विभिन्न कटौतियों उपरान्त) वाउचर सं०- 708 दिनांक 31-12-19 को किया गया था। कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी-

1- मै0 आर0जी0 विल्डटैक इन्जी0 लि0 द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की एफ0डी0आर सं0-34413473579 दिनांक 19-11-17 मूल राशि 1300897 परिपक्वता तिथि 19-11-18 परिपक्वता राशि रू0 1383905/- ई0टेण्डर निविदा/सूचना/निविदा आमन्त्रण से पूर्व अवधि की थी।

जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। उक्त एफ0डी0आर की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न थी। मै0 आकाशा कन्स0 द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर न0 0005950 दिनांक 5-4-16 मूल धनराशि रू0 2,35,000/- परिपक्वता तिथि 5-4-17 परिपक्वता राशि 2,52,630/- य एफ0डी0आर न0 006709 मूल राशि 2,80,000/- परिपक्वता तिथि 17-7-17 परिपक्वता राशि रू0 2,89,530/- एफ0डी0आर न0 6803040 मूल धनराशि 66,000/- दिनांक 25-8-15 पत्रावली में संलग्न थी।

परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में जमा की गयी एफ0डी आर न0 117219 दिनांक 2-1-18 रू0 1,18,901/- एफ0डी0आर न0 859947 दिनांक 2-1-18 रू0 1,18,901/-एफ0डी0आर 830382 दिनांक 2-1-18 रू0 1,07,344/- की मूल प्रति/ छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी।

परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में जमानत राशि रू0 2051161/-जमा की गयी एफ0डी0 आर पत्रावली में संलग्न अनुबन्ध में दर्शायी गयी थी। जबकि शासनादेश सं0 दिनांक के अनुसार स्वीकृत धनराशि रू0 8257656.00 का 26 प्रतिशत 2146990/- परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में लिया जाना चाहिए रू0 95829(2146990-2057161)परफोरमेन्स गारन्टी के कम लिये जाने का आधार स्पष्ट किया जाए।

2- उपरोक्त कार्य का आवंटन का अधिशासी अभियन्ता/ सक्षम अधिकारी का कार्यादेश पत्रावली में संलग्न नहीं था। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कितनी धनराशि में कितने प्रतिशत ब्लॉ आगणन लागत से किया गया था।

25- नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों में पाई गई विविध अनियमितताएँ:-

आलोच्य अवधि में निगम द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़कों हेतु सड़क रजिस्टर नहीं बनाया गया था जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि नगर निगम के कार्यक्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें हैं तथा जिन सड़कों का निर्माण/ सुधार कार्य कराया जा रहा है उनका निर्माण कब हुआ था तथा वे निगम कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं अथवा नहीं। निगम द्वारा आगणन पंजिका तथा तकनीकी स्वीकृति पंजिका का अनुसंधान नहीं किया गया था। जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि सड़क पूर्व में कब बनी थी तथा किस विभाग द्वारा बनाई गई थी। सड़क किस स्तर की थी एवं सड़क पर कार्य कराये जाने की आवश्यकता भी थी या नहीं। विभिन्न पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि एस्टीमेट में रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफरेट,डिटेल् ऑफ मेजरमेन्ट, सर्वे

रिपोर्ट तथा सामग्री एवं बिटुकिन के उपभोग से सम्बंधित विवरण नहीं लगाये गये थे। बिटुमिन कब और कहां से कय किये किया गया था के सत्यापन हेतु कय की रसीदें एवं रिफाइनरी के बिल/चालान आदि पत्रावलियों में संलग्न नहीं थे। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1408/23-3-07-62(जनरल) 08/टी0सी0 दिनांक-8-8-2009 द्वारा निर्देशों के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बिटुमिन रिफाइनरी से प्राप्त की गई है, किन्तु इस सम्बंध में किसी भी पत्रावली में नगर निगम द्वारा रिफाइनरी को भेजे गये कार्यादेश संलग्न नहीं थे। निगम द्वारा बिटुमिन कय से सम्बंधित कुछ विवरण पत्रावली में संलग्न किये गये थे परन्तु अधिकांश कार्यों में कोई सूचना अंकित नहीं थी जिससे स्पष्ट था कि निगम द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

निगम की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में इन्टीमेशन कन वर्क ऑर्डर ठेकेदार को अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिया गया था जिसमें निविदा स्वीकृत एवं कार्य को तत्काल प्रारम्भ करते हुए अनुबंध कराये जाने हेतु लिखा गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था क्योंकि निर्माण नियमों के अनुसार पहले ठेकेदार को स्वीकृत विषयक सूचना एवं अनुबंध कराने हेतु सूचना दी जानी चाहिए थी एवं अनुबंध कराने के पश्चात ही ठेकेदार को स्पष्ट कार्यादेश जिसमें ठेके की आगणन धनराशि, स्वीकृत धनराशि ठेकेदार की निविदा की दर कार्य समाप्त करने की निर्धारित अवधि, कार्य में देरी का दण्ड कार्य प्रारम्भ करने की तिथि कार्य समाप्ति की तिथि उ0प्र0 भवन एवं कर्मकार (नियोजन एवं सेवा विनियमन अधिनियम, 2009) के अन्तर्गत श्रमिक कर्मचारियों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर प्रमाणपत्र एवं टिन नम्बर आदि के सम्बंध में स्पष्ट सूचनाएँ अंकित होनी चाहिए किन्तु निर्माण पत्रावलियों में उनका सर्वथा अभाव परिलक्षित हुआ। यह आपत्तिजनक था।

निगम की अधिकांश निर्माण पत्रावलियों में अनुबंध पत्र नहीं लगा हुआ था। यह जहाँ एक ओर राजस्व क्षति का प्रकरण था वहीं दूसरी ओर निगम के विधिक हितों के प्रतिकूल था। बिना अनुबंध भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार नल एण्ड वॉयड था। अतः इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

निगम की अधिकांश पत्रावलियों में ठेकेदार के जमानत एवं अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी से सम्बंधित सावधि जमा रसीदें संलग्न नहीं थी जिस कारण गारन्टी। परफोरमेन्स गारन्टी के जमा का सत्यापन सम्भव न हो सका। इन्हें पत्रावलियों में लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। निगम की निर्माण पत्रावलियों में संलग्न माप पुस्तिकाओं पर अवर अभियन्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ तिथि कार्य समाप्ति तिथि कार्यपूर्ण करने की निर्धारित अवधि, कार्य में देरी के लिये निर्धारित अर्धदण्ड आदि से सम्बंधित सूचनाएँ स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती थी। माप पुस्तिकाओं में ठेकेदार को 1 प्रतिशत लेबर सेस को बिल में जोड़कर भुगतान किया जाना अत्यधिक अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस सम्बंध में विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निर्माण पत्रावलियों में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य का मदवार बिल संलग्न नहीं किया गया था मात्र इनवायस बिल को संलग्न किया गया था। सम्परीक्षा में प्रेक्षक

किये जाने पर बताया गया कि ठेकेदार का मूल बिल लेखा विभाग की गार्ड फाइल में रहता है यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। बिल के अभाव में इनकी विस्तृत जाँच सम्भव न हो सकी। ठेकेदार के मूल मदवार बिलों को पत्रावलियों में लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26- नगर निगम क्षेत्र में कराये गये निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं माप पुस्तिकायें अग्रस्तुत:-

वर्ष 2019-20 के सम्परीक्षा में नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण विभाग एवं जलकल विभाग द्वारा कराये गये चौदहवें वित्त, अयस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावली एवं माप-पुस्तिकायें सम्परीक्षा में बार-बार मॉग किये जाने पर उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस सम्बन्ध में लिखित अधियाचन सं० 04 दिनांक 14-6-21 एवं अधियाचन सं० 09 दिनांक 5-7-2021 एवं अधि० सं० 18 दिनांक 20-7-2021 दिया गया था जिसका प्रतिउत्तर सम्परीक्षा टोली को नहीं दिया गया था यह सम्परीक्षा के प्रति उदासीनता का द्योतक होने के साथ-साथ नगर निगम के हितों के प्रतिकूल था निम्नविपरणानुसार दर्शायी गयी पत्रावलियों को अब आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाए।

14 वे वित्त निधि से कराये गये कार्य

क्र०	व्यय प्रमाण सं०/दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	घनराशि
1	185/6-7-19	मै०आर०जी०बिल्डटेक इन्जी०सि०	वार्ड-14 रेलवे कालोनी आर०ब्लाक में आर 27 से 13 तक मुख्य द्वार तक सड़क सुधार का कार्य	2147140
2	529एवं 530/31-2-20	मै०आर०जी०बिल्डटेक इन्जी०सि०	वार्ड-62 गोविन्दपुरम में चौधरी चरण सिंह बिजली घर से गैर तक सड़क सुधार का नाला निर्माण का कार्य	3461400
3	913/19-6-19	अरुण कन्स०कम्पनी	वार्ड-74 वसुंधरा सी०-13 मै० मकान नं० 1101से 1121 तक की सड़क का निर्माण कार्य	2227200
4	1131/4-9-19	मै०आर०जी०बिल्डटेक इन्जी०सि०	शताब्दी पुरम गोविन्दपुरम में सड़क निर्माण कार्य	2834000
5	5283/13-3-20	मै०आर०जी०बिल्डटेक इन्जी०सि०	शताब्दी पुरम गोविन्दपुरम में सड़क निर्माण कार्य	468100
6	1461/10-3-20	डी०के०एस०इन्फ्राटेक इन्डिया प्रा०सि०	वार्ड-20 गद्दी सिकरोड के राजेन्द्र बिजेन्द्र के मकान से मोहनलाल आलोक वेदप्रकाश तक सड़क निर्माण का कार्य	415600

7	527 / 13-2-20	जयवीर सिंह	साउथ साईड और क्षेत्र विजयनगर में ए-ब्लाक राठी रोड से 7/13 वाली सड़क पर नाले का निर्माण का कार्य	431600
8	623 / 16-12-19	महेश चन्द्र कान्टो	वार्ड-88 राजेन्द्र नगर में अग्रवाल रबीटस से गंगा बैम्बेटहाल को जाने वाला मुख्य मार्ग एवं एक साईट नाला निर्माण का कार्य	992500
9	705 / 16-12-19	आकाशा कन्सो	वार्ड-17 करहड़ा से कान्हा उपवन स्थित गुरुशाला को जाने वाला मुख्य मार्ग का डैन्स द्वारा इन्टरलॉकिंग टाइम लगाने का कार्य।	879800
10	637 / 16-12-19	मैडआरओजीएविल्डटैक इन्जीओसिओ	वार्ड-84 राजनगर में एपल ट्री होटल से -1 कट तक दोनों तरफ नाले के साथ ही साथ रिटेनिंग वाल आरओसीओ का कार्य	4287400
11	69एच 712 / 20-8-19 एच 16-12-19	श्री जी इन्फाओ प्रोजेक्ट प्राओसिओ	वार्ड-77 वैशाली एक में सीवर से क्षतिग्रस्त अवशेष रामलीला पार्क में पब्लिक स्कूल तक सड़कों का सुधार कार्य	6495900
12	989 / 10-3-20	मैडआरओजीएविल्डटैक इन्जीओसिओ	ठाकुर द्वारा पैट्रोल पम्प से पीओडब्ल्यूडी गैस्ट हाउस होते हुए पटेलनगर ए-8 तक नाला निर्माण कार्य	2206800
13	58 / 4-9-19	आकाशा कन्सो	वार्ड-30 नन्दी पार्क का जीवोद्धार का कार्य	2400900
14	685 / 16-12-19	आकाशा कन्सो	वार्ड-34 शहीद नगर जीओटीओरोड से टेलीफोन एक्सचेंज रोड तक जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य	925300
15	2777 / 19-10-19	आकाशा कन्सो	वार्ड-34 शहीद नगर जीओटीओरोड से टेलीफोन एक्सचेंज रोड तक जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य	5105000

16	662/16-12-19	मै0आर0जी0बिल्डटेक इन्जी0लि0	प्याउ वाली पुलिया से पार्श्व वाली रोड तक अवशेष 100 मी0 रिटनिंग वाल का निर्माण व दोनो ओर फटरियों पर इम्पटरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	1746000
17	987/10-3-19	मै0आर0जी0बिल्डटेक इन्जी0लि0	प्याउ वाली पुलिया से पार्श्व वाली रोड तक इम्पटरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	4615000
18	975एवं689/10-10-19 एवं 16-12-19	मै0आर0जी0बिल्डटेक इन्जी0लि0	वार्ड 60 जी0टी0रोड स्थित पाईप लाईन गेट न0 01 से 2 तक मुख्य मार्ग टी-प्लान्ट तक सड़क व आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण का कार्य	9482200
19	681एव 988/16-12-19एवं 10-3-20	मै0आर0जी0बिल्डटेक इन्जी0लि0	वार्ड-80 लोनी रोड सर्विस रोड से ए-क्लाक साईड में फार्मिंग तक जल निकासी हेतु आर0पी0जी0द्वारा नाला निर्माण	6127400
20	56/4-9-19	प्रेम कन्स्ट्रक्शन	वार्ड-24 अमृत स्टील और क्षेत्र में प्लाट-137 से 130 तक प्लाट सं0-144 से 145 तक नाली व डैन्स द्वारा सड़क सुधार कार्य	9771200
21	813/25-7-19	डी0के0एस0इन्फ्राटेक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-61 वसुंधरा सै0-2ए तक पास वाली रोड 2 सी 587 से 322 वाली रोड की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य	610410
22	703/16-12-19	डी0के0एस0इन्फ्राटेक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-61 वसुंधरा सै0-2ए टंकी के पास क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य	3720200
23	2278/19-10-19	आकाशा कन्स0	वसुंधरा सै0-12 फ्रेन्सडस सोसायटी सै-13 की सड़क सुधार कार्य	6638000
24	1124/4-9-19	पी0पी0शिलसन प्रा0लि0	मेरठ रोड नन्दग्राम मुख्य मार्ग से कान्हा फार्म तक डियाइडर व डैन्स द्वारा सड़क सुधार कार्य	3161200
25	1741/22-10-19	पी0पी0शिलसन प्रा0लि0	मेरठ रोड नन्दग्राम मुख्य मार्ग से कान्हा फार्म तक डियाइडर व डैन्स द्वारा सड़क सुधार कार्य	8079200

26	1132/4-9-19	मै0आर0जी0विल्डटैक इन्जी0सि0	मेरठ रोड हिम्पडन घर्नकाटा से हुन्डई पुलिसिया तक आर0सी0री0 नाला निर्माण कार्य	5464300
----	-------------	-----------------------------	--	---------

अवस्थपना निधि से कराये गये कार्य

क्र0	व्यय प्रमाणक सं0/ दिनांक	टैकेदार का नाम	कार्य का नाम	घनराशि
1	907/10-6-19	सुनील रागै एण्ड कम्पनी	रमते राम रोड पर पार्किंग एवं व्यवसायिक काम्पलैक्स के अवशेष कार्य	2769894
2	48/4-9-19	मै0ए0पी0कन्स0क0	वार्ड-72 यशोदा अस्पताल के सामने वाले सर्विस रोड पर एस0डी0पी0एस0 द्वारा सुधार कार्य	994600
3	1123/4-9-19	मै0ए0पी0कन्स0क0	वार्ड-14 वकील कॉलोनी आर0ब्लाक मे आर-108से 94 तक सड़क सुधार कार्य	1213500
4	802/6-7-19	मै0 शिव कान्टेक्टर	वार्ड-14 में त्वदेशी चौक आर-1री247 से सर्वोदय नगर पुलिस तक सड़क सुधार कार्य	1548000
5	2180ए/22-10-19	मै0आर0जी0विल्डटैक इन्जी0सि0	वार्ड-82 जवाहर पार्क में मूवी पैलेस रोड का सुधार कार्य	1495900
6	155/6-7-19एवं 2181/22-10-19	मै0अनुज कन्स0कम्प0	वार्ड-41 महाराजपुर मे शीर उर्छा मार्ग से जैकटाइन बनाना वाली निर्माण का कार्य	1900600
7	903/10-6-19	मै0 अरुण कन्स0 कम्प0	वार्ड-74से 15 के मुख्य मार्ग का सुधार कार्य	2129700
8	321/6-7-19	मै0 अक्ष साप्ताइ इंजी0सर्विसेज	मकनपुर कन्हा झ0कालेज में बच्चों के बैठने की व्यवस्था के सुधार हेतु दोनों कमरों का निर्माण कार्य	540100

9	322/6-7-19	मै0 प्रेम कन्स0	मकनपुर स्थित कन्या इ0कालेज में बच्चों के बैठने की व्यवस्था के सुधार हेतु तीन कमरों का निर्माण कार्य	700800
10	649/10-6-19	मै0 शान्तनु कन्स0	वार्ड-31 कविनगर में दिवेकानन्द शिशु मन्दिर से बालाजी कार तक डैन्स द्वारा सड़क सुधार कार्य	1831900
11	52/4-9-19	मै0 डी0के0एस0इन्फ्रा0 इम्प्लिया लि0	सीर उर्जा मार्ग पर डिवाइडिंग का निर्माण एवं सुधार कार्य	15037400
12	1122/4-9-19	मै0 शान्तनु कन्स0	वार्ड-46 दुहाई में पीपल वाली गली की लैंक गलियों में आर0जी0सी0 नाली एवं इन्टर लॉकिंग टाईल्स का कार्य	3444400
13	160/6-7-19	मै0 अरुण कन्स0 कम0	वार्ड-31 मीडल टाउन वेस्ट की सड़कों का निर्माण कार्य	946300
14	1120/4-8-19	मै0जी0पी0रियलकान प्रा0लि0	वार्ड-26 माधोपुर तथा गउपुरी की विभिन्न छन्दवाल माधोपुर में गोपाल से गिरधारी दीपक से सन्तराम तक नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	883700
15	218/14-11-19	मै0जी0पी0रियलकान प्रा0लि0	वार्ड-26 माधोपुर तथा गउपुरी की विभिन्न गलियों में नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	2128500
16	654/10-6-19	मै0 जी0एम0कन्स0	वार्ड-70 वसुन्धरा से0-15 इलाहाबाद बैंक से सिद्धि ज्वैलर्स तक मैनरोड से एस0जी0स्कूल तक डबलरोड तक सर्विस रोड क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य	3013400
17	51/4-8-19	मै0 जी0एम0कन्स0	वार्ड-74 वसुन्धरा से0-15 सिद्धि ज्वैलर्स तक मैन रोड से एस0जी0स्कूल तक विश्वकर्मा चौक से डबल	959400

			रोड तक सर्विस रोड क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य	
18	905/10-6-19	मै0 अरुण कन्स0कॉ0	वार्ड-85 कैला भट्टा में पी0ए0सी0वीक से रमजान तक सड़क सुधार कार्य	1538200
19	972/22-10-19	डी0के0एस0इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-48 मौपुरा कृष्णा बिहार पुरी के मन्दिर मोहननगर बाबा मन्दिर के बगल में स्कूल एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण का कार्य	3388000
20	284/2-5-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-73 साहिबाबाद में इ0एस0आई अस्पताल से 150 फुट शिवदीक तक सड़क सुधार का कार्य	3827000
21	966/16-3-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-83 राजेन्द्रनगर सै-3ब्लाक में सीवर लाईन क्षतिग्रस्त साईड पटरी पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य	3100800
22	675/31-12-19	डी0के0एस0इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-48 मौपुरा कृष्णा बिहार पुरी के मन्दिर मोहननगर बाबा मन्दिर के बगल में स्कूल एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण का कार्य	521800
23	158/6-7-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-58 एवं 14 के मध्य एन0एच0-24 कसे भवाई रोड तक विजयनगर गौशाला रोड पर सड़क सुधार का कार्य	4084700
24	32वीं/2-5-19	डी0के0एस0इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि	वार्ड-98 होली वाईल्ड स्कूल के सामने सामुदायिक रोड से स्टेडियम व साई मन्दिर होते हुए गांधीनगर चौराहे तक सड़क सुधार का कार्य।	2772300

25	2180बी/22-10-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0सि0	वार्ड-85,75 लाजपतनगर ई0 एवं एफ0 ब्लाक के मध्य 80 फुटा रोड अम्बे डॉसिपटल रोड का सुधार कार्य	2529600
26	67/20-8-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0सि0	लोनी रोड पर शालीमार सिटी से हिप्पडन एयरफोर्स बाउन्ड्रीवाल तक अवशेष नाले का निर्माण कार्य	3111200
27	2969/20-10-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0सि0	लोनी रोड पर नाली से हिप्पडन एयरफोर्स बाउन्ड्रीवाल तक अवशेष नाले का निर्माण कार्य	2702000
28	671/31-12-19	मै0आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0सि0	लोनी रोड पर शालीमार सिटी से हिप्पडन एयरफोर्स बाउन्ड्रीवाल तक अवशेष नाले का निर्माण कार्य	834000
29	668/23-12-19	मै0 मार्डन इन्जी0	ग्राम सिहानी में श्री विनोद त्रिपाठी के मेडिकल स्टोर से नन्दग्राम डबल रोड तक सड़क एवं नाला निर्माण का कार्य	2616800
30	358/2-5-19	मै0 आकांक्षा कन्स0	वार्ड-94 रामपुरी जी-अरुणनन्द अपार्टमेन्ट से सूर्यनगर तक क्षतिग्रस्त सड़क सुधारी	8351500
31	356/2-5-19	मै0 नार्थ इण्डिया डैवलपर्स	वार्ड-40 राजेन्द्र नगर इन्ड0एरिया की मैन रोड डैस कार्य	994200
32	673/31-12-19	मै0जी0पी0रियलकान प्रा0सि0	वार्ड-40 श्यामपार्क खेती रोड-रेलवे स्टेशन को जाने वाली मार्ग पर डैम द्वारा सड़क सुधार	1096400
33	357/2-5-19	मै0जी0पी0रियलकान प्रा0सि0	वार्ड-59 पुराना शहर के गोल मार्केट गंज होते हुए कार्पेटिंग द्वार साफ सुधार कार्य	6551800
34	786/20-8-19	मै0जी0पी0रियलकान प्रा0सि0	वार्ड-59 पुराना शहर के गोल मार्केट गंज होते हुए काम्पलेक्स जी0टी0रोड तक डैस द्वार सड़क सुधार कार्य	4263500

35	2182एच 604 / 22-10-19, 11-2-20	मै0आर0जी0बिल्डटेक इन्जी0लि0	वार्ड-35 एन.एच.24अक्टूबर बहरामपुर मेन रोड से आदर्श पब्लिक स्कूल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	9422700
36	32 ए एच 897 / 2-5-19, 10.6.19	मै0आर0जी0बिल्डटेक इन्जी0लि0	वार्ड-04 राजनगर में विभिन्न स्थानों पर इन्ग्राहम स्कूल से सरस्वती स्कूल तक मार्गी अस्पताल होते हुए ए0एल0टी0 रोड तक हिट चौराहे तक सैन्टल पार्क तक सड़क सुधार	12932300
37	294, / 22-10-19 643 / 30-12-19	मै0आर0जी0बिल्डटेक इन्जी0लि0	वार्ड-72 भीपुरा से उदयगिरि टावर की ओर आर.सी.सी. नाला निर्माण का कार्य	13761900
38	57 / 22-11-19	डी0के0एस0इन्फ्राटेक इन्डिया प्रा0लि	सौर उर्जा मार्ग धनर डियाइडिंग का निर्माण एवं सुधार कार्य	5774700
39	1121 / 4-9-19 एवं 2968	मै0 गार्ड इन्डिया डैवलपर्स	वार्ड-46 संजयनगर में बिजली घर भीवापुर तक की सड़क का निर्माण कार्य	8729100
40	908 / 10-6-19 56 / 22-11-19	सुनील गर्ग कम्पनी	नेहरू नगर के आडीटोरियम सिटीजन बल्य स्पीमिंग पुल एवं पार्किंग निर्माण का कार्य	21809911

जलकल विभाग

27- जलकल अनुभाग के निर्माण कार्यों में विलम्ब अवधि हेतु ठेकेदार से अर्धदण्ड न वसूलने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति रु0 34,14,384/-

सम्परीक्षा में जलकल अनुभाग की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि जिन कार्यों में कार्यादेश के अनुसार समाप्ति तिथि दी गयी थी माप पुस्तिका के अनुसार उससे विलम्ब अवधि में ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया था। नगर निगम के निविदा प्रपत्र की अन्य भत्तों की शर्त सं0-6 के अनुसार "निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य

समाप्त न होने की दशा में 100/- प्रतिदिन प्रतिलाख की दर से बिल कटौती की जायेगी" से स्पष्ट था कि नगर निगम द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार ठेकेदार के बिलों से विलम्ब अवधि हेतु कोई अर्धदण्ड वसूल नहीं किया गया था जिस कारण नगर निगम को ₹0 34,14,384/- की आर्थिक क्षति हुई थी। इसकी वसूली की जाए एवं समय से बिलों से अर्धदण्ड की कटौती की जाए।

उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'द' में दिया गया है।

28- जलकल अनुभाग में निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति ₹0 26,86,625/-

जलकल अनुभाग की निम्न विवरणांकित पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा जलकल अनुभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलों तक 50 प्रतिशत से अधिक (बिलों) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। जो अनियमित थी। शासनादेश सं0- 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 8-6-2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक बिलों पर 01 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर ली जायेगी।

इस प्रकार नगर निगम द्वारा अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से निम्न प्रकरणों में ₹0 26,86,625/- की आर्थिक क्षति हुई थी। कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने को कोई आदेश हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ठेकेदारों से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त स्थिति नगर निगम के वित्तीय हितों के प्रतिकूल थीं उक्त से सम्बन्धित विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

29- जलकल अनुभाग कार्यों में बिलों की धनराशि में प्रतिशत अतिरिक्त लेबर सेस जोड़े जाने के कारण ठेकेदारों को ₹0 1,81,843/- का अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि समस्त बिलों की धनराशि 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोड़ने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी। जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755एम0टी0/सामान्य वर्ग/40 एम0 टी0-45/2017 दिनांक 19-12-2017 कार्यालय झाप में अंकित " भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर-4.2 में अनुशांसा की गयी है। कि शासन द्वारा समस्त खण्डों में तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना

चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायें।”

“ बिड डाक्यूमेंट में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट है जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है उक्त के कम में एतद् द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाये।”

अतः संलग्न सूचि के अनुसार बिल में रुपये— 1,81,843/- लेबर सेस के रूप में जोड़े गये थे। जिनका भुगतान ठेकेदारों को किया गया था। अतः लेबर सेस की जोड़ी गयी घनराशि अंकन रुपये 1,18,843/- का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'न' पर दिया गया है।

30- विजय नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-25, अम्बेडकर नगर की विभिन्न गलियों में सीवर लाईन बदलने के कार्य हेतु अधिक एवं अनियमित भुगतान रुपये 24,48,884/-

14 वॉ वित्त आयोग खाते से चेक संख्या 676725 वाउचर संख्या 804 दिनांक 25-7-2019 रुपये 25,42,800 एवं वाउचर संख्या 279 पी0एफ0एम0एस0 एडवायस सं0 सी-121908842878 दिनांक 16-12-19 रुपये 53,500 कुल रुपये 25,96,300/- का भुगतान मै0 जुबैर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को विजय नगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 25 अम्बेडकर नगर की विभिन्न गलियों में सीवर लाइन बदलने के कार्य हेतु किया गया था। उक्त भुगतान कार्य के कुल बिल धनांक 27,40,673/- के सापेक्ष आयकर (टी0डी0एस) रु0 62105/- 2 प्रतिशत जी0एस0टी 54814 प्रतिशत सेस 27407 एवं अन्य रु0 47/- की कटौती के पश्चात फर्म को किया गया था। उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच के समय प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्यसे सम्बन्धित अवर अभियन्ता (जल) द्वारा निर्मित आगणन की मद संख्या-15 में रिमूविंग ऑफ ओल्ड डैमेज कान्जस्टेड सीवर लाइन हेतु 1450 रनिंग वर्ग मीटर का प्राविधान किया गया था तथा क्रमांक-4 पर 145 घ0मी0 सप्लाई लेइंग आफ 250 एम0एम डाया आर0सी0सी0 पाईप एट आल द कम्प्लीट वर्क प्रदर्शित था। अधिशासी अभियन्ता (जल)नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 01 दिनांक 5-3-19 द्वारा मै0 जुबैर कन्स्ट्रक्शन, गाजियाबाद के पत्रांक 01 दिनांक 5-3-19 द्वारा मै0 जुबैर कन्स्ट्रक्शन, गाजियाबाद को 250 एम0एम0ब्यास की 1450 रनिंग मै0 आर0सी0सी0 सीवर लाईन बदलने का कार्य हेतु कार्यदेश निर्गत किया गया था। लेकिन उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं0 6938 एवं कॉन्ट्रक्टर बिल की जाँच के समय प्रकाश में आया कि रिमूविंग ऑफ ओल्ड डैमेज सीवर पाइप लाईन कार्य मात्र 163मी कराया गया था जबकि सप्लाई एण्ड लेइंग आफ 250एम0एम0 डाया आर0सी0सी0 सीवर पाईप लाईन का कार्य 1531 रनिंग मीटर कराया गया था। जब पुरानी सीवर लाईन मात्र 163 मी0 हटाई गयी। तोड़ी गई तो 1531र0मी0 नयी पाईप लाईन डालने का कार्य संदिग्ध

था तथा बिना पुरानी सीवर पाईप लाईन हटाये नयी सीवर पाईप लाईन डाला जाना सम्भव नहीं था। उक्त से स्पष्ट था कि मात्र 163र0मी0 ही पाईप लाईन बदलने का कार्य किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा स्थिति में बिना कार्य कराये गये 1368 र0मी0(1531-163) हेतु किया भुगतान रुपये 2448884/- (1368×2740673/1531)अनियमित/ अमान्य/अधिक भुगतान का प्रकरण था जिसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

31- मोहन नगर जोन में वर्षों में जलभराव की समस्या से निपटने हेतु टैक्टर टैक्टर,जो0सी0 बी एवं सफाई कर्मी की आपूर्ति हेतु किराये का अपरिहार्य व्यय रुपये 1,26,604/-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों /पत्रावलियों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि चैक संख्या 907506 दिनांक 21-12-19 रुपये 12,05,800/- का भुगतान अनीस कान्टेक्टर को आयकर रू0 28,591/- जी0एस0टी0 रू0 14,430/-सेस रू0 12619 एवं अन्य रू0 164 की कटौती के पश्चात निम्नांकित विवरणानुसार चार कार्यों हेतु किया गया था।

क्र0	बिल सं0	दिनांक	बिल धनराशि	विवरण
1	32	5-11-2019	370254/388043	1-8-19से 31-8-19 तक 4 नग टैक्टर टैक्टर की किराये पर आपूर्ति मोहन नगर क्षेत्र में वर्षा में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए-अनीस कान्टेक्टर गाजियाबाद
2	33	6-11-2019	358310/354816	दिनांक 1-9-19से30-9-19 तक मोहन नगर क्षेत्र में वर्षा में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए 4 नग टैक्टर टैक्टर की किराये पर आपूर्ति अनीस टैक्टेदार गाजियाबाद
3	34	5-11-2019	185187/183322	दिनां 2-10-19 से 1-11-19 तक मोहन नगर क्षेत्र में वर्षा में जलभराव की स्थिति से निपटने हेतु 2 नग टैक्टर टैक्टर की किराये पर आपूर्ति दिनांक 2-10-19 अनीस टैक्टेदार गाजियाबाद
4	31	5-11-2019	356823	मोहन नगर जोन में अक्सरा बार्डर से शहीद नगर बड़े नाले तक डेन पाईपलाइन की सफाई 6 कर्मी,1जो0सी0बी0,एवं एक टैक्टर की किराये पर आपूर्ति अनीस टैक्टेदार गाजियाबाद दिनांक 15-7-19 से 30-9-19

उपर्युक्त चारों पत्रावलियों की जाँच में निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आयी-

1- नगर निगम में पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मी, जे0सी0बी0 टैक्टर, टैक्टर टेकर उपलब्ध होने के बावजूद संस्था द्वारा उक्त की आपूर्ति हेतु किराये का भुगतान अनियमित/अमान्य/अपरिहार्य व्यय था। नगर निगम में उपलब्ध उपर्युक्त संस्थानों द्वारा उक्त कार्य को नहीं कराया जा सकता था, इसकी पुष्टि हेतु पत्रावलि में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं था।

मात्र क्रमांक-4 पर अंकित कार्य जी0एम0जल/ई0ई0जल से कराये जाने की नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 8-7-14 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अन्य तीन कार्यों के सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी।

2- उपरोक्त चारों कार्यों हेतु टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया था। क्रमांक 1 से 3 के कार्यों हेतु कुटेशन प्राप्त कर कार्यवाही की गयी जबकि क्रमांक-4 पर अंकित कार्य सीधे फर्म से नगर निगम की स्वीकृति दरों पर सहमति प्राप्त कर कराया गया था। जबकि शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-8-15(1)/66- दिनांक 28-9-2008 द्वारा एक लाख से अधिक की आपूर्ति एवं कार्य निविदा आमंत्रित कर कराये जाने चाहिए था यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

3- उपर्युक्त क्रमांक 1 से 3 तक के कार्य मोहन नगर क्षेत्र में वर्षों में जलभराव से निपटने हेतु टैक्टर टैकर की आपूर्ति हेतु किराये से सम्बन्धित तथा जिस हेतु एक ही कुटेशन के आधार पर तीनों कार्य कराये गये थे तथा एक ही दिनांक 5-11-2019 को तीनों बिल अलग-अलग प्राप्त किये गये थे। उक्त से स्पष्ट था कि सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए जी0एम जल द्वारा उक्त कार्यों को टुकड़ों में कराकर बिल प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की गयी, जबकि शासनादेश संख्या-6738/23-7-2006-176(सा0)/06 दिनांक 5 जनवरी, 2007 द्वारा एक ही प्रकृति के कार्य को टुकड़ों में कराये जाने से प्रतिबंधित किया गया था। अतएव शासनादेश के विपरीत टुकड़ों में कराया जाना अनियमित एवं आपत्ति जनक था।

4- क्रमांक 4 पर अंकित कार्य के बिल से 2 प्रतिशत जी0एस0टी की कटौती रु0 7136/- नहीं की गयी थी तथा क्रमांक 1 से तीन के कार्य को टुकड़ों में बँटकर कराये जाने के फलस्वरूप क्रमांक-3 पर अंकित कार्य रु0 25,00,000/- से कम होने के कारण 2 प्रतिशत जी0एस0टी की कटौती नहीं की गयी थी जबकि टुकड़ों में बँटकर कार्य न कराया जाता तो उक्त कार्य पर भी 2 प्रतिशत जी0एस0टी की कटौती रु0 3666=00 की जाती। इस प्रकार कुल रुपये 10802/- (7136+3666) की 2 प्रतिशत जी0एस0टी कटौती न किये जाने के फलस्वरूप राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी तथा उक्त सीमा तक ठेकेदार को अधिक भुगतान का भी प्रकरण था। अतएव उक्त कार्य की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/ आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

5- क्रमांक 1 से तीन पर अंकित कार्य हेतु फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल क्रमशः रुपये 370254 रुपये, 358310 एवं रुपये 185187/- जबकि भुगतान गणना के समय प्रस्तुत देयक की धनराशि क्रमशः रुपये 366643/- रुपये 354816/- एवं रुपये 183322/- अंकित की

गयी ऐसा व्यय प्रमाणक में अंकित दर 2666/- प्रति टैंकर के स्थान पर 2640/- प्रति टैंकर(लालपेन से काटकर) अंकित किये जाने के कारण किया जाना गया था।

6- उक्त कार्यों को कराये जाने की माँग/आवश्यकता से सम्बन्धित आख्या/अनुरोध पत्र/टिप्पणी, सम्बन्धित विभाग(स्वास्थ्य विभाग) अधवा उक्त क्षेत्र के पार्षद/क्षेत्रवासियों द्वारा प्राप्त नहीं थी और नही स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया था कि उक्त क्षेत्र में उक्तावधि में उनके विभाग द्वारा सफाई कार्य नहीं किया गया था, जिससे उक्त कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है अत एव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

7- दिनांक 1-8-19 से 1-11-19 तक लगातार एक ही क्षेत्र में वर्षा जल निकासी हेतु टैंकर टैंकर की आपूर्ति एवं दिनांक 15-7-19 से 30 -9-19 तक लगातार नाले की सफाई एक ही क्षेत्र में कराये जाने हेतु 08 कमी, जे0सी0बी0 एवं टैंकर को किराये पर आपूर्ति लगातार इतनी अवधि तक कराया जाना संदिग्ध था।

अतएवं उपर्युक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा स्थिति उत्तरदायी से उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि रुपये 1261604/- की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/ आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त अन्य उक्त प्रकार के कार्यों हेतु यदि भुगतान किया गया हो तो उसय पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

32- जलकल अनुभाग में ठेका सीवर कर्मचारियों को बिना कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई0एन0आई0 की कटौती किये भुगतान किया जाना अनियमित रु0 67,37,500/-

सम्परीक्षा के समय व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा जलकल अनुभाग में ठेका पर रखे गये सीवर कर्मचारियों को 350 रुपया प्रतिदिन की दर से निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया था। सम्परीक्षा में ठेका पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। व्यय प्रमाणकों के साथ संलग्न मास्टर रोल एवं भुगतान बिल से प्रकाश में आया कि सीवर सफाई कार्य हेतु ठेका कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया था,परन्तु इन कर्मचारियों से काटा गया कर्मचारी भविष्य निधि हेतु अंशदान एवं ई0एन0आई0 के सम्बन्ध में कोई अभिलेख व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं थे जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि ठेकेदार का पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में था या नही और न ही यह ज्ञात हो सका कि किस्त ठेका कर्मचारी से कितनी कटौती कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई0 एन0 आई हेतु की गयी थी तथा इसके सापेक्ष नगर निगम हेतु कितना अंशदान कर्मचारियों के खाते में नेजा गया था ठेका पत्रावली प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट की जाए।

उप सम्परीक्षा माहों में जलकल विभाग में सीवर कर्मचारियों को किए गये भुगतान का विवरण निम्नवत्

वाउचर संख्या	दिनांक	धनराशि	श्रमिक संख्या	चैक संख्या
214	10-12-19	10,48,250	99	056412

215	10-12-19	1,30,200	12	056413
216	10-12-19	16,83,850	161	056414
222	11-12-19	2,71,250	25	056415
223	11-12-19	2,27,850	21	056415
552	12-2-20	2,26,450	21	002613
553	12-2-20	2,69,500	24	002613
554	12-2-20	10,49,300	99	002613
555	12-2-20	1,30,200	12	000452
556	12-2-20	17,00,650	162	002614
	योग	67,37,500		

33- नगर निगम द्वारा विभिन्न जोनों में नलकूपों के संचालन एवं अनुरक्षण की पत्रावलियों में पायी गयी अनियमितताएँ:-

नगर निगम द्वारा विभिन्न जोनों में नलकूपों का संचालन एवं अनुरक्षण प्राईवेट फर्मों/ कम्पनियों द्वारा किया जा रहा था। पत्रावलियों की जाँच से निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकारा में आयी-

सम्बन्धित पत्रावलियों में आलोच्य अवधि से सम्बन्धित संचालन एवं अनुरक्षण का नगर निगम द्वारा कोई निविदा। टेण्डर की न्यूनतम स्वीकृत दरों पर ही कार्यदेश दिया गया था। किसी भी पत्रावली में इस प्रकार को कोई विवरण संलग्न नहीं था कि नगर निगम के पास निम्न नलकूपों के संचालन हेतु स्टाफ का अभाव था। उक्त के अभाव में प्राईवेट फर्मों द्वारा नलकूपों को संचालित कराने का औचित्य स्पष्ट कराया जाए।

कुछ पत्रावलियों की नोटिंग से स्पष्ट था कि नलकूपों के संचालन हेतु 31-1-2018 को ई निविदायें आमंत्रित की गई थी जिन्हें नगर आयुक्त द्वारा 28-3-2018 की स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु पत्रावलियों में सम्बन्धित निविदायें एवं तुलनात्मक विवरण तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति संलग्न नहीं थी। इन्हें सम्परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

34- जल संयोजन पत्रावली सम्परीक्षा में अप्रस्तुत:-

सम्परीक्षा में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से माँग किये जाने पर भी निगम में अनुरक्षित जल संयोजन पंजी व पत्रावली सम्परीक्षा में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके अभाव में इसकी जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपर्युक्त अभिलेख अतिशीघ्र सम्परीक्षा में जाँच हेतु उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

35- नौ केशव एन्टरप्राइजेज, गाजियाबाद को जलशोधन एवं ओवर हैंड टैंक के आपरेशन एवं अनुस्क्षण कार्य हेतु किया गया भुगतान रु0 1306500/-

नगर निगम के आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा वसुन्धरा जौन में जल शोधन एवं ओवर हैंड टैंक के आपरेशन एवं अनुस्क्षण कार्य अवधि 01-7-19 से 31-8-19 तक करने हेतु रूपया 1379170/- के बिल के सापेक्ष कटौती के उपरान्त रूपया 1306500/- का भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या 245 दिनांक 16-12-19 बैंक सं0-000202 द्वारा किया गया था।

सम्परीक्षा में मॉगे जाने परय उक्त कार्य के ठेके की पत्रावली अप्रस्तुत रही जिससे उनको दिये गये ठेके से सम्बन्धित शर्तों एवं प्रतिबंधों की जानकारी न हो सकी। द्यूबबैलों के संचालन की लॉगबुक्स भी अप्रस्तुत रही जिनके अभाव में उक्त भुगतान का सत्यापन न किया जा सका। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत का सत्यापन कराया जाए।

विज्ञापन विभाग:-

36- अवैध होर्डिंग एवं विज्ञापनों पर कार्यवाही न करने तथा लक्ष्य से अधिक कम आय प्राप्त करने के नगर निगम को रूपया 4,83,68,435/- की आर्थिक क्षति:-

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक मॉग किये जाने एवं लिखित अधियाचन सं.-04 दिनांक 14-6-21 एवं अधियाचन सं0 9 दिनांक 5-7-2021 तथा अधियाचन सं0-98 दिनांक 21-7-2021 दिये जाने के उपरान्त भी विज्ञापन पत्रावली एवं विज्ञापन पंजी अप्रस्तुत रही, जिसके अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि आलोच्य वर्ष में विज्ञापन ठेकों की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा ठेका किस दर पर प्राप्त हुए थे एवं ठेकों के शर्त एवं प्रतिबन्ध क्या थे।

नगर निगम के बजट के अनुसार वर्ष 20419-20 की विज्ञापन आय का लक्ष्य रु0 10,00,00,000/- रखा गया था, जिसके सापेक्ष मात्र रु0 5,18,31,565/- अर्थात् 51.63 प्रतिशत आय प्राप्त हुई थी जो लक्ष्य से रूपया 4,83,68,435/- कम थी। इससे प्रतीत होता है कि निगम द्वारा लक्ष्य प्राप्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था जिससे नगर निगम को एक बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। यह भी प्रकाश में नहीं आया कि निगम द्वारा अवैध होर्डिंग पर क्या कार्यवाही की गई तथा इससे कितनी आय प्राप्त हुई जबकि निगम की सीमान्तर्गत लगभग प्रत्येक मार्ग पर होर्डिंग एवं विज्ञापन लगे थे। निगम को आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

37- नगर निगम द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों पर समाचार पत्रों द्वारा दिया जाने वाला 15 प्रतिशत टैड डिस्काउन्ट का लाभ नगर निगम को न मिलने के कारण आर्थिक क्षति एवं अधिक भुगतान रूपया 5,75,705/-

सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा उपसम्परीक्षा माहों में विज्ञापन डी0ए0वी0पी0 दर से भुगतान न करके एडवरटाइजिंग एजेन्सी के माध्यम से विज्ञापित

कराये गये थे। उ०प्र० सरकार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन विभाग) के आदेश सं०-2840/सू०एवं जन सं० विभाग विज्ञापन/1173/89, लखनउ दिनांक 19-2-1991 द्वारा स्वीकृत विज्ञापन नीति एवं विज्ञापन मान्यता नियमावली दिनांक 01-2-1991 के अनुसार विज्ञापन बिना एजेन्सी के माध्यम से सीधे दिया जाना चाहिए था तथा विज्ञापन व्यावसायिक दर पर न दिया जाना डी०ए०वी०पी० की दर से भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्त सम्परीक्षा माहों के विज्ञापन से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि सभी समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन मूल्य पर 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट दिया जाता था किन्तु नगर निगम द्वारा एजेन्सी के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराये गये थे और उनका भुगतान भी एजेन्सी द्वारा दिये गये बिल के अनुसार ही किया गया था। एजेन्सी द्वारा दिये गये किसी भी बिल में समाचार पत्रों द्वारा दिया जाने वाला 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट विज्ञापन बिलों से नहीं घटाया गया था। एवं नगर निगम को पूर्ण विज्ञापन मूल्य का भुगतान करना पड़ा था। एजेन्सी द्वारा अपने बिलों में 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट न घटाये जाने से नगर निगम को सलग्न विवरणानुसार अधिक भुगतान करना पड़ा। नगर निगम द्वारा व्यय प्रमाणकों के रूप में एजेन्सी द्वारा दिये गये बिल ही लगा दिये गये थे। किसी भी व्यय प्रमाणक में समाचार पत्र द्वारा दिये गये बिल जिसमें ट्रेड डिस्काउन्ट दर्शित था, व्यय प्रमाणक के साथ सलग्न नहीं किये गये थे।

एजेन्सी के माध्यम से व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस कारण निगम को रूपया 5,75,705/- का अधिक एवं अनियमित भुगतान करना पड़ा। विवरण में मात्र उपसम्परीक्षा माहों में किये गये भुगतान का विवरण अंकित है, अतः पूर्व वर्ष के विज्ञापनों की व्यापक जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'घ' पर दिया गया है।

38- नगर निगम द्वारा विज्ञापन हेतु डी०ए०वी०पी० की दर पर भुगतान न कर अधिक दरों पर एजेन्सियों को भुगतान किये जाने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक अधिक भुगतान रूपया 35,23,519/-

उप सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा उ०प्र० सरकार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन विभाग) के आदेश संख्या-2840/सू०एवं अ०सं० विभाग विज्ञापन 1173/89, लखनउ दिनांक -19-2-1991 द्वारा स्वीकृत विज्ञापन नीति एवं विज्ञापन मान्यता नियमावली दिनांक 1-2-1991 से लागू की गई थी, जिसे निगम बोर्ड के प्रस्ताव संख्या-733 से सर्वसम्मति से स्वीकार एवं अंगीकार किया गया था।

सम्परीक्षा में जाँच के दौरान प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा उक्त शासनादेश एवं बोर्ड निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इस नियमावली के अनुसार विज्ञापन बिना एजेन्सी के माध्यम से सीधे डी०ए०वी०पी० रेट पर दिया जाना चाहिए था। विज्ञापन व्यावसायिक दर पर न दिया जाये तथा डी०ए०वी०पी० की दर से ही भुगतान किया जाए किन्तु नगर निगम द्वारा डी०ए०वी०पी० दरों पर भुगतान न करके एजेन्सी/व्यावसायिक दरों पर भुगतान किया गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

इस तरह विज्ञापन हेतु अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था। गत एवं विगत वर्षों से लगातार आपत्ति उठाये जाने पर भी इसे बन्द नहीं किया गया था। इस पृथा पर रोक लगाई जाए एवं तुरन्त बन्द करके नियमानुसार डी०ए०बी०मशीन पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अधिक एवं अनियमित भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'क' पर सलन है। उक्त विवरण मात्र उपसम्परीक्षा माहों में दिये गये विज्ञापन का है। पूरे वर्ष के विज्ञापनों की व्यापक जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित थी।

39- खबरे-ए-हिन्द समाचार पत्र को प्रकाशन हेतु आपत्तिजनक भुगतान रु० 20,000/-

खबरे-ए-हिन्द समाचार पत्र के बिल सं०-221 दिनांक 2-2-18 के विरुद्ध व्यय प्रमाणक सं०-252 दिनांक 8-2-20 को रु० 19,500 कटौती उपरान्त समाचार पत्र को भुगतान किया गया था। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त समाचार पत्र में 26 जनवरी, 2018 को सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। समाचार पत्र के बिल में सूचना का साईज व दर अंकित नहीं किया गया था केवल समाचार पत्र के पेज न०-3 पर सूचना को प्रकाशित किया गया था। रु० 20,000/- एक मुश्त धनराशि भुगतान की गयी थी। रु० 20,000/- एक मुश्त धनराशि भुगतान करने का आधार स्पष्ट न होने के कारण उक्त भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए। अन्यथा स्थिति में उक्त हेतु किया गया भुगतान आपत्तिजनक था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि उक्त सूचना किस सम्बन्ध में प्रकाशित करायी गयी थी।

40- प्रेक्षाकर वसूली हेतु कार्यवाही न करने तथा लक्ष्य से कम आय प्राप्त करने से नगर निगम को रूपया 8,39,680/- की आर्थिक क्षति-

सम्परीक्षा में बार बार मॉग किये जाने के उपरान्त भी प्रशंसा से सम्बन्धित पत्रावली एवं उच्च अभिलेख अग्रस्त रहें जिससे इसकी सम्यक जाँच न हो सकी। नगर निगम के बजट के अनुसार प्रेक्षाकर हेतु आलोच्य अवधि की प्रस्तावित आय रूपयें-20,00,000/- थी किन्तु इस लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय रूपया 11,60,320/- ही थी जो लक्ष्य से रूपया 8,39,680/- कम थी। इससे प्रतीत होता है। कि नगर निगम द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास नहीं किये गये थे। जिस कारण नगर निगम को रु० 8,39,680/-की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। प्रेक्षाकर से आय बढ़ाये जाने हेतु सार्थक प्रयास अपेक्षित थे।

स्वास्थ्य विभाग

41- नाला, खाली प्लाट की सफाई एवं कूड़े के ढेर उठाये जाने तथा कूड़ा सफाई हेतु जे०सी०बी० मशीन, पोकलेन मशीन टैम्पो एवं श्रमिकों आदि की आपूर्ति हेतु अनियमित एवं अमान्य भुगतान रूपये 1,62,83,734/-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा नाला पुलिया, खाली प्लाट की सफाई एवं कूड़ा उठाये जाने हेतु पोकलेन मशीन जे०सी०बी०मशीन टैम्पो श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निम्नांकित विवरणानुसार कुल रूपये 1,62,83,734/- का भुगतान आलोच्य माहों में किया गया था।

जबकि नगर निगम गाजियाबाद के पास पर्याप्त मात्रा में पोकलेन मशीन, जे0सी0बी0 मशीन टैम्पू एवं सफाई कर्मचारी (नियमित, संविदा एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम) उपलब्ध थे। फिर भी नाला सफाई, कूड़ा उठाये जाने एवं सफाई कार्य (डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन) आदि हेतु उक्तानुसार मशीनों एवं श्रमिकों की आपूर्ति हेतु भुगतान किये गये थे। उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्तावधि में नगर निगम के पास उपरोक्त मशीनों एवं श्रमिकों की उपलब्धता नहीं थी इसका उल्लेख व्यय प्रमाणकों में नहीं था तथा निगम के पास कितनी संख्या में पोकलेन मशीन, जे0सी0बी0 टैम्पू एवं श्रमिक थे इसका भी उल्लेख व्यय प्रमाणकों में उल्लिखित नहीं था और उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली भी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी अतः एवं उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच करायी जाए तथा उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा स्थिति में निम्नांकित विवरणानुसार किया गया भुगतान रुपये 1,62,83,734/- अनियमित एवं अमान्य था। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त प्रकृति के यदि अन्य भुगतान आलोच्य अवधियों (चयनित सम्परीक्षा माहों एवं अन्य माहों) में किया गया हो तो उक्तानुसार उक्त के सम्बन्ध में भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। चयनित माहों के भुगतान का विवरण निम्नवत है।

क्र०	वा0सं०	चेक सं०	दिनांक	घनराशि	कार्य का विवरण
1	409	907552	6-2-20	87000	जे0सी0बी0 श्रमिक की आपूर्ति हेतु कुल घनराशि 81050 में से आयकर 2063 की कटौती के परवर्त बसुन्धरा जॉन वैशाली सै-5 नहर नाले की सफाई हेतु
2	410	907552	6-2-20	185500	1 जे.सी.बी. 1टेक्टर, 5श्रमिक मोहन नगर जॉन परसीखा रोड कासिंग वाली पुलिया व नाला की सफाई हेतु
3	1070	907562	28-2-20	46285	गाजीपुर नाला सफाई हेतु मेसर्स आर०के०एस०सिएट को निगम के कन्टीजेन्ट बिल पर भुगतान (बिल संलग्न नहीं)
4	264	907552	6-2-20	1000000	सिंगमा इन्टरप्राइजेज जे.सी.बी. मशीन की आपूर्ति (किराये पर) हेतु कविनगर जॉन में
5	265	907552	6-2-20		
6	266	907552	6-2-20		
7	263	907551	6-2-20	194400	हिन्दन इन्टरप्राइजेज कविनगर जॉन में समतलीकरण हेतु जे.सी.बी. किराया
8	267	907552	6-2-20	344162	मेसर्स नार्थ इण्डिया डेवलपर को जे.सी.बी.

9	268	907552	6-2-20	331050	का किराया
10	269	907552	6-2-20	324537	
11	270	907552	6-2-20	605400	न्यू गार्डन इन्टरप्राइजेज के श्रमचालक को टैम्पू की आपूर्ति(किराये पर) सिटीजोन की सफाई
12	271	907552	6-2-20	503100	न्यू गार्डन इन्टरप्राइजेज के श्रमचालक को टैम्पू की आपूर्ति(किराये पर) वसुन्धराजोन की सफाई
13	272	907552	6-2-20	342000	
14	273	907552	6-2-20	595650	नवयुग मार्केट गाजियाबाद डोर दू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु मय वालक सहित टैम्पू की किराये पर आपूर्ति हेतु कुल बिल 11182300 में से टी0डी0एस रु0 263618/-अन्य रु0 82 की कटौती के पश्चात रु0 10938600/- ने से रुपये 1124300 बकाया है
15	457	907513	24-12-19	3894800	
16	209	000208	17-1-20	5000000	
17	434से438	000438	24-12-19	227800	मेसर्स यूनिवर्स वेयर्स लोहिया पार्क के पास पुलिया की सफाई
18	458से461	907553	24-12-19	100000	
19	394	907553	21-12-19	487350	हिन्दन इन्टरप्राइजेज करे खजूरी के पीछे अर्थला एवं शालीमार गार्डन के 3 माह के सफाई कार्य हेतु उनके बिल रुपये 525000 के सापेक्ष।
20	395	907553	21-12-19	487350	
21	396	907553	21-12-19	487350	
				1,62,83,734	

42- एस0टी0पी0 अनुरक्षण हेतु मै0 एन0के0 जी0 इन्फा0लि0 को किया गया भुगतान रु0 36,72,400 एवं मै0 एस0 जी0 इन्टरप्राइजेज को एस0टी0पी0 अनुरक्षण हेतु किया गया भुगतान रूपया 42,70,800/- पत्रावली के अभाव में अध्याचन:-

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा मै0 एस0जी0 इन्टरप्राइजेज को एस0टी0पी0 अनुरक्षण एवं अन्य कार्यों हेतु भुगतान रु0 42,70,800/-का भुगतान किया गया था एवं इसी प्रकार मै0 एन0के0जी0 भुगतान किया गया था एवं इसी प्रकार मै0 एन0 के0जी0 इन्फा0 लि0 को एस0टी0 पी0 के आपरेशन एवं अनुरक्षण हेतु भुगतान किया गया था किन्तु स्वास्थ्य विभाग से पत्रावली नोंगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके अभाव में यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त दोनों फर्मों को किस प्रकार निगम द्वारा सीवर इन्टीमेट प्लाट के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु ठेका दिया गया था उक्त ठेके की क्या शर्तें थी एवं उक्त फर्मों द्वारा गारंज का निस्तारण उनसे उत्पन्न उर्जा के निस्तारण एवं तैयार किये गये खाद को बिक्री से प्राप्त आय के सम्बन्ध में

जॉच सम्परीक्षा में स्थिति ज्ञात न हो सकी अतः सम्परीक्षा उन दोनों ठेको की पत्रावली प्रस्तुत की जाए अन्यथा स्थिति में निम्न विवरणानुसार किया गया भुगतान सत्यापित न किया जा सका। भुगतान का विवरण निम्नवत था।

1- मै एन0कै0 जी0 इन्फा0लि0		
व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि
176	28-11-19	11,46,100
934	25-2-20	6,90,100
935	25-2-20	18,36,200
	योग	36,72,400
2- मै0 एस0जी0इन्टरप्राइजेज		
376	21-12-19	9,31,800
377	21-12-19	4,09,100
378	21-12-19	4,09,100
379	21-12-19	3,37,500
936	25-2-20	3,81,800
937	25-2-20	9,31,800
938	25-2-20	8,69,700
	योग	42,70,800

43- कविनगर जोन में नाले की सफाई कार्य हेतु जे0सी0बी0/पोकलेन मशीन एवं सफाई कर्मी की आपूर्ति हेतु अनियमित भुगतान रूपया-7,04,300/-

सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणको की जॉच से प्रकाश में आया कि वा0सं0-515 दिनांक 11-2-20 रूपया 7,04,300/- का भुगतान आकृति एसोसिएट्स को एक पोकलेन मशीन दो जे0सी0बी0 मशीन एवं 20 सफाई मजदूरों को दिनांक 14-6-19 से 3-7-19 तक 20 दिवसों हेतु 8 घंटे प्रतिदिन रूपया 17320/- की टी0डी0एस की कटौती के पश्चात किया गया था। उक्त व्यय प्रमाणक की जॉच में निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आई-

1- आकृति एण्ड एसोसिएट्स मिश्रीपुर रोड कौंठ मुरादाबाद के बिल सं0 4 दिनांक 20-8-19 द्वारा एक पोकलेन मशीन रू0 19,040/- प्रतिदिन (8घण्टे प्रतिदिन) एवं 20

सफाई मजदूरों को रुपये 299 प्रतिमजदूर प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिवसों हेतु कुल रुपये 7,59,600/- का बिल प्रस्तुत था जिस पर 5 प्रतिशत की कटौती के पश्चात भुगतान का आदेश था, जिसके आधार पर रुपये 7,21,620/- में से रुपये 17,320/- टी0डी0एस0 आयकर की कटौती के पश्चात रुपये 7,04,300 का भुगतान चेक संख्या 000542 दिनांक 11-2-20 द्वारा उपरोक्त फर्म को किया गया था उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली माप पुस्तिका आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गयी, जिससे तत्संबंधी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी।

2- नगर निगम गाजियाबाद में पर्याप्त मात्रा पोकलेन मशीन एवं सफाई कर्मचारी (नियमित एवं आउटसोर्सिंग पर) उपलब्ध होने के बावजूद नाला सफाई कार्य (कवि नगर जोन के अन्तर्गत शनि मन्दिर विवेकानन्द नगर से मुखर्जी पार्क होते हुए साउथ साइड आफ जी0टी0रोड तक नाले की सफाई हेतु) ठेके पर कराया जाना संस्था पर अनावश्यक व्यय भार था।

3- उल्लेखनीय है कि जे0सी0बी0मशीन का किराया रु0 6480 प्रतिदिन 8 घण्टे एवं पोकलेन मशीन का किराया रु0 19040 प्रतिदिन 8 घण्टे हेतु था उक्त दरें निर्धारित करने का क्या आधार था इसका सत्यापन संस्था द्वारा नहीं कराया गया था।

4- उक्त कार्य के बिल से 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी थी जिससे रु0 7216 राजस्व की क्षति हुयी थी तथा उक्त सीमा तक फर्म के अधिक भुगतान का भी प्रकरण था।

5- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा बाउचर संख्या 629 दिनांक 27-12-19 द्वारा 10 पोकलेन मशीनों के कय हेतु रुपये 1,80,50,500/- का भुगतान मेसर्स टाटा हिटेच्री कान्स0मशीनरी कं0 प्रा0 लि0 को दिनांक 12-6-19 एवं 14-6-19 को प्रस्तुत 10 कान्टीजेन्स बिलों हेतु किया गया था। चूँकि नगर निगम द्वारा 1बडी पोकलेन मशीन प्रायः किराये पर ली जाती थी तो आवश्यकतानुसार निगम द्वारा 1बडी पोकलेन मशीन खरीदी जानी चाहिए थी जिससे उक्त हेतु किराये के अनावश्यक व्ययभार से बचा जा सकता था। सम्परीक्षा में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि नगर निगम के पासय बडी पोकलेन मशीन थी अथवा नहीं यदि थी तो अनुपलब्ध होने का कारण उल्लिखित नहीं था।

अतः एवं उपरोक्त कमियों के सम्बन्ध स्थिति स्पष्ट कराये जाने तथा प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

44- नगर निगम द्वारा पाँचों जोनों में स्थित स्थायी रैन बसेरा, बसुधरा जोनल कार्यालय, हैल्प गैराज तथा प्रकाश जलकल स्वास्थ्य स्टोर पर सुरक्षा गार्ड होमगार्ड विभाग से न लेकर मै0 सुंक्षा सिव्योरिटी सर्विसेज से लेने पर रु0 386183/- का अनियमित भुगतान-

सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम के पाँचों जोनल कार्यालयों में स्थित स्थायी रैनबसेरे, नगर निगम के बसुधरा जोनल कार्यालय, हैल्प गैराज तथा प्रकाश जलकल-स्वास्थ्य स्टोर में सुरक्षा की दृष्टि से 43 साधारण गार्ड/गनर 12-12 घंटे के

लिये मै0 सुरक्षा सिव्कोरिटी सर्विसेज से नगर आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 25-3-19 के द्वारा दिनांक 1-1-19 से 31-5-19 तक हेतु कार्यरत थे। दिनांक 1-6-19 से 30-6-19 तक एक माह समय बढ़ाया गया था जिस हेतु कुल 386183/- एवं कटौती रु0 8783 घटाकर शुद्ध भुगतान 377400/- का व्यय प्रमाणक सं0 632 दिनांक 27-1-20 द्वारा किया गया जो अनियमित था क्योंकि नियमानुसार सुरक्षा गार्ड उ0प्र0 होमगार्डस विभाग के शा0 सं0-2224/छ: ना0स0-09-390-हो.गा./97 दिनांक 23-6-2009 के द्वारा समस्त स्थानीय निकायों में सुरक्षा कर्मी उक्त विभाग से लिये जाने अपेक्षित थे। इस प्रकार निगम द्वारा अनियमित व्यय किया गया था।

45- व्यय प्रमाणक सं0 522 दिनांक 11-2-2020 धनराशि रु0 44,88,359/- द्वारा मै0 पोलीमैक इण्डिया को कैटल कैचर हेतु किया गया भुगतान बिलों के अभाव में असत्यापित:-

उक्त व्यय प्रमाणक द्वारा कन्टीजेन्ट बिल पर मै0 पोलीमैक इण्डिया को टाटा-709 की चैसिस हेतु रु0 9,65,000/- एवं उस पर निर्माण कराये गये कैटल कैचर के फ्रैक्शन हेतु रु0 5,97,789/- कुल भुगतान रु0 15,62,789/- प्रति कैटल कैचर हेतु किया गया था। निगम द्वारा मै0 पोलीमैक से कुल 3 कैटल कैचर खरीदे गये थे मगर व्यय प्रमाणक के साथ मात्र एक कैटल कैचर का बिल सं0 53 दिनांक 5-12-19 संलग्न था। जब तीन कैटल कैचर का भुगतान रु0 46,88,367/- ने से आयकर 2266 प्रतिशत रु0 1,06,240/- एवं जी0एस0टी0 2 प्रतिशत रु0 93,768/- शेष रु0 44,88,359/- का शुद्ध भुगतान फर्म को किया गया था। उक्त व्यय प्रमाणक के साथ 02 मैटल कैचर का बिल संलग्न न होना स्थिति को संदिग्ध बनाता है शेष 02 बिलों को सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा की स्थिति में उक्त किया गया भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित था।

46- मै0 समाजोत्थान सेवा संस्थान को रूपया 6,86,000/- का किया गया भुगतान असत्यापित:-

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक सं0-264 दिनांक 16-12-19 रूपया 6,86,000/- का भुगतान मै0 समाजोत्थान सेवा संस्थान को नगर निगम गाजियाबाद को अपदूषण कारक पशुविनियमन और नियन्त्रण नियमावली, 2004 का क्रियान्वयन व नदियों का रखरखाव हेतु 01 नन्दी शिक्षित्सक दर रु0-15,000/- प्रतिमाह 01 सुपरवाइजर रूपया-5,700 प्रतिमाह 10 सफाई कर्मी दर 7500/- रु0 प्रतिमाह तथा-14 हैल्पर दर 5700 प्रतिमाह हेतु 4 माह का भुगतान किया गया था।

संस्थान के बिल रु0 7,02,000/- में से कटौती रु0 16,000/- के उपरान्त रु0 6,86,000/- का भुगतान पत्रावली एवं ठेके की शर्तों तथा प्रतिबन्धों उक्त के द्वारा किये गये कार्य के सत्यापन के अभाव में किये गये उक्त भुगतान का सम्परीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः उक्त से सम्बन्धित ठेका पत्रावली, किये गये कार्य का सक्षम

अधिकारी द्वारा सत्यापन ठेके की शर्तें एवं प्रतिबन्ध आदि प्रस्तुत कर उक्त भुगतान का सत्यापन कराया जाए।

47- मै0 एम0 के0 टैंक इण्डस्ट्रीज मेरठ रोड गाजियाबाद को वाटर सप्लाय हेतु किया गया भुगतान रु0 1,19,42,800/- असत्यापित:-

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक सं0-537 दिनांक-11-2-20 धनराशि रु0 11942800 बैंक संख्या-676750 द्वारा मै0 एम0के0टैंक इण्डस्ट्रीज, मेरठ रोड, गाजियाबाद को उनके बिल संख्या-65,66,67,68,69, दिनांक 27-12-19 के सापेक्ष 5 वाटर सप्लाय टैंकर की क्षमता 9000लीटर के रु0 24,95,000/- प्रति टैंकर की दर से कुल 1,24,75,000/-के कटौती रु0 532/-के उपरान्त शुद्ध रु0 1,19,42,800/- के कम किये गये थे।

उक्त कय की पत्रावली टूल एण्डप्लान्ट रजिस्टर स्टॉकबुक टैंडर आदि सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिसके अभाव में उक्त किये गये भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका।

48- साफ सफाई प्रबन्ध योजना:-

आलोच्य अवधि में नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट,सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट, डम्पिंग यार्ड योजना स्वच्छ भारत मिशन पर प्राप्त अनुदान सफाई कर्मचारियों की प्रबन्धन स्थिति से सम्बन्धित अभिलेख सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इनकी जाँच न हो सकी इसके अभाव में इसमें व्याप्त गंभीर अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

अतः उपर्युक्त अभिलेख अतिशीघ्र सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैं।

49- वधशाला, कौंजी हाउस मेले हाट प्रदर्शनी से प्रस्तावित आय प्राप्त न होने से नगर निगम को आर्थिक क्षति रु0 3,00,000/-

सम्परीक्षा के समय बजट की समीक्षा से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा आलोच्य वर्ष में वधशाला, कौंजी हाउस एवं मेले हाट प्रदर्शनी प्रत्येक से रुपये 100,000/- की आय प्राप्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन आलोच्य वर्ष में उक्त किसी भी मद से कोई भी आय प्राप्त नहीं थी, जिस कारण नगर निगम को रुपये 3,00,000/-की आर्थिक क्षति हुयी थी। अतएवं उक्त की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

50- मृतक पशुशव निस्तारण का ठेका वर्ष 2019-20 न छोड़े जाने से निगम को आर्थिक क्षति:-

सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में मृतक पशु-शव निस्तारण से कोई आय प्राप्त नहीं दिखायी गयी थी। इससे प्रतीत होता है कि आलोच्य वर्ष में मृतक शव निस्तारण का ठेका नहीं छोड़ा गया था। इसको न छोड़े जाने से निगम को आर्थिक क्षति हुयी थी। अतः गत विगत कई वर्षों से उक्त ठेके को न छोड़े जाने से निगम

को लगातार आर्थिक क्षति हो रही थी यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक तथा संस्था के आर्थिक हितों के प्रतिकूल थी। आर्थिक क्षति की अद्यावधिक ऑकलन/आगणन कर इसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

51- स्वास्थ्य विभाग में व्यय प्रमाणक संख्या-11 दिनांक 4-12-19 द्वारा रूपया 7050/-का अधिक भुगतान:-

सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया किह स्वास्थ्य विभाग की गाडी संख्या-यू0पी0-14 क्यू 0159 की मरम्मत का कार्य मै0 एस0के0मोटर्स के द्वारा कराया गया था जिस हेतु मै0 एस0 के0मोटर्स के बिल सं0-09 दिनांक 29-1-2018 अंकन रूपया-9734/-स्वास्थ्य विभाग को भुगतान हेतु दिया गया था। किन्तु नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु मात्र 2,734/- रुपये की धनराशि के भुगतान हेतु बिल सत्यापित किया गया था जिससे स्पष्ट था कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यह जानकारी कर ली गयी थी कि उक्त गाडी में मात्र रूपया 2,734/-का ही कार्य हुआ था एवं वह इस बात से संतुष्ट थे। इसीलिये उनके द्वारा मात्र रूपया 2734/- की धनराशि हेतु ही बिल सत्यापित किया गया था किन्तु लेखा विभाग द्वारा बिल के सत्यापन की पुष्टि न करते हुए रूपया- 9734/-का भुगतान कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप रूपया 9734-2734=7000/- का अधिक भुगतान कर दिया गया था।

उत्तरदायी से इसकी वसूली सुनिश्चित करायी जाए।

(2) इसी प्रकार व्यय प्रमाणक संख्या-18 दिनांक 4-12-19 दो क्लच पाईप वर रूपया 350 प्रति पाईप के बिल सं0-18 दिनांक 31-1-18 में 750/- रुपये की धनराशि भुगतान की गई थी, जबकि सही गणनानुसार रूपया 700/-का ही भुगतान होना चाहिए था। अन्तिम गणनानुसार 50 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था। वसूली सुनिश्चित की जाए।

52- व्यय प्रमाणक संख्या-887 दिनांक 24-2-20 रूपया 3,83,500/-का बिना कोटेरेशन/टेण्डर के कार्य कराया जाना अनियमित:-

उक्त व्यय प्रमाणक द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता रैली का कार्यक्रम खेतान पब्लिक स्कूल,राजेंद्र नगर, साहिबाबाद में आयोजित किया गया था जिसमें स्पीकर 600 वॉट,बेस,साईड फिल,मोनिटर,पोडियम,जनरेटर विद डीजल,वॉर्डलेस माईक,साउंड ऑपरेटर,एम्प्लीफायर काउन आदि लगाये जाने का कार्य मै0 आयरिश क्रियेशन द्वारा कराया गया था दिनांक 30-11-19 को एवं नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 22-1-2020 को उक्त कार्य हेतु हुये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई थी। शासनादेशों के आलोक में उक्त व्यय हेतु टेण्डर/निवदा आमंत्रित किया जा सकता था जिससे नगर निगम को बाजार प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ मिलता किन्तु ऐसा न किये जाने से निगम को उक्त लाभ मिलने से वंचित रहना पड़ा। यह अनियमित था।

53-प्राप्त आय के सापेक्ष रोकडवही में कम आय की प्रविष्टि किये जाने से रुपये 18,000/-का अन्तर :-

सम्परीक्षा के समय आय प्राप्ति रसीदों की जाँच से प्रकाश में आया कि आय प्राप्ति रसीद संख्या-199 दिनांक 18-12-19 के द्वाराय रु० 20,000/-की आय नगर निगम कोष में प्राप्त हुई थी, लेकिन रोकडवही में मात्र 2000=00 रुपये की प्रविष्टि दर्शायी गई थी, जिस कारण रोकडवही में रुपया 18000/-कम आय की प्रविष्टि की गई थी। प्राप्त आय के सापेक्ष कम आय की प्रविष्टि रोकडवही में किये जाने का क्या औचित्य था। आई0सी0आई0सी0आई बैंक खाता सं० 628601044011 में दिनांक 18-12-19 को रुपया 20,000/-जमा किया गया था। रोकडवही में 20,000/- के स्थान पर 2000/-की प्रविष्टि किया जाना आपत्तिजनक एवं लापरवाही का द्योतक था। अतः रोकडवही में रुपया 18,000/- कम जमा किये जाने के समबन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इस अन्तर को स्पष्ट किया जाए।

54- लॉगबुकों के अभाव में डीजल एवं पेट्रोल पर किया गया व्यय रुपया 35,53,23,687/-असत्यापित:-

नगर निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में विभिन्न विभागों में प्रयुक्त वाहनों/मशीनों हेतु रुपया 35,53,23,687/-का व्यय पेट्रोल एवं डीजल पर किया गया था। उक्त की जाँच कराने हेतु सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित अधियाचन सं०-04 दिनांक-14-6-21 एवं अधियाचन सं०-09 दिनांक 05-7-21 दिये जाने के उपरान्त भी कय किये गये डीजल/पेट्रोल के उपभोग से सम्बन्धित भंडार पंजियों एवं सम्बन्धित वाहनों की लॉगबुकों प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण इसके उपभोग की स्थिति अज्ञात रही। लॉगबुकों के अभाव में डीजल/पेट्रोल कय हेतु किया गया भुगतान रु० 35,53,23,687/-असत्यापित रहा। समस्त लॉगबुकों प्रस्तुत कर इसका सत्यापन कराया जाय अन्यथा स्थिति में पेट्रोल/डीजल के दुरुपयोग की प्रबल सम्भावना थी।

55- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों हेतु किये गये भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली एवं निर्माण के सत्यापन से सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत:-

सम्परीक्षा में जाँच के दौरान आलोच्य माहों की सम्परीक्षा के समय जाँच में आया कि नगर निगम द्वारा व्यय प्रमाणक सं० 221 दिनांक 10-12-2019 रु० 33,60,000/- का भुगतान 8000रु० प्रति लाभार्थी की दर से 420 लाभार्थी के खातों में आर०टी०जी०एस० करने हेतु शाखा प्रबन्धक,पंजाब नेशनल बैंक अम्बेडकर रोड के खाता सं० 4483000100037301 में बैंक सं० 627863 भेजा गया था। सम्परीक्षा में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण से सम्बन्धित स्थिति एवं नगर निगम कर्मियों द्वारा उक्त किस्त भेजे जाने हेतु सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख एवं व्यक्तिगत शौचालयों से सम्बन्धित पत्रावली अनुपलब्ध रही। उन्न के अभाव में यह सत्यापन न हो सका कि वास्तव में योग्य लाभार्थी के खातों में ही धनराशि ट्रांसफर की गयी थी, धनराशि लाभार्थी के खाते में पहुँच गयी थी एवं प्रेषित धनराशि का सही प्रकार उपभोग किया गया था इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

56- मोबाइल टायलेंट वैन के किराये हेतु अमान्य/अनियमित भुगतान रुपये 805064/- एवं राजस्व क्षति रूपया 16,119/-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश में आया नगर निगम द्वारा चेक सं० 001449 दिनांक 5-2-20 द्वारा रु० 7,86,800/-का भुगतान रु० 18264 आयकर टी०डी०एस०कटौती के पश्चात तथा रुपये 876 अन्य कटौती घटाये जाने के पश्चात सिधु हाइजीन एण्ड इनवायरों प्रोडक्ट्स प्रा०लि० को किया गया था। उक्त भुगतान फर्म द्वारा गड मुक्तेश्वर मेले में 10 टायर वैन (10 सीटर) 4 वैन 12 दिवस एवं 6 वैन 11 दिवस हेतु किराये एवं फ्रेट कार्टेज हेतु प्रस्तुत फर्म 10 बिल कुल रुपये 805940/-के सापेक्ष किया गया था जबकि गड मेला हापुड जिला प्रशासन के अन्तर्गत एवं निगम सीमा में नहीं था फिर किराया भुगतान का क्या औचित्य था, स्पष्ट किया जाए। यदि शासन का कोई आदेश था तो भी निगम के पास पर्याप्त मात्रा में मोबाइल टायलेंट वैन थे इन्हें भेजा जा सकता था। ऐसी स्थिति में मोबाइल टायलेंट वैन के किराया हेतु किया गया भुगतान सम्परीक्षा में मान्य नहीं था। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायी से वसूली के सम्बन्ध में प्रमाणी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त बिल में 2 प्रतिशत जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी थी जिससे रुपये 16,119 राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी जबकि बिल में 18 प्रतिशत जी०एस०टी० चार्ज की गयी थी। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

नगर निगम द्वारा उक्त से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नहीं की गयी थी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य हेतु मॉग/आवश्यकता/टेण्डर आदि की क्या स्थिति थी। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली प्रस्तुत कर आवश्यक जाँच करायी जाए/सलग्न बिलों पर मेले में टायलेंटवैन होने का प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा अंकित नहीं किया गया था केवल बिल सत्यापित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करायी जाए।

57- शाहनी बंसल एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को अनौचित्यपूर्ण एवं अमान्य भुगतान रुपये 4,99,140/-

व्यय प्रमाणक संख्या 465 चैक सं० 249219 दिनांक 27-12-19 द्वारा रुपये 439243/-शाहनी बंसल एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को रुपये 49914 टी०डी०एस एवं रुपये 9983/-जी०एस०टी की कटौती के पश्चात भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान दिनांक 1-4-2019 में 30-6-2019 तक प्रोफेशनल चार्ज फार मेन्टीनेन्स आफ प्रोपर्टी टैक्स रिकार्ड्स आफ जोन्स एण्ड हेतु ऑफिस हेतु किया गया था, जबकि प्रोपर्टी टैक्स रिकार्ड्स के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का था। अतएवं उक्त भुगतान अनौचित्यपूर्ण था तथा निगम पर अनावश्यक व्ययभार का अतएवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराये जाने तथा

आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

58-व्यक्तिगत शौचालयों के लाभार्थियों को दिये गये अनुदान का कर विभाग के अभिलेखों से सत्यापन न कराया जाना:-

स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों हेतु लाभार्थियों को दी गयी अनुदान की धनराशि का सत्यापन नगर निगम के कर विभाग के अभिलेखों से नहीं कराया गया था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका उक्त लाभार्थी नगर निगम सीमान्तर्गत के अथवा नहीं तथा नगर निगम के कर दाता के अथवा नहीं। अतएवं स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को दी गयी अनुदान की धनराशि का सत्यापन नगर निगम के कर विभाग के अभिलेखों से कराया जाना अपेक्षित है।

59- जारी की गयी एम0ए0सी0-2 की रसीद बुकों का उपभोग के पश्चात वापसी न किये जाने के कारण उनके दुरुपयोग की सम्भावना:-

प्रपत्रों की स्टॉक बुक की जाँच में पाया गया कि एम0ए0सी0-2 शेड्ड रसीद बुकों लिपिकों एवं विभागों को एक बार में एक निर्गत की गयी थी लेकिन इन रसीद बुकों का उपभोग करने के पश्चात प्रपत्रों की स्टॉक बुक में इनकी वापसी प्रदर्शित नहीं थी यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। तथा उन रसीद बुकों के दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतएवं कर्मचारियों एवं विभागों को निर्गत रसीद बुकों की उपभोग के पश्चात वापसी की पुष्टि कराये जाने हेतु स्टॉक बुकों के वापसी अंकित कराकर सम्परीक्षा में दिखाया जाना अपेक्षित है।

60- शासनादेश द्वारा की गई व्यवस्था के विपरीत निजी फर्मों के आउट सोर्सिंग कर्मचारियों की आपूर्ति लिया जाना आपत्तिजनक:-

शासनादेश संख्या- 374/2016/ 771/69-1-2016-14 (56)/2016 दिनांक 20-5-2016 के पैरा-2 के अनुसार शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी) को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी/ अर्द्धसरकारी विभागों/उपक्रमों/प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से लिया जाए ताकि केन्द्रों की आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके एवं शहरी गरीबी उन्मूलन की दिशा में अग्रसर किया जा सके। उपरोक्त शासनादेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना राजकीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों के सम्बंध में किया गया था।

उप सम्परीक्षा माहों के रू वय्य प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम के विभिन्न विभागों में ड्राईवरों/हैल्परों/लिपिक/इलेक्ट्रीशियन/सफाई कर्मी शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से न लेकर निजी फर्मों से आउटसोर्सिंग से ली गई थी। यह शासनादेश की स्पष्ट उल्लंघन था। ऐसी स्थिति में निजी फर्मों को किया गया भुगतान अनियमित था। इस सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

61-वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराये गये लाईसेन्सों एवं नवीनीकरण किये गये लाईसेन्सों से सम्बंधित पत्रावली अप्रस्तुत एवं लक्ष्य के सापेक्ष अत्यधिक कम आय प्राप्त होना आपत्तिजनक:-

वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताये गये लाईसेन्सों एवं नवीनीकृत लाईसेन्सों से सम्बंधित पत्रावलियों एवं नवीनीकृत किये गये लाईसेन्स पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई और इनसे सम्बंधित रसीद बुकें भी प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसके अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि आलोच्य वर्ष में कितने लाईसेन्स स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये तथा इनसे कितनी आय प्राप्त हुई एवं कितने लाईसेन्सों का नवीनीकरण किया गया एवं कितने लाईसेन्स बिना नवीनीकरण किये रह गये। अतः उक्त को प्रस्तुत किया जाए।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित आय रुपया 15,00,000/- रखी गयी थी जिससे सापेक्ष मात्र रुपया 862429/- की आय प्राप्त हुई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि निगम को स्वास्थ्य लाईसेन्स बनाने में तथा निगम की आय बढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी। यह स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसकी आय बढ़ाये जाने हेतु निगम के प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

62- महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के बिलों से टी0डी0एस0 आयकर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रुपये 12,10,044/-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या 709 दिनांक 31-12-2019 पी0एफ0 एम0एस0 एडवायस संख्या सी-121929074680 द्वारा रुपये 5,23,32,000/- का भुगतान 2 प्रतिशत जी0एस0टी रु0 10,68,000/- की कटौती के पश्चात महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड सुदा याडी पुणे को किया गया था। उक्त भुगतान महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी द्वारा दिनांक 27-9-2019 से 16-10-19 मध्य बिलों के सापेक्ष प्रति बिल रुपये-26,70,000/-कुल रुपये-5,34,00,000 के सापेक्ष किया गया था, जो महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड द्वारा 20 महिन्द्रा ब्लाजो 258x4 80 BSIV 4250 EROH डियर चैसिस डे कैब 16 CUM वाहन की आपूर्ति हेतु था महिन्द्रा कम्पनी के 20 बिलों की कुल धनराशि रुपये 5,34,00,000/-से 2 प्रतिशत जी0एस0टी की कटौती के पश्चात उक्तानुसार रुपये 5,23,32,000 का भुगतान उक्त फर्म को किया गया उक्त बिल की राशि से टी0डी0एस0 आयकर की कटौती नहीं की गयी थी जबकि नगर निगम द्वारा वाउचर संख्या-603 दिनांक 13-2-20 को रु 9860800/- टी0पी0एफ0इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 दिल्ली को 19 नग पोर्टेबल कान्टेनर के बिलों के सापेक्ष किये गये भुगतान में टी0डी0एस0 आयकर की कटौती की गयी थी एवं अन्य आपूर्ति एवं कार्यों के बिलों से 2.266 प्रतिशत टी0डी0एस0 आयकर की कटौती की जा रही थी। अत एवं उक्त बिलों से 2.266 प्रतिशत टी0डी0एस0 आयकर की कटौती न किये जाने से रुपये 12,10,044/- की राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी। यदि उक्त प्रकार की कम्पनी/फर्मों के बिलों से आयकर की कटौती न किये जाने का कोई शासनादेश हो

तो सम्परीक्षा में दिखाया जाए अन्यथा स्थिति रू० 12,10,044 की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से कराये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कय से सम्बन्धित पत्रावली जॉच हेतु सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जॉच नहीं की जा सकी। अतएवं पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर आवश्यक जॉच कराया जाना अपेक्षित है।

63— पोकलेन मशीन के कय बिल से आयकर की कटौती न किये जाने से राजस्व की क्षति रुपये 4,16,289 एवं जी०एस०टी० रुपये 18—

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों की व्यय प्रमाणकों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि वाउचर संख्या 629 दिनांक 27-12-19 रुपये 1,80,50,500/- का भुगतान पी०एफ०एम०एस० इनवॉयस न० सी 121924438528 द्वारा टाटा हिटेची कान्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड वेल्लूर, धारवाड को किया गया था। उक्त भुगतान फर्म के इनवॉयस न० 1258144 से 12548147 दिनांक 12-6-19 इनवॉयस न० 12548157 से 12548158 दिनांक 14-6-19 10 बिलों हेतु रू० 18419850 (प्रत्येक रू० 1841985) 10 पोकलेन छोटी मशीनों के कय हेतु 2 प्रतिशत जी०एस०टी० रू० 3,68,379/- की कटौती के पश्चात रू० 1,80,50,500/- का किया गया था। जबकि निगम द्वारा कुल राशि रू० 1,84,18,950/- पर 2 प्रतिशत जी०एस०टी० रू० 3,68,379/- काटा जाना चाहिए था। इस प्रकार रू० 18.00 कन कटौती के कारण राजस्व क्षति हुई थी। यदि उक्त प्रकार के कय बिलों से आयकर कटौती न किये जाने को कोई आदेश/शासनादेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए अन्य स्थिति में उक्त राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रमावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है। उक्त 14 वीं वित्त आयोग से कय से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जॉच नहीं की जा सकी। तथा उक्त आपसित गार्ड फाईल में संलग्न व्यय प्रमाणकों के आधार पर उल्लिखित की गयी है। अतएवं कय पत्रावली प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जॉच करायी जाए।

64— नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना एवं निस्तारण योजना सम्बन्धी टिप्पणियाँ—

शासनादेश संख्या 19 जी०आई०ए/नौ-7-95-3ज/95, नगर विकास अनुभाग-7, दिनांक 6-3-95 के माध्यम से प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है। कि स्वच्छता एवं सफाई बनाये रखना स्थानीय निकाय का मौलिक कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त नगरों में संचित कूड़े-कचरे को जनप्रसार सामुदायिक सहभागिता तथा निजी सेक्टर के सहयोग से इसके समुचित संचयन, परिवहन शीघ्र निस्तारण एवं अवाशिष्ट पदार्थ के वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाये जाने हेतु उसे जनसामान्य के लिए सार्थक एवं उपादेय बनाये जाने का प्रयास करने हेतु भी आकर्षित किया गया था।

पुनः शासनादेश सं०-745ए/9-9-97-4रिट/97 टी०सी० नगर विकास अनुभाग, दिनांक 28-2-1997 के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर निगमों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 114(3) तथा उपधारा-18 के प्राविधानों का स्मरण दिलाते हुए निम्न विषयों पर उपविधियों बनाकर भी उपर्युक्त विषयगत को उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर 2(1)(2)(3)(4) में क्रियान्वित करने हेतु अनुदेश दिये गये थे, जिनमें निम्नांकित विषय मुख्य रूप से थे—

- (1) नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह तथा निस्तारण हेतु स्थल का अभिज्ञापन।
- (2) ठोस अपशिष्ट उत्पाद का अभिज्ञापित स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थल पर संग्रहीत न किया जाना।
- (3) ठोस अपशिष्ट उत्पाद के संग्रहण परिवहन, स्वास्थ्य पद निस्तारण, पुनर्चक्रानुकम के लिए यथोचित व्यवस्था।
- (4) शिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम के अपशिष्ट उत्पाद के निस्तारण की व्यवस्था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंध को सबल बनाये जाने के निमित्त जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के आशय से शासन द्वारा शा०स० 2734(1)/नौ-7-2002-4रिट/97 दिनांक 27-7-2002 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय की अधिदेशालक संस्तुतियों संलग्न कर प्रेषित की गयी थी। साथ ही शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2252(1)/नौ-7-2002-4रिट/97 दिनांक 4-6-2002 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 888/96 अलमिश्रा एच.पटेल बनाम राज्य के कम में नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए उपर्युक्त "लैण्डफिल साइट" में निर्धारण हेतु निर्देश दिये गये थे।

शासनादेश/अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-3563/9-7-2001-04रिट/97 दिनांक 30-7-2007 के माध्यम से उपर्युक्त जनहित याचिका के अनुपालनार्थ प्रसार में निम्न निर्देश दिये गये थे। भारत सरकार द्वारा नगरीय अपशिष्टों के निस्तारण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंध एवं संचालन नियमावली, 2000 प्रख्यापित की गयी है उक्त नियमावली के नियम-4 में नगर पालिका, प्राधिकरण के दायित्व निर्धारित किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-6203/9-7-2007-04 रिट/दिनांक 5-3-2001 के द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू की गयी। उक्त नियमावली के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तरों में वर्णित एवं दर्शायी गयी स्थितियों के आधार पर स्पष्ट था कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2000 के प्राविधानों को लागू और क्रियान्वित करने का दायित्व नगरीय निकायों में निहित था इसके अतिरिक्त निकायों के द्वारा वर्णित दायित्वों को भलीभाँति पूर्ण/सम्पन्न/क्रियान्वित करने के आशय से नियमावली के बिन्दु संख्या 25(1) में प्राइवेट सेक्टर को भी इस योजना में शामिल करने के निर्देश थे।

उ0प्र0 शासन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्तारों में वर्णित आदेशों/निर्देशों एवं शहरी निकाय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2000 से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों/परामर्श के दृष्टिकोण से निम्न बिन्दु विचारणीय रहे—

(1) जैसे कि उपरोक्त प्रस्तारों में वर्णित है कि उ0प्र0 शासन के आदेश क्रमशः दिनांक 6-3-95, 30-7-2001, 4-6-2002, 27-7-2002 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को नगरीय निकायों को दायित्व बोध सहित लागू करने हेतु पूर्व दिशा-निर्देश दिये गये थे, जबकि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी संस्था से अनुबन्ध नहीं किया जा सका बताया गया था। स्पष्ट था कि यह स्थिति जनस्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित नहीं थी। दिनांक 28-2-97 तथ्या योजना के अध्याय-25 के बिन्दु 253(17) में भी स्वच्छता सम्बन्धी विधि/नियमों के प्राविधानों एवं उनके प्रभावी किये जाने का उल्लेख किया गया था, जबकि सम्परीक्षा में ऐसे किसी प्रकार की उपविधियों/नियमों को बनाये जाने वाली स्थिति से अवगत नहीं कराया गया था। उल्लेखनीय है कि अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित योजनाओं के नियमों/उपनियमों आदि का सनावेश किये जाने पर उक्त योजना के और बेहतर ढंग से प्रभावी/क्रियान्वित किये जाने की सम्भावनायें विद्यमान थी।

अतएवं इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सहित पांछनीय स्थिति से आगामी अवसर पर स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। उक्त योजना के अध्याय-25 के बिन्दु संख्या 24.2.5 में ठोस अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण हेतु लैण्डफिल साईट/भूमि प्राईवेट सेक्टर-को 15 से 30 वर्ष की अवधि हेतु उचित टोकन लीजरेन्ट पर वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया था तथा नगर निगम गाजियाबाद द्वारा यदि किसी को उपलब्ध करायी गयी भूमि से किसी प्रकार का टोकन लीजरेन्ट प्राप्त हुआ था। भूमि दी गयी थी तो सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए। ऐसी स्थिति में नगर निगम को वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक क्षति होना परिलक्षित हुआ। जिसके सम्बन्ध में आगामी अवसर पर स्थिति स्पष्ट कराया जाना वांछित रहा।

65-पर्यावरण संरक्षण एवं सवर्धन योजना:-

नगरों को प्रदूषण सहित करने तथा पर्यावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-30 में उल्लिखित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम/अभियान अमल में लाये जाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को शा0सं0 1897/नौ-8-99-55(26)/92 दिनांक 27-7-98 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

शासन के उपरोक्त निर्देशों के दृष्टिगत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वृक्षारोपण हेतु एक वृहद योजना बनायी जानी थी इसके अतिरिक्त निकाय में एकवन भी विकसित किये जाने का प्राविधान था तथा निगम द्वारा संचालित/पोषित पार्कों में से एक पार्क को स्मृति पार्क के रूप में परिवर्तित करने का दिशा-निर्देश उक्त शासनादेश में दिया गया था।

शासनादेश के प्रस्तर 3(4) के वार्षिक बजट में एक निश्चित प्रतिशत पेड़ लगाने, पेड़ों की संरचना के मद में प्राविधान किये जाने का उल्लेख किया गया था। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वार्षिक आय व्यय लेखा के अनुसार वर्ष 2019-20 में इस मद में निम्नविवरणानुसार बजट प्राविधान एवं व्यय किया गया था।

क्र०	मद	बजट 2019-20	बजट 19-20
1	पार्कों की क्षतिग्रस्त बाउन्डीवाल का निर्माण कार्य	2,00,00,000	21,27,546
2	उत्के पर पार्कों का अनुरक्षण कार्य	11,00,00,000	9,12,62,414

उपरोक्त व्यय एवं बजट के अवलोकन से स्पष्ट था कि नगर निगम गाजियाबाद उक्त शासनादेश के अनुपालन प्रति उदासीन था। उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के क्रम में नगर निगम द्वारा कोई वृहद योजना नहीं बनायी गयी थी और नही कोई नगरीय एवं वन स्मृति पार्क विकसित किया गया था। अतएव उक्त विषय के सम्बन्ध आवश्यक जानकारी सम्बन्धित अभिलेखों सहित सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।

प्रकाश विभाग:-

66-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम से प्राप्त धनराशि रूपया 5.34 करोड़ द्वारा कराये गये पथ प्रकाश व्यवस्था के कार्य में पाई गई अनियमितताएँ:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा पत्र संख्या NCRTC/DM/EUD/NN,GZB-2018 के माध्यम से नगर निगम कोष में धनराशि रूपया 5.34 करोड़ मेरठ रोड पर मेरठ मोड़ से दुहाई तक रोड के दोनों किनारों पर पोल लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराई गई थी। उक्त प्राप्त धनराशि से कार्य कराये जाने हेतु शासन द्वारा पत्र संख्या-1497/नो-5-19-529सं0/2016 टी0सी0 दिनांक 24 अप्रैल, 2019 के द्वारा कुल 16 कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त 16 कार्यों हेतु उपलब्ध धनराशि रु0 534लाख के सापेक्ष 509.92 लाख के प्रस्ताव तैयार किये गये थे।

1- उक्त 16 कार्यों में क्रमांक 02 पर अंकित "मेरठ रोड गोल घबकर से होम कान्सेप्ट 38 हरवंश नगर मेरठ रोड आर्यनगर मोड़ एंडी पर दायी ओर 9 मी0जी0 आई0डैकोरेटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य उक्त कार्य की आगणन धनराशि रु0 36,75,647-स्वीकृति निविदा धनराशि रुपये 33,44,838/- 9 प्रतिशत कम दर पर मेसर्स शिव कन्स्ट्रक्शन गाजियाबाद को

2- प्रतिशत क्रमांक 9 पर अंकित न्यू जस्सर ट्रान्सपोर्ट रु0 मोरटा पुलिस चौकी से दुर्गा मोटर्स टाटा ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन भारत बैज तक 9 मी0जी0आई डेकोरेटिव पोल पर लाईट लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य/ आगणन धनराशि-3,53,735/- निविदा स्वीकृति धनराशि 32,18,989/- 9प्रतिशत कम दर पर मेसर्स मार्डन इलै0 एण्ड मैकेनिकल डैडर्स।

3- क्रमांक-12 पर अंकित दुर्गा मोटर्स टाटा आधारार्हण्ड सर्विस स्टेशन भारत बेंज से आई0एम0आर0 कालेज आई0डी0 बी0आई0ए0टी0एम0 के पास (बायी ओर) 9 मी0 जी0आई0 डेकोरेटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य - आगणन धनराशि-35,89,225/- निविदा स्वीकृति धनराशि-3266194 9 प्रतिशत कम दर पर मेसर्स आर0के0 इन्टर प्राइजेज मथुरा।

4- क्रमांक-11 पर अंकित दुर्गामोटर्स टाटा आधारार्हण्ड सर्विस स्टेशन भारत बेंज से आई0एम0आर0कालेज,आई0डी0बी0आई0,ए0डी0एम0के पास (दायी ओर) 9 मीटर जी0आई0डेकोरेटिव पोलपर सिंगल आर्म लगाकर मार्ग प्रकाश व्यवस्था के कार्य-आगणन धनराशि-3312308 निविदा स्वीकृति 9प्रतिशत कम दर पर रू0 29,23,196/- मेसर्स नॉर्डन इलै0एण्ड मैकेनिकल ट्रेडर्स गाजियाबाद।

उपरोक्त चारों कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के समय निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आयीं-

1- उक्त क्रमांक-1 पर अंकित कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की नोटिंग साईड के पृष्ठ-16 पर दिनांक 3-1-2020 को नगर आयुक्त महोदय द्वारा काय करने वाली फर्मों पर रू0 50,000/- आर्थिक दण्ड लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि एक सप्ताह में कार्य पूर्ण न होने पर अनुबन्ध निरस्त करने तथा फर्मों को काली सूची में अंकित करने की कार्यवाही करें। संलग्न माप पुस्तिका के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 1-12-2020 को पूर्ण होना प्रदर्शित था उक्त के अतिरिक्त क्रमांक-2 पर अंकित कार्य दिनांक 30-9-2020 क्रमांक-3 पर अंकित कार्य दिनांक 29-12-2000 एवं क्रमांक-4 पर अंकित कार्य दिनांक 20-9-20 को पूर्ण होना प्रदर्शित कर उपरोक्त निर्देश दिनांक 3-1-2020 के कम में क्या कार्यवाही की गयी पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी, जबकि समस्त कार्य 10 जनवरी,2020 के बाद ही पूर्ण होना प्रदर्शित था लेकिन उक्त निर्देश के कम में कार्यवाही न किया जाना आपत्तिजनक था। अतएव उक्त के समबन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

2-क्रमांक-4 पर अंकित कार्य की पत्रावली की नोटशीट संख्या-8/20 दिनांक 4-7-19 द्वारा नगर आयुक्त द्वारा मुख्य नगर लेखा परीक्षक से कार्य को टुकड़ों में कराये जाने का औचित्य क्या है। इसके कोई वित्तीय/तकनीकी विधलन तो नहीं है। पर आख्या की नोंग की गयी थी। मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा अधिशाली अभियन्ता प्रकाश से दिनांक 6-7-19 को तीन बिन्दुओं (1)कार्य की एक निविदा क्यों नहीं करायी गयी(2) कार्य को टुकड़ों में बाँटने से प्राप्ति निविदा दरों के विधलन की गुंजाइश है(3) कार्य की गुणवत्ता पर तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा स्पष्ट किया जाए। उक्त के जबाब में अधिशाली अभियन्ता द्वारा दिनांक 8-7-19 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा रैपिड रेल के निर्माण शीर्ष प्राथमिकता होने के कारण मण्डलायुक्त महोदय द्वारा प्रतिमाह समीक्षा किये जाने एवं राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्य को तीव्र गति से किये जाने तथा वर्तमान मास में श्रावण मास कॉवड यात्रा का दबाव उक्त रोड पर होने के कारण उक्त कार्य को 16 टुकड़ों में बाँट कर 718 पोल एवं लाईटें लगाये जाने का कार्य कराया

प्रस्तावित किया गया था जिसमें कोई वित्तीय विचलन न होने एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में फिलिप्स की 130 वॉट लाईट केविल हैवल्स पालीकैब मेक का लगाया जाना प्रस्तावित किया गया था तथा फाउन्डेशन के सैम्पल की जाँच किसी वाह्य एजेन्सी से करायी जानी प्रस्तावित थी। नोटशीट-28/40 दिनांक 1-10-19 द्वारा कार्य प्रारम्भ न होने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं टुकड़ों में कार्य कराये जाने के लिए अधिशाषी अभियन्ता प्रकाश का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन नगर आयुक्त महोदय की उपर्युक्त टिप्पणी दिनांक 1-10-19 के क्रम में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और नहीं अधिशाषी अभियन्ता प्रकाश की आख्या दिनांक 8-7-19 में उल्लिखित कॉवड यात्रा एवं आर.आर.टी.सी० के अनुरोध के क्रम में कार्य शीघ्र किये जाने सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति हो सकी यह आपत्तिजनक था अवशेष उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही शा०सं० 6736/23—2006-176(साठ)/99 दिनांक 5 जनवरी, 2007 द्वारा भी कार्य को टुकड़ों में कराये जाने पर प्रतिबंधित किया गया था, जिससे उक्त कार्य उक्त शासनादेश के विपरीत था।

3- अधिशाषी अभियन्ता विद्युत/यात्रिक की उक्त क्रमांक-4 पर अंकित कार्य की पत्रावली की नोटिंग साईड के पृष्ठ सं०- 9/21 पर अंकित टिप्पणी दिनांक 8-7-19 जो गुणवत्ता के सम्बन्ध में फिलिप्स की 130 वॉट लाईट एवं केविल हैवल्स पालीकैब मेक का लगाये जाने एवं सभी फर्मा द्वारा बनवायी जा रही फाउन्डेशन के सैम्पल की जाँच किसी वाह्य एजेन्सी से कराये जाने का उल्लेख किया गया था जिसे नगर आयुक्त द्वारा अंश 'ए' दिनांक 29-8-19 पृष्ठ संख्या 28/40 पर स्वीकृत किया गया था उक्त की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं था जो गम्भीर रूप से आपत्ति जनक था अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

4- उक्त चारों पत्रावलियों में लगायी गयी लाईटों एवं पोलो को स्टॉक पंजी में प्रविष्टि किये जाने का उल्लेख नहीं था और नहीं सम्बन्धित स्टॉक पंजी सम्परीक्षार्थ जाँच हेतु प्रस्तुत की गयी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त लाईटों एवं पोलो की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में की गयी थी अथवा नहीं। अतएव उपर्युक्त लाईटों एवं पोलो की यदि स्टॉक पंजी में प्रविष्टि की गयी हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर आवश्यक जाँच करायी जाए, अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

5- उक्त क्रमांक-2 पर अंकित कार्य में 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर की स्थापनाय करायी गयी थी। ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य विद्युत विभाग द्वारा भी किया जाता है विद्युत विभाग से एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित पत्रावली में नहीं था जिससे दोहरा कार्य/भुगतान की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता अतएव उक्त से सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

6- उक्त क्रमांक-3 पर अंकित कार्य की पत्रावली में संलग्न अनुबन्ध पत्र की शर्त सं०-3 के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर ही कार्य के सापेक्ष भुगतान किये जाने का उल्लेख था उक्त

कार्य 29-12-20 को पूर्ण होना प्रदर्शित था जबकि प्रथम भुगतान रु० 15,88,400/- दिनांक 16-3-2020 को ही किया गया था यह उक्त शर्त का उल्लंघन था।

7- उक्त कमांक-2 पर अंकित कार्य की नोटशीट-पृष्ठ 2 पर 16 कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा मांगे जाने का उल्लेख था जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 4-6-19 को दी गयी थी जबकि पत्रावली के नोटशीट पृष्ठ सं० 4 से 8 में 19 कार्यों हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी थी। जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम से प्राप्त धनराशि रु० 534लाख से मेरठ मोड़ से दुहाई तक रोड के दोनों किनारे पर पोल लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 16 कार्य कराये जाने थे अतएव 16 कार्यों के स्थान पर 19 कार्यों की निविदा आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में स्थित स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

अतएव उपरोक्त कमियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाये अन्यथा स्थिति में उक्त कमियों हेतु उत्तरदायी के खिलाफ आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जना अपेक्षित है।

67- 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु नगर निगम द्वारा कराये गये 4 कार्यों में पाई गई अनियमितताएँ एवं अर्धदण्ड न वसूलने के कारण आर्थिक क्षति रु० 31,56,500 /--

मण्डलायुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 27-10-18 को 14 वे वित्त आयोग की बैठक के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद की सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं०-03 पार्ट-बी कमांक -4 पर मोहन नगर जोन में निम्नलिखित 4 कार्यों हेतु कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी-

- 1- जी०टी०रोड पर अर्थला पीर से लाजपत नगर तक 110 नग जी०आई० पोल व 220 नग एल०ई०डी० लाईट प्रकाश व्यवस्था का कार्य धनराशि 79.14 लाख।
- 2- जी.टी रोड पर नया बस अड्डा से अर्थला पीर तक 110 नग जी०आई० पोल एवं 220 नग एल.ई.डी लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य धनराशि रु० 80.80 लाख।
- 3- जी०टी० रोड पर लाजपत नगर से बीकानेर स्पीड्स तक 65 नग जी० आई०पोल व 125 नग एल०ई०डी० लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य धनराशि रु० 46.84।
- 4- जी०टी० रोड पर बीकानेर स्पीड्स से दिलशाद गार्डन बॉर्डर तक 115 नग जी०आई०पोल व 230 नगर एल०ई०डी० लाईट प्रकाश व्यवस्था का कार्य धनराशि रु० 82.47 लाख।

उपर्युक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियों की जाँच से निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आई-

(क) (1) उक्त कमांक-1 की पत्रावली में संलग्न आगणन रूपया जी०एस०टी० सहित रु० 7360962/- एवं जी०एस०टी० रहित रूपया 6587070/- पर किसी भी बनाने वाले अवर

अभियन्ता एवं सत्यापित कराने वाले सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था बिना हस्ताक्षरित एवं सत्यापित आगणन पर निविदा आमंत्रित किया जाना एवं स्वीकृति लिया जाना आपत्तिजनक था।

(2) उक्त कार्य हेतु कुल तीन टेण्डर प्राप्त हुए थे जिसमें न्यूनतम टेण्डर (-4.00 प्रतिशत न्यून) जी0एस0टी0 रहित रूपया 6323587.20 का था जिसमें 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रु0 728485.10 जोड़कर जो रु0 6323587-2287670 एल0ई0डी0 लाईट अर्थिंग को छोड़ते हुए रु0 4035917.20 पर आगणित या कुल टेण्डर मूल्य रु0 7050052.30 पर दिनांक 16-6-19 को नगरायुक्त द्वारा मै0 आर0के0एन्टर की निविदा स्वीकृति की गई थी। उक्त कार्य हेतु अविश्रासी अभियन्ता(थि0/यो) द्वारा कार्यादेश सं0-250/प्रकाश/2019 दिनांक 19-6-19 दिया गया था जिसमें कार्य की प्रारम्भ तिथि 21-6-2019 एवं कार्य समाप्ति तिथि 14-8-2019 थी। माप पुरितका सं0 8055 के पृ0सं0 6 के अनुसार उक्त कार्य 23-12-19 को समाप्त हुआ था जबकि देरी से कार्य करने के कारण (लगभग 131 दिवस विलम्ब) फर्म मै0 आर0के0एन्टर प्राईज से कोई दण्ड नहीं वसूला गया था। पत्रावली में संलग्न अनुबंध पत्र कार्यादेश में अर्धदण्ड से सम्बन्धित कोई शर्त अंकित नहीं की गयी थी किन्तु नगर निगम के विद्युत विभाग की अन्य पत्रावलियों में लगे अनुबंध पत्र की शर्त सं0 6 के अनुसार " फर्म द्वारा एल.ई.डी. लाइटों की आपूर्ति समयावधि में न करने पर प्रतिदिन रूपया 25 प्रति लाईट शुल्क देय होगा" अतः उक्त के अनुसार $131 \times 25 \times 220 = 720500/-$ अर्धदण्ड फर्म से वसूल न किये जाने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई थी जिसकी वसूली अपेक्षित है।

(3) पत्रावली में आईटम बार कॉन्टेक्टर बिल संलग्न नहीं था। मात्र इनवॉयस न-66 दिनांक 15-12-19 लगा हुआ था, जिसे कार्य समाप्ति तिथि 23-12-19 से पूर्व ही भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा दे दिया गया था जिसे नगरायुक्त द्वारा 27-2-19 को स्वीकृत एवं लेखा विभाग द्वारा दिनांक 30-12-19 को भुगतान किया गया था। अतः कॉन्टेक्टर बिल पत्रावली में संलग्न करना सुनिश्चित किया जाये।

(4) उक्त कार्य से सम्बन्धित आपूर्तित सामग्री की स्टॉक बुक सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिस कारण सामग्री की गिनती एवं गुणवत्ता तथा निर्गमन की स्थिति अज्ञात रही एवं भुगतानित धनराशि का सत्यापन सम्परीक्षा में न किया जा सका।

(5) उक्त कार्य की जमानत हेतु एफ.डी.आर रु0 705005/- या छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस कारण इसका जमा का सत्यापन न हो सका। इसका सत्यापन कराया जाए।

(ख) (1) उक्त कर्मांक-2 पर अंकित कार्य हेतु कुल 5 टेण्डर प्राप्त हुए थे, जिनमें न्यूनतम टेण्डर मै0 कैपिटल कन्स्ट्रक्शन का (-3.26 प्रतिशत न्यून) रूपया 37,12,590-98 का था। आगणन जी0एस0टी0 सहित रु0 42,78,722.50 एवं जी0एस0टी0 रहित रु0 38,37,700/- का था।

(2) अधिशासी अभियन्ता(पि/या) के कार्यदेश सं-247/प्रकाश/2019 दिनांक 19-6-19 के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 21-6-19 एवं कार्य समाप्ति तिथि 14-8-2019 थी। उक्त कार्य हेतु ₹0 3880115.00 (18प्रतिशत जी0एस0टी0सहित) का प्रथम रनिंग बिल की माप दिनांक 12-10-19 को एवं द्वितीय/फाईनल बिल ₹0 9,29,675/- का दिनांक 12-11-19 को (माप पुस्तिका सं0-7510 पृ0स0 12 के अनुसार पूर्ण हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट था कि सम्पूर्ण कार्य 12-11-19 को पूर्ण हुआ था जो 90 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ था किन्तु मै0 कैपीटल कन्स0से विलम्ब अवधि हेतु कोई अर्धदण्ड नहीं वसूला गया था। अनुबंध पत्र की शर्त सं0 2 में। स्पष्ट उल्लेख था कि "उक्त शर्तों के साथ नगर निगम ठेके की सामान्य शर्तें भी लागू होंगी।" किन्तु कार्यदेश एवं अनुबंध पत्र में अर्धदण्ड से सम्बंधित कोई शर्त न लिखना अनियमित, आपत्तिजनक एवं विधिक हितों के प्रतिकूल था। नगर निगम के विद्युत विभाग की अन्य पत्रावलियों में अनुबंध पत्र की शर्त सं0-6 के अनुसार " फर्म द्वारा एल0ई0डी0 लाइटों की आपूर्ति समयावधि में न करने पर प्रतिदिन रूपया 25 प्रति लाईट शुल्क देय होगा। अतः उक्त के अनुसार 90 दिवस×25 रूपया दर×125 लाईट=2,81,250/- रूपया का अर्धदण्ड फर्म से वसूल न किया जाने के कारण नगर निगम को ₹0 2,81,250/-की आर्थिक क्षति हुई थी।

(3) उक्त कार्य का आगणन पत्रावली में संलग्न नहीं थी। बा0ओ0क्यू एवं विचलन विवरण संलग्न था। आगणन न संलग्न करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस कारण यह ज्ञात न हो सका कि आगणन किसके द्वारा बनाया गया था एवं किसके द्वारा स्वीकृत/ सत्यापित किया गया तथा आगणन में ली गई दो प्रमुख अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, लखनउ(वि0/या0 वर्ग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1586(प) ई0एम/14ई0डब्ल्यू-सी.ई.(ई. /एम)-टी.सी.-15/19-20 दिनांक 15-7-2019 के अनुसार थी।

(4) पत्रावली में आइटनवार कॉन्टेक्टर बिल संलग्न नहीं थे/मात्र द्वितीय बिल का इनवॉयस बिल संलग्न था। यह अनियमित था। इन्हें संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) उक्त कार्य हेतु आपूर्तित सामग्री की स्टॉकबुक अप्रस्तुत रही जिस कारण उनकी गिनती,गुणवत्ता एवं निर्गमन की स्थिति अज्ञात रही एवं भुगतानित धनराशि का सत्यापन सम्भव न हो सका।

(6) उक्त कार्य की जमानत हेतु एफ.डी.आर सं0-343634/-,-343638/- एवं 042886/- धनराशि रूपया 415000/-की मूल/छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस कारण इसकी जमा का सत्यापन न हो सका। इसका सत्यापन कराया जाए।

(ग) (1)- क्रमांक 3 पर अंकित कार्य हेतु कुल 3 निविदायें प्राप्त हुई थी,जिनमें न्यूनतम निविदा (-4प्रतिशत न्यून) मै0 आर0के एन्टरप्राईजेज की थी। उक्त कार्य का आगणन ₹0 7250378(जी0एस0टी सहित) एवं ₹0 6485540(जी0एस0टी रहित)था अतः सर्वन्यून निविदरा ₹0 6226118/- में से एल0ई0डी0 लाईट,अर्थिंग के रूपये 2287670 को छोड़ते हुए घनुाक ₹0 3938448/- पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी ₹0 708920/-लगाया गया था। तदुपरान्त ₹0 4097583 हेतु नगरायुक्त की स्वीकृति दिनांक 18-6-19 को ली गई थी।

(2) अधिशासी अभियन्ता (वि/या) के कार्यदेश सं० 258/प्रकाश/2019 दिनांक 25-6-19 के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 26-6-2019 एवं कार्य समाप्ति तिथि 14-8-2019 थी। उक्त बिल की माप पुस्तिका सं०-8055 के पृष्ठ सं.-11 के अनुसार उक्त कार्य की माप दिनांक 24-12-19 को अवर अभियन्ता द्वारा ली गई थी। अतः स्पष्ट था कि उक्त कार्य 132 दिवस विलम्ब से हुआ था किन्तु नगर निगम द्वारा उक्त फर्म मै० आर०के०एन्टरप्राइजेज से कोई अर्धदण्ड नहीं वसूला गया था। अनुबंध पत्र की शर्त सं०-2 में स्पष्ट उल्लेख था कि "उक्त शर्तों के साथ नगर निगम ठेके की सामान्य शर्तें भी लागू होगी" किन्तु कार्यदेश एवं अनुबंध पत्र में अर्धदण्ड से सम्बंधित कोई शर्त अंकित न करना अनियमित आपत्तिजनक एवं नगर निगम के विधिक हितों के प्रतिकूल था। नगर निगम के विद्युत विभाग की अन्य पत्रावलियों में अनुबंध पत्र की शर्त सं०-6 के अनुसार "फर्म द्वारा एल.ई.डी. लाइटों की आपूर्ति समयावधि में न करने पर प्रतिदिन रु० 25 प्रति लाइट शुल्क देय होगा। अतः उक्त के अनुसार 132 दिवस×25 रुपया दर×125 लाइट=4,12,500 रुपया का अर्धदण्ड फर्म से वसूल न किये जाने के कारण नगर निगम को रु० 4,12,500/- की आर्थिक क्षति हुई थी।

(3) उक्त कार्य की आगणन रु० 72,50,378/- पत्रावली में संलग्न था किन्तु उस पर तैयार करने वाले अवर अभियन्ता एवं स्वीकर्त्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। वित्त आगणन स्वीकृत कराये टेण्डर आमंत्रित किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(4) पत्रावली में आइटमवार कार्नेक्टर बिल संलग्न नहीं थे मात्र इनवॉयस बि०सं० 65 दिनांक 12-12-19 संलग्न था। यह अनियमित था इसे पत्रावली में संलग्न किया जाए।

(5) उक्त कार्य हेतु आपूर्ति सामग्री की स्टॉक बुक सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिससे कारण उनकी संख्या, गुणवत्ता तथा निर्गमन की स्थिति अज्ञात रही एवं भुगतानित धनराशि का सम्परीक्षा में सत्यापन न हो सका।

(6) उक्त कार्य की जमानत के सापेक्ष एफ०डी०आर० धनराशि रु० 4,09,758/- की मूल/छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस कारण इसकी जमा का सत्यापन न हो सका। इसका सत्यापन कराया जाए।

(घ)(1) क्रमांक 4 पर अंकित कार्य का आगणन रूपय 75,33,357/- (जी०एस०टी सहित) एवं रु० 67,49,030/- (जी०एस०टी०) था। उक्त कार्य हेतु कुल 4 निविदाएं प्राप्त हुई थी। सर्वश्रेष्ठ निविदा (-3.50 प्रतिशत न्यून) मै० आर०बी एसोसिएट्स की थी जो जी०एस०टी सहित दर पर रूपया 65,12,813.95 की थी जिसमें से रु० 23,91,655 एल.ई.डी. लाइट अर्थिंग रोड कटिंग को छोड़ते हुए रु० 41,21,158.95 पर 18 प्रति जी.एस.टी रु० 7,41,809/- सम्मिलित करते हुए घनांक रु० 72,54,623/- है जो आगणन रु० 75,33,357/- में से 27,87,34 अर्थात् 3.70 प्रतिशत कम की स्वीकृति दिनांक 16-6-19 को नगरायुक्त द्वारा प्रदान की गयी थी।

(2) अधिशासी अभियन्ता (वि०/या) के कार्यदेश सं०-240/प्रकाश/2019 दिनांक 17-6-19 के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 21-6-19 एवं कार्य समाप्ति तिथि 14-8-19

थी। उक्त कार्य के प्रथम चलित बिल रुपया 4924878/- की माप पुस्तिका सं०-6834 के पृ०सं० 6से 11 पर दिनांक 13-6-20 को अंकित की गई थी। उक्त से स्पष्ट था कि सम्पूर्ण कार्य दिनांक 13-6-20 को समाप्त हुआ था। इस प्रकार उक्त कार्य 303 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ था किन्तु नगर निगम द्वारा मै० आर०वी०एसोसिएट्स से कोई धनराशि अर्धदण्ड के रूप में वसूल नहीं की गयी थी। अन्य कार्यों की पत्रावली के मुताबिक अनुबंध पत्र की शर्त सं०-6 में स्पष्ट उल्लेख था कि रुपया 25 प्रति लाईट प्रतिदिन अर्धदण्ड विलम्ब अवधि हेतु देय होगा किन्तु कार्यादेश अनुबंध पत्र में अर्धदण्ड में सम्बंधित कोई शर्त अंकित न करना अनियमित आपत्तिजनक एवं नगर निगम के विधिक हितों के प्रतिकूल था। अतः उक्त कार्य हेतु $303 \text{ दिवस} \times 25 \text{ रु. दर} \times 230 = \text{रुपया } 1742250/-$ अर्धदण्ड मै० आर०वी०एसोसिएट्स से न वसूलने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई थी।

(3) उक्त कार्य का आगणन पत्रावली में संलग्न नहीं था। वी०ओ०व्यू० संलग्न था। आगणन संलग्न न करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था आगणन के अभाव ने यह ज्ञात न हो सका कि आगणन किसके द्वारा बनाया गया था एवं किसके द्वारा स्वीकृत सत्यापित किया गया था तथा आगणन में ली गई दरें प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-1586(9)ई.एम/14 ई.डब्ल्यू- सी०ई०(ई/एम)-टी.सी०-15/19-20 दिनांक 15-7-19 के अनुसार थी।

(4) पत्रावली में आइटमवार कान्ट्रैक्टर बिल संलग्न नहीं थे। मात्र इनवॉयस बिल सं०-14 दिनांक 5-3-20 धनराशि रुपया 49,24,878/- संलग्न था। यह अनियमित था। इसे पत्रावली में संलग्न किया जाए।

(5) उक्त कार्य हेतु आपूर्ति साग्री की स्टॉक बुक अप्रस्तुत रही जिस कारण उनकी संख्या गुणवत्ता एवं निर्गमन की स्थिति अज्ञात रही एवं इसके अभाव में भुगतानित धनराशि का सत्यापन न हो सका।

(6) उक्त कार्य की जमानत हेतु एफ०डी०आर सं-38260345083/- धनराशि रु० 98000/- की मूल/छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस कारण इसकी जमा का सत्यापन न हो सका। इसका सत्यापन कराया जाए।

उक्त सभी चार कार्यों की पोल पंजी तैयार नहीं की गई थी एवं न ही उक्त पत्रावलियों में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट संलग्न थी।

68- 14 वे वित्त आयोग से विभिन्न प्रकार की एल०ई०डी लाईटों की आपूर्ति एवं अधिष्ठान में पायी गयी अनियमिततायें एवं कार्य में विलम्ब अवधि हेतु विलम्बा शुल्क की वसूली न किये जाने से आर्थिक क्षति रुपये 45,00,000/- :-

आयुक्त महोदया मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 27-10-2018 को आयोजित समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या-3 पार्ट बी द्वारा नगर निगम गाजियाबाद की 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु एल०ई०डी० लाईट 80 वाट, 72 वाट, 50वाट एवं 30 वाट मय ब्रेकिट,प्लैम्ब,केबिल वायर एवं एम०सी०वी० सहित प्रत्येक 800

नगर समस्त जोनों में आपूर्ति /स्थापित किये जाने हेतु कार्य योजना स्वीकृत की गयी थी। उक्त स्वीकृत कार्ययोजना के कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के समय निम्नांकित कमियाँ/ अनियमिततायें प्रकाश में आयी-

1- उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों में आगणन पत्र संलग्न नहीं था, जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी अतएवं आगणन प्रस्तुत कर आवश्यक जाँच करायी जाए।

2- उपर्युक्त लाईटों की आपूर्ति/अधिष्ठापन के सत्यापनार्थ स्टॉक पंजी जाँच हेतु नहीं प्रस्तुत की गयी। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था। अतएवं स्टॉक पंजी प्रस्तुत कर उक्त लाईटों की आपूर्ति/अधिष्ठापन सत्यापित कराया जाए एवं अन्य तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच करायी जाए।

3- उक्तानुसार चारों कार्यों हेतु कुल 3200 स्टीट लाईटें विद ब्रेफिट,क्लैम्प केविल वायर एवं एम0सी0बी0 सहित आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य किया गया था। उक्त के सापेक्ष कितनी लाईटें ब्रेफिट, क्लैम्प, केविल वायर एवं एम0सी0बी0 पूर्व में लगायी थी जिनका न तो ठेकेदार के बिल से पुराने सामानों की कीमत घटायी गयी थी और न ही निगम के डैड स्टॉक पंजी में दर्ज किये जाने का उल्लेख था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था तथा स्कैप वैल्यू की सीमा तक नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई थी। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा स्थिति में आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से कराया जाना अपेक्षित है।

4- निविदा की शर्त नं0 8 के अनुसार आपूर्ति/स्थापित किये गये सामान की ओरिजनल होने की गारंटी के प्रमाण हेतु निर्माता कम्पनी का बालान प्रस्तुत करना था लेकिन फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

5- एल0ई0डी0 लाईट की गारंटी/वारंटी का प्रमाण पत्र फर्म/कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा। यदि आपूर्ति/अधिष्ठापित की गई लाईटों में खराबी पायी जाती है तो आपूर्ति कर्ता फर्म/कम्पनी द्वारा एल0ई0डी0 लाईटों को अपने खर्च द्वारा ठीक किया जायेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र के स्थान पर अनुबन्ध की शर्त न04 में फर्म द्वारा सप्ताई एल.ई.डी. लाईट की गारन्टी/वारन्टी देनी आवश्यक होगी अंकित की गयी थी लेकिन फर्म/कम्पनी द्वारा उक्त आशय का गारंटी/वारंटी पत्र प्राप्त कर संलग्न नहीं किया गया था, जिससे गारन्टी/वारंटी की पुष्टि नहीं हो सकी। अतएवं गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

6- उपर्युक्त चारों कार्यों हेतु न्यूनतम निविदा के आधार पर निम्नांकित विवरणानुसार छः फर्मों को कार्य/आपूर्ति आदेश संख्या-408 से 413 दिनांक 7-12-19 द्वारा 5 दिन में अर्थात् दिनांक 12-12-19 तक कार्य समाप्त किये जाने का निर्देश अधिराशी अभियंता(वि. या.)नगर निगम गाजियाबाद के उक्त कार्यादेश दिनांक 7-12-19 में था जबकि फर्मों द्वारा

निम्नांकित विवरणानुसार माप पुस्तिकाओं के अनुसार 33से85 दिवस तक विलम्ब से कार्य सम्पादित किया गया था। फर्म एवं अधिशासी अभियंता के अनुबंध 40 के कर्मांक 6 पर उल्लिखित शर्त के अनुसार फर्म द्वारा एल0ई0डी0 लाईटों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य समयावधि में न करने पर प्रतिदिन रु025 प्रतिलाईट की विलम्ब शुल्क वसूल किया जाना था इस प्रकार विलम्बित अवधि हेतु विलम्ब शुल्क वसूल न किये जाने से नगर निगम को रुपये 45,00,000/- की आर्थिक क्षति हुयी थी जिसकी उत्तरदायी से प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।

क्र0	फर्म का नाम	लाईट का प्रकार	कार्यादेश अनुसार समाप्ति तिथि	मापपुस्तिका के अनुसार समाप्ति तिथि	विलम्बित दिन	लाईट की संख्या	दर प्रतिदिन	विलम्ब शुल्क वसूल न किये जाने से आर्थिक क्षति
1	मै0एम.के.कन्स्ट.कम्प.	90वाट	12-12-19	28-1-20	47	400	25	470000
2	मे.आर.वी.एन्तोसिएट	90वाट	12-12-19	24-1-20	43	400	25	430000
3	मे.आर.के.इन्टरप्राइ.	72वाट	12-12-19	19-2-20	69	800	25	13,80000
4	मे.कैपिटल कन्स्ट.	50वाट	12-12-19	2-2-20	52	800	25	1040000
5	मे. शिव कन्स्ट्रक्शन	40वाट	12-12-19	7-3-20	85	400	25	850000
6	मे.कैपिटल कन्स्ट.	40वाट	12-12-19	14-1-20	33	400	25	330000
							योग	45,00,000

7- कार्ययोजना 30 वाट की एल0ई0डी0 लाईट स्थापित कराने हेतु स्वीकृत थी लेकिन 40वाट की एल0ई0डी0 लाईट की स्थापना का कार्य कराया गया था उक्त के सम्बन्ध में स्थिति सपष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

69-14 वें वित्त आयोग द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु नगर निगम द्वारा कराये गये 5 कार्यों में पायी गयी अनियमिततायें एवं अग्राह्य/अनियमित व्यय रुपये 313823/- विलम्ब शुल्क की वसूली न किये जाने से न्यूनतम आर्थिक क्षति रुपये 16,92,250/-

मण्डलायुक्त,मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 17-7-17 को 14 वे वित्त आयोग की बैठक के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद की सम्मन हुयी बैठक के प्रस्ताव सं0 5 द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु निम्नांकित विवरणानुसार 5 कार्यों हेतु कार्ययोजना स्वीकृति की गयी थी।

1- राम घमेली चडडा गर्ल्स कालेज से हनुवर्द के सामने वाली रोड तक 60 नग 9मीटर ऑक्टोजोनल गैल्वेनाइज्ड विद्युत पोल पर 120 नग 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट अधिष्ठापित करने का कार्य धनराशि 52.70 लाख

2- मेरठ रोड डी0पी0एस0स्कूल से रेलवे कासिम तक 40 नग 9मीटर आक्टोगोनल गैल्वनाइज्ड विद्युत पोल पर 80 नग 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट एवं सब स्टेशन डबलपोल स्ट्रक्चर, 63 कै0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापित करने का कार्य-धनराशि -38.54 लाख
3- यार्ड-न032 नन्दग्राम मुख्य मार्ग (100फुटा) पर 40 नग 9 मीटर आक्टोगोनल गैल्वनाइज्ड विद्युत पोल पर 80 नग एल0ई0डी0 लाईट 72 वाट अधिष्ठापित करने का कार्य-धनराशि 36.49 लाख 4.80 फुटा रोड(शालीमार गार्डन) व विक्रम इन्कलेव बजीराबाद रोड से सीमापुरी बार्डर तक 55 नग 9मीटर आक्टोगोनल गैल्वनाइज्ड विद्युत पोल पर 55 नग 9मीटर आक्टोगोनल गैल्वनराईज्ड विद्युत पर 120 नग 72 वाट एल0ई0डी0 लाईट अधिष्ठापित करने का कार्य-धनराशि रुपये-23.60 लाख उपर्युक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के समय निम्नांकित विवरणानुसार कमियाँ प्रकाश में आयी-

1-उपर्युक्त स्वीकृत पॉचों कार्यों हेतु आगणन श्री राकेश चन्द प्रकाश निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया था एवं उसी आगणन के आधार पर ही मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में समिति की बैठक में कार्ययोजना स्वीकृत की गयी थी जबकि आगणन अवर अभियन्ता प्रकाश द्वारा तैयार एवं अधिशासी अभियन्ता(वि0/या0) द्वारा अनुमोदनों परान्त ही उपरोक्तानुसार धनराशि तक की कार्ययोजना समिति द्वारा स्वीकृति की जानी चाहिए थी अतएवं बिना सक्षम स्तर से तैयार किये गये आगणन के आधार पर कार्ययोजना की स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक थी।

2- उपर्युक्तानुसार स्वीकृति कार्ययोजना के सापेक्ष आमंत्रित ई-निविदा दिनांक 8-3-18 क्रमशः 39,38,38,38 एवं 40 प्रतिशत न्यून पर सर्वन्यून निविदा स्वीकृत की गयी जिनसे नगर निगम द्वारा परफोमेन्स गारन्टी निविदादाता से जमा करने हेतु मॉग/अनुरोध किया गया लेकिन फर्मों द्वारा परफोमेन्स गारन्टी जमा न किये जाने के कारण उपर्युक्त निविदा निरस्त कर दी गयी तथा दिनांक 28-3-18 को पी0डब्ल्यू0डी द्वारा एस0ओ0आर0, 2018 निर्गत किये जाने के उपरान्त एस0ओ0आर0 2018 के आधार पर उक्त कार्यों हेतु पुनः आगणन श्री गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियन्ता(प्रकाश) नगर निगम गाजियाबाद द्वारा क्रमशः रुपये 37,08,939/- 27,55,542/-, 25,81,176/-, 32,95,148/- एवं 17,66,744/- का तैयार किया गया था जो उपरोक्त क्रमांक 5 के सापेक्ष तैयार आगणन रू0 17,66,744 को छोड़कर समस्त अन्य चारों आगणन श्री मनोज प्रभात अधिशासी अभियन्ता(वि/या) नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अनुमोदित था। क्रमांक 5 के कार्य के सापेक्ष तैयार आगणन का अनुमोदन अधिशासी अभियन्ता द्वारा न कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त के सम्बन्ध स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

3- आपूर्ति किये गये सामान की ओरिजनल होने की गारन्टी के प्रमाण हेतु निर्माता कम्पनी का चालान पत्रावली में सलग्न नहीं था जबकि निविदा की शर्तें क्रमांक 8 में स्पष्ट उल्लिखित था कि आपूर्ति किये गये सामान की ओरिजनल होने की गारन्टी के प्रमाण हेतु कम्पनी का चालान प्रस्तुत करना होगा अतएवं आपूर्ति गम सामानों हेतु कम्पनी का चालान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

4-निविदा की शर्तों क्रमांक नं० में उल्लिखित था कि एल०ई०डी० लाईट की गारन्टी/वारन्टी का प्रमाणपत्र फर्म/कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा लेकिन उपरोक्त कार्यों में प्रयुक्त एल०ई०डी० लाईट हेतु फर्मों द्वारा गारन्टी/वारन्टी का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था। जिससे एल०ई०डी० लाईटों के गारन्टी वारन्टी अवधि में खराब होने पर इनके मरम्मत पर होने वाले अनावश्यक व्ययभार से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह नगर निगम की उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक था। अतएवं फर्म/कम्पनी द्वारा गारन्टी/वारन्टी प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

5- निविदा की शर्तों में तय समय सीमान्तर्गत कार्य/आपूर्ति न कराये जाने पर विलम्ब अवधि हेतु दण्ड/ब्याज की वसूली किये जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था। उपर्युक्त शर्त का उल्लेख न होने से उपरोक्त पौंछों कार्य अतिविलम्ब से पूर्ण हो गए तथा निगम द्वारा कोई धनराशि दण्ड/ब्याज के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकी थी। जबकि नगर निगम की विद्युत विभाग अन्य पत्रावलियों में लगे अनुबन्ध पत्र की शर्त सं० 6 के अनुसार 25रु० प्रतिदिन प्रति लाईट की दर से विलम्ब शुल्क वसूल किये जाने का प्राविधान था इस प्रकार निम्न विवरणानुसार नगर निगम की आर्थिक क्षति हुयी थी।

क्र०	लगाई गई एल.ई.डी. की संख्या	कार्य आरम्भ के अनुसार		माप पश्तका के अनुसार		आर्थिक क्षति की तिथि
		कार्य आरम्भ तिथि	कार्य समा. तिथि	कार्य समा. तिथि	विभिन्न तिथि कुल दिवस	
1	60	16-2-19	8-3-19	6-8-19	182×60×25	273000
2	40	16-2-19	8-3-19	20-2-20	349×40×25	349000
3	80	16-2-19	8-3-19	1-11-19	239×80×25	478000
4	55	16-2-19	8-3-19	20-8-19	170×55×25	233750
5	60	16-2-19	8-3-19	1-11-19	239×60×25	358500
				योग		1692250

उपर्युक्त से स्पष्ट था कि उपरोक्त पौंछों कार्य 5 माह 12 दिवस से लेकर 11 माह 12दिवस की अवधि तक विलम्ब से पूर्ण किया गया था, जिससे उक्त कार्य से जनता उक्तावधि(विलम्बित अवधि) तक लाभान्वित नहीं हो सकी। अतएवं उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। एवं उपर्युक्त कार्यों हेतु विलम्ब शुल्क के रूप में न्यूनतम 16,92,250/- की क्षति की उत्तरदायी से वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

6-उपर्युक्त कराये गये पौंछों कार्यों में स्थापित गैल्वनाईज पोल स्टीट लाईट व सबस्टेशन, डबलपोल स्ट्रक्चर, एवं ट्रान्सफार्मर आदि सामानों को नगर निगम की भण्डार पंजी में प्रविष्टि किये जाने का उल्लेख नहीं था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक एवं भण्डार कय नियमावली के विपरीत था, जिससे उक्त कार्यों हेतु व्यय धनराशि क्रमशः रुपये 3708851,

2353122, 2406218, 2731760 एवं 1541657 कुल रुपये 1,27,41,608/- असत्यापित था। अतएवं उपरोक्त आपूर्तिगत/अधिष्ठापित सामानों की भण्डार पंजी में प्रवृद्धि कराकर उपरोक्त व्यय सत्यापित कराया जाना अपेक्षित है।

7- उपर्युक्त अधिष्ठापित पोलों हेतु पोल पंजी तैयार एवं सत्यापित कराकर सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त पोल कहीं-कहीं स्थापित किये गये हैं तथा पूर्व में कहीं-कहीं पोल लगाये गये थे। सत्यापित नहीं किया जा सका अतएवं गैल्वनाईज पोल पंजी तैयार एवं सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

8- उपर्युक्त कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/प्राविधिक परीक्षक, मण्डलीय टी0ए0सी0 द्वारा प्राप्त कर संलग्न नहीं की गयी थी। बिना गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये उक्त पोंचों कार्यों हेतु किया गया कुल भुगतान रुपये 1,27,41,608/- अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

9- उपर्युक्त पोंचों कार्यों का भौतिक सत्यापन सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा किये जाने का उल्लेख/भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं था यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

10- पत्रावली में माह इनवायस बिल के आधार पर भुगतान किया गया था जबकि कान्ट्रेक्टर बिल पत्रावली में संलग्न कर ही भुगतान की कार्यवाही की जानी चाहिए थी यह आपत्तिजनक था अतएवं कान्ट्रेक्टर बिल पत्रावली में संलग्न कर ही भुगतान की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

11- उपरोक्त पोंचों कार्यों में स्थापित कुल 255 नग गैल्वनाईज 9मीटर विद्युत पोल डबल आर्म की दर से भुगतान रुपये $(255 \times 21430) = 5464650/-$ किया गया था, जबकि समस्त पोलों पर कर्मांक 3 पर अंकित कार्य के 40 पोलों को छोड़ कर सिंगल एल0ई0डी0 स्टीट लाईट 72 वाट ही लगायी गयी थी इस प्रकार 215 $(255-40)$ सिंगल आर्मपोल ही लगाये जाने चाहिए था जिसकी दर 20891/- प्रति पोल थी। अतएवं सिंगल आर्मपोल की जगह डबल आर्म पोल की दर से भुगतान किये जाने के कारण उक्त कार्यों में प्रतिपोल रु0 540 $(21430-20890)$ की दर कुल 215 पोलों हेतु रुपये 116100/- का 5.4 प्रतिशत न्यून+18 प्रतिशत जी.एस.टी सहित रु0 129600/- का अविष्कृत भुगतान किया गया था उक्त की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

12- कर्मांक 2 पर अंकित कार्य में सबस्टेशन एवं 63 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु जी0एस0टी सहित कुल रुपये 184223/- (आन्स्टैक्ट ऑफ कास्ट के अनुसार) का भुगतान किया गया था उक्त कार्य कराये जाने हेतु एन0ओ0सी0 विद्युत विभाग से प्राप्त किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य पत्रावली में नहीं था, जबकि उक्त कार्य कराये जाने का दायित्व विद्युत विभाग का था अतएवं ट्रांसफार्मर एवं सबस्टेशन की स्थापना पर किया गया व्यय नगर निगम पर अनावश्यक व्यय भार था।

13- कर्मांक-4 पर अंकित कार्य के आगमन में सब स्टेशन एवं ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जाने का उल्लेख था जबकि माप-पुस्तिका में सब स्टेशन हेतु मात्र दो मर्दों सफाई एण्ड बरिन्ग ऑफ कौपर प्लेल एवं एस/एफ ऑफ वरिन्ग ऑफ जी०आई प्लेट हेतु कार्य के लिए रु० 27416/- का कार्य प्रदर्शित था जब ट्रान्सफार्मर एवं सबस्टेशन की स्थापना नहीं की गयी थी तो उक्त दो मर्दों हेतु कार्य किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं था। अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

अतएव उपरोक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कराये जाने एवं उक्त अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है एवं कर्मांक-11 पर अधिक भुगतान रु० 129600 एवं कर्मांक-12 पर अंकित अनावश्यक व्ययभार रु० 184223/- कुल रुपये 313823/- अग्राह्य एवं अनियमित व्यय था।

70- प्रकाश विभाग द्वारा विभिन्न जनों में कराये गये एल०ई०डी० ड्राइवरों की आपूर्ति में पाई गई अनियमिततायें एवं रूपया 11,168 जी०एस०टी० एवं रूपया 12622 आयकर कुल रूपया 23790/-

न वसूले जाने के कारण राजस्व क्षति:- प्रकाश विभाग की पत्रावलिओं की जाँच के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम की विभिन्न जनों में किए गए लाइट प्रा०लि० के द्वारा एल०ई०डी० लाइटों में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवरों की आपूर्ति की गई थी। उक्त आपूर्ति के बिलों में मै० किए गए लाइट प्रा०लि० द्वारा जी०एस०टी० की धनराशि को जोड़कर बिल बनाया गया था। नगर निगम द्वारा उक्त बिलों के भुगतान के समय आयकर 2266/- प्रतिशत एवं जी०एस०टी० 2 प्रतिशत की धनराशि बिलों से घटाकर भुगतान नहीं किया गया था, जिससे फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का पूरा भुगतान कर दिया गया था, जो अनियमित था।

इस प्रकार किये गये भुगतान से रु० 11,168 जी०एस०टी० एवं रूपया 12,622 आयकर कुल रूपया-23790/- न काटे जाने के कारण राजस्व की क्षति हुई थी। उक्त फर्म से आयकर एवं जी०एस०टी० की वसूली करके इसे सम्बन्धित विभाग में जमा कराकर घालाना प्रस्तुत करके सम्परीक्षा में सत्यापन कराया जाए उक्त से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है-

क्र०	कार्य का नाम	व्यय प्रमाणक सं० / दिनांक	धनराशि	जी.एस.टी 2प्रतिशत	आयकर 2.266 प्रतिशत
1	मोहन नगर जोन में एल.ई.डी. लाइट की मरम्मत हेतु 80वाटके इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर की आपूर्ति	205 / 10-12-19	91911	1838	2077
2	वसुन्धरा जोन ल.ई.डी. लाइट की मरम्मत हेतु 85 वाट के इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर की	207 / 10-12-19	93325	1868	2109

	आपूर्ति				
3	विजयनगर जोन में ल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 65 वाट के इलेक्ट्रॉनिक आईवर की आपूर्ति	204/10-12-19	93325	1866	2109
4	कपिनगर जोन में ल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 65 वाट के इलेक्ट्रॉनिक आईवर की आपूर्ति	200/10-12-19	93325	1866	2109
5	सिटी जोन में ल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 65 वाट के इलेक्ट्रॉनिक आईवर की आपूर्ति	202/10-12-19	93325	1866	2109
6	मोहन नगर जोन में ल.ई.डी. लाईट की मरम्मत हेतु 65 वाट के इलेक्ट्रॉनिक आईवर की आपूर्ति	199/10-12-19	93325	1866	2109
			योग	11168	12622

71- प्रकाश विभाग द्वारा कराये गये कार्य आनन्द औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पॉथ पोल पर 20 नग एल0ई0डी0 लाईट लगाने के कार्य में पायी गयी अनियमिततायें:-

प्रकाश विभाग से सम्बन्धित पत्रावलिओं की जाँच से प्रकाश में आया कि आनन्द औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 5 पोल पर 20 नग(प्रत्येक पोल पर 4 लाईट) लगाने का कार्य का एस्टीमेट अवर अभियन्ता द्वारा रु0 413116 का तैयार किया गया था। पत्रावली में उक्त से सम्बन्धित निविदा प्रकाशन का समाचार पत्र एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदि संलग्न नहीं थी एवं उक्त कार्य हेतु आमंत्रित की गयी निविदा/टेण्डर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया था। तथा प्राप्त टेण्डरों का तुलनात्मक विवरण भी बनाकर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया था जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य हेतु कुल कितने टेण्डर प्राप्त हुए थे। एवं न्यूनतम टेण्डर किस फर्म का प्राप्त हुआ था पत्रावली का इस तर अनुसंधान किया जाना अत्यधिक आपत्तिजनक एवं निगम के विधिक एवं वित्तीय हितों के नितान्त प्रतिकूल था साथ ही पत्रावली अनुसंधान हेतु निगम की लापरवाही का भी द्योतक था। उक्त कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता वि/या0 द्वारा मै0 आर0के0इन्टरप्राइजेज का पत्रांक संख्या-344 दिनांक 20-12-19 द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया था जो उक्त फर्म को दिनांक 2-8-19 को आमंत्रित निविदा ने न्यूनतम निविदा(-3.50प्रतिशत) रुपया 398657=00 पर नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 12-9-19 को स्वीकृत की गयी थी जिसकी प्रारम्भ तिथि 17-9-19 एवं कार्य समाप्ति तिथि 27-9-19 थी। उक्त के सम्बंध में की गई माप पुस्तिका सं0-5703 पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिस

कारण यह ज्ञात न हो सका कि प्रत्येक पोल पर विजिती लाई लगाई गई थी एवं स्टॉक बुक के अभाव में यह भी ज्ञात न हो सका कि उक्त कय की गई सामग्री स्टॉक बुक में प्रविष्टि की गई थी या नहीं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पॉल पोलो पर पूर्व में लगी हुई लाइट एवं अन्य सामग्री स्टॉक बुक में बढ़ायी गयी थी या नहीं।

पत्रावली में संलग्न लेखा विभाग के भुगतान आदेश पर अंकित व्यय प्रमाणक संख्या-913 दिनांक 8-2-20 एवं बैंक संख्या-907590 गार्ड फाइल में संलग्न नहीं था एवं ना ही शेकडबही में उक्त भुगतान की प्रविष्टि दिनांक 8-2-20 को की गई थी। उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा स्थिति में उक्त भुगतान संदिग्ध था तथा ₹0370400 (शुद्ध भुगतान) के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

सम्पत्ति विभाग:-

72- नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत शासनादेशानुसार लाईसेन्स न बनाये जाने के कारण आर्थिक क्षति रूपया 1,06,45,800 /-

नगर निगम अधिनियम की धारा-452 के अधीन एवं समय-समय पर बनाई गई विधियों के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद के अन्तर्गत व्यावसायिक गतिविधियों हेतु लाइसेन्स शुल्क लगाने एवं एकत्र करने हेतु प्रावधान किये गये थे। उ0प्र0 शासन के वाणिज्य लाइसेन्स के सम्बंध में जारी शासनादेश संख्या-181 सी. एम/नौ-9-9-97-23ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर, 1997, नगर निगम विकास अनुभाग-9, लखनऊ द्वारा लाइसेन्स शुल्क की दरें निर्धारित की गई थी।

नगर निगम की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर आयुक्त द्वारा लाइसेन्स बनाने का कार्य सम्बंधित जोन कार्यालयों को दिया गया था कि कर निरीक्षक निर्धारित लाइसेन्स शुल्क प्राप्त कर लाइसेन्स प्रदान करने एवं पुराने लाइसेन्सों का नवीनीकरण का कार्य करने के उपरान्त निर्धारित 39 मर्दों पर लिये गये लाइसेन्स शुल्क नवीनीकरण शुल्क तथा विलम्ब शुल्क प्राप्त करके सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा कराये तथा उसकी सूचना मुख्यालय प्रेषित करेंगे। सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि सम्बंधित जोन कार्यालयों द्वारा या तो लाइसेन्स बनाये ही नहीं गये थे अथवा नाम मात्र के बनाये गये थे जिस कारण नगर निगम को निम्नविवरणानुसार भारी आर्थिक क्षति हुई थी। सभी निर्धारित 39 मर्दों के लाइसेन्स न बनाया जाना एक गम्भीर प्रकरण है तथा नगर निगम के वित्तीय हितों के नितान्त प्रतिकूल है। शासन द्वारा समय-समय पर स्थानीय निकायों से अपनी स्वयं के स्रोतों से आय बढ़ाये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु आय बढ़ाये जाने की दिशा में नगर निगम द्वारा कोई प्रयास परिलक्षित नहीं होता।

वर्ष 2019-20 में नगर निगम की विभिन्न जोनों में बनाये गये लाइसेन्सों की सूचना से स्पष्ट था कि निगम द्वारा कुछ मर्दों के लाइसेन्स बनाये ही नहीं गये थे एवं कुछ मर्दों के लाइसेन्स बनाये ही नहीं गये थे एवं कुछ मर्दों हेतु उपलब्ध संस्था से बहुत कम लाइसेन्स बनाये गये थे। यह स्थिति असन्तोषजनक थी सभी 39 मर्दों हेतु उपलब्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स बनाकर निगम की आय में वृद्धि किया जाना अपेक्षित

था। नगर निगम की सीमा में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या जो वर्ष 2017-18 में थी, में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाए एवं नगर निगम द्वारा दिये गये नोटिसों के आधार पर उपलब्ध संस्थानों/प्रतिष्ठानों का आगणन किया जाए तो निम्नवत् आर्थिक क्षति हुई थी—

क्र०	मद का नाम	उपलब्ध व्यावसायिक संस्थानों की संख्या	बनाये गये लाइसेन्सों की संख्या	न बनाये गये लाइसेन्सों की सं०	शासनादेश के अनुसार लाइसेंस फीस की वार्षिक दर	आर्थिक क्षति
1	बीयर शॉप	118	14	105	6000	630000
2	देशी शराब	144	32	112	6000	672000
3	विदेशी/अंग्रेजी शराब	86	22	64	12000	772800
4	प्राइवेट अस्पताल 20बैड तक	182	32	150	5000	750000
5	प्राइवेट अस्पताल 20से50 तक	107	—	107	5000	535000
6	प्राइवेट अस्पताल 50 से उपर	43	—	43	5000	215000
7	नर्सिंग होम 20बैड तक	91	8	83	2000	166000
8	नर्सिंग होम 20बैड से उपर	14	3	11	5000	55000
9	प्रसूतिग्रह 20बैड तक	119	—	119	4000	476000
10	प्रसूतिग्रह 20बैड से उपर	88	1	87	5000	435000
11	प्राइवेट क्लीनिक	1291	—	1291	3000	3873000
12	डेंटल क्लीनि	112	—	112	4000	448000
13	पैथोलॉजी सेंटर	226	8	218	1000	218000
14	एक्सरे क्लीनिक	299	9	290	2000	580000
15	अल्ट्रासाउण्ड	337	—	337	2000	674000
16	सी.टी.स्कैन/एम.आर.आई	43	—	43	2000	86000
17	युनानी/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक	22	2	20	3000	60000
						10645800

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य मदों यथा—ऑटोरिक्षा, मिनी बस, बस रिक्षा ठेला, ठेली, हाथ ठेला, डॉली फाइनेन्स के चिटफण्ड के इन्वोयेन्स कम्पनी आईस फैक्टरी, बिल्डर्स, गॉस की दुकानें आदि भारी मात्रा में नगर

निगम की सीमा में उपलब्ध थीं किन्तु निगम की सीमा में उपलब्ध थी, किन्तु निगम द्वारा न तो कमी इनकी गणना की गई और न ही लाइसेन्स बनाये जाने हेतु कोई साधक प्रयास परिलक्षित हुये। यहाँ तक कि नगर निगम द्वारा जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिये गये थे उनके भी लाइसेन्स नहीं बनाये गये थे।

उक्त स्थिति असन्तोषजनक एवं उदासीनता की द्योतक थी। अतः नगर निगम द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कराकर शासनादेश में उल्लिखित मदों के लाइसेन्स बनाये जाने की प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु प्रयास वांछित थे।

नगर निगम के सभी जोना द्वारा शासनादेश के अनुपालन में सभी व्यावसायिक संस्थानों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित न कराये जाने के कारण निगम को नितान्त प्रतिकूल था। उक्त क्षति की गणना मात्र उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आगणित की गई है यदि निगम द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए तो निगम की लाइसेन्स मद की आय में कई गुना वृद्धि हो सकती है निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि निगम क्षेत्र में उक्त शासनादेश में वर्णित 39 मदों का सर्वे कराकर इन पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित किया जाए।

73- मकान किराये की कम कटौती किये जाने से निगम को आर्थिक क्षति रूपये 67,16,724/- - सम्परीक्षा माहों के वेतन देयकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को निगम द्वारा आवास आवंटित किया गया था। उन्हें मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था। वेतन देयकों की जाँच के समय देखा गया कि अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों से मकान किराये के रूप में बहुत कम/ कुछ भी धनराशि वसूल नहीं की जा रही थी। मकान का मानक किराया निर्धारित कराकर मानक किराया वसूल किया जाए। जब तक मकान किराये हेतु मानक किराये का निर्धारण न कर दिया जाए तब तक मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन सहित के 10 प्रतिशत की धनराशि मानक किराये के रूप में कटौती करके निगम निधि में जमा कराया जाए। निगम द्वारा न तो मानक किराया निर्धारित कराया गया था और न ही 10 प्रतिशत वेतन की कटौती की जा रही थी वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2(भाग-2-4) के मूल नियम 45 में(3) के अनुसार मानक किराया अथवा मूल वेतन का 10 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो की कटौती की जानी चाहिए थी जो नहीं की जा रही थी यह वित्तीय नियमों के विपरीत था। निशुल्क/कम धनराशि वसूल किये जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निगम के पास कितने आवास हैं। आवासों को किन्हें आवंटित किया गया है। आवंटन पत्रावली सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी जाए। निगम के कितने आवास कब्जे में हैं। उनसे किराया वसूल किये जाने की क्या स्थिति है।

सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाए। निगम को आवासों में रह रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से बिजली एवं पानी पर किये जा रहे व्यय के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। कि उक्त भुगतान आवंटि द्वारा किया जा रहा है। अथवा निगम द्वारा किया जा रहा है वेतन देयकों के अनुसार आवंटित मकानों से मकान किराया नियमानुसार

वसूल नहीं किये जाने निगम को एक माह में रुपये 559727/- एवं निम्न विवरणानुसार एक वर्ष में रुपये $559727 \times 12 = 6716724$ की आर्थिक क्षति हो रही थी।

वर्ष 2019-20 में कुल आर्थिक क्षति रुपये 6716724/- हुयी थी। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करके नियमानुसार मकान किराया वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कतिपय कर्मियों द्वारा निर्धारित किराया जो जमा कराया गया था। उसे संलग्न विवरण में अंकित किया गया है।

उक्त सूची को उदाहरणस्वरूप माह फरवरी, 20 के वेतन से तैयार किया गया है। यदि उक्त के अतिरिक्त भी जो अधिकारी/कर्मचारी निगम आवासों में आवासित है या ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्थानान्तरित हो चुके हैं और अभी भी निगम आवासों में आवासित है की विस्तृत जाँच कर सभी की मकान किराये की कम कटौती की धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। उक्त से सम्बन्धित विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट-ब पर दिया गया है।

74- गाजियाबाद की विभिन्न सड़कों की स्ट्रीट लाईट डिवाइडर एवं रेलिंग के निर्माण अन्तरण, संचालन (बीओओटी) के आधार पर विज्ञापन के कार्य के साथ अन्य कार्यों हेतु दिये गये ठेकों पर वर्ष 2019-20 तक नारी बकाया राशि रूपया 2,35,13,068/- की वसूली होने के कारण आर्थिक क्षति:-

निगम द्वारा शहर की विभिन्न सड़कों पर डिवाइडर, फुटपाथ तथा विद्युत पोलों के अनुरक्षण, सेन्दल वर्ज का रखरखाव, प्रकाश बिन्दुओं का रखरखाव विद्युत पोलों की सफाई, रंगाई पुताई का कार्य, विद्युत पोलों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना, जलाने बुझाने हेतु औटोमैटिक सिचों की व्यवस्था करना, सेन्दल वर्ज पर लगे ग्रीन वैल्ट को हरामरा रखना तथा वर्ष में दो बार पेंटिंग का कार्य एवं विद्युत पोलों पर (30×40 इंच) के साईज के विज्ञापन बोर्ड लगाना एवं उसका शुल्क निगम कोष में जमा कराने हेतु विभिन्न एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से अनुबंध किये गये थे। विभिन्न एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से अनुबंध किये गये थे। विभिन्न ठेकेदारों पर भारी मात्रा में नगर निगम की धनराशि बकाया थी जिस कारण निगम को क्षति पहुच रही थी। उक्त बकाया को वसूलने हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित थी। बकाया का विवरण संलग्न परिशिष्ट " " में दिया गया है। नगर निगम को बकाया न वसूलने से रु० 2,35,13,068/- की आर्थिक क्षति हुई थी। उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट 'ब' में दिया गया है।

75- निगम द्वारा करों के संग्रहण हेतु प्रयुक्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की अक्षमता के कारण करों की वसूली में व्यपहरण की सम्भावना एवं उपसम्परीक्षा माहों में भवन कर जलकर एवं सीवर कर से सम्बन्धित कम्प्यूटर द्वारा जारी रसीदें/सूची अग्रस्तुत रहने के कारण निगम में व्यपहरण/दुरुपयोग की सम्भावना:-

सम्परीक्षा में निगम के जोनल कार्यालयों में उपसम्परीक्षा माहों से सम्बन्धित एम०ए०सी-2 रसीदों की जाँच करने पर प्रकाश में आया कि जोनल कार्यालयों द्वारा भवन कर जलकर एवं सीवर कर हेतु दो प्रकार से रसीदें जारी की जाती थी-(1) हस्तलिखित

एवं (2) कम्प्यूटराइज्ड दोनो प्रकार की रसीदों के लिए जॉनल कार्यालय द्वारा जो चालान जारी किये जाते हैं। उनमें जारी की गई रसीदों की कुल संख्या एवं उनसे सम्बन्धित राशि दिखायी जाती थी। सम्परीक्षा में कम्प्यूटर द्वारा जारी रसीदों का विवरण मांगे जाने पर न तो कम्प्यूटराइज्ड रसीदों की हार्डकापी और न ही विवरण प्रस्तुत किया गया। सम्परीक्षा में पूछे जाने पर बताया गया कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है एवं वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कोई भी सूचना एवं विवरण साफ्टवेयर से निकाला जाना सम्भव नहीं है। न तो रसीदों की हार्डकापी और न ही तिथिवार कम्प्यूटर द्वारा काटी गयी रसीदों की सूची करों के ऑनलाईन भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा ए.टी.एम से किये गये भुगतान से सम्बन्धित कोई भी सूचना साफ्टवेयर से दिया जाना संभव नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कम्प्यूटर साफ्टवेयर में मैनुअल काटी गई रसीदों की भी पोस्टिंग कर दी गई थी, जिस कारण कम्प्यूटर जारी रसीदों का तिथिवार जमा का सत्यापन सम्परीक्षा में नहीं हो सका। सम्परीक्षा में अवगत कराया गया कि कम्प्यूटर में पिछली दिनाकों में काटी गई रसीदों की पोस्टिंग करने पर कम्प्यूटर पोस्टिंग करने वाली दिनांक की ही रसीद की जमा की दिनांक बताता है, जिस कारण चालान में दिखाई गई मैनुअल एवं कम्प्यूटर द्वारा जारी रसीदों की धनराशि का मिलान किया जाना सम्भव नहीं है। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त स्थितियों नगर निगम के वित्तीय हितों के प्रतिकूल थी एवं इनसे कर्मचारियों द्वारा व्यपहरण की सम्भावनाओं को बल मिलता था। इस ओर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि इसकी विस्तृत जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही करके सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए एवं इस अक्षम कम्प्यूटर साफ्टवेयर को बदला जाना नगर निगम के हित में था।

76-विजयनगर जोन विज्ञापन पद/होर्डिंग्स स्थापित करने के ठेके की पत्रावली में पाई गई अनियमितताएँ एवं आर्थिक क्षति रूपया-28,32,598/-

विजयनगर जोन में दो 99 स्थलों पर दो वर्ष की अवधि के लिए विज्ञापन कार्य हेतु दिनांक 5-3-2018 को आमंत्रित की गई निविदाओं में मै0 वी0पी0ए0 एन्टरप्राइजेज शाहजहाँपुर की निविदा रु0 3,05,03,000/- प्राप्त हुई जो अन्य की तुलना में अधिकतम थी एवं नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 5-6-2018 द्वारा स्वीकृत की गई। मै0 वी0पी0ए0 इन्टरप्राइजेज द्वारा रु0 14271560/- विज्ञापन शुल्क प्रीमियम की धनराशि एक वर्ष हेतु निगम कोष में जमा कराई गई जबकि निविदा की शर्त सं0-25 के अनुसार अधिकतम प्रीमियम की समस्त धनराशि एक वर्ष के विज्ञापन कर की समस्त धनराशि सहित ठेका स्वीकृति की सूचना के उपरान्त निगम कोष में जमा करानी थी। यह निविदा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था।

मै0 वी0पी0ए0 एन्टरप्राइजेज द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति एवं बिना प्रीमियम धनराशि जमा कराये तथा अनुबंध निष्पादित कराये बिना ही पत्रावली नोटिंग साइड के पृ0सं0-16 के अनुसार विज्ञापन का प्रचार प्रसार किया जा रहा था किन्तु इस हेतु निगम द्वारा कोई पैनलटी ठेकेदार से वसूल नहीं की गयी यह अनियमित था।

उक्त निविदा 99 स्थलों पर होर्डिंग्स लगाने हेतु थी किन्तु दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य चलने के कारण मात्र 55 स्थल उपलब्ध थे। अतः ऐसी दशा में निगम द्वारा 55 स्थलों के क्षेत्र 1811 वर्गमीटर हेतु अनुपातिक दर 4275 रु प्रतिवर्ग मी० की दर से $1811 \times 4275 = 7742025$ प्रीमियम धनराशि तथा $1811 \times 2000 = 3622000$ निशुल्क तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० 2045525/- कुल रु० 13409550/- की धनराशि एक वर्ष हेतु लिए जाने के सम्बन्ध में महापौर द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी अनुबंध पत्र की शर्त सं०-1 अनुसार 1 जुलाई, 2019 से ठेकेदार को कार्यप्रारम्भ करने हेतु 30 दिन का अनुग्रह अवधि प्रदान की जायेगी उक्त ठेकेदार को दिया गया क्षेत्रफल अनुबंध पत्र के अनुसार 1811.70 वर्ग मी० था जबकि मात्र 1811 वर्गमी० का शुल्क लिया गया था जिस कारण $70 \times 6275 =$ रूपया 4393 की निगम को क्षति हुई थी।

अनुबंध पत्र के अनुसार ठेकेदार को 1-7-19 से 31-7-19 तक की एक माह हेतु अनुग्रह अवधि प्रदान कर दी गयी थी किन्तु ठेकेदार के प्रार्थनापत्र की जुलाई में कार्य नहीं हो पाया अतः 1-8-19 से 31-8-19 तक की अनुग्रह अवधि प्रदान की जाए के आधार पर निगम द्वारा प्रदान की गई थी इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कोइ जाँच भी नहीं की गई थी और अनुग्रह अवधि प्रदान कर दी गयी थी जिस कारण नगर निगम को $13409550 - 12 = 1117463$ की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। यह आपत्तिजनक था।

पत्रावली के पृ० सं०-30 पर अंकित टिप्पणी के अनुसार निगम द्वारा शुल्क जमा धनराशि रु० 14271560/- में से 1811 वर्गमी० की प्रीमियम एवं विज्ञापन शुल्क की धनराशि रु० 113661025/- को घटाकर शेष रु० 2907535 में से ठेकेदार के आपेदन के अनुसार 410 वर्गमी० क्षेत्रफल में 18 नग यूनीपोल लगवाकर रु० 2572750/- समायोजित की लिये गये थे। जबकि वास्तव में रु० 11364025/- की धनराशि के स्थान पर यह राशि 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित 13409550 थी। इस प्रकार ही गणनानुसार ठेकेदार की शेष राशि $14271560 - 13409590 = 862010$ /- ही थी। इस प्रकार निगम को मात्र रु० 862010/- ही समायोजित करने चाहिए थे उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा स्थिति में रु० 1710740/- की निगम की क्षति हुई थी जिसकी उत्तरदायी से यस्ली की जाए।

निगम द्वारा दो वर्ष ठेका 99 पोल्ट्स का लिया गया था। वर्तमान में 55 होर्डिंग्स सक्रिय थे, जिस कारण निगम द्वारा 30.50 लाख की धरोहर राशि लौटाकर 7.50 लाख की धरोहर राशि की एफ.डी. ली गई थी, जबकि इनके ठेके की अवधि 31-8-21 को समाप्त होनी थी फिर उक्त का क्या औचित्य था, स्पष्ट किया जाए अन्यथा स्थिति में यह निगम के आर्थिक हितों के विपरीत था।

77- चल-अचल सम्पत्ति का स्टॉक लेखा:-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं अध्यायन संख्या-04 दिनांक 14-6-21 एवं सं० 09 दिनांक 5-7-21 द्वारा मांग किये जाने के बावजूद संस्था द्वारा चल-अचल सम्पत्तियों का स्टॉक लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण सभी खण्डों

की निगम सीमान्तर्गत शहर एवं ग्रामों में स्थित सम्पत्तियों की समीक्षा के उपरान्त आवश्यक टिप्पणियाँ किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतएव निगम की सम्पत्ति इनके उपभाग अतिक्रमण आदि की जाँच एवं स्थापन नहीं किया जा सका।

उपरोक्त के अतिरिक्त निगम की भूमि, भवन, भूखण्ड, तालाब, सड़क, पार्क, नाले इत्यादि अचल सम्पत्ति एवं यंत्र सयंत्र फर्नीचर उपकरण आदि स्थायी सम्पत्तियों की भण्डार पंजी तथा शा0सं0 1027/नौ-6-2002-65/निस0/2000 नगर विकास अनुभाग-6 लखनउ दिनांक 4-5-2000 के अनुपालन में न्यूनतम वार्षिक अन्तराल पर कराये गये भौतिक स्थापन की आख्या सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गत एवं विगत वर्षों में की गयी प्रतिकूल टिप्पणी के बावजूद निगम द्वारा उक्त वांछित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। इस सम्बन्ध में प्रभावी। आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम गाजियाबाद के उच्चाधिकारियों का ध्यान सम्परीक्षा में विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

78- सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अनाधिकृत कब्जा/निर्माण न होने विषयक प्रमाण पत्र वांछित-

नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सम्पत्तियों की स्थिति पूर्ण रूप से अधिनियमान्तर्गत स्पष्ट नहीं थी नगर क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जे- अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाये जाने सम्बन्धी राजाज्ञा संख्या-4030/नौ-1-92 न0वि0 अनुभाग-2 दिनांक 27-4-1992, शा0सं0 7539/वि0सं0 नि0वि0/13 दिनांक 20-5-13 तथा शा0सं0 3079/नौ-12-16(ज)/2012 दिनांक 14-12-2012 के परिप्रेक्ष्य में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त शा0सं0 646/नौ-9-2012-102(ज)2013 दिनांक-3-4-2013 व तद्विषयक निदेशक स्थानीय निकाय, लखनउ के पत्र संख्या-03/1456 सा/154सा/13 दिनांक 25-4-13 (सम्पत्तियों के संरक्षण एवं अनाधिकृत कब्जा विषयक) के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जाने की स्थिति से सम्परीक्षा में अवगत नहीं कराया गया। जिससे सम्पत्तियों की क्षति एवं दुर्विनियोग आदि से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा नहीं की जा सकी।

79- नगर निगम के कर्मचारी आवासों में विद्युत संयोजन की स्थिति अज्ञात एवं आवास पंजी अप्रस्तुत-

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं अध्याचन संख्या 04 दिनांक 14-6-21 एवं सं0 18 दिनांक 20-7-21 निर्गत किये जाने के बावजूद संस्था द्वारा नगर निगम कर्मचारी आवासों की विद्युत संयोजनों की स्थिति/ विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसमें यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सम्बन्धित आवासों में विद्युत संयोजन नगर निगम के नाम से था या आवासित कर्मचारी के नाम से एवं आवास विद्युत बिल का भुगतान नगर निगम द्वारा किया जा रहा था या सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा की स्थिति अस्पष्ट रही अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। आवास आबंटन पत्रावली बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई

जिसके अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि नगर निगम के पास कितने आवास हैं एवं कितने आवासों का आवंटन किन किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम किया गया है एवं किन शर्तों पर किया गया है। नकान किराया विजली पानी सीवर आदि से निगम को कितनी आय प्राप्त हुई है तथा आवासों के अनुसूचन पर कितना व्यय किया गया है अतः आवास पंजी प्रस्तुत की जाए।

80- जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध-

उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय आदेश संख्या-120 सी0एम0(1)/9-7-2001-29ज/2001/न0वि0अनुभाग07 दिनांक 22-11-2001 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1988 के राजपत्र में दिनांक 22 जुलाई, 1988 से प्रवृत्त होने एवं उक्त प्राविधानों के तहत जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये थे इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में बायोमैडिकल वेस्ट के निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या-5911/नौ-5-2009-324सा/09 न0वि0अनु0 दिनांक 13-8-09 एवं उक्त के क्रम में निर्गत शा0सं0 2163/नौ-5-2011-324सा/09 न0वि0अनुभाग-5 दिनांक 20 अप्रैल, 2011 द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से बायोमैडिकल वेस्ट के निस्तारण तथा अनुसूचन हेतु निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2010 के अध्याय-7 में भी बायोमैडिकल वेस्ट (जो बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडलिंग रूल्स, 1988 पर आधारित है।) में सम्बन्धित योजना एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में विस्तृत प्राविधान दिये गये हैं।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की स्थिति से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए।

81- पार्किंग शुल्क से सम्बन्धित ठेकों की पत्रावलियों अप्रस्तुत:-

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक मॉग किये जाने एवं लिखित अध्यायन सं0 04 दिनांक 14-8-21 तथा अध्यायन सं0-9 दिनांक 5-7-21 एवं अध्यायन सं0-18 दिनांक 20-7-21 दिये जाने के उपरान्त भी सम्पत्ति अनुभाग द्वारा पार्किंग शुल्क के ठेके से सम्बन्धित पत्रावलियों सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी एवं न ही इससे सम्बन्धित पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी एवं न ही इससे सम्बन्धित पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी जिस कारण यह ज्ञात न हो सका कि वर्ष 2019-20 में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पार्किंग स्थलों की नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी अथवा नहीं एवं कितने पार्किंग स्थलों हेतु निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गयी थी।

पार्किंग स्थलों की निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु सरकारी बोली का निर्धारण किस प्रकार किया गया था। बोली के फलस्वरूप कितनी निविदाएं स्वीकृत की गयी थी एवं जिन पार्किंग स्थलों हेतु कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं की गयी थी उन स्थलों पर पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी गयी थी।

सम्बन्धित लिपिक श्री राजकुमार द्वारा जानकारी चाही जाने पर बताया गया कि पार्किंग शुल्क से वर्ष 2019-20 में न तो कोई आय प्राप्त हुई थी और न ही कोई ठेका पत्रावली उपलब्ध थी जबकि निगम के बजट से स्पष्ट था कि पार्किंग मद में वर्ष 2019-20 में 11724823/- आय प्राप्त हुई थी। फिर यह कैसे संभव था।

सम्परीक्षा में पत्रावली एवं पंजी प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त स्थिति संतोषजनक नहीं थी एवं लेखा परीक्षा के प्रति लापरवाही का द्योतक थी इस सम्बन्ध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

सामान्य प्रशासन:

82- नगर निगम सीमान्तर्गत विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर एवं सब स्टेशनों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके वसूल न किया जाना नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत :-

निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-8/931-140-उ०प्र०पावर कारपोरेशन/ 2017-18 दिनांक 17-7-2017 द्वारा ट्रांसफार्मर्स और सब स्टेशनों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके विद्युत विभाग से वसूल किये जाने हेतु शा०सं०-406/नौ-9-1997-95/जनरल/98 दिनांक-10-2-1997 के प्रस्तर-6 में निम्नलिखित व्यवस्था अंकित है का उल्लेख करते हुए निदेशित किया गया था। शासन के अनुसार विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर्स और सब स्टेशनों का किराया स्थानीय निकायों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है यद्यपि इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विभाग किसी भी स्थान पर विद्युत खम्भा निशुल्क लगाने का अधिकारी रखता है, किन्तु ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों के लिए उनको ऐसी छूट अनुमत्य नहीं है। अतः आवश्यक है कि स्थानीय निकाय अपनी सीमा में लगे समस्त विद्युत ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके विद्युत विभाग से वसूल करे।

निदेशक के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, सम्परीक्षा में अस्पष्ट रहा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किया जाना निगम के आर्थिक हितों के विपरीत था।

83- आन्तरिक नियंत्रण का अभाव-

किसी विभाग/कार्यालय के क्रियाकलापों पर प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण होने के लिए आवश्यक था कि आदेशों, नियमों, विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं निमानुसार आवश्यक रिपोर्ट/रिटर्न सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाए, जिससे अनियमितता आदि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके नगर निगम, गाजियाबाद की आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित स्तर पर आन्तरिक लेखा परीक्षा का अभाव था-

(1) प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई को अपनी आगामी वर्ष हेतु कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए थी लेकिन नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त प्राविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

(2) उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई/संगठन को अपने क्षेत्राधिकार की सदकों के लिए एक सड़क रजिस्टर का रख-रखाव करना चाहिए था नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।

(3) कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी एश्योरेन्स रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(4) नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(5) विद्युत विभाग में प्राविधान है कि ऐसी डेली डायरी विद्युत रजिस्टर का रख-रखाव किया जाए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(6) कचरा की गयी सामग्रियों की प्राप्ति से पूर्व उनकी गुणवत्ता का सत्यापन किया जाना अपेक्षित था लेकिन नगर निगम द्वारा उक्त व्यवस्था का पालन नहीं किया गया था।

(7) वित्तीय प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई का जर्नल खाते का रख-रखाव करना चाहिए था नगर निगम द्वारा उक्त अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

(8) निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में हो रहे विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए हिन्डरेन्स रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना चाहिए था। निर्माण विभाग द्वारा उक्त रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(9) वित्तीय प्राविधानों के अनुसार भुगतान बिल की सकल राशि अथवा निर्बल राशि से यदि कम भुगतान करना है तो जितनी कम राशि का भुगतान किया जाना है उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से भुगतान बिल्स वाउचर्स में किया जाना चाहिए था नगर निगम द्वारा इसका पालन नहीं किया गया था। उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

84- नजूल एवं नौकाघाट:-

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं अध्याचन संख्या 18 दिनांक 20-7-21 द्वारा मॉग किये जाने के उपरान्त भी नजूल एवं नौकाघाट से सम्बन्धित अभिलेख सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं के क्रम में स्थिति स्पष्ट करायी जाए-

1-निगम के अधीन कोई नौकाघाट नहीं था, इसकी पुष्टि करायी जाए।

2- नगर निगम गाजियाबाद के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन नजूल सम्पत्तियों के विवरण एवं सम्बन्धित अभिलेख दिखाया जाना जाना वांछित है। आलोच्य अवधि के प्रश्नगत सम्पत्ति की स्थिति शुन्य हो तो जिलाधिकारी गाजियाबाद से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

3- नजूल भूमि की अस्पष्ट स्थिति के कारण शासनादेश संख्या 1566/8-4-11एन/2004 दिनांक 28-8-11 आवासीय एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 के द्वारा नजूल भूमि के प्रबंधन और इसके निस्तारण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण की गयी थी, की समीक्षा किया जाना सम्भव न हो सका।

4- शा0सं0 212/नौ-8-13-4ज/13 दिनांक 30-1-13 के क्रम में नगर निगम की अधिसूचित सीमा में निकायों के उपभोग/कब्जे में नजूल भूमि से सम्बन्धित यदि कोई सूचना शासन को प्रेषित की गयी हो तो इसे सम्परीक्षा में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

85- नगर निगम की सम्पत्तियों का वार्षिक सत्यापन न होना:-

शासनादेश संख्या-1027/नौ-6-2002-65 मिस/2000 दिनांक 4 मई,2002 द्वारा निर्देशित किया गया था। कि स्थानीय निकायों द्वारा समय-समय पर उनके द्वारा कय किये गये बापडों का नवीनीकरण/आहरण परिपक्वता अवधि के उपरान्त न किये जाने के कारण यह कालातीत हो जाते है और उस पर ब्याज की हागि होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आडिट के समय इस पर गम्भीर आपत्ति व्यक्त की है।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया गया था कि निकायों के कार्यालयों की चल-अचल सम्पत्तियाँ वार्षिक सत्यापन मुख्य नगर अधिकारी द्वारा किया जाय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस आर्य का प्रमाणपत्र निदेशक,स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जाए परन्तु नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया था, जो आपत्तिजनक था।

86- विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति पूर्व नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करना अनियमित:-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में अनापत्ति प्रमाणपत्र पत्रावली की मॉग करने पर नगर निगम द्वारा बताया गया कि विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा बिना नगर निगम गाजियाबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही भवनों के मानचित्र स्वीकृत किये गये थे जबकि शासनादेश संख्या-3310/ नौ-7-04-33 ई/03 दिनांक 6 सितम्बर,2004 में निर्देशित किया गया था कि विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शा (मानचित्र) पास करते वक्त नगर निगम तथा जलसंस्थान से सीवर लाईन,जलनिकासी, एवं पानी कनेक्शन की स्थिति ज्ञात की जानी चाहिए उपरोक्त शासनादेश के अतिरिक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 00107/नौ-आ-3-मानचित्र स्वीकृति/2004 दिनांक,06 जुलाई,2004 में भी स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि पुराने निर्मित क्षेत्र जिसकी अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण एवं रख-रखव का दायित्व इस नगर की स्थानीय निकाय का होता है के भवन/ भूविन्यास मानचित्र स्वीकृति करते समय प्राधिकरणों के द्वारा नगर की स्थानीय निकाय के सीवर लाइन, जलापूर्ति की पाईप लाईन एवं जलनिकासी की स्थिति जाने वगैर मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाते है जिससे बाद में अनेक समस्यायें उत्पन्न होती है।

उपरोक्त शासनादेश का विकास प्राधिकरण द्वारा अनुपालन न करने से नगर निगम की उपरोक्त शासनादेश में वर्णित सम्पत्तियों पर अतिक्रमण या उन सुविधाओं के विस्तार हेतु पूँजीगत व्यय की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता था। तथा अतिक्रमण की स्थिति में नगर निगम को भविष्य में न्यायालय की प्रक्रिया से भी गुजरना हो सकता था।

अतएवं इस सम्बन्ध में नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। कि नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के साथ-साथ अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु शुल्क निर्धारण की कार्यवाही भी अमल में लायी जाए जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके।

81- विकास योजनाओं सम्बन्धी अन्य अनियमितताएँ:-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में विकास योजनाओं सम्बन्धी निम्नांकित अनियमितताएँ प्रकाश में आयी-

(1) नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कोई योजना पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी यदि अनुरक्षित किया गया था तो इसे वर्तमान सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(2) आलोच्य अवधि के पूर्व में क्रियान्वित/हस्तगत/पूर्व हो चुकी योजनाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी सम्परीक्षा में नहीं दी गयी थी इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना वांछित थी।

(3) निगम क्षेत्र के समेकित एवं सुनियोजित विकास हेतु नगर निगम द्वारा कोई नेटवर्क/प्लान आदि तैयार किया गया था अथवा नहीं इस सम्बन्ध में भी वर्तमान सम्परीक्षा में स्थिति अस्पष्ट रही थी।

(4) आलोच्य अवधि के पूर्व में भिन्न-भिन्न योजनाओं से सम्बन्धित मदवार कितनी-कितनी राशियाँ अवशेष के रूप में विद्यमान थी के बारे में वर्तमान सम्परीक्षा में स्थिति अस्पष्ट रही थी।

(5) उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 57 क की उपधारा (2)(3)(क)(ख)(1)से 16)(4)(5)तथा(6) के अनुसार महानगर योजना समिति के गठन का प्राविधान किया गया था। जिसके दायित्व में अधिनियम की धारा 57(क) के दृष्टिगत सम्पूर्ण महानगर फेज के लिए एक विकास योजना के प्रारूप को तैयार किया जाना था। अधिनियम की धारा 57(क) की उपधारा-7 में निर्दिष्ट निम्न विषयों की योजनाओं का प्रारूप तैयार किये जाने हेतु संज्ञान में लिया जाना था।

(1) नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजना में।

(2) निकाय के मध्य सामान्य हित के मामले जिसके अन्तर्गत उस क्षेत्र की सम्भावित स्थानीय योजना जल एवं अन्य प्राकृतिक साधनों में हिस्सा अपसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण

- (3) भारत और राज्य सरकार के द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और प्राथमिकतायें।
- (4) इन विनियमों की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किया जाना सम्भाव्य हो तथा अन्य उपलब्ध साधन चाहे वे वित्तीय हो या अन्य।
- (5) अन्य संस्थाओं तथा संगठनों से परामर्श लेना जिन्हें राज्यपाल आदेश और विनिर्दिष्ट करें।

अधिनियम की धारा 57(क) की उपधारा (6) के अनुसार उपरोक्त प्रकार से गठित महानगर विकास समिति के द्वारा विकास योजनाओं की सिफारिश को राज्य सरकार को भेजा जाना था। जिसके क्रम में निगम द्वारा किसी विकास योजना की सिफारिश को राज्य सरकार के पास भेजा गया था नहीं। इस स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट नहीं करायी गयी। नगर निगम अधिनियम, 1959 के अध्याय, 14 में वर्णित धारा 343 से 370 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्थानुसार विकास योजनाओं को तैयार किये जाने व उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अभिलेख सहित स्थिति सपष्ट कराया जाना अपेक्षित रहा।

अधिष्ठान विभाग—

88—श्री हरि कृष्ण प्रसाद गुप्ता कर अधीक्षक को वृत्तिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रुपये 422391/—:-

श्री हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता कर अधीक्षक की सेवापुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री प्रसाद की नियुक्ति राजस्व एवं कर निरीक्षक पद पर दिनांक 5-4-99 को वेतनमान 3200-85-4900 में नगर पालिका परिषद सहारनपुर में हुयी थी, जिन्हें दिनांक 1-7-12 को 10130+4200=14330 वेतन प्राप्त हो रहा था। श्री हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता को स्थानीय निकाय निदेशालय के आदेश संख्या-7-2/1221(69)48-विविध/पदो. -श0नि0/2012 लखनउ दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा राजस्व निरीक्षक श्रेणी-1 से कर अधीक्षक वेतनवैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे. 4600 में प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 21-7-12 को 12540+4600=17140 निर्धारित किया गया था। जबकि 1-7-12 को प्राप्त वेतन 10130+4200=14330 वेतन प्राप्त हो रहा था। श्री हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता को स्थानीय निकाय निदेशालय के आदेश संख्या-7-2/1221(69)48-विविध/पदो0-श0नि0/2012 लखनउ दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा राजस्व निरीक्षक श्रेणी-1 से कर अधीक्षक वेतन वैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4600 में प्रोन्नत किया गया, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा दिनांक 21-7-12 को कार्यभार ग्रहण किया गया था उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 21-7-12 को 12540+4600=17140 निर्धारित किया गया था जबकि 1-7-12 को प्राप्त वेतन 10130+4200=14330 पर एक वेतनवृद्धि ₹0 430 जोड़कर 10560+4600=15160 निर्धारित किया जाना चाहिए था। कर अधीक्षक का पद प्रोन्नति का पद है जो सीधी भर्ती का पद नहीं है यदि इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई आदेश/शासनादेश हो तो दिखाया जाए यद्यपि शासनादेश सं0-रिट-404/नौ-7-2018-7(जनरल)/2019 दिनांक 30-8-19 में भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति का पद सीधी भर्ती का पद न होने के कारण

पदोन्नति तदोपरान्त निर्धारण पूर्व पद पर प्राप्त हो रहे वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए ग्रेड पे का अन्तर दिवस निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार श्री हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता को दिनांक 21-1-12 का ग्रेड पे 4600 में न्यूनतम वेतन 17140 निर्धारित किया जाना अनियमित/अपस्तिजनक एवं अधिक भुगतान का प्रकरण का शासनादेश संख्या- वे0 आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 8-12-2008 के बिन्दू संख्या-11 के अनुसार दिनांक 21-7-12 को रुपये 15160 निर्धारित किया जाना चाहिए था अतएवं निम्नांकित विवरणानुसार दिनांक 21-7-12 से 30 नवम्बर,21 तक रुपये 422391/-मूलवेतन एवं महंगाई भत्ता का अधिक भुगतान किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है।

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+जी.ए	अधिक भुगतान
21-7-12से31-12-12	17140	15160	1980 5माह11दिवस	10603+7634	18237
1-1-13से 30-6-13	17140	15160	1980 6माह	11880+9504	21384
1-7-13से 31-12-13	17660	15620	2040×6माह	12240+11016	23256
1-1-14से 30-6-14	17660	15620	2040×6माह	12240+12240	24480
1-7-14से 31-12-14	18190	16090	2100×6	12600+13482	26082
1-1-15से 30-6-15	18190	16090	2100×6	12600+14238	26838
1-7-15से 31-12-15	19510	17280	2230×6	13380+15822	29302
1-1-16 से30-6-16	50500	47600	2900×6	17400+न्यून	17400
1-7-16से31-12-16	52000	49000	3000×6	18000+360	18360
1-1-17 से30-6-17	52000	49000	3000×6	18000+720	18720
1-7-17से31-12-17	53600	50500	3100×6	18600+930	19530
1-1-18 से30-6-18	53600	50500	3100×6	18600+1302	19902
1-7-18 से31-12-18	55200	52000	3200×6	19200+1728	20928
1-1-19 से30-6-19	55200	52000	3200×6	19200+2304	21584
1-7-19 से31-12-19	56900	53600	3300×6	19800+3366	23166
1-1-20 से30-6-20	56900	53600	3300×6	19800+3366	23166
1-7-20से31-12-20	58600	55200	3400×6	20400+3468	23868
1-1-21से30-6-21	58600	55200	3400×6	20400+3468	23868
1-7-21 से31-11-21	60400	56900	3500×5माह	17500+4900	22400
				योग	422391

89- श्री बनारसी कर अधीक्षक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रुपये 5,01,978/-

श्री बनारसी कर अधीक्षक की सेवा पुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री बनारसी नगर पालिका परिषद बडौत मेरठ में राजस्व एवं कर निरीक्षक के पद पर

वेतनमान 975-25-1150 द.रो.30-1660 में मूलवेतन 975 पर दिनांक 15-12-95 को कार्यभार ग्रहण किये थे। वे दिनांक 1-7-12 को रूपये 14660(10460+4200) वेतन प्राप्त कर रहे थे स्थानीय निकाय निदेशालय के आदेश संख्या-संख्या-2/1221(6)48-विधि/पदो-रा0नि0/2012 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई,2012 के द्वारा श्री बनारसी की पदोन्नति अधीक्षक के पद किया गया जिसके क्रम में श्री बनारसी द्वारा 21-7-12 को उक्त पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया तथा दिनांक 21-7-12 को मूलवेतन रू0 17140 निर्धारित किया गया जबकि 1-7-12 को प्राप्त हो रहे वेतन 14660 में एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हेतु ग्रेड पे का अन्तर प्रदान किया जाना चाहिए था क्योंकि कर अधीक्षक का पद पदोन्नति का पद है। सीधी भर्ती का पद नहीं है। जिस पर पदोन्नति पर वेतनमान का न्यूनतम देय नहीं था। शा0स0-रिट-404/नौ-2018-7(जनरल)/2019 दिनांक 30-8-19 में भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति का पद सीधी भर्ती का पद न होने के कारण पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण पूर्व पद प्राप्त हो रहे वेतन में एक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए ग्रेड पे का अन्तर देकर निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई आदेश/शासनादेश हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में श्री बनारसी का दिनांक 21-7-12 को ग्रेड पे 4600 में न्यूनतम वेतन 17140 निर्धारित किया जाना अनियमित/आपत्तिजनक एवं अधिक भुगतान का प्रकरण था। शा0स0 वे0आ0-2-1381/दस-59(एम)/2008 दिनांक 8-12-08 के बिन्दू संख्या-11 के अनुसार श्री बनारसी का वेतन दिनांक 21-7-12 को रूपये 15500(10900+400)निर्धारित किया जाना चाहिए था। अतएव निम्नांकित विवरणानुसार श्री बनारसी को दिनांक 21-7-12 से 30 नवम्बर,2021 तक किये गये वेतन 501978/- मूलवेतन एवं महंगाई भत्ता का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+डी.ए	अधिक भुगतान
21-7-12से31-12-12	17140	15500	1640 5माह11दिवस	8782+6323	15105
1-1-13से 30-6-13	17140	15500	1640 6माह	9840+7872	17712
1-7-13से 31-12-13	17660	15970	1690×6माह	10140+9126	19266
1-1-14से 30-6-14	17660	15970	1690×6माह	10140+10140	20280
1-7-14से 31-12-14	18190	16450	1740×6	10440+11171	21611
1-1-15से 30-6-15	18190	16450	1740×6	10440+11797	22237
1-7-15से 31-12-15	18740	16950	1790×6	10740+12781	23521
1-1-16 से30-6-16	49000	44900	4100×6	24600+शून्य	24600
1-7-16से31-12-16	50500	46200	4300×6	25800+516	26316
1-1-17 से30-6-17	50500	46200	4300×6	25800+1032	26832
1-7-17से31-12-17	52000	47600	4400×6	26400+1320	27720
1-1-18 से30-6-18	52000	47600	4400×6	26400+1848	28248
1-7-18 से31-12-18	53600	49000	4600×6	27600+2484	30084

1-1-19 से 30-6-19	53600	49000	4600×6	27600+3312	30912
1-7-19 से 31-12-19	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-1-20 से 30-6-20	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-7-20 से 31-12-20	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-1-21 से 30-6-21	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-7-21 से 30-11-21	58500	53600	5000×5 माह	25000+7750	32750
				योग	501978

90- श्री गजेन्द्र कुमार कर अधीक्षक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रुपये 5,01,978/-

श्री गजेन्द्र कुमार कर अधीक्षक की सेवा पुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री गजेन्द्र कुमार द्वारा नगर पालिका परिषद बस्ती में राजस्व एवं कर निरीक्षक के पद पर वेतनमान 975-25-1150 द.सं.30-1660 में दिनांक 13-12-95 को कार्यभार ग्रहण किया वे दिनांक 1-7-12 को रुपये 14660(10460+4200) वेतन प्राप्त कर रहे थे। स्थानीय निकाय निदेशालय के आदेश संख्या-संख्या-2/1221(57)48-विधि/पदो-रा0नि0/2012 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा श्री कुमार की पदोन्नति कर अधीक्षक के पद का गयी तथा 21-7-12 को उनके द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया कर अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 21-7-12 को ग्रेड पे 4600 में न्यूनतम मूलवेतन रु0 17140(12540+4600) निर्धारित किया गया जबकि शा0सं0वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)2008 दिनांक 8-12-08 के बिन्दू संख्या-11 एवं शा0सं0-रिट-404/नौ-2018-7(जनरल)/2019 दिनांक 30-8-19 के अनुसार पदोन्नति कर सीधी भर्ती का पद न होने के कारण पदोन्नति पर वेतन निर्धारण पूर्व पद पर प्राप्त हो रहे वेतन में एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हेतु ग्रेड पे का अन्तर प्रदान किया जाना चाहिए था क्योंकि कर अधीक्षक का पद सीधी भर्ती का पद नहीं है पूर्णतया पदोन्नति का पद है। इसलिए उक्तानुसार दिनांक 1-7-12 को प्राप्त हो रहे वेतन 14660 में एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए ग्रेड पे का अन्तर देकर दिनांक 21-7-12 को अधिक वेतन निर्धारित किये जाने के कारण दिनांक 21-7-12 से 30-11-21 तक कुल रुपये 501978/- का अधिक वेतन भुगतान श्री गजेन्द्र कुमार को हुआ था यदि उक्त के सम्बन्ध में कोई आदेश /शासनादेश हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में दिनांक 21-7-12 से 30 नवम्बर, 2021 तक किये गये अधिक वेतन भुगतान रुपये 501978/- मूलवेतन एवं महंगाई भत्ता का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+डी.ए	अधिक भुगतान
21-7-12 से 31-12-12	17140	15500	1640 5 माह 11 दिवस	8782+6323	15105
1-1-13 से 30-6-13	17140	15500	1640 6 माह	9840+7872	17712
1-7-13 से 31-12-13	17660	15970	1690×6 माह	10140+9126	19266

1-1-14से 30-6-14	17680	15970	1690×6माह	10140+10140	20280
1-7-14से 31-12-14	18190	16450	1740×6	10440+11171	21611
1-1-15से 30-6-15	18190	16450	1740×6	10440+11797	22237
1-7-15से 31-12-15	18740	16950	1790×6	10740+12781	23521
1-1-16 से 30-6-16	49000	44900	4100×6	24600+शून्य	24600
1-7-16से 31-12-16	50500	46200	4300×6	25800+516	26316
1-1-17 से 30-6-17	50500	46200	4300×6	25800+1032	26832
1-7-17से 31-12-17	52000	47600	4400×6	26400+1320	27720
1-1-18 से 30-6-18	52000	47600	4400×6	26400+1848	28248
1-7-18 से 31-12-18	53600	49000	4600×6	27600+2484	30084
1-1-19 से 30-6-19	53600	49000	4600×6	27600+3312	30912
1-7-19 से 31-12-19	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-1-20 से 30-6-20	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-7-20से 31-12-20	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-1-21से 30-6-21	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-7-21 से 30-11-21	58600	53600	5000×5माह	25000+7750	32750
				योग	501978

91- श्री भोलानाथ कर अधीक्षक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रुपये 4,38,366/-

श्री भोलानाथ कर अधीक्षक की सेवा पुस्तिका की जॉच के समय प्रकाश में आया कि श्री भोलानाथ द्वारा नगर पालिका परिषद धानपुर बिजनौर में कर अधीक्षक श्रेणी-2 के पद पर वेतनमान 4000-100-8000 में कार्यभार ग्रहण किया गया था। श्री भोलानाथ दिनांक 1-7-9 को 13370(10570+2800) वेतन प्राप्त कर रहे थे शा0सं02441/नौ-4-12-2 नियम/05 टी0सी0 दिनांक 25 मई,2012 द्वारा 22अप्रैल,2010 से स0कर अधीक्षक को कर अधीक्षक पद में सम्मिलित करते हुए ग्रेड पे 4800 अनुमन्त्र कराराया गया था इस प्रकार श्री भोलानाथ को वेतन निर्धारण दिनांक 22-4-10 को ग्रेड पे 4800 का न्यूनतम 17140 देय था तथा दिनांक 1-7-2011 को वेतनवृद्धि 17680 देय थी जबकि श्री भोलानाथ को दिनांक 1-7-10 को 17680 निर्धारित किया गया था जो त्रुटिपूर्ण था तथा अधिक भुगतान का प्रकरण था यदि ग्रेड पे ने छः मास की सेवा पूर्ण किये बिना वृद्धि दिये जाने का कोई प्राविधान हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान की बसूली/प्रतिपूर्ति कराराया जाना अपेक्षित है इसी प्रकार श्री भोलानाथ की शा0सं0 3014/नौ-4-12-31टी0एस0/2010 दिनांक 27 अगस्त,2010 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के पद पदोन्नति की गयी तथा उनके द्वारा दिनांक 28-8-12 को कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त तिथि को उनका वेतन ग्रेड पे 5400 के न्यूनतम 21000 निर्धारित किया गया था जबकि कर निर्धारण अधिकारी का पद पूर्णतया पदोन्नति का पद होने के कारण (सीधी भर्ती का पद न होने को कारण) पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण पूर्वपद पर प्राप्त हो रहे वेतन में एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए ग्रेड पे का अन्तर प्रदान कर रुपये 19540

निर्धारित किया जाना चाहिए था जबकि पदोन्नति के पद का न्यूनतम वेतन दिया गया था जो शासनादेश संख्या-ये-आ०-2-1318/वस-59(एन)/2008 दिनांक 8-12-08 के बिन्दु संख्या-11 एवं शा०सं०-रिट7404/नौ-7-2018-7(जनरल)/2019 दिनांक 30-8-19 के विपरीत था। इस प्रकार दिनांक 1-7-10 से 30-11-21 तक उक्तानुसार किये गये अधिक भुगतान रुपये 4,38,366/- की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित किये गये अधिक भुगतान या विवरण निम्नवत है।

अवधि	वर्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+डी.ए	अधिक भुगतान
21-7-12से31-12-12	17140	15500	1640 5माह11दिवस	8782+6323	15105
1-1-13से 30-6-13	17140	15500	1640 6माह	9840+7872	17712
1-7-13से 31-12-13	17660	15970	1690×6माह	10140+9126	19266
1-1-14से 30-6-14	17660	15970	1690×6माह	10140+10140	20280
1-7-14से 31-12-14	18190	16450	1740×6	10440+11171	21611
1-1-15से 30-6-15	18190	16450	1740×6	10440+11797	22237
1-7-15से 31-12-15	18740	16950	1790×6	10740+12781	23521
1-1-16 से30-6-16	49000	44900	4100×6	24600+शून्य	24600
1-7-16से31-12-16	50500	46200	4300×6	25800+516	26316
1-1-17 से30-6-17	50500	46200	4300×6	25800+1032	26832
1-7-17से31-12-17	52000	47600	4400×6	26400+1320	27720
1-1-18 से30-6-18	52000	47600	4400×6	26400+1848	28248
1-7-18 से31-12-18	53600	49000	4600×6	27600+2484	30084
1-1-19 से30-6-19	53600	49000	4600×6	27600+3312	30912
1-7-19 से31-12-19	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-1-20 से30-6-20	55200	50500	4700×6	28200+4794	32994
1-7-20से31-12-20	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-1-21से30-6-21	56900	52000	4900×6	29400+4998	34398
1-7-21 से30-11-21	58500	53600	5000×5माह	25000+7750	32750
				योग	501978

92- श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दुक्की राम द्वितीय श्रेणी लिपिक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रुपये 17,999/-

श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दुक्की राम द्वितीय श्रेणी लिपिक की सेवा पुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री शर्मा की नियुक्ति अनुधर पद पर दिनांक 23-9-1991 को हुयी थी तथा दिनांक 23-9-2007 को 6440+1900=8340 मूलवेतन प्राप्त कर रहे थे तथा 1-7-2008 को 6690+1900=8590 प्राप्त कर रहे थे। जिन्हे 1-12-2008 को द्वितीय ए०सी०पी० प्रदान किये जाने के फलस्वरूप रुपये 9450 /-(7050+2400)

निर्धारित किया गया था जबकि दिनांक 1-12-2008 को 6950+2400=9350 निर्धारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार श्री शर्मा को 1-12-2008 को रुपये 100 मूलवेतन का अधिक निर्धारण किया गया था जो अनुपूर्वी वर्षों 1-12-2008 से 31-12-15 तक भुगतान किया गया था दिनांक 1-1-16 को रुपये 30900/- सातवे वेतन में निर्धारित किया गया था, जो सही था। इस प्रकार निम्नांकित विवरणानुसार मंहगाई भत्ता सहित दिनांक 1-12-08 से दिनांक 31-12-15 तक रुपये 17,999/- अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है—

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर अवधि	कुल वेतन+डी.ए	अधिक भुगतान
1-7-08 से 30-11-8	8590	8590	---	---	---
1-12-8 से 31-12-8	9450	9350	100×8	600+16	116
1-1-9 से 30-6-9	9450	9350	110×8	680+132	732
1-7-9 से 31-12-9	9740	9630	110×8	680+178	838
1-1-10 से 30-6-10	9740	9630	120×8	720+231	891
1-7-10 से 31-12-10	10040	9920	120×8	720+324	1044
1-1-11 से 30-6-11	10040	9920	130×8	780+367	1087
1-7-11 से 31-12-11	10350	10220	130×8	780+452	1232
1-7-12 से 30-6-12	10350	10220	130×8	780+507	1287
1-7-12 से 31-12-12	10660	10530	130×8	780+562	1342
1-1-13 से 30-6-13	10660	10530	130×8	780+624	1404
1-7-13 से 31-12-13	10980	10850	130×8	780+702	1482
1-1-14 से 30-6-14	10980	10850	130×8	780+780	1560
1-7-14 से 31-12-14	11310	11180	130×8	780+835	1615
1-1-15 से 30-6-15	11310	11180	130×8	780+881	1661
1-7-15 से 31-12-15	11650	11520	130×8	780+928	1708
				योग	17999

93- श्री मयूर गिरधर लिपिक को झट्टिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रुपये 1817/-

श्री मयूर गिरधर लिपिक की सेवापुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि श्री गिरधर दिनांक 26-2-2000 को लिपिक पद पर कार्यभार ग्रहण किये थे तथा दिनांक 1-2-2005 को रुपये 3425 वेतन प्राप्त कर रहे थे जिसके आधार पर छठे वेतनमान में दिनांक 1-1-2008 को 8280 (6380+1900) वेतन निर्धारित किया गया था जबकि 8270(6370+1900) वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए था इस प्रकार 1-1-8 से श्री गिरधर अधिक वेतनप्राप्त कर रहे थे जो 31-12-2015 तक था। दिनांक 1-1-2016 को वेतन निर्धारण 31400=00 उपरोक्त के आधार पर किया गया था जो सही था। अतएव

दिनांक 1-1-8 से 31-12-15 तक श्री मयूर गिरधर को निम्नांकित विवरणानुसार रुपये 1817/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् था।

अवधि	वत्त वेतन (मू0पे0+ग्रेड वेतन)	देय वेतन (मू0पे0+ग्रेड पे0)	अन्तर (मू0पे0+ग्रेड पे0)	अधिक भुगतान
1-1-8से 30-6-8	8280	8270	$10 \times 6 = 60 + 0$	60
1-7-8से 31-12-8	8530	8520	$10 \times 6 = 60 + 1$	61
1-1-7से 30-6-7	8530	8520	$10 \times 6 = 60 + 4$	64
1-7-7से 31-12-7	8790	8780	$10 \times 6 = 60 + 5$	65
1-1-8से 30-6-8	8790	8780	$10 \times 6 = 60 + 7$	67
1-7-8 से 31-12-8	9060	9050	$10 \times 6 = 60 + 10$	70
1-1-8से 30-6-8	9060	9050	$10 \times 6 = 60 + 13$	73
1-7-8से 31-12-8	9340	9330	$10 \times 6 = 60 + 16$	76
1-1-10से 30-6-10	9340	9330	$10 \times 6 = 60 + 21$	81
1-7-10से 31-12-10	10410	10400	$10 \times 6 = 60 + 27$	87
1-1-11से 30-6-11	10410	10400	$10 \times 6 = 60 + 31$	91
1-7-11से 31-12-11	10730	10720	$10 \times 6 = 60 + 35$	95
1-7-12से 30-6-12	10730	10720	$10 \times 6 = 60 + 39$	99
1-7-12से 31-12-12	11060	11050	$10 \times 6 = 60 + 43$	103
1-1-13से 30-6-13	11060	11050	$10 \times 6 = 60 + 48$	108
1-7-13से 31-12-13	11400	11390	$10 \times 6 = 60 + 54$	114
1-1-14से 30-6-14	11400	11390	$10 \times 6 = 60 + 60$	120
1-7-14से 31-12-14	11750	11740	$10 \times 6 = 60 + 64$	124
1-1-15से 30-6-15	11750	11740	$10 \times 6 = 60 + 68$	128
1-7-15से 31-12-15	12110	12100	$10 \times 6 = 60 + 71$	131
			योग	1817

94- श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामदत्त शर्मा लिपिक को वृद्धिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रुपये 1,757/-

श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामदत्त शर्मा लिपिक की सेवा पुस्तिका की जाँच के समय प्रकाश में आया कि दिनांक 01-01-2006 को वेतन 8230+1800=8030 प्राप्त कर रहे थे जिन्हें 01-07-2006 को 8480+1800=8280 निर्धारित किया गया था जबकि 8470+1800=8270 निर्धारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 01-07-2006 से 31-12-2015 तक ₹0 10 प्रतिमाह मूलवेतन एवं समय-समय पर उस पर देय महंगाई भत्ता सहित अधिक भुगतान किया गया था दिनांक 01-01-2016 का स्रोतवे वेतनमान में वेतन निर्धारण रुपये 33,900/- किया गया था जो सही था। इस प्रकार श्री शर्मा को दिनांक 01-07-2006 से दिनांक 31-12-2015 तक रुपये 1751/- मूलवेतन+ महंगाई भत्ता सहित निम्नांकित विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था अतएव उक्तानुसार किये गये अधिक वेतन भुगतान की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

अवधि	दत्त वेतन (मूलवेतन+ग्रेड वेतन)	देय वेतन (मूलवेतन+ग्रेड पे0)	अन्तर (मूलवेतन+मह0म0)	अधिक भुगतान
1-1-6 से 30-6-6	8030	8030	-	-
1-7-6से 31-12-6	8280	8270	10×6=60+1	61
1-1-7से 30-6-7	8280	8270	10×6=60+4	64
1-7-7से 31-12-7	8530	8520	10×6=60+5	65
1-1-8से 30-6-8	8530	8520	10×6=60+7	67
1-7-8 से 31-12-8	9060	9050	10×6=60+10	70
1-1-9से 30-6-9	9060	9050	10×6=60+13	73
1-7-9से 31-12-9	10240	10230	10×6=60+16	76
1-1-10से 30-6-10	10240	10230	10×6=60+21	81
1-7-10से 31-12-10	10550	10540	10×6=60+27	87
1-1-11से 30-6-11	10550	10540	10×6=60+31	91
1-7-11से 31-12-11	10870	10860	10×6=60+35	95
1-7-12से 30-6-12	10870	10860	10×6=60+39	99
1-7-12से 31-12-12	11200	11180	10×6=60+43	103
1-1-13से 30-6-13	11200	11180	10×6=60+48	108
1-7-13से 31-12-13	12290	12280	10×6=60+54	114

1-1-14से 30-6-14	12290	12280	$10 \times 6 = 60 + 60$	120
1-7-14से 31-12-14	12660	12650	$10 \times 6 = 60 + 64$	124
1-1-15से 30-6-15	12660	12650	$10 \times 6 = 60 + 68$	128
1-7-15से 31-12-15	13040	13030	$10 \times 6 = 60 + 71$	131
			योग	1757

95- श्री देवीशरण शर्मा लिपिक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रुपये 1500/-

श्री देवी शरण शर्मा लिपिक की सेवा पुस्तिका की जॉच में प्रकाश में आया कि श्री शर्मा दिनांक 01-07-2007 को $(6450+1900)=8350/-$ मूलवेतन प्राप्त कर रहे थे जिन्हें 01-07-2008 को $6710+1900=8610$ निर्धारित किया गया था जबकि $6700+1900=8600$ निर्धारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 01-07-2008 को $8610-8600$ अधिक निर्धारित किया गया था। सॉल्टवे वेतनमान में दिनांक 01-01-2016 से वेतन निर्धारण रुपये 29,600/- निर्धारित किया गया था जो सही था। अतएव निम्नांकित विवरणानुसार श्री शर्मा को दिनांक 01-07-2008 से 31-12-2015 तक मूलवेतन एवं महंगाई भत्ता सहित रुपये 1500/- का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। किये गये अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् है।

अवधि	दत्त वेतन (मूलवेतन+ग्रेड वेतन)	देय वेतन (मूलवेतन+ग्रेड पे0)	अंतर (मूलवेतन+महाम0)	अधिक भुगतान
1-7-8 से 31-12-8	8610	8600	$10 \times 6 = 60 + 10$	70
1-1-9से 30-6-9	8610	8600	$10 \times 6 = 60 + 13$	73
1-7-9से 31-12-9	8870	8860	$10 \times 6 = 60 + 16$	76
1-1-10से 30-6-10	8870	8860	$10 \times 6 = 60 + 21$	81
1-7-10से 31-12-10	9140	9130	$10 \times 6 = 60 + 27$	87
1-1-11से 30-6-11	9140	9130	$10 \times 6 = 60 + 31$	91
1-7-11से 31-12-11	9420	9410	$10 \times 6 = 60 + 35$	95
1-7-12से 30-6-12	9420	9410	$10 \times 6 = 60 + 38$	98
1-7-12से 31-12-12	9710	9700	$10 \times 6 = 60 + 43$	103
1-1-13से 30-6-13	9710	9700	$10 \times 6 = 60 + 48$	108
1-7-13से 31-12-13	10810	10800	$10 \times 6 = 60 + 54$	114
1-1-14से 30-6-14	10810	10800	$10 \times 6 = 60 + 60$	120

1-7-14से 31-12-14	11140	11130	$10 \times 6 = 60 + 64$	124
1-1-15से 30-6-15	11140	11130	$10 \times 6 = 60 + 68$	128
1-7-15से 31-12-15	11480	11470	$10 \times 6 = 60 + 71$	131
			योग	1500

96- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता / परिवार नियोजन भत्ता का अधिक/अनियमित/आपत्तिजनक भुगतान रुपये 79,728 /-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के वेतन देयकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि माह नवम्बर देय दिसम्बर, के वेतन में निम्नांकित विवरणानुसार कर्मचारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता / परिवार नियोजन भत्ता का भुगतान किया गया था, जबकि विलत सामान्य अनुभाग-1 के शासनदेश संख्या-2/2019/जी-1-37/दस-2019 लखनउ दिनांक 22 अगस्त,2019 द्वारा कर्मचारियों को देय उक्त भत्ता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था,जबकि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त भत्ता भुगतान किया जा रहा था। नवम्बर देय दिसम्बर के वेतन में भुगतानित परिवार नियोजन भत्ता निम्नांकित विवरणानुसार रुपये 12610/- प्रतिमाह के आधार पर 22 अगस्त,2019 से 31 मार्च,2020 तक 6 माह,10 दिवस हेतु कुल रुपये 79,728/- का अधिक भुगतान किया गया था। अतएवं उक्त भत्ता के भुगतान पर तत्काल रोक लगाते हुए यदि आलोच्य अवधि में उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी को उक्त भत्ते का भुगतान किया गया हो तो उसकी भी अद्यावधिक अधिक भुगतान की गणना कराते हुए वसूली/प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अनुभाग	परिवार नियोजन भत्ता (प्रतिमाह)
1	श्री वृजेश कुमार सिंह	महा प्रबंधक जल	800
2	श्री जय प्रकाश सिंह	सहायक लेखाधिकारी लेख	500
3	श्री देवी सिंह	अवर अभियंता निर्माण	650
4	श्री श्याम सिंह	सहायक अभियंता	500
5	श्री सुनील कुमार राय	कर निरीक्षक कर अनुभाग	550
6	श्री प्रद्युम्न राय	प्र०श्रे०लिपिक सामान्य	400
7	श्री नीरज वर्मा	लिपिक	400
8	श्री सजय कुमार वर्मा	डि०श्रे०लिपिक	250
9	श्री बब्वर वाहन	प्र०श्रे०लिपिक सामान्य	250
10	श्री विनोद त्यागी	प्र०श्रे०लिपिक सामान्य	250
11	श्री जयपाल फासी	प्र०श्रे०लिपिक सामान्य	250
12	श्री लाला राम	लिपिक	250
13	श्री प्रवीन पुत्र लिखबू	सफाई नायक सिटीजीन	210

14	श्री पुष्पेन्द्र पुत्र शंखराज	गैंगमैन जलकल	210
15	श्री ओमी लाल	गैंगमैन जलकल	210
16	श्री जगपाल पुत्र श्री फितेहा सिंह	परिचालक जलकल	210
17	श्रीमती सुनीता पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार	परिचालक जलकल	210
18	श्री मंजू मिश्रा पत्नी श्री सुभाष चन्द मिश्रा	परिचालक जलकल	210
19	श्री लतारानी पत्नी श्री स्वामी जय नाथरायण	लिपिक सामान्य	210
20	श्री पवन कुमार शर्मा	लिपिक सामान्य	210
21	श्री वेद प्रकाश	लिपिक सामान्य	210
22	श्री प्रवीण कुमार पुत्र जगदीश	पम्पचालक जलकल	210
23	श्री मनोज कुमार पुत्र रामनिवास	पम्पचालक जलकल	210
24	श्री विनोद कुमार पुत्र जयप्रकाश	पम्पचालक जलकल	210
25	श्री मुनेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द्र	पम्पचालक जलकल	210
26	श्री यशपाल पुत्र भुल्लन	पम्पचालक जलकल	210
27	श्री दिनेश कुमार	पम्पचालक जलकल	210
28	श्री अशोक कुमार	पम्पचालक जलकल	210
29	श्री कपिल स्वामी	पम्पचालक जलकल	210
30	श्री अतुल कुमार	पम्पचालक जलकल	210
31	श्री पवन कुमार	पम्पचालक जलकल	210
32	श्री सुभाष चन्द्र	पम्पचालक जलकल	210
33	श्री जयराम तिवारी	पम्पचालक जलकल	210
34	श्री यशमयी	पम्पचालक जलकल	210
35	श्री श्यामसुन्दर	पम्पचालक जलकल	210
36	दिनेश कुमार	पम्पचालक जलकल	210
37	अखिलेश	पम्पचालक जलकल	210
38	श्री रमेश चन्द्र जोशी	गैंगमैन जलकल	210
39	श्री विक्रम सिंह	गैंगमैन जलकल	210
40	श्री जीवन सिंह	अनुहर लाइब्रेरी	210
41	श्री प्रेमचन्द पुत्र मुरारी	माली उद्यान विभाग	210
42	श्री महावीर	गैंगमैन प्रकाश विभाग	210
43	श्री मतिदूल	गैंगमैन प्रकाश विभाग	210

44	श्री कैदारनाथ	गैगमैन प्रकाश विभाग	210
45	श्री नरेश चन्द	अनुचर भवनकर	210
46	श्री विनोद कुमार	अनुचर भवनकर	210
47	श्री विनेश चन्द्र शर्मा	डाफ्टमैन सानान्य विभाग	210
48	श्री रामहित	अनुचर	210
		योग	12610 प्रतिमाह

1-9-19 से 29-3-20

6 माह- $12610 \times 6 = 75660$

22-8-19 से 31-8-19 10माह- $12610 \times 10 / 31 = 4068$

कुल अधिक भुगतान = 79728

22 अगस्त से 31 अगस्त तक एवं सितम्बर, देय अवदूबर, 19 से फरवरी देय मार्च, 20 तक

97- श्री आर.एन. पाण्डेय अपर नगर आयुक्त के यात्रा भत्ता देयक में पाई गई अनियमितताएँ:-

सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणकों की जाँच से प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक सं.-30 दिनांक-4-12-19 अंकन रूपया 15990/- द्वारा श्री आर.एन. पाण्डेय, अपर नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 12-9-19 को दिल्ली से लखनऊ एवं लखनऊ से दिल्ली तथा दिल्ली थी हवाई यात्राओं हेतु भुगतान किया गया था। दिनांक 12-9-19 की यात्रा किस उद्देश्य से की गयी थी एवं उक्त हवाई यात्रा हेतु नगर आयुक्त की अनुमति/स्वीकृति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्राचार यात्रा भत्ता देयक के साथ संलग्न नहीं किये गये थे।

यात्रा भत्ता देयक में दिनांक 19-9-19 को की गई हवाई यात्रा से सम्बन्धित कोई भी पत्राचार/अभिलेख संलग्न नहीं किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो सकता कि यात्रा किन उद्देश्यों हेतु की गई थी एवं उक्त हवाई यात्रा हेतु नगर आयुक्त की अनुमति/स्वीकृति भी संलग्न नहीं थी बल्कि दिनांक 19-1-19 की लखनऊ में बैठक में भाग लेने की अनुमति नगर आयुक्त से ली गई थी। अतः उक्त के अभाव /विसंगति के कारण उक्त यात्रा भत्ता देयक सम्परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

98- वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान रू0 109200/-

सम्परीक्षा में आलोच्य अवधि का वेतन देयकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि माह नवम्बर देय दिसम्बर, 2019 के वेतन में निम्नविवरणानुसार अवर अनियन्ता एवं सहायक अनियन्ताओं को रूपयाय 700 प्रतिमाह वाहन भत्ते का भुगतान किया गया था। उक्त वाहन भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में यदि शासन/निदेशक,स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ का कोई आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्थिति में

निम्नविवरणानुसार माह नवम्बर देय दिसम्बर 2019 के आधार पर आगणित सम्पूर्ण वर्ष में रूपया 1,09,200/- की वसूली कराये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। यदि शासन/निदेशक,स्थानीय निकाय का कोई आदेश नहीं है तो उक्त की अद्यावधिक गणना कराकर वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०	नाम/पदनाम	प्रतिमाह भुगतान की गई वाहन भत्ते की राशि
1	श्री संजय कुमार, अवर अभियन्ता, निर्माण	700
2	श्री कान्त अवर अभियन्ता, निर्माण	700
3	श्री योगेश कुमार अवर अभियन्ता, निर्माण	700
4	श्री पूजा सिंह अवर अभियन्ता, निर्माण	700
5	योगेन्द्र कुमार दीक्षित अवर अभियन्ता, निर्माण	700
6	देवी सिंह अवर अभियन्ता, निर्माण	700
7	अनिल कुमार त्वागी सहायक अभियन्ता	700
8	श्री श्याम सिंह सहायक अभियन्ता	700
9	श्री कपिल मोहन सहायक अभियन्ता	700
10	श्री शिव कुमार सरोज अवर अभियन्ता	700
11	श्री योगेन्द्र सिंह यादव सहायक अभियन्ता	700
12	श्री ओम प्रकाश अवर अभियन्ता	700
13	श्री राजेन्द्र प्रसाद अवर अभियन्ता	700
	योग	9100×12माह=109200

99- नगर निगम में स्वीकृत/सृजित पदों से अधिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन का अनियमित भुगतान-

नगर निगम के अधिष्ठान विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निगम के स्वीकृत एवं कार्यरत पद से सम्बंधित सूचना से प्रकाश में आया कि निगम में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात थे एवं कुछ पद सृजित ही नहीं थे फिर भी अधिकारी कार्यरत थे जिससे स्पष्ट था कि पद स्वीकृत न होने के कारण इन्हें वेतन का अनियमित भुगतान किया जा रहा था। इस सम्बंध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

निगम में स्वीकृत पद एवं कार्यरत पदों की स्थिति निम्नवत थी-

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यालय पद	अधिक
1	अपर नगर आयुक्त	2	3	01
2	अधिशायी अभियन्ता जल	0	1	01

3	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	0	1	01
4	सहायक अभियन्ता जल	1	2	01
5	सहायक अभियन्ता निर्माण	3	5	02
6	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	4	5	01
7	अधीक्षक	8	8	01
8	हैलपर	1	4	03

100- नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके मूलपद से उच्च पद का कार्य लिया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक:-

सम्परीक्षा में जॉच के दौरान प्रकाश मे आया कि नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उनके मूलपद से उच्च पद का कार्य लिया जा रहा था। जबकि नगर आयुक्त के पत्रांक-1383/न0आ0/2018-19 दिनांक-20-1-19 एवं निदेशक स्थानीय निकाय,उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या-2/7462/39विधि/टैक्स कलै0/11 दिनांक 16जनवरी,2019 द्वारा समस्त नगर आयुक्त, नगर निगमों को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूलपद से उच्च पद का कार्य न लिया जाये।

अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाए अन्यथा स्थिति में उक्त के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए। ऐसे कर्मचारियों की सूची निम्नवत् थी यदि अन्य कोई कर्मचारी भी हो तो उन्हें भी निम्न सूची में सम्मिलित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

क्र0	कर्मचारी का नाम	मूलपद	कार्यरत पद
1	श्री प्रदीप राठी	चौकीदार	कर निरीक्षक द्वितीय कविनगर
2	श्री धीर सिंह सैनी	घपरासी	कर निरीक्षक द्वितीय कविनगर
3	श्री राहुल कुमार	घतुर्थ शणी	जन्म मृत्यु लिपिक
4	श्री संजय शर्मा	अनुघर	कर निरीक्षक,द्वितीय कविनगर
5	श्री रविन्द्र पाल	अनुघर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे मोहननगर
6	श्री रीगन नागर	अनुघर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे मोहननगर
7	श्री सुनील भाटी	अनुघर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे विजयनगर
8	श्री उमेश मझाना	अनुघर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे विजयनगर
9	श्री लोकेश कुमार	क्लीनर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे विजयनगर
10	श्री प्रमोद प्रजापति	अनुघर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे वसुन्धरा
11	श्री विनोद वर्मा	अनुघर	कर निरीक्षक,द्वितीय,श्रे सिटीजोन
12	श्री राजवीर सिंह	कर निर्धारण अधिकारी	जोनल आफीसर,मोहननगर जोन
13	श्री सुधीर शर्मा	कर अधीक्षक	जोनल आफीसर,सिटीजोन
14	श्री हरिकृष्ण गुप्ता	कर अधीक्षक	जोनल आफीसर,कविनगर जोन
15	श्री बन्धारी दास	कर अधीक्षक	जोनल आफीसर,विजय नगर

16	श्री सुनील राय	कर निर्धारण अधिकारी	जोगल आकीसर, वसुन्धरा
17	श्री विशन्मर दयाल शर्मा	गैरमैन	प्रकाश निरीक्षक
18	श्री दिनेश चन्द शर्मा	डि.ओ.लिपिक/डाफ्टमैन	अवर अभियन्ताक
19	श्री रमेश कुमार	पम्प चालक बैकलॉग	डि.ओ.लिपिक
20	श्री राजकुमार	पम्प चालक बैकलॉग	डि.ओ.लिपिक

101- मृतक आश्रित के रूप में 9 कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियाँ:-

शासनादेश संख्या-307/9-1-2011-133 सं०/2003 दिनांक 13-5-11 द्वारा दिनांक 29-6-1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विनियमनितकरण हेतु अधिसंख्यक पदों के सृजन के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश दिया गया था कि अधिसंख्यक पद के धारकों के सेवानिवृत्त या मृत्यु या पद छोड़ने की दशा में पद धारकों के पद समाप्त हो जायेंगे। सम्परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दैनिक वेतन पर कार्यरत निम्नलिखित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात भी 9 मृतक आश्रित के रूप में नियुक्तियों की गई थी जो अनियमित था। वर्ष 2017-18 की सम्परीक्षा में भी उक्त आपत्ति उठायी गई थी। अतः उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई अवगत कराया जाए अन्वधा सूची निम्नवत् है-

क्र०	नाम	पति/पिता का नाम
1	श्रीमती सुनीता	स्व० मनोज कुमार
2	श्री मी० कामिल	स्व० इरफान खान
3	श्री अमय कुमार	स्व० देवेन्द्र दत्त
4	श्रीमती इन्दू	स्व० श्याम बाबू
5	श्रीमती रेनु वर्मा	स्व० मुकेश कुमार
6	श्रीमती मधु शर्मा	स्व० मुकेश कुमार
7	श्री अनुराग नागर	स्व० विनोद कुमार
8	कु० भावना राजपूत	स्व० ओम प्रकाश
9	श्री प्रदीप कुमार	स्व० काननदेव प्रसाद

102-नगर निगम द्वारा संचालित बालिका इन्टर कालेज में कार्यरत अध्यापकों की सेवा पुस्तिका एवं नियुक्ति पत्रावली के अभाव में वेतन पर भुगतान किये गये रु०-3567935=00 का सत्यापन न होना :-

सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर पालिका बालिका इन्टर कालेज व अन्य नगर निगम के इन्टर कालेजों में नियुक्ति शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार वेतन का भुगतान किया गया था परन्तु इस वेतन की पुष्टि हेतु इन शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पत्रावली, सेवा पुस्तिका तथा उपस्थिति पंजिका सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिस कारण इन वेतन पर किया गया भुगतान का विवरण निम्नवत् है-

क्रम	बा०सं०	दिनांक	धनराशि	चैक संख्या	विवरण
1	870	24-2-20	454509	249332	14 अध्यापिका 5 चतुर्थ श्रेणी मकनपुर

2	871	24-2-20	531509	249332	21 अध्यापिका सिहानी गेट
3	872	—"—	795438	249332	20 अध्यापिका 6चतुर्थ श्रेणी सिहानी
4	874	—"—	835214	000114	20 अध्यापिका 5 चतुर्थ श्रेणी साहिबाबाद
5	875	—"—	644139	000114	16 अध्यापिका 4 चतुर्थ श्रेणी कैलाशपुर
6	876	—"—	307126	000114	10 अध्यापिका 3 चतुर्थ श्रेणी महरोली
	योग—	307126	3567935		

103— पेंशन भुगतान हेतु जीवित प्रमाण पत्र एवं पेंशन भुगतान पंजिका का उपलब्ध न कराये जाने के कारण भुगतान असत्यापित रु०—5,45,26,467=00

सम्परीक्षा के समय सम्परीक्षा माहों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान की गयी पेंशन के व्यय प्रमाणको की जांच से प्रमाश में आया कि निगम द्वारा निम्न व्यय प्रमाणकों के माध्यम से निगम के पेंशन कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार रु०—54526467=00 का भुगतान किया गया था, परन्तु पेंशन हेतु किसी कर्मचारी का जीवित प्रमाण—पत्र सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा पेंशन भुगतान पंजिका भी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही मात्र बैंकवार भुगतान किये छी व्यय प्रमाणकों के सम्मिलित थी जिसके एक मुश्त भुगतान वारी दर्शायी गयी थी तथा मूल पेंशन तथा डी०ए० का कोई उल्लेख इस पर नहीं था अतः इस प्रकार बिना जीवित प्रमाण—पत्र प्राप्त किये तथा बिना पेंशन पंजिका तैयार किये पेंशन भुगतान अनियमित था उपर्युक्त प्रमाण—पत्र एवं पंजिका से भुगतान की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	बाउचर संख्या	दिनांक	चैक संख्या	घनराशि
1	103	9-12-19	059865	8836474
2	104	—"—	—"	690943
3	105	—"	059866	13774585
4	106	—"	059867	1897204
5	509	10-2-20	059924	15379111
6	510	—"	059925	11865015
7	511	—"	059926	1658445
8	512	—"	059927	424890
			योग—	54526467

उद्यान विभाग :

104-सिटी जोन के अन्तर्गत वार्ड संख्या-96 जैन मन्दिर रेलवे फाटक फलाई ओवर के नीचे लैण्डस्केपिंग कर सौन्दर्यीकरण के कार्य में अर्धदण्ड रूपया-1,22,830=00 न लिया जाना लेबर सेस जोड़ने के कारण रु०-7840=00 एवं त्रुटिपूर्ण गणना के कारण रु०-63 कुल रु०-130733=00 का ठेकेदार को अधिक भुगतान :-

उक्त कार्य का आगणन रु०-1228300=00 था कुल दो टैन्डर प्राप्त हुए थे। नियमानुसार कम से कम तीन टैन्डर प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाना चाहिए था। यह अनियमित था। सर्वन्यून टैन्डर नै०एस०पी०एस० इन्फ्रॉटेक का (-1.29%न्यून) रूपया-12,12,454.93 हेतु था। उद्यान प्रमारी के कार्यादेश संख्या-मीमो/उद्यान/2018-19 दिनांक-8-3-19 के अनुसार कार्य समाप्ति की अवधि 3 माह थी। अवर अभियन्ता श्री दिनेश चन्द्र शर्मा की माप पुस्तिका 5847 के पृ०सं० 5 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 24-6-2019 थी। कार्यादेश के दिनांक-से 3 माह दिनांक-7-6-19 को पूर्ण हो रहे थे। इस प्रकार कार्य 17 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ था अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या-02 के अनुसार विलम्ब की दशा में ठेकेदार से सम्पूर्ण कार्य की आगणन राशि के 1% प्रतिदिन (विलम्ब अवधि) की दर से अर्धदण्ड लिया जायेगा किन्तु यह अर्धदण्ड आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसी दशा में आगणित राशि रु०-12,28,300/-का 10 प्रतिशत 122830/-अर्धदण्ड के रूप में ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए था किन्तु पत्रवली के अनुसार ठेकेदार से कोई अर्धदण्ड नहीं वसूली था जिस कारण नगर निगम को रूपया-122830/-की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(2)-माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 10 पर बनाये गये एक्सट्रैक्स ऑफ कास्ट में अवर अभियन्ता श्री दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा किया गया कार्य रु०-796785=85 दर्शाया गया था जिसे लेखा अनुभाग द्वारा संशोधित कर रु०-794250/-किया गया था। किन्तु यह भी त्रुटिपूर्ण था। सही गणनानुसार किया गया कार्य 794191=85 का था जिस पर अन्य गणनाओं के पश्चात कुल 83/-रुपये का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

(3)-अवर अभियन्ता श्री शर्मा द्वारा माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-10 पर एवं बिल में लेखा विभाग द्वारा 1% लेबर सेस जोड़कर ठेकेदार को भुगतान किया गया था। श्रम विभाग उ०प्र० के पत्र संख्या-392/36-2-2010 दिनांक26-2-2010 के अनुसार जिस प्रकार ठेकेदार के देयकों से आयकर की कटौती होती है। उसी प्रकार श्रम उपकर (लेबरसेस) की कटौती की जानी चाहिए थी। ठेकेदार द्वारा लेबर सेस का भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार बिल में 1 प्रतिशत लेबर सेस रुपये-7840/-जोड़कर ठेकेदार को भुगतान किये जाने के कारण ठेकेदार को रुपये-7840/-का अधिक भुगतान किया गया था। यह अनियमित एवं आपत्ति जनक था।

(4)-नगर निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से काटी गयी काटौतियाँ 12 प्रतिशत जी०एस०टी० रु०-94080/-सेस रु०-8859/-शायल्टी रु०-25725/-आयकर टी०डी०एस० रूपया-20075/-आदि के सम्बन्धित विभागों में जमा के घालान पत्रावली में

संलग्न नहीं थे जिस कारण इनसे सम्बन्धित विभागों में जमा का सत्यापन न हो सका। इन्हें प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाय।

उक्त अधिक भुगतान रु०-130733/-की वसूली सुनिश्चित की जाय।

105-डी०एल०एफ० भोपुरा से सीमापुरी रोड तक बोझा मोड सिटी जोन में कुल दो विलोपित कूड़ाघर के सौन्दर्यीकरण के कार्य में पायी गयी अनियमितताएँ एवं अधिक तथा सदृश्य भुगतान रुपये-9347/-

उक्त कार्य हेतु कुल तीन निविदाये प्राप्त हुयी थी। न्यूनतम निविदा (-1.40 प्रतिवस्त न्यून)मै० सुलभा एन्टरप्राइजेज का रुपये-76906=03 की थी। उक्त कार्य का व्ययानुमान रुपया-77998/-का था। कार्य का कुल स्थल-195 वर्गमीटर था। उद्यान प्रभारी द्वारा पत्रांक मीमो/उद्यान/2019-20 दिनांक-29-6-19 द्वारा कार्यादेश दिया गया था। उक्त कार्य की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा 26-2-19 को दी गयी थी फिर धार माह विलम्ब से निविदा आमंत्रण का औचित्य स्पष्ट किया जाय। उक्त कार्य की पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 15 दिवस थी।

उक्त कार्य की पत्रावली के नोटिंग साइड के पृष्ठ संख्या-5 पर फर्म द्वारा प्राप्त बिल संख्या-1102 दिनांक 9-7-19 अंकन रुपया-71884/-के भुगतान की संस्तुति की गयी थी जिसे उद्यान, लिपिक उद्यान निरीक्षक जोनल ऑफीसर, मोहन नगर एवं अपर नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया था। तदनुसार पत्रावली के नोटिंग शीट संख्या-6 पर फर्म द्वारा प्राप्त बिल संख्या-1102 दिनांक-09-7-2019 अंकन रुपया-66535/-के भुगतान की संस्तुति की गयी थी जिस पर उद्यान लिपिक एवं उद्यान निरीक्षक के हस्ताक्षर थे। पुनः नोटिंग शीट संख्या-7 पर फर्म द्वारा प्राप्त बिल संख्या-1102 दिनांक-09-7-2019 अंकन रुपये-74896/-की समान कार्य हेतु संस्तुति की गयी थी जिसे उद्यान लिपिक उद्यान निरीक्षक, उद्यान प्रभारी, अवर अभियन्ता एवं अपर नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया गया था।

पत्रावली में संलग्न बिल संख्या-1102 दिनांक-09-7-2019 पत्रावली के पृ०संख्या-30 जो स्टॉक रजिस्टर के पृ०सं०-49 पर दर्ज था किन्तु पैन द्वारा कराये गये कार्य के अनुसार संशोधन किया गया था जो अंकन रुपया-65549/-का था जिस पर फर्म के अधिकारी के हस्ताक्षर थे एवं उद्यान निरीक्षण एवं उद्यान प्रभारी द्वारा स्वीकृत/सत्यापित किया गया था। पैन द्वारा सही धनराशि रुपया-65549/-को उपरिलेखन करके रु०-66549/-बना दिया गया था।

गार्ड फाईल में उक्त कार्य का बिल संख्या-1102 दिनांक-09-7-19 जो स्टॉक रजिस्टर के पृ०सं०-49 पर दर्ज था एवं उद्यान निरीक्षक तथा उद्यान प्रभारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/सत्यापित था, का भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या-187 दिनांक-09-12-19 द्वारा (रु०-1697 आपकर, रु०-749 लेबर सेस, रु०-50 आय कटौतीके पश्चात्) रुपया-70150 का लिया गया था। उक्त बिल 74896का था। लेखा विभाग द्वारा बिल पर गणना भुगतान योग्य धनराशि 72400/-की की गयी थी। जबकि

फर्म को चैक रु0-70150/-का दिया गया था। उक्त रूपया-2300/-की कटौती का कारण/औचित्य स्पष्ट किया जाय।

गार्ड फाईल में संलग्न बिल एवं पत्रावली में संलग्न बिल की भिन्नता का कारण स्पष्ट किया जाय।

एक ही बिल की तीन विभिन्न घनराशियों की तीन बार अधिकारियों से स्वीकृति लेने, पत्रावली में गार्ड फाईल में अलग-अलग घनराशियों के बिल होने, लेखा विभाग द्वारा रूपये-72400/-की स्वीकृति लेकर रु0-70150/-का भुगतान करने से स्पष्ट था कि उक्त बिल का भुगतान अनियमित, आपत्ति जनक एवं संदिग्ध था तथा रूपया-74896-65549=9347/- का स्पष्ट अधिक/संदिग्ध भुगतान पत्रावली की जांच से परिलिखित हुआ। इस सम्बन्ध में जांच कराये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है एवं उत्तरदायी से रूपये-9347/-की वसूली कर निगम निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

106-वार्ड-97 चन्द्रनगर एच0आई0जी0 ए ब्लॉक में पार्क मरम्मत व रंगाई पुताई के कार्य में अर्धदण्ड न वसूले जाने के कारण रूपये-5810/-की आर्थिक क्षति एवं लेबर सेस रु0-428/-का ठेकेदार को अनियमित भुगतान-

उक्त कार्य की आगणन राशि-83,000/-थी। सर्वन्यून निविदा (1.50%न्यून) मै0 टी0एण्ड टी0एण्ड इन्जी0 प्रा0लि0 की रूपया-81755 हेतु थी। उद्यान प्रमारी के कार्यादेश संख्या-मीमो0/उद्यान 2018-19 दिनांक-8-3-19 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 15 दिवस अर्थात् 23-3-19 थी जबकि माप पुस्तिका संख्या-6448 के पृ0सं0-03 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 30-3-19 थी। इस प्रकार 07 दिन कार्य विलम्ब से हुआ था। अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या-2 के अनुसार आगणन राशि के 01 प्रति दिन की दर से अनुसार 7×830=5810/-का विलम्ब दण्ड न वसूलने के कारण नगर निगम को रु0-5810/-की आर्थिक क्षति हुयी थी।

बिल एवं अवर अभियन्ता द्वारा एम0बी0एस0-6448 के पृ0सं0-5 पर ठेकेदार को 1 प्रतिशत लेबर सेस रु0-428 जोड़कर दिया गया था जबकि शासनादेशानुसार लेखा सेस का भुगतान का दायित्व ठेकेदार का ही था। इस प्रकार ठेकेदार को रूपये-428/-का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त की वसूली सुनिश्चित किया जाय।

107-वार्ड-68 ब्रज विहार में पार्क की मरम्मत व रंगाई पुताई के कार्य में अर्धदण्ड रूपया-5900/-न वसूलने के कारण आर्थिक क्षति एवं लेबर सेस का ठेकेदार को अनियमित भुगतान रूपया-457/-एवं रामलीला ग्राऊन्ड के पीछे पार्क मरम्मत कार्य में ठेकेदार रु0-613/-का लेबर सेस का अनियमित भुगतान :-

उक्त कार्य का आगणन रूपया-59000/-था कुल तीन निविदायें प्राप्त हुयी थी। सर्वन्यून निविदा (1.50%न्यून)रूपया-58115 की मै0 टी0 एण्ड टी0 एस0इन्जी0 प्रा0लि0 की थी। उद्यान प्रमारी के कार्यादेश संख्या-मीमो0/उद्यान/2018-19 दिनांक-08-3-19 के अनुसार कार्य समाप्ति की अवधि 15 दिन अर्थात् 23-3-19 थी किन्तु माप पुस्तिका

संख्या-6515 के पृ0सं0-03 के अनुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक 29-4-19 था। इस प्रकार उक्त कार्य 37 दिवस बिलम्ब से हुआ था। अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या-2 के अनुसार ठेकेदार से रु0-5900/-अर्धदण्ड की वसूली की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी थी, जिस कारण नगर निगम को रुपया-5900/-की आर्थिक क्षति हुयी थी।

अवर अभियन्ता द्वारा एम0बी0 के पृ0सं0-5 पर ठेकेदार के बिल में भी 1 प्रतिशत लेबर सेस जोड़कर भुगतान किया गया था। यह अनियमित एवं शासनादेश के विपरीत था। ठेकेदार को रु0-457/- लेबर सेस का अनियमित भुगतान किया गया था। इसी प्रकार रामलीला ग्राउन्ड के पीछे पार्क मरम्मत में भी रु0-613/-लेबर सेस का ठेकेदार को भुगतान किया गया था। उक्त की वसूली सुनिश्चित किया जाय।

108-वार्ड-68 बृज बिहार डी ब्लॉक राधाकुंज में पार्क की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य में अर्धदण्ड रु0-6730/-न लिये जाने से आर्थिक क्षति एवं लेबर सेस का रु0-592/-का नियमितता भुगतान :-

उक्त कार्य की आगणन धनराशि-67300/- थी कुल तीन निविदायें प्राप्त हुयी थी। सर्वन्यून निविदा मै0टी0एण्ड टी0एस0 इन्जी0 कन्स0 प्रा0सि0 की (1.50%न्यून) रुपया-66290=50 हेतु थी। उद्यान प्रभारी के कार्यादेश संख्या-मीमो0/उद्यान/2018-19 दिनांक-26-2-19 द्वारा कार्य की अवधि एक माह थी। कार्यादेश के अनुसार उक्त कार्य दिनांक-25-3-19 को समाप्त हो जाना चाहिए था किन्तु माप पुस्तिका के पृ0सं0-3 पर कार्य पूर्ण होने की तिथि 21-4-2019 थी। इस प्रकार कार्य 30 दिन बिलम्ब से हुआ था अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार रुपये-6730/-की अर्धदण्ड की धनराशि न वसूल किये जाने से नगर निगम को रुपया-6730/-की आर्थिक क्षति हुयी थी। अवर अभियन्ता द्वारा एम0बी0 के पृ0सं0-5 पर एवं बिल पर भी 1 प्रतिशत लेबर सेस रुपये-592/-को जोड़कर ठेकेदार को भुगतान किया गया था। शासनादेश संख्या-392/36-2-2010 दिनांक-26-2-2010 के अनुसार लेबर सेस का भुगतान करना पूर्णतः ठेकेदार का दायित्व था। अतः रुपये-592/-का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

उक्त की वसूली सुनिश्चित की जाय।

109-वार्ड-74 वसुन्धरा सैक्टर-17, बी0-ब्लॉक में म0न0-501 के सामने स्थित पार्क मरम्मत के कार्य में अर्धदण्ड न वसूल किये जाने के कारण आर्थिक क्षति रु0-47500/-एवं सेस जोड़ने के कारण अधिक भुगतान रुपया-1813/-

उक्त कार्य का आगणन 475003=30 था। उक्त कार्य हेतु कुल 03 टैन्डर प्राप्त हये थे। न्यूनतम टैन्डर (-29.29 प्रतिशत न्यून) मैसर्स एस0पी0एस0 इन्फ्राटैक का था जो रुपया-रु0-335874.83 पर स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्य हेतु कार्यादेश संख्या-मीमो0/उद्यान/2018-19 दिनांक-02-11-2018 को दिया गया था जिसमें कार्य समाप्त करने की तिथि एक माह अर्थात् 01-12-18 थी। पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका संख्या-6742 के पृष्ठ संख्या-4 एप 5 के अनुसार कार्य समाप्ति का दिनांक 27-6-19 था अर्थात् उक्त कार्य 208 दिवस देरी से हुआ। अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या-2 के अनुसार

प्रतिदिवस अर्धदण्ड आगणन आगणित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा इस प्रकार ठेकेदार से रुपये-47500/-अर्धदण्ड के रूप में नहीं वसूल किये जाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति हुयी थी।

अवर अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका के पृ0स0-5 पर 01 लेबर सेस एवं थिल में भी रुपये-1813 उपर जोड़कर भुगतान किया गया था। जबकि श्रम विभाग उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-392/36-2-2010 दिनांक-26-2-2010 के आलोक में अनियमित एवं आपत्ति जनक था। उक्त पत्रांक के अनुसार जिस प्रकार श्रम उपकर(लेबरसेस)की भी कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार आयकर की भाँति ही लेबर सेस का व्यय ठेकेदार द्वारा वहन न किये जाने से रु0-1813/-का अधिक भुगतान ठेकेदार को हो गया था। उक्त की वसूली सुनिश्चित किया जाय।

लेखा विभाग :-

110-02प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली न होने से निगम को रुपये-3,16,06,54,002=00 की आर्थिक क्षति :-

सम्परीक्षा के समय 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि आलोच्य अवधि में नगर निगम को 02 प्रतिशत की धनराशि के अन्तर्गत निगम अंश 0.75 प्रतिशत की दर से रुपये-82,99,94,610/-प्राप्त होने थे परन्तु आलोच्य वर्ष में उक्त धनराशि के अन्तर्गत निगम अंश 0.75 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुये थे जिस कारण आलोच्य वर्ष की धनराशि रुपया-82,99,94,610/-वसूली हेतु अवशेष थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त गत एवं विगत वर्षों की वसूली योग्य धनराशि निम्न प्रकार थी। इसकी वसूली न होने से नगर निगम को रुपये-3,16,06,54,002=00 की आर्थिक क्षति हुयी थी। इसकी शीघ्र वसूली हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	अवधि	प्राप्त होने वाली राशि	प्राप्त राशि	अवशेष धनराशि
1	2010-11	456880688	349663915	107016773
2	2011-12	679633562	617217611	62415851
3	2012-13	518911042	0	518911042
4	2013-14	515507730	53602154	461905576
5	2014-15	695123783	407572439	287551344
6	2015-16	632142610	459796577	172346033
7	2016-17	633656344	596965201	36691143
8	2017-18	740057145	684124973	55932172
9	2018-19	873654686	245765328	627889358
10	2019-20	829994610	शून्य	829994610
	योग-	6575362200	3414708198	3160654002

**111- अस्थायी अग्रिमों के समायोजन न कराये जाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति
रूपये-22,91,53,747 /-**

सम्परीक्षा के समय अस्थायी अग्रिमों की जांच से प्रकाश में आया कि अस्थायी अग्रिम पंजी की प्रत्येक प्रविष्टि सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं थी। दिनांक-03-9-2015 से पूर्व की अस्थायी अग्रिम पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिस कारण अग्रिम के समायोजन की स्थिति अज्ञात रही। अस्थायी अग्रिम पंजी का अनुरक्षण वृत्तिपूर्ण ढंग से किया गया था। प्रत्येक वर्ष अस्थायी अग्रिम पंजी पृथक् पृथक् अनुरक्षित की जानी चाहिए थी। लगातार एक ही अस्थायी अग्रिम पंजी अनुरक्षित किये जाने से अग्रिमों के समायोजन की स्थिति अज्ञात रहती थी। नियमानुसार अद्यतन अस्थायी अग्रिम पंजी बनाकर पूर्व के असमायोजित अग्रिमों की प्रविष्टि करके अस्थायी अग्रिमों की कुल धनराशि रु०-229153747/-का सत्यापन कराया जाय तथा समस्त असमायोजित अग्रिमों की शीघ्र समायोजित कराने की कार्यवाही की जाय।

वर्ष-2017-18 की सम्परीक्षा-आख्या के अनुसार असमायोजित अग्रिमों की धनराशि रूपया-23,88,73,990/-थी। वर्ष-2018-19 की सम्परीक्षा के दौरान रूपया 12,46,29,997/- का समायोजन दर्शाया गया था एवं अवशेष अस्थायी अग्रिमों की धनराशि रु०-11,42,43,993/-दर्शाया गयी थी। वर्ष 2018-19 की सम्परीक्षा आख्या के समय समायोजित किये गये अस्थायी अग्रिमों रूपया-12,46,29,997/-की सूची सम्परीक्षा आख्या में अनुपलब्ध थी।

अग्रिम पंजिका में दिनांक-03-9-2015 से प्रविष्टि किये गये अग्रिमों से यह स्पष्ट नहीं था कि उन अग्रिमों को पूर्व में दिये गये अग्रिमों के साथ समायोजित किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाय कि अग्रिम पंजिका में प्रविष्टि पीछे से फॉरवर्ड करके लाये गये हैं यह नहीं। अग्रिमों का समायोजन इतनी लम्बी अवधि से न कराया जाना अस्थायी गबन था द्योतक था जो अत्यन्त अनियमित था एवं निगम को भी निरन्तर आर्थिक क्षति हो रही थी। अस्थायी अग्रिमों के समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निगम के उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अस्थायी अग्रिम पंजिका में दिनांक-03-9-2015 से अस्थायी अग्रिम दर्शाये गये थे। अग्रिम पंजिका में वर्ष-2015 से अग्रिम असमायोजित दर्शाये गये थे जिसको लगभग 05 वर्ष हो चुके थे। इसका समायोजन की कार्यवाही कर सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय। असमायोजित अग्रिमों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"म" पर संलग्न है।

टिप्पणी-(1)-वर्ष-2018-19 में अस्थायी अग्रिम समायोजन रु०-12,46,29,997/- विषयक उप निदेशक के पत्र संख्या-मै०म०/685 दिनांक-8-9-2021 एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या-243/2021-22 दिनांक-13-9-21 के अनुक्रम में मांगे जाने पर वर्ष-2018-19 में समायोजित अग्रिमों के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख, बाउन्डरिल,रोकडबही आदि सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

112-नगर निगम द्वारा बैंक के चालू खातों में धनराशि जमा करने के कारण ब्याज की आर्थिक क्षति ₹0-15,43,184=45 :-

नगर निगम की वर्ष-2019-20 की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा विभिन्न बैंकों में निम्न विवरणानुसार चालू खाते अनुरक्षित किये गये थे।

उ0प्र0 शासन के पत्रांक-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 वित्त लेखा अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक-21-3-2012 के अनुसार किसी संस्था/संगठन निकाय को किसी भी प्रकार की धनराशि को बैंक के चालू खाते में नहीं रखना है। बैंकों में निधियों का संचालन करना है तो बचत खाता खोलकर धनराशि जमा की जायेगी।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में यदि निगम द्वारा चालू खाते में धनराशि रखने के स्थान पर बचत खाते में धनराशि रखी जाती तो 4 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त होती जो ₹0-15,54,184=45 थी जिससे निगम को बंचित रखा गया था।

इस प्रकार स्पष्ट था कि यदि निगम द्वारा 38579611=26 को चालू खाते में स्थान पर बचत खाते में रखा जाता तो ₹0-15,54,184=45 की आर्थिक क्षति के नगर निगम को बढ़ाया जा सकता था। इस सम्बन्ध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार	31-3-20 को अवशेष रुपये
1	आई0सी0आई0सी0आई, नवयुग मार्केट	628605013722	चालू खाता	763019=73
2	आई0सी0आई0सी0आई0, आर0डी0सी0	628605013723	—"	2060216=98
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नवयुग मार्केट	555201010024001	—"—	22295442=08
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नवयुग मार्केट	555201010024002	—"	8167298=38
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वसुन्धरा	617501010050081	—"	152453=50
6	पंजाब नेशनल बैंक, सूर्यनगर	1443002100416501	—"	2776087=61
7	पंजाब नेशनल बैंक, वसुन्धरा	3946002100002579	—"	1496339=58
8	पंजाब नेशनल बैंक, विजयनगर	3946002100005512	—"	868753=40
			योग—	38579611=26

113-बजट समीक्षा :-

नगर निगम की वर्ष 2019-20 की बजट समीक्षा के समय प्रकार में आया कि-

1- नगर निगम की निम्नलिखित मदों में गत वर्ष की तुलना में काफी कम आय प्राप्त हुयी थी। इससे निगम को आर्थिक क्षति सम्भावित थी-

क्र०	मद का नाम	2018-19	2019-20	कम आय
1	जलकर	391157368	369898441	21258927
2	सीवर कर	193748049	178788372	14959677
3	प्रेक्षाकर	1704693	1160320	544373
4	सामान्य लाईसेन्स	11368863	9683523	1685340
5	जल बिक्री से आय(जलमूल्य)	1122970	शून्य	1122970
6	भवन एवं दुकान	62372437	11120456	51251981
7	पार्किंग	22433613	11724823	10708790
8	रेका अन्य	291978	243490	48488
9	सीवर संयोजन	8762139	7978722	783417
10	प्रतिलिपि शुल्क	26114	20655	5459
11	स्टाम्प शुल्क से आय	255855589	23494630	232360959
12	जी०डी०ए०	11453988	शून्य	11453988

2-वर्ष-2019-20 में नगर निगम को निम्नलिखित मदों में बजट में किये गये प्राविधान से काफी कम आय प्राप्त हुयी थी।

क्रमांक	मद का नाम	प्राविधानित आय	वास्तविक आय	कम आय
1	गृहकर	750000000	579025800	170974200
2	जलकर	450000000	369898441	801011559
3	सीवरकर	250000000	178788372	71211628
4	विज्ञापन कर	100000000	51631565	48368435
5	प्रेक्षाकर	2000000	1160320	839680
6	आयकर	20000000	10116409	9883591
7	सामान्य लाईसेन्स	15000000	9683523	5316477
8	स्वास्थ्य लाईसेन्स	1500000	862429	637571
9	भवन एवं मूल्यपत्र	2000000	0	2000000
10	दुकान प्रीमियम	4000000	0	4000000
11	निष्प्रयोज्य सामग्री	5000000	1286510	37113490

12	जल बिक्री से आय(जलमूल्य)	1500000	0	15000000
13	अन्य	700000	0	700000
14	भवन एवं दुकान	70000000	1120456	58879544
15	अस्थायी प्रयोग भूमि	4500000	3223632	1276368
16	तरंगताल	6000000	0	6000000
17	पार्किंग	50000000	11724823	38275177
18	ठेका अन्य	10000000	243490	756510
19	नलया शुल्क	5000000	0	5000000
20	सीवर संयोजन	10000000	7978722	2021278
21	जल संयोजन	50000000	3479074	1520926
22	रोड कटिंग	5000000	46230455	3769545
23	जन्म मृत्यु पंजीकरण शुल्क	300000	18745	281255
24	बघ शाला	100000	0	100000
25	अर्धदण्ड	100000000	8701192	1298808
26	प्रतिलिपि शुल्क	50000	20655	29345
27	कॉजी हाउस	100000	0	100000
28	मेले हाट, प्रदर्शनी से आय	100000	0	100000
29	सौई मंदिर दान पत्र से प्राप्त राशि	1500000	322583	1177417
30	यूजर चार्जिज	1,00000000	16187789	83812211

उपरोक्त स्थितियों से स्पष्ट है। कि नगर निगम की आय गत वर्ष की तुलना में कम (क्रमांक 71 में उल्लिखित मदों) हुयी थी एवं क्रमांक-2 पर उल्लिखित मदों में बजट में प्राविधानित आय से कम आय प्राप्त हुयी थी। अतएव आय बढ़ाने के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही किये जाने के लिए नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

114-डायरेक्टर सी0 एन0 डी0 एस0 (E/M) को वित्तीय वर्ष-2013-14 में भेजे गये अग्रिम रूपये-6,39,66,000/-का समायोजन वर्तमान समय तक भी न किया जाना गम्भीर अनियमित/आपत्ति जनक था-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा के समय असमायोजित अग्रिम की जांच के समय प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या 451/13-3-2014 को डायरेक्टर सी0एन0डी0एस0(E/M) को रूपये-3,39,66,000/-का अग्रिम 90 एन0एल0पी0 एस0टी0पी0 रियेक्टर के पूर्णगठन हेतु दिया गया था। परन्तु वर्तमान समय तक भी इसका समायोजन प्राप्त न होना कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्राप्त न होना नगर निगम की

गम्भीर उदासीनता का प्रतीक था तथा दिये गये अग्रिम के दुरुपयोग की प्रबल सम्भावना थी। अतएव उक्त अग्रिम के सनायोजन हेतु अतिशीघ्र आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यदि उक्त के सम्बन्ध में कोई जांच/कार्यवाही की गयी हो तो तत्सम्बन्धी स्थिति से सम्परीक्षा को अग्रगत कराया जाय।

115- नगर निगम द्वारा वर्ष-2019-20 में विभिन्न फर्नों/टेकदारों/सप्लायरों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं रॉयल्टी तथा लेबर सेस से सम्बन्धित पंजी, जमा के चालान एवं उनको निर्गत फार्म-16ए तथा 16 की प्रति अप्रस्तुत :-

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं अधिवाचन संख्या-42 दिनांक-16-9-21 द्वारा मांग किये जाने के पश्चात् भी नगर निगम द्वारा वर्ष-2019-20 में विभिन्न फर्नों/टेकदारों/सप्लायरों से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस से सम्बन्धित पंजी जमा के चालान एवं उनको निर्गत फार्म 16ए की प्रति सम्परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस एवं उनके सम्बन्धित विभाग में जमा की पुष्टि न हो सकी तथा यह भी ज्ञात न हो सका कि नगर निगम द्वारा उक्त को फार्म-16ए निर्गत किये गये थे अथवा नहीं उक्त के अभाव में आयकर टी0डी0एस, जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस की कटौती, तथा इनके सम्बन्धित विभाग में जमा एवं फर्नों को निर्गत फार्म-16 की स्थिति अज्ञात रही। अतः इन्हें अयिलम्ब जांच हेतु प्रस्तुत किया जाय।

2-नगर निगम में वर्ष-2019-20 में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, की गणना जांच हेतु आयकर टी0डी0एस0, पंजी, अधिकारियों/कर्मचारियों की आय का विवरण, आयकर की गणना सम्बन्धी प्रपत्र, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80सी एवं अन्य धारा के अन्तर्गत मांगी गयी छूट से सम्बन्धित प्रपत्र तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी किये गये फार्म-16 की प्रतियाँ आदि तत्सम्बन्धी अन्य अभिलेख मौखिक एवं उक्त अधिवाचन द्वारा मांग किये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतएव उपरोक्त अभिलेखों को सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर आवश्यक जांच कराये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

116-रोकड बही एवं बैंक पासबुकों के शेष के मध्य अन्तर रूपये-28,10,53,858=51 का समायोजन न किया जाना अनियमित एवं आपत्ति जनक :-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा के समय निगम की रोकड बही एवं बैंक खातों की जांच के समय प्रकाश में आय कि निगम की रोकडबही एवं बैंक खातों के 31-3-20 के इतिशेष की घनराशि के मध्य काफी अन्तर था। रोकड बही के अनुसार कुल रूपये-3457018035=19 थी एवं बैंक खातों के अनुसार रु0-3175964176=68 थी। इस प्रकार रोकड बही एवं बैंक शेष के मध्य 3457018035=19 - 3175964176=68 =

281053858=51 का अन्तर था। इस प्रकार रोकड बही एवं बैंक खाते के मध्य अन्तर के समाधान हेतु वार्षिक लेखा बन्दी करते हुए बैंक समाधान विवरण बनाया जाना चाहिए जिससे रोकडबही एवं बैंक पासबुक के मध्य अन्तर 281053858=51 का समाशोधन किया जा सके।

यू0आई0डी0 एस0एस0एम0टी0 खाते में भी रुपया 151=50 का अन्तर था। नगर निगम के रोकड बही एवं बैंक पासबुक के मध्य अन्तर का समाशोधन सम्परीक्षा तिथि तक न किया जाना आपत्ति जनक एवं व्यपहरण जैसी सम्भावनाओं को बल देने वाला था। इस सम्बन्ध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

117-चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को अमान्य भुगतान रुपये-157,500/-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में घयनित माहों के व्यय प्रमाणों की जांच के समय प्रकाश में आया कि निगम द्वारा व्यय प्रमाणक संख्या-521 दिनांक-11-2-2020 द्वारा रुपये-157500/-का भुगतान चेक संख्या-249228 द्वारा आहूजा सक्सेना एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आर0एस0 गार्डेन न्यू पंधावली गाजियाबाद को नगर निगम गाजियाबाद को वर्ष-2018-19 हेतु प्रोफेशनल चार्ज फार आडिट फीस के रूप में किया गया था। उक्त कार्य हेतु फर्म द्वारा इनवायस नं0-ASC/2019-20/19 DATE-01-12-2019 रु0-1,75,500/-का बिल प्रस्तुत था जिस पर रु0-1,75,500/-की कटौती के पश्चात् रु0-1,57,500/- उपरोक्तानुसार फर्म को भुगतान किया गया था।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम गाजियाबाद आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग है जिसमें मुख्य नगर लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक के पद पर नगर निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षक हेतु कार्यरत है तथा निगम के लेखाधिकारी, लेखाकार एवं सहायक लेखाकार भी कार्यरत हैं। फिर भी नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 आडिट फीस हेतु प्रोफेशनल चार्ज का भुगतान किया जाना सम्परीक्षा में मान्य नहीं था यदि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट कराये जाने हेतु शासन का कोई आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय अन्यथा स्थिति में उक्त किया गया भुगतान अमान्य था। अतएव उक्त के सम्बन्ध में प्रमाणी आवश्यक कार्यवाही किया जाय अपेक्षित है।

118-नै0 नीता एसोसिएट्स से कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर ड्राफ्टमैन आदि की आपूर्ति हेतु अनियमित भुगतान रुपया-5,04,019=00

शासनादेश संख्या-374/2016/771/69-1-2016-14(56)/2016 दिनांक-20-5-2016 के पैरा-2 में व्यवस्था की गयी थी कि "शहरी अजीविका केन्द्र को आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने हेतु आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्रधिकरणों एवं स्थानीय निकायों द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जाये ताकि केन्द्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके एवं शहरी गरीबी उन्मूलन की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में जब शहरी अजीविका केन्द्र से आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न पदों पर कर्मी लिये गये थे फिर शासनादेश का उल्लंघन करते हुए किस दशा में नै0 नीता एसोसिएट्स से कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर एवं ड्राफ्टमैन लिये गये

थे, स्पष्ट किया जाय। यह आपत्ति जनक था। मै0 नीता एसोसिएट्स को निम्न विवरणानुसार किया गया भुगतान अनियमित था—

व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
225	11-12-19	138360	2 कम्प्यूटर आपरेटर 10000 प्रतिमाह
541	11-2-20	230434	09 सुपरवाइजर, ड्राफ्टमैन की आपूर्ति
617	15-2-20	135225	5 कम्प्यूटर आपरेटरों को भुगतान
	योग—	504019	

119-मै0 राजट्रेडिंग कं0 को हाइड्रोलिक आयल हेतु किया गया भुगतान रूपया-239700/-असत्यापित :-

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि मै0 राज ट्रेडिंग कं0 को व्यय प्रमाणक संख्या-227 दिनांक-11-12-19 चेक संख्या-000427 द्वारा रूपया-239700/-का भुगतान हाइड्रोलिक ऑयल के 06 बैरल कुल 1260 लीटर रूपया-39950/-प्रति बैरल की दर से क्य करने हेतु किया गया था। समीक्षा में उक्त से सम्बन्धित स्टॉक बुक, क्य पत्रावली एवं टैन्डर/कोटेशन आदि अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त धनराशि रु0-239700/-के भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः पत्रावली, टैन्डर/कोटेशन, स्टॉक बुक उपभोग पंजिका आदि प्रस्तुत कर उक्त का सम्परीक्षा में सत्यापन कराया जाय।

120-मै0 टी0पी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को पोर्टेबल कॉम्प्यूटर क्य हेत किया गया भुगतान रूपया-9860800/-असत्यापित :-

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा मै0 टी0पी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को उनके बिल सं0-3217 से 3220, 3260 से 3267, 3290 से 3293, 3323 से 3324 एवं 3380 दिनांक 26-3-2019 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक संख्या-603 दिनांक-13-2-2020 तथा रूपया-9860800/-का भुगतान कुल 19 संख्या में 12.5 कम पोर्टेबल कॉम्प्यूटर क्य करने हेतु भुगतान किया गया। सम्परीक्षा में उक्त क्य से सम्बन्धित पत्रावली टूल एण्ड प्लान्ट रजिस्टर, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदि प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके अभाव में उक्त व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका।

121-मै0 राज इलैक्ट्रिकल्स को द्यूबवैल संचालन हेतु किया गया भुगतान रु0-11,25,400/-असत्यापित :-

सम्परीक्षा में जांच के दौरान आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा मै0 राज इलैक्ट्रिकल्स गाजियाबाद को उनके बिलों के सापेक्ष निगम विभिन्न जोनों के द्यूबवैलों के संचालन हेतु निगम व्यय प्रमाणकों द्वारा भुगतान किया

गया था किंतु सम्परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली, टैन्डर, लॉगबुक सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये कार्य का सत्यापन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका। भुगतान का विवरण निम्नवत् था-

व्यय प्रमाणक सं०	दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	विवरण
246	16-12-19	192600	000203	मोहन नगर जोन के द्यूबवैल
247	16-12-20	785500	000203	सिटीजोन -"
752	16-10-20	147300	000106	मोहन नगर जोन के द्यूबवैल
	योग-	1125400		

122-व्यय प्रमाणक संख्या-49 दिनांक-4-12-19 रूपया-1016950/-का शहरी अजीविका केन्द्र को किये गये भुगतान में पायी गयी अनियमितताएँ :-

व्यय प्रमाणक द्वारा शहरी अजीविका केन्द्र को उनके बिल संख्या-सी0एल0सी0/045/ 2019-20 दिनांक-20-11-19 का भुगतान माह अक्टूबर-2019 में उनके द्वारा आउटसोर्सिंग पर लगी हुयी जनशक्ति हेतु किया गया था। उक्त भुगतान कुल 3440 उपस्थिति हेतु दर रूपया-250 प्रति उपस्थिति कुल रु0-8,60,000/-लाइब्रेरी नगर निगम में योजित अकुशल श्रमिकों हेतु भुगतान किया गया था, साथ ही ई0पी0एफ0 13 प्रतिशत रु071,11,800/-ई0 एस0आई0सी0 3.25 प्रतिशत रु0-27950/-एवं टेकेंदार का लान 2 प्रतिशत रु0-17200/- कुल रूपया-1016950/-में से आयकर रु0-450/-की कटौती करके शुद्ध भुगतान रु0-1016500/-किया गया था।

शहरी अजीविका के उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली, कार्मियों की उपस्थिति/मस्टर रोल, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 के सम्बन्धित विभागों में जमा चालान अप्रस्तुत रहे जिस कारण उक्त भुगतान का सत्यापन न हो सका। इन्हें सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाय।

123-पेंशन भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं पेंशन पंजी अप्रस्तुत :-

उप सम्परीक्षा माह दिसम्बर-2019 में माह नवम्बर-2019 व जुलाई-2019 से बडे हए डी0आर के एरियर कुल रु0-7235792/-एवं माह नवम्बर- की पेंशन राशि जो बैंकों में भेजी गयी थी रु0-2,51,99,206/- कन्टीजेन्ट बिल पर व्यय प्रमाणक बनाकर भुगतान किया गया था। एवं माह फरवरी-2020 में माह जनवरी-20 हेतु पेंशन/उपादान की राशि रु0-2,93,27,261/-का भुगतान किया गया था किन्तु सम्परीक्षा में बार-बार मांगे जाने पर भी पेंशन पत्रावलियाँ एवं पेंशन पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी जिनके अभाव में पेंशन एवं उपादान राशि की सन्धक जांच न हो सकी। इन्हें प्रस्तुत किया जाय।

124-व्यय प्रमाणक संख्या-47 दिनांक-4-12-19 द्वारा रूपया-2500000/-का जल निगम को भुगतान करने के सम्बन्ध में :-

व्यय प्रमाणक द्वारा परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल इकाई, उ0प्र0 को 50 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के संचालन व रखरखाव हेतु रूपया-25 लाख का भुगतान किया गया

था। उक्त भुगतान किस शासनादेश/अधिकारी के आदेश के अन्तर्गत किन नियमों एवं शर्तों के अधीन किया गया था। सम्परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया एवं न ही कन्टीजेन्ट बिल (जिसके द्वारा भुगतान किया गया था) के साथ उक्त से सम्बन्धित कोई भी पत्राज्ञात यथा आदेश, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, शर्तें एवं प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न किया गया था। उक्त के अभाव में उक्त भुगतान से सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट न हो सकी। इसे स्पष्ट किया जाय एवं सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय ताकि उक्त भुगतान का सत्यापन किया जा सकें।

125—मोहन नगर जोन के जमा चालान संख्या-06 दिनांक-01-02-2020 के द्वारा म्यूटेशन की प्राप्त धनराशि रूपया-1275 को रोकडबही में रूपया-12175/-अंकित करने से रूपया-10900/-का अधिव्य/अन्तर :-

संस्था के आय पक्ष से सम्बन्धित सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि मोहननगर जोन के द्वारा म्यूटेशन के रूप में चालान संख्या-06 दिनांक-01-2-2020 के द्वारा रूपया-1275 प्राप्त करके एच0डी0एफ0सी0 बैंक के खाता संख्या-50100290416233 में दर्शाया गया था। उक्त चालान एवं रसीद की जमा धनराशि रूपया71275 को रोकडबही में रूपया-12175/-अंकित किया गया था। इस प्रकार रूपया-12175-1275=10900/-की अधिक धनराशि रोकड बही में अंकित की गयी जिससे रोकडबही के शेष प्रभावित हो गये। आधिव्य धनराशि अंकित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

126—कविनगर जोन की रसीद संख्या-25873 जन्म/मृत्यु की धनराशि रूपया-715/-का रोकड बही में अंकित नहीं किया जाना अनियमित :-

कविनगर जोन की आय से सम्बन्धित रसीद संख्या-25873 जन्म/मृत्यु हेतु निर्गत की गयी थी इसकी जांच से प्रकाश में आया कि उक्त रसीद बुक की रसीद संख्या-031 से 100 तक की रसीदों को दिनांक-06-2-2020 से लेकर दिनांक-19-2-2020 तक काटा गया था।

उक्त रसीद की धनराशि रु07715/-को रोकड बही में अंकित नहीं किया गया था जो कि अनियमित था। उक्त धनराशियों को रोकड बही में अंकित बैंक शेष के साथ करके सत्यापन कराया जाय अन्यथा की स्थिति में धनराशि को सम्बन्धित से वसूल कर जमा कराया जाय एवं सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

127—बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि शासन को वापस न किया जाना अनियमित रूपये-1,54,73,720/- :-

सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि अप्रयुक्त अनुदान लेखों में नगर निगम को वर्ष 2005-06 से 2010 तक 12 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान की धनराशि में से रूपया'15473720/- दिनांक-31-3-2020 तक उपभोग नहीं किये गये थे और न ही इन्हें व्यय किये जाने हेतु शासन से कोई अनुमति प्राप्त की गयी थी। ऐसी स्थिति में उक्त अनुदान निगम खातों में अवरुद्ध था। इससे शासन को वापस न किया जाना

अनियमित था। सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाय कि अप्रयुक्त अनुदानों की यह धनराशि किस बैंक खाते, कोषागार में जमा है। इस धनराशि को अभी तक शासन को वापस न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए ब्याज सहित उक्त धनराशि वापस कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

128-राजस्व अनुभाग से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त राशि का उपभोग न किया जाना अनियमित रूपये-371574/- :-

सम्परीक्षा के समय अप्रयुक्त अनुदान के लेखे की जांच से प्रकाश में आया कि राजस्व अनुभाग से प्राप्त अनुदान जो शसनादेश संख्या-2021/1-10-2011/12(34)/2011 दिनांक-11-4-2011 द्वारा धनराशि-1,10,22,000/-दिनांक-23-12-2011 को प्राप्त हुयी थी। इसमें रूपया-371574/-की धनराशि विगत कई वर्षों से अप्रयुक्त चली आ रही थी। इसके उपभोग न करने का कारण स्पष्ट किया जाय एवं इसके उपभोग हेतु राजस्व अनुभाग से स्वीकृति प्राप्त की जाय अन्यथा स्थिति में इसे अतिशीघ्र सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

129-सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपभोग न किया जाना अनियमित रूपया-720854/- :-

सम्परीक्षा के समय अप्रयुक्त अनुदानों के लेखे की जांच से प्रकाश में आया कि विगत कई वर्षों से सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त अनुदान की राशि रूपया-720854/-अप्रयुक्त चली आ रही थी। इसके उपभोग न करने कारण स्पष्ट किया जाय एवं अप्रयुक्त अनुदानों को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

130-स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपभोग न किया जाना अनियमित रूपया-12906480/-

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत निगम को वर्ष-2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त अनुदान की राशि रूपया-12906480/- अप्रयुक्त थी। गत एवं विगत सम्परीक्षा आख्याओं में भी इसके उपभोग करने हेतु इंगित किया गया था। किन्तु यह धनराशि अभी तक अप्रयुक्त थी। इसका उपभोग सुनिश्चित किया जाय अन्यथा स्थिति में इसकी वापसी सुनिश्चित किया जाय।

131-निगम के बजट के में अंकित अन्य आय की धनराशि रूपया-109,18,614/-से सम्बन्धित अभिलेख वांछित :-

बजट के अनुसार आलोच्य अवधि में अन्य आय के रूप में निगम को रूपये-1,09,18,614/-की आय दर्शायी गयी थी। इस आय के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह आय किन-किन मदों से प्राप्त हुयी थी तथा यह किस प्रकार की आय थी। उक्त आय से सम्बन्धित अभिलेख शीघ्र सम्परीक्षा में प्रस्तुत करके आय का सत्यापन कराया जाय।

132—इण्डियन आयल कारपोरेशन मेरठ को डीजल के टैंकर कय हेतु बिना बिल प्राप्त किये ही मात्र कन्टीजेन्ट बिल के माध्यम से भुगतान किया जाना रूपया-01,13,49,132=00 अनियमित :-

सम्परीक्षा के समय आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि निम्न विवरणानुसार मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन मेरठ को डीजल टैंकर कय हेतु भुगतान किया गया था किंतु उक्त भुगतान से सम्बन्धित मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन का कोई भी बिल/इनवायस कन्टीजेन्ट बिल के साथ संलग्न नहीं था। अतः कय किये गये टैंकरों का बिल/इनवायस स्टाम्प पत्रिका, निर्गमन पत्रिका एवं लांग ड्रक उपलब्ध कराकर कय किये गये डीजल की पुष्टि कराये जाने/बिना बिल/इनवायस के मात्र कन्टीजेन्ट बिल के माध्यम से भुगतान कराया जाना अनियमित एवं आपत्ति जनक था किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत था :-

क्र0	बाउचर संख्या	दिनांक	भुगतानित धन0	चेक सं0
1	243	13-12-19	1285000	002590
2	330	19-12-19	1270000	001421
3	462	24-12-19	1270000	002593
4	661	30-12-19	1270000	000510
5	31	5-02-20	1327066	056434
6	313ए	10-02-20	1327066	002611
7	613	15-2-20	1327066	000544
8	633ए	20-2-20	1200000	001478
9	1133	27-2-20	1072934	000652
		योग—	11349132	

133—वाहनों के इन्श्योरेंस कराये जाने हेतु किये गये भुगतान में बीमा बाण्ड/भुगतान रसीद सम्परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से भुगतान संदिग्ध रूपया-17,21,608=00 :-

सम्परीक्षा के समय व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि निम्नविवरणानुसार निगम के वाहनों का बीमा विभिन्न फर्मों से कराया गया था परन्तु व्यय प्रमाणक के साथ बीमा बाण्ड एवं भुगतान रसीद संलग्न नहीं थी। उक्त बीमाओं से सम्बन्धित पत्रावली भी सम्परीक्षा में अग्रस्तुत रही जिस कारण कराये गये वाहनों के बीमा से सम्बन्धित शर्त आदि की जांच न की जा सकी। बिना बाण्ड के क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं होती तथा बाण्ड ही वाहन बीमा की पुष्टि करता है। अतः बिना बाण्ड के भुगतान संदिग्ध था, बीमा बाण्ड भुगतान की रसीद प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाय।

बाउचर सं0	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	कैसे भुगतान किया गया	विवरण
248	16-12-19	305960	000006	रिलायंस जनरल	कन्टीजेन्ट बिल पर 20

				इन्वोयर्स बैंक लि० नौएडा	वाहनों का बीमा न्य डम्पर हाइवर 10 टायरा
249	16-12-19	792000	000012	मै० लिबर्टी जनरल इन्वोयर्स लि० नौएडा	कन्टीजेन्ट बिल पर 80 डोर दू डोर टैम्पू का बीमा
250	16-12-19	623646	000007	मै० लिबर्टी जनरल इन्वोयर्स लि० नौएडा	कन्टीजेन्ट बिल पर 20 नग डम्पर हाईपर 10 नग आर सी 4 नग रोड स्वीपिंग मशीन
	योग-	1721606			

134-शहरी अजीविका केन्द्र (सिटी लिपली ह्रड सैन्टर) को किये गये भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियाँ अप्रस्तुत रहने से भुगतान रु-34215548/-असत्यापित :-

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा विभिन्न विभागों में मैन पावर सप्लाय हेतु शहरी अजीविका केन्द्र गाजियाबाद से विभिन्न पदों पर कार्य करने हेतु कर्मियों की आपूर्ति हेतु ठेका दिया था किंतु सम्परीक्षा में बार-बार मांगें जाने पर भी निम्न विवरणानुसार किये गये भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली अप्रस्तुत रही इस सम्बन्ध में दिये गये अध्याचन संख्या-04 दिनांक-14-6-2021 तथा अध्याचन संख्या-18 दिनांक-20-7-21 किये जाने के उपरान्त भी कोई उत्तर नहीं दिया गया यह स्थिति संतोषजनक नहीं थी उक्त के अभाव में किये गये भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

भुगतान का विवरण निम्नवत् है-

व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	घनराशि	कर्मियों की संख्या
399 से 411	21-12-19	12810000	1474
658	30-12-19	1009100	116
538	11-2-20	151799	06
546	11-2-20	752998	85
547	11-2-20	44329	05
548	—"	778117	85
549	—"	45805	05
557	12-2-20	1088000	122

558	—''—	1117600	122
559	—''—	1492300	170
560	—''—	1557300	170
561	—''—	174000	19
562	—''—	168400	19
563	—''—	1841300	201
564	—''—	1781900	201
614	15-2-20	1019400	115
615	—''—	796700	68
616	—''—	843200	46
677	24-2-20	1231600	135
678	—''—	1354900	148
679	—''—	1006500	110
680	—''—	613700	67
681	—''—	229000	25
682	—''—	2307600	253
	योग—	34215548	

135—बोर्ड प्रस्तावित ठेका सफाई कर्मचारियों को किये भुगतान रुपये—3,00,87,350/—से सम्बन्धित ठेका पत्रावली अप्रस्तुत :-

सम्परीक्षा में आलोच्य माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि बोर्ड प्रस्तावित ठेका सफाई कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार रू०—30087350/—का भुगतान किया गया था। उक्त ठेके से सम्बन्धित पत्रावली बार-बार मांगे जाने एवं लिखित अधियाचन संख्या-04 दिनांक-14-8-21 तथा अधियाचन संख्या-09 दिनांक-15-7-2021 एवं अधियाचन संख्या-18 दिनांक-20-7-2021 किये जाने के उपरान्त भी पत्रावली अप्रस्तुत रही जिस कारण इसकी सम्यक जांच न हो सकी इसे प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाय।

किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् था -

बाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	श्रमिकों की सं०
210	10-12-19	1398350	136
211	—''—	1649550	154
212	—''—	521500	51
213	—''—	573300	55
621	15-2-20	2415650	227
623 से 624	—''—	1636950	154
628	18-2-20	1863850	182

629 से 630	—"	1397550	136
631 से 633	—"	2529400	243
640	20-2-20	2677050	226
641 से 645	—"	2670500	274
867 एवं 868	24-2-20	2997150	288
869	—"	3337050	318
873	—"	2828750	260260
1137 एवं 1138	27-2-20	1590750	292292
	योग—	30087350	

136—आऊट सोर्सिंग कर्मचारियों की पत्रावली सम्परीक्षा में अग्रस्तुत :-

सम्परीक्षा में लिखित एवं मौखिक रूप से मांग किये जाने पर भी नगर निगम में आऊट सोर्सिंग कर्मचारियों की पत्रावली सम्परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि सम्परीक्षा माह के व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि निगम द्वारा विभिन्न विभागों में सफाई कर्मचारियों/ड्राइवरों/हैल्परों/लिपिक/इलेक्ट्रीशियन आदि की आपूर्ति ली गयी थी। सम्परीक्षा में पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट न हो सका कि आऊट सोर्सिंग कर्मचारियों का ठेका किस फर्म को किस-किस नियम एवं शर्तों के अनुसार तथा ठेकेदार द्वारा ठेका की समस्त आहंताएँ पूरी करता था अथवा नहीं। ठेके में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था अथवा नहीं तथा फर्म कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत है अथवा नहीं।

(I)—आलोच्य वर्ष में ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की कितनी धनराशि नगर निगम द्वारा ठेकेदार को दी गयी तथा ठेकेदार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों की कितनी धनराशि जमा कि जमा के चालानों से इसकी पुष्टि करायी जाय।

(II)—ठेकेदार द्वारा आलोच्य वर्ष में कितनी जी0एस0टी0 की धनराशि निगम से प्राप्त की गयी तथा कितनी धनराशि कोषागार में चालानों के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करायी गयी स्पष्ट किया जाय।

137—नगर निगम की सम्परीक्षा में बार-बार मांग किये जाने पर भी निगम द्वारा विभिन्न आय की रसीदें उपलब्ध न कराया जाना अनियमित :-

सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित अधियाचन संख्या-04 दिनांक-14-6-21 एवं अधियाचन संख्या-09 दिनांक-05-7-2021 एवं 18 दिनांक-20-7-21 दिये जाने के उपरान्त भी निम्नलिखित रसीदें सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण इन रसीदों से प्राप्त आय की धनराशि की सम्यक जांच सम्भव न हो सकी। इन्हें शीघ्र प्रस्तुत करके जांच कराकर सत्यापित कराया जाय।

25973	पार्क ड्रुकिंग
25980	सामुदायिक केन्द्र/पार्किंग शुल्क
25967	किराया
25974	जल संयोजन/सीवर संयोजन संयोजन/टैंकर शुल्क

25944	लाइसेन्स शुल्क
25901	—“—
116	जुर्माना
183	—“—
075	—“—
179	—“—
138	—“—
194	—“—
132	—“—
170	—“—
135	—“—
125	—“—
25968	लाइसेन्स शुल्क
25964	नकल फीस
25965	—“—
25981	टैकर शुल्क
25932	—“—
25945	लाइसेन्स शुल्क
25984	समुदायिक केन्द्र
25965	नकल फीस
25963	आश्रय योजना
25720	आर०टी०आई० शुल्क
25975	जन्म मृत्यु
25937	—“—
25985	लाइसेन्स शुल्क
25988	किराया सामुदायिक केन्द्र
25989	कुटेशन शुल्क
25987	पार्क बुकिंग
25992	किराया सामुदायिक केन्द्र
910	लाइसेन्स शुल्क
25946	—“—
25990	नकल फीस
52	साई मन्दिर
53	—“—
54	—“—
25986	कुटेशन शुल्क
911	लाइसेन्स शुल्क

25977	जन्म मृत्यु
208	प्रवेश शुल्क
25983	जन्म मृत्यु
25995	किराया सामुदायिक केन्द्र
25993	जन्म मृत्यु

कर विभाग

**138-नगर निगम द्वारा जलममल्य लागू न किये जाने से निगम को आर्थिक क्षति रूपये—
34,52,58,900 / - :-**

शासनादेश संख्या-1810-नौ-2-96-57(2)/96 नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक-8-1-1997 के अनुसार जलापूर्ति व्ययों में हो रही वृद्धि को वृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा उप विधि बनाकर रुपये-75 प्रतिमाह प्रति संयोजन करेलू तथा 300 प्रतिमाह प्रति संयोजन गैर घरेलू संयोजनों पर लागू किया जाना चाहिए था। किन्तु शासनादेशानुसार निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिससे जल मूल्य की धनराशि आरोपित कर वसूल नहीं की जा रही थी निगम द्वारा जल मूल्य आरोपित न किये जाने के कारण निगम को लगातार आर्थिक क्षति हो रही थी। निगम में जल कनेक्शनों से सम्बन्धित कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे। जल कनेक्शनों की पंजी अभिलेख अनुरक्षित करके कनेक्शन नं० आबंटित किया जाना चाहिए था जबकि नगर निगम द्वारा जल संयोजनों की पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि नगर निगम द्वारा अथवा जल निगम द्वारा कितने कनेक्शन कहाँ-कहाँ संयोजित किये गये थे। इस सम्बन्ध में विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। सम्परीक्षा में जलकल अनुभाग द्वारा जल संयोजनों की पंजिका उपलब्ध न कराये जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निगम में जल संयोजनों की संख्या आलोच्य अवधि में कितनी थी। विगत सम्परीक्षा आख्या वर्ष-2017-18 के अनुसार कुल संयोजनों की संख्या-243879 थी। यदि गत एवं आलोच्य वर्ष में इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो ये 243879+24388=295094 वर्ष 2019-20 में कुल कनेक्शनों की संख्या होनी चाहिए थी यदि कुल संयोजनों में से 90 प्रतिशत घरेलू तथा 10 प्रतिशत कनेक्शन व्यवसायिक माना जाय तो नगर निगम को 265585+75+12=239026500 घरेलू कनेक्शन हेतु + 29509+300+12=10,62,32,400 कुल रूपये-345258900/-लगभग की आलोच्य अवधि में आर्थिक क्षति संस्था को हुयी थी परन्तु नगर निगम के बजट में उक्त मद में कोई आय दर्शायी नहीं गयी थी जबकि लगभग रू०-345258900/- जल मूल्य का आरोपण आलोच्य अवधि हेतु करके वसूली की जानी चाहिए थी अतएव नगर निगम को जल मूल्य का आरोपण न किये जाने के कारण आलोच्य अवधि में हुयी आर्थिक क्षति रूपये-34528900/-के सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

139-वृद्धिपूर्ण कर निर्धारण के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति रुपये-90,22,451=00

सम्परीक्षा में विजय नगर जोन में कर निर्धारण की पत्रावलिओं की जांच से निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आयी-

(1)रेनवो पब्लिक स्कूल, पी0-ब्लाक, सैक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद का दिनांक-01-04-2016 में कर निर्धारण रु0-5,35,500/-ए0आर0वी0 पर निम्नवत् किया गया था

आर0सी0सी-20000 वर्ग फूटX.86X12माहX3गुना आवासीय दर का = 475200=00

खुली भूमि 7500वर्गफूट X.22X12माहX3गुना आवासीय दर का = 59440=00

योग-5,34,640=00

उक्त कर निर्धारण को दिनांक 01-4-2019 में रिवाइज किया जा निम्नवत था-

आर0सी0सी-30829 वर्ग फूटX1.62X12माह = 599221=00 (सही गणना-599316)

खुली भूमि 30279वर्गफूट X0.40X12माह = 145339=00

योग-744500=00 सही गणना-744655

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-3005/नौ0-9-2013-85ज/05 टी0सी0 दिनांक 27 दिसम्बर, 2013, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 का प्रख्यापन किया जा चुका था। जिसके अनुसार प्राईवेट/पब्लिक स्कूल का कर निर्धारण आवासीय का तीन गुना होना चाहिए। उक्त नियमावली के अनुसार रेनवो पब्लिक स्कूल का कर निर्धारण 01-4-2019 को निम्नवत् होना चाहिए था-

आर0सी0सी-30829 वर्ग फूटX1.62 दरX12माहX3गुना (आवासीय दर का) = 1797947=00

खुली भूमि 30279वर्गफूट X.40 दरX12माहX3गुना आवासीय दर का = 436018=00

योग-2233965=00

उक्त गणना से स्पष्ट था कि वृद्धिपूर्ण कर निर्धारण के कारण न्यू रेनवो पब्लिक स्कूल का कर निर्धारण रुपया-2233965-744500=1489465/- प्रतिवर्ष की क्षति हुयी थी।

(2)- उक्त की भांति न्यू डायमण्ड पब्लिक स्कूल पी0 ब्लाक/3 विजय नगर सैक्टर-12 प्रताप विहार गाजियाबाद का दिनांक-01-4-2016 को कर निर्धारण निम्नवत किया गया था-

आर0सी0सी-32000 वर्ग फूटX0.66 दरX12माहX3गुना = 760320=00

दिनांक-01-4-2016 से उक्त स्कूल का पुनः कर निर्धारण निम्नवत् किया गया था-

आर0सी0सी-58750 वर्ग फूटX1.3 दरX12माह = 916494=00

खुली भूमि 36368वर्गफूट X0.3 दरX12माह = 130925=00

योग-1047425=00

सही गणनानुसार-1047425/-

नियमावली के अनुसार उक्त स्कूल का कर निर्धारण आवासीय का तीन गुना निम्नवत् होना चाहिए था—

आर०सी०सी—58750 वर्ग फूट $\times 1.3$ दर $\times 12$ माह $\times 3$ गुना = 2749500 = 00

खुली भूमि 36368 वर्गफूट $\times 0.3$ दर $\times 12$ माह $\times 3$ गुना = 392774 = 00

योग—3142274 = 00

उक्त गणना से स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण उक्त स्कूल का कर निर्धारण 3142274—1047420 = 2094854 रूपया प्रतिवर्ष कम किया गया था। त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण निगम को रूपया—2094854 /—की क्षति प्रतिवर्ष हुई थी।

(3)—विजयनगर जोन में स्थित इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एण्ड मैनेजमेंट 13/1 एस०एस० जी०टी०रोड गाजियाबाद का 01-04-2018 से निम्नवत् कर निर्धारण रिवाईज किया गया था जबकि इससे पूर्व इसका कर निर्धारण वर्ष-2011 में किया गया था। नियमानुसार दो वर्ष परचात् कर निर्धारण होना चाहिए था। ऐसा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय—

आर०सी०सी—73188 वर्ग फूट $\times 1.3$ दर $\times 12$ माह $\times 3$ गुना = 3425198 = 00

खुली भूमि 80500 वर्गफूट $\times 0.3$ दर $\times 12$ माह $\times 3$ गुना = 653400 = 00

योग—4078598 = 00

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर)(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 का प्रख्यापन दिनांक—27-12-2013 में किया जा चुका था।

जिसके अनुसार उक्त इन्स्टीट्यूट का कर निर्धारण आवासीय का पांच गुना किया जाना चाहिए था जबकि निगम मात्र तीन गुना कर निर्धारण किया गया था उक्त से स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण निम्नवत् आर्थिक क्षति पहुँची थी—

आर०सी०सी—73188 वर्ग फूट $\times 1.3$ दर $\times 12$ माह $\times 5$ गुना = 5708864 = 00

खुली भूमि 60500 वर्गफूट $\times 0.3$ दर $\times 12$ माह $\times 5$ गुना = 1089000 = 00

योग—6797864 = 00

उक्त से स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण रूपया—6797864—4078598 रूपया—2719066 /—प्रतिवर्ष अर्थात् 2018-19 एवं वर्ष—2019-20 में दो वर्ष हेतु कुल रूपये— 2719066 $\times 2$ = 5438132 /—की आर्थिक क्षति नगर निगम को पहुँची थी। यह अत्यधिक अनियमित एवं आपत्ति जनक था एवं निगम की लापरवाही का द्योतक था।

अतः क्रमांक—01 से 03 तक त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण कुल आर्थिक क्षति रूपये— 1489465 + 2094854 + 5438132 = 9022451 /— की हुयी थी। जो अनियमित एवं आपत्ति जनक थी। उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित थी। इस ओर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

140— निगम में ऑनलाईन जमा किया गया गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की धनराशि रूपये—1,12,77,12,613 /—असत्यापित :-

नगर निगम के मूल बजट के अनुसार वर्ष—2019-20 में गृहकर, जलकर एवं सीवरकर मद में रूपये—1,12,77,12,613 /—आनलाईन/मैनुअल प्राप्त हुए थे किन्तु

आनलाईन जमा से सम्बन्धित निगम के पास कोई लेखा जोखा नहीं था। निगम के खातों में आनलाईन सीधे धनराशि जमा की गयी थी। किन्तु किस मद की कितनी धनराशि जमा की गयी थी का विवरण नहीं बनाया गया था। जमा योग्य सम्पूर्ण धनराशि जमा की अथवा नहीं स्पष्ट नहीं हो सका। जोनो द्वारा मांग वसूली पंजी पूर्ण नहीं की जा रही थी। जिससे प्राप्त धनराशि की स्थिति अस्पष्ट थी।

आनलाईन जमा धनराशि का विवरण भवन स्वामी वार एवं मदवार बनाकर मांग वसूली पंजी में प्रविष्टी करके सत्यापन कराया जाय। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमा योग्य समस्त धनराशि जमा हो गयी थी अथवा नहीं। निगम द्वारा कोई अभिलेख अनुरक्षित न रखे जाने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आनलाईन ट्रांजैक्शन की समस्त धनराशि निगम को प्राप्त हो गयी थी। आनलाईन प्राप्त धनराशि की मांग वसूली पंजी में प्रविष्टियों कराकर भवन स्वामियों पर बकाया धनराशि की नोटिस जारी करने के उपरान्त ही सुनिश्चित किया जा सकता है कि आनलाईन की समस्त धनराशि निगम को प्राप्त हो गयी थी एवं किसी भी धनराशि का व्यपहरण/लोप नहीं किया गया था।

अतः आनलाईन धनराशि को मांग वसूली पंजी में मदवार अंकित कराकर बकाया की गणना करने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

141-नगर निगम समस्त जोन में कम्प्यूटर से निर्गत रसीदों की द्वितीय प्रति नियमानुसार प्रत्येक तिथिवार सुरक्षित न रखा जाना अनियमित:-

नगर निगम के समस्त जोन की सम्परीक्षा माहों की आय की जांच के समय प्रकाश में आया कि जोनो में कम्प्यूटर से भवन स्वामियों को निर्गत रसीद की द्वितीय प्रति निगम द्वारा सुरक्षित नहीं रखी जाती थी जिससे उसकी जांच संभव नहीं हो सकी। सम्परीक्षा के समय मात्र तिथिवार वसूली की गयी धनराशि का विवरण ही उपलब्ध कराया गया था उस विवरण को निगम द्वारा जोन की कैश बुक में 10 प्रतिशत गृहकर 10 प्रतिशत जलकर तथा 4 प्रतिशत सीवर कर के रूप में अंकित कर दिया जाता था। जोनो में मांग वसूली पंजी अनुरक्षित नहीं की जा रही थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन-किन भवन स्वामियों द्वारा कितनी धनराशि जमा की गयी थी तथा कितनी जमा किया जाना था। निगम द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न किये जाने से सम्परीक्षा माहों में प्राप्त आय की गणना किया जाना संभव नहीं हो सका तथा मांग वसूली पंजी अनुरक्षित नहीं किये जाने से जमा की स्थिति अज्ञात रही निगम द्वारा जोन की आय कितनी दिखायी गयी थी उसकी जांच न हो सकी। नियमानुसार निर्गत रसीदों में गृहकर जलकर एवं सीवर कर की धनराशि पृथक-पृथक अंकित होनी चाहिए रसीदों के आधार पर मांग-वसूली पंजी पूर्ण कर रसीदों के तिथि वार सुरक्षित रखा जाय, जिससे मांग वसूली पंजी तथा गृहकर निर्धारण आदि की जांच हो सके।

142-नगर निगम की विभिन्न जोनो में करो एवं राजस्व की आकूटडोर कलैक्शन न किया जाना अनियमित एवं वित्तीय हितों के प्रतिकूल :-

जोनो में करो के संग्रहण एवं राजस्व की वसूली से सम्बन्धित सम्परीक्षा किये जाने पर प्रकाश में आया कि जोनो में मात्र आन लाईन एवं काउन्टर पर ही करदाताओं द्वारा

स्वयं आकर करो को जमा किया जाता था जोन में स्थित कर्मियों द्वारा आऊट डोर कलैक्शन या तो बिलकुल नहीं था या नाम मात्र का था यह स्थिति नगर निगम की राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रतिकूल था इससे जहाँ एक ओर निगम की राजस्व की कम वसूली हो रही थी वहीं दूसरी ओर आऊट डोर कलैक्शन न होने के कारण करदाताओं में करो को समय से जमा न करने की प्रवृत्ति को भी बल मिल रहा था। अतः विभिन्न जोनों में आऊट डोर कलैक्शन बढ़ाने जाने हेतु अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

143— निगम की दुकानों मकानों से सम्बन्धित बाईलाज एवं किराया पंजी सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहना अनियमित :-

नगर निगम की विभिन्न सम्पत्तियों तथा दुकानों के किराये के निर्धारण एवं उनकों समय-समय पर बढ़ाये जाने से सम्बन्धित बाईलाज एवं किराया पंजी मार्गे जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त से सम्बन्धित कोई भी बाइलाज नगर निगम द्वारा नहीं बनाये गये है, बाईलाज के अभाव में दुकानों के किराये का निर्धारण एवं बढ़ाया जाना कैसे संभव हो रहा था, सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाय। जोनो में स्थित दुकानों के किराये से सम्बन्धित निगम एवं किराये दार के मध्य पूरे अनुबन्ध पत्र नियम एवं शर्तें मांगे जाने पर उपलब्ध पत्र नहीं करायी गयी, स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न होने की दशा में राजस्व के क्षति की भी पूर्ण संभावना थी यह स्थिति नगर निगम के वित्तीय एवं विधिक हितो के भी प्रतिकूल थी इस ओर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस आशय से आकर्षित किया जाता है कि दुकान किराये से सम्बन्धित किराया पंजी, सम्पत्ति पंजी, अनुबन्ध पत्र आदि अभिलेख सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

144—नगर निगम की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों में पायी गयी अनियमितताएँ :-

(क)—सिटी जोन की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि जोन के अन्तर्गत भवन (1)—संख्या-0185 पटेल नगर तृतीय भवन स्वामी श्रीमती किरण बाला/पत्नी संजय अग्रवाल के प्रार्थना-पत्र के आधार पर पूर्व भवन स्वामी श्रीमती कान्ता रानी से गिफ्ट डीड हुयी थी। जबकि नगर निगम द्वारा श्रीमती कान्ता रानी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। पूर्व भवन स्वामिनी श्रीमती कान्ता रानी जी-157 पटेल नगर प्रथम गाजियाबाद में रहती थी जिनका पता बैनाम में स्पष्ट लिखा था।

(2)—इसी प्रकार मकान नं० 180 अफगानान गाजियाबाद में मकान विक्रेता जितेन्द्र गर्ग शान्ति गर्ग केता छत्रपाल वर्मा पुत्र स्व० श्री राम वर्मा को मकान विक्रय किया था। इस सम्बन्ध में भी विक्रेता को नोटिस नहीं दिया गया था जबकि बैनामा पर विक्रेता का पता लिखा हुआ था विक्रेता का पता लिखा हुआ था विक्रेता का पता लिखा हुआ था विक्रेता का पता 40 कैला बालान दिल्ली गेट था।

(3)—केता मिथलेश बंसल पत्नी राम किशन एवं श्रीमती पायल बंसल पत्नी श्री शोभित बंसल विक्रेता कमल कुमार पुत्र श्री एल०बी० राम मकान नं० 45ई कालका गडो गाजियाबाद उक्त पत्रावली में विक्रेता को नोटिस नहीं था जबकि विक्रेता का पता के०बी० 94 कविनगर गाजियाबाद था। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति के

नाम परिवर्तन से सम्बन्धित जो भी पक्ष/व्यक्ति प्रभावित होते हैं उन सभी को नोटिस जाना/रिसीव कराना जाना तथा सम्बन्धित पक्ष की जानकारी हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना आवश्यक है। किन्तु उन्न क्रमांक 01 से 03 के प्रकरण में विक्रेता को ही नोटिस रिसीव नहीं कराया गया और न ही उनका पता उपलब्ध होने पर भी रजिस्ट्री पत्र द्वारा नोटिस भेजा गया। यह स्थिति नगर निगम के विधिक हितों के प्रतिकूल थी एवं न्यायालयों में अनावश्यक वाद विवाद को बढ़ाने वाली थी। इस सम्बन्ध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाय।

नगर निगम के समस्त जोन की सम्परीक्षा माहों की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि विजय नगर जोन में भवन संख्या ए/257 सैक्टर-09 ब्लॉक ए श्री विजय विक्रेता पक्ष एवं श्री संतोष कुमार मिश्रा एवं श्रीमती नीलम पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह क्रेता पक्ष थी उक्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेज से पता चला कि जोन द्वारा सम्बन्धित विक्रेता पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया था केवल भवन पर चस्पा दिया गया था जबकि उक्त से सम्बन्धित नोटिस विक्रेता एवं अन्य सभी पक्षों को दिया जाना चाहिए था जबकि विक्रेता का पता बैनामा पर अंकित था फिर भी विक्रेता को नोटिस नहीं दिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2)-इसी प्रकार भवन संख्या-इ-844 एम0आई0जी0 भूतल सैक्टर-11 प्रताप विहार गाजियाबाद प्रथम विक्रेता एवं श्री राज बहादुर पुत्र गंगा वासी निवासी-172 ए-4 रेलवे कालोनी बसन्त रोड नई दिल्ली द्वितीय विक्रेता श्री नित्यानन्द पुत्र श्री गंगाधर झा निवासी ए-229 सैक्टर-11 विजयनगर गाजियाबाद एवं क्रेता श्रीमती ब्रिजेश पत्नी श्री ओमपाल निवासी डी-49 गोविन्द पुरम गाजियाबाद थी उक्त पत्रावली में जोन द्वारा नोटिस मात्र क्रेता पक्ष को दिया गया था एवं उनके भवन पर चस्पा किया गया था जबकि विक्रेता पक्ष को भी नोटिस दिया जाना चाहिए था। उक्त से सम्बन्धित नोटिस अखबार के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाना चाहिए था। उन्न नाम परिवर्तन बैनामा के आधार पर किया गया था एवं बैनामा पर क्रेता का पता अंकित था। फिर भी जोन द्वारा विक्रेता को नोटिस नहीं दिया जाना का कारण औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(3)-भवन संख्या-124 द्वितीय तल टावर-बी गौर ग्लोबल विलेज कासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के विक्रेता कानपुर था जबकि उक्त भवन की निगम द्वारा निर्गत बिल संख्या-1920 वी0एन034839 में उक्त भवन के मालिक का नाम श्री आशुतोष गुप्ता अंकित था उक्त भवन के नाम परिवर्तन हेतु श्री प्रभात गुप्ता (क्रेता) द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था उक्त पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि मकान मालिक के नाम में भिन्नता थी अतः नगर निगम द्वारा बिना किसी आधार एवं साक्ष्य के मात्र नोटिस साइड में एक टिप्पणी अंकित की गयी थी कि " श्री आशुतोष गुप्ता के स्थान पर श्री आशु गुप्ता किया जा सकता है" उक्त टिप्पणी पर लिपिक टी0एस0 जोनल आफिसर के हस्ताक्षर थे सम्परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि मनमाने ढंग से विक्रेता/भवन स्वामी के नाम में परिवर्तन कर लेने का क्या औचित्य था। निगम द्वारा मात्र क्रेता श्री प्रभात गुप्ता को ही नोटिस दिया गया था एवं विक्रेता एवं अन्य सम्बन्धित पक्षों को कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया था जबकि बैनाम में श्री आशु गुप्ता का पूर्ण पता उपलब्ध था। अतः जोनल अधिकारी द्वारा उक्त नाम परिवर्तन का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(4)-विकेता श्री सुरेश कुमार (केता) एवं पक्ष श्रीमती डेयसी कुन्जुमोन पत्नी कुन्जुमोन चारी चान उक्त पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा विकेता पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया था जबकि विकेता का पता बैनामा में भवन संख्या-डी0-488/ए/। सैक्टर-11 प्रताप विहार अंकित था उक्त पते पर नोटिस न दिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(5)-भवन संख्या-1654 16 वॉ तल बेलिना टावर कांसिंग रिपब्लिक महागुन मस्कट जोकि विकेता पक्ष के बैनामे पर अंकित था उक्त पत्रावली में विकेता पक्ष श्रीमती रेनु कुमार पत्नी सुनील कुमार एवं केता री रामरूप सिंह थे पत्रावली की जांच में पता चला कि विकेता पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया था जबकि उपरिलिखित पता अंकित था जौनल अधिकारी द्वारा बिना विकेता को नोटिस दिये नाम परिवर्तन किस औचित्य से किया गया स्पष्ट किया जाय।

6- विकेता सतीश पुत्र श्री गोवर्धन दास एफ-65 द्वितीय तल विकास पुरी नई दिल्ली एवं केता पक्ष श्री अनिल कुमार मिश्रा पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार 110063 टावर 4 जी.एच-7 कांसिंग रिपब्लिक की पत्रावली में नगर निगम द्वारा विकेता को नोटिस नहीं दिया गया था जबकि बैनामा में विकेता का पता अंकित था। सम्बंधित पते पर नोटिस ना दिये जाने एवं सम्बंधित व्यक्तियों को नोटिस ना दिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

वसुन्धरा जोन-

वसुन्धरा जोन की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि भवन सं-सी 94/9-4 पिन सं.-यू एस आई 9912 रामप्रस्थ-सी श्रीमती प्रशान्त लता शर्मा के नाम था, इनकी मृत्यु के पश्चात् रंजन शर्मा एवं सुधाशु शर्मा के नाम म्यूटेशन आर्डर सं.-एम0ओ/2020/6387 द्वारा किया गया था। उक्त पत्रावली के आधार पर नोटिस सुधाशु शर्मा को दिया गया था, नोटिस न तो रंजन शर्मा को दिया गया और न ही भवन पर चप्पा किया गया था उक्त पत्रावली में विज्ञापन से सम्बन्धित संलग्न भी नहीं लगा था जो कि अनियमित था, उक्त नाम परिवर्तन में पारिवारिक समझौता एवं वारिसान प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया था।

इसी प्रकार अन्य

क्र०	विकेता का नाम एवं पता	केता का नाम एवं पता	म्यूटेशन सं०	पायी गयी अनियमितता
2	रंजीत सिंह एवं कुलदत्ता कौर मकान न० सी/198/एफ-5 रामप्रस्थ	मंजू गोयल	एम ओ/2020/6364 दिनांक 28-2-20	विज्ञापन नहीं किया गया था विकेता का बैनामे पर पता होने के बाद भी नोटिस नहीं भेजा गया था।
3	दीपा मकान -बी-34/एफ-1 रामप्रस्थ	न. शाहनी मैथ्यू	एम ओ/2019/4847 दिनांक 28-12-19	नाम परिवर्तन से सम्बन्धित नोटिस केता एवं विकेता दोनों को ही नहीं दिया गया

				धाम्यूटेशन की आर्डर कापी जो फाइल में संलग्न थी पर जोनल आफिसर के हस्ताक्षर नहीं थे।
4	श्रीमती रेखा कर्णवाल मकान सं०-सी/554/1एफ एल.आई. जी(2) ब्रिज विहार	सविता कारी	एम ओ/2020/6382 दिनांक 28-2-20	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
5	श्री अखिलेश कुमार लखेड़ा फ्लैट सं.-301 सेक्टर फ्लोर प्लॉट सं-160गीतिखण्ड इन्दिरापुरम	श्री चन्दन कुमार राय	एम ओ/2020/6060 दिनांक 28-2-20	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
6	श्रीमती पिन्की धोलन भूटिया एस-6 सेक्टर फ्लोर मंगलम बिला अमय खण्ड-3	श्री शनिराय एवं गीतादेवी	—	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
7	श्री हेमलता भावरी मकान नं-385/एस.एफ-2गीतिखण्ड 49 बसुधरा	नसीमा शर्मा	एम ओ/2020/6112	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
8	श्रीमती चुनीता गुप्ता भवन सं. 120 एल.आई.जी जी0एफ शक्ति खण्ड-1	श्री दलबीर सिंह	एम ओ/2020/6086	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
9	श्री राम निवास 343 जी-2 ग्राउन्ड फ्लोर शक्तिखण्ड तृतीय इन्दिरापुरम	श्री हेमन्त कपूर	एम ओ/2020/6258	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला

				गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
10	श्री अंकित अग्रवाल ए. एच-108 बसुन्धरा	श्रीमती उषा श्रीवास्तव	एम. ओ/2020/6326	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
11	श्री अनिल राठी 4 शक्ति खण्ड इन्दिरापुरम	श्री सुनील कुमार राठी	एम. ओ/2020/6348	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
12	श्री देव सेनानी सी-150 वैभव खण्ड 49 बसुन्धरा	श्री नीलम सिन्हा	एम. ओ/2020/4771	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
13	श्री संजय आहुता 3 फेस-80 सं 1 वैशाली-50 बसुन्धरा	श्री रोहित एच अनु मल्होत्रा	एम. ओ/2020/7575	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
14	श्रीमती उषा व अनन सराफ 1एफ-जी-32 सी0-1 वैशाली बसुन्धरा	श्री वरुण शर्मा	एम. ओ/2020/7526 दिनांक 20-3-20	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
15	श्रीमती गुर्जन अन्सारी 20041 अहिंसा खण्ड	श्री सोनव इन्सार	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की

				आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
16	श्री सतीश 1003 कौशाम्बी बसुन्धरा	श्रीमती अंजू एवं अमित कुमार	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
17	श्री अरुण चन्द्र वर्मा 810 वैशाली सुपरटेक बसुन्धरा	कुन्दन एवं निशिद्धा	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
18	श्रीमती अनीता सिंह ओ. सी/1303 कौशाम्बी सुपरटेक बसुन्धरा	निशि कुमार विश्वकर्मा	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
19	श्री जी.पी.एम. चौहान जी.एफ-80 कौशाम्बी	श्री संजय कुमार बंसल	म्यूटेशन आर्डर नहीं था।	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
20	श्रीमती उषा सरौन 2077 सी-429 बसुन्धरा	श्री पानसिंह लटवाल	एम. ओ/2020/7546	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
21	श्री राजेश वर्मा 2093 सी-4वीं बसुन्धरा	श्री राजेश वर्मा	एम. ओ/2020/7550	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल

				अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
22	श्री रमेश चन्द सिंह 4126 सै0-4बी वसुन्धरा	श्रीमती बसन्ती देवी	एम. ओ/2020/7551	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
23	श्रीमती रिया शर्मा 314/902 आलिव काउची वसुन्धरा	श्री कृष्ण अमर सिंह सिरोही	एम. ओ/2020/7579	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।
24	श्री रूप किशोर 238 सै0-2/29 वसुन्धरा	श्री पान सिंह य श्रीमती विमल	एम. ओ/2020/7577	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। विज्ञापन भी नहीं निकाला गया था। म्यूटेशन की आर्डर कापी पर जोनल अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं थे।

मोहन नगर जोन

नगर निगम मोहन नगर जोन की नाम परिवर्तन की पत्रावलियों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि नवन सं. 577/जी-2 शालीमार गार्डन एक्स-1 गाजियाबाद में विक्रेता श्रीमती रेनु गुप्ता एवं केता पक्ष श्री राम किशोर गुप्ता के मध्य नाम परिवर्तन हुआ था निगम द्वारा सृजित उक्त की पत्रावली से सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था। उक्त पत्रावली में म्यूटेशन आर्डर भी नहीं लगाया था इस प्रकार निगम द्वारा नाम परिवर्तन कराया जाना अनियमित एवं लापरवाही का द्योतक था।

इसी प्रकार अन्य पत्रावलियों में भी कमियाँ पायी गयी जो कि निम्नलिखित थी।

क्र0	विक्रेता का नाम एवं पता	केता का नाम	म्यूटेशन सं0	पायी गयी अनियमितता
2	श्रीमती मंजू देवी एल-88 लाजपत नगर गाजियाबाद	श्रीमती चन्द्रकली	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था।
3	श्री भूपाल सिंह मनाल डी-209ए लाजपतनगर गाजियाबाद	श्री पीताम्बर दत्त	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पक्षों को नोटिस नहीं दिया गया था।

4	श्री ए.जे.वर्गीस एच-2/3जी. डी.ए.अपार्टमेंट लाजपत नगर गाजियाबाद	श्री प्रदीप राणा	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पत्रों को नोटिस नहीं दिया गया था।
5	श्री अंकार सिंह एल-47 ए लाजपतनगर गाजियाबाद	श्रीमती पुष्पा घोषान	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पत्रों को नोटिस नहीं दिया गया था।
6	श्री युधिष्ठिर, बी-370, लाजपतनगर	श्रीमती भगवती देवी	संलग्न नहीं थी	सम्बन्धित पत्रों को नोटिस नहीं दिया गया था।

स्थान:-मेरठ,

दिनांक:- 21-5-2022

ह0

(विनोद कुमार वंसल)

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0

मेरठ मण्डल मेरठ

निर्गमनार्थ प्राधिकृत



(देवेन्द्र)

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0

मेरठ मण्डल मेरठ

भाग—ख

1- गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा:-

सम्परीक्षा के समय गत सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में प्राप्त थी परन्तु इसकी अनुपालन आख्या तैयार न होने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। गत एवं विगत वर्षों की अनिस्तारित आपत्तियों जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-‘क’ में सन्दर्भित है, के निस्तारणार्थ नगर आयुक्त एवं लेखाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

2- वित्तीय स्थिति:-

सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका आलोच्य अवधि में निगम की वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट ‘ख’ के अनुसार थी।

टिप्पणी:- (1) आय-व्यय का विवरण/संकलन वाह्य गणना पर आधारित है जो अनन्तिम एवं परिवर्तनीय है।

(2) बजट में उल्लिखित प्रारम्भिक शेष ₹0 3,49,14,65,462 एवं निगम निधि तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के प्रारम्भिक शेष रूपया-3495093015=63 में रूपया 33,27,553=63 का अन्तर था। इसी प्रकार बजट में उल्लिखित अन्तिम शेष रूपया-3,53,90,94,157/- तथा निगम निधि एवं यू.आई.डी.एस.एम.टी.की रोकडबहियों में अंकित इतिशेष के अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए इसे शुद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यू.आई.डी.एस.एम.टी. के रोकडबही शेष एवं बैंक के अनुसार इतिशेष के अन्तर रूपया-151=50 के अन्तर को भी स्पष्ट करते हुए शुद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) बजट में उल्लिखित वर्ष 2019-20 की वास्तविक आय रूपया- 4,87,88,12,315/- में निगम निधि की आय रूपया-4,87,55,67,932=56 एवं यू.आई.डी.एस.एम.टी. की आय रूपया-32,44,382/- सम्मिलित थी।

(4) परिशिष्ट ‘ख’ के अनुसार निगम निधि के बैंक खाते के अवशेष एवं रोकडबही शेष में काफी अन्तर था। यह वर्षों से लगातार आपत्ति कई वर्षों से चल रहा था। गत एवं विगत वर्षों से लगातार आपत्ति कई वर्षों से चल रही थी। गत एवं विगत वर्षों से लगातार आपत्ति उठाये जाने पर भी बैंक समाधान विवरण न बनाये जाने के कारण लेखे में गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं व्यपहरण जैसी सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः बैंक समाधान विवरण बनाकर सम्परीक्षा में अन्तर स्पष्ट किया जाए एवं बिना भुने बैंकों की धनराशि स्पष्ट की जाए।

(5) सम्परीक्षा में प्रमाणित किया जाए कि वित्तीय स्थिति में उल्लिखित बैंक खातों के अतिरिक्त निगम के पास अन्य कोई बैंक खाते अनुरक्षित नहीं थे।

(6) दिनांक 31-3-20 को स्थायी अधिमों का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए।

(7) निगम द्वारा अत्यधिक बैंक खाते कुल 59 बैंक खाते संचालित किये गये थे। इनमें से कई बैंक खातों में कोई लेन देन नहीं हो रहा था एवं कई बैंक खाते डारमेंट हो गये थे। अत्यधिक बैंक खाते संचालित किये जाने का अधिष्ठित स्पष्ट किया जाय अन्यथा जिन बैंक खातों में कोई लेन-देन नहीं हो रहा है उन्हें बन्द किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों भी खाते संचालित किये जा रहे थे। यह अनियमित था इन बैंक खातों को बन्द कराकर जमा धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में। स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में गत एवं भविष्य से लगातार आपत्ति उठाई जा रही थी, फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों में खाते संचालित किये जा रहे हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों में खाते खोले जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। सम्परीक्षा में लगातार आपत्ति उठाये जाने पर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए कि किन स्थितियों में राष्ट्रीय बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों में बैंक खाते संचालित किये जा रहे थे।

(9) नगर निगम निधि एवं यू.आई.डी.एस.एम.टी. की पृथक्क रोकडबही अनुरक्षित होने के कारण वित्तीय स्थिति भी पृथक् अंकित की गई है।

(10) परिशिष्ट ख में दर्शाये गये बैंक खातों में कई बैंक बैंक खाते बन्द हो चुके थे। इन खातों में अनुरक्षित धनराशि को किन बैंक खातों में जमा किया गया था। स्पष्ट किया जाए।

(11) निगम निधि एवं यू.आई.डी.एस.एम.टी. की आय एवं व्यय का संक्षेप विवरण संलग्न परिशिष्ट(ग) में भी दिया गया है।

(12) नगर निगम द्वारा भारी मात्रा में बैंक खाते अनुरक्षित किये गये थे जिनमें से निम्नलिखित 8 बैंक खाते कोई परिचालन न होने के कारण डोरमेंट अर्थात् निष्क्रिय हो गये थे जिस कारण इनको परिचालन में लाने के लिये अनावश्यक चार्ज देय होंगे। इन खातों को या तो बन्द किया जाए अथवा इनका परिचालन सुनिश्चित किया जाए। ऐसे खातों की सूची निम्नवत् थी।

क्र	बैंक का नाम	खाता संख्या	31-3-20 को खाते में जमा धनराशि
1	एच.डी.एफ.सी. बैंक आर.डी.सी.	01531110000014	201225.74
2	पंजाब नेशनल बैंक अम्बेडकर रोड	3703000102224127	4045093.50
3	पंजाब नेशनल बैंक जी.टी.रोड	0180000103033784	3815.24
4	पंजाब नेशनल बैंक विजयनगर	3946002100002579	1496339.58
5	पंजाब नेशनल बैंक विजयनगर	3946002100005512	868753.40
6	पंजाब नेशनल बैंक वसुन्धरा	4718000100022533	शून्य
7	पंजाब नेशनल बैंक वसुन्धरा	4718000100003095	10395064.29
8	पंजाब नेशनल बैंक अम्बेडकर रोड	3703000102232010	989148.00
		योग	10395064.29

उक्त 8 बैंक खातों के डोरमेंट होने से निगम की रूपया—1,03,95,064.29 की धनराशि अवरुद्ध पड़ी हुई थी एवं वहीं बैंक द्वारा डोरमेंट खातों पर बैंक द्वारा लगाये जाने

वाले चार्ज के कारण निगम पर अनावश्यक व्यय भार भी पड़ रहा था। अतः अनावश्यक खर्चों को यथाशीघ्र बन्द किया जाए।

3- राजकीय अनुदान:-

प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य अवधि में नगर निगम को प्राप्त निम्नलिखित राजकीय अनुदानों का उपभोग उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया गया था जिनके लिये वे प्राप्त हुए थे। इस आख्या में उल्लिखित अभ्युक्तियों के अतिरिक्त उनका विचलन नहीं किया गया था, यदि कहीं कोई विचलन हुआ था तो उसका उल्लेख इस आख्या में यथा स्थान कर दिया गया है।

आलोच्य अवधि में सम्परीक्षाय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निम्नविवरणानुसार निगम को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान प्राप्त हुए थे-

(क) आवर्तक अनुदान:-

क्र०	अनुदान का विवरण	प्राप्त धनराशि	प्राप्ति तिथि
	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान निदेशक स्थानीय निकाय, 2020 लखनऊ के पत्र संख्या-		
1	8/198/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 1-5-19	181694637	8-5-19
2	8/349/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 27-5-19	181694637	31-5-19
3	8/572/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 28-6-19	181694637	4-7-19
4	8/804/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 5-8-19	181694636	7-8-19
5	8/973/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 4-9-19	199036535	7-9-19
6	8/1236/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 1-10-19	199036535	9-10-19
7	8/1369/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 16-10-19	199036536	21-10-19
8	8/1771/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 2-12-19	199036535	7-12-19
9	8/2094/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 8-1-20	196396185	13-1-20
10	8/2247/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 24-1-20	196396185	13-1-20
11	8/2468/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 26-2-20	196396185	3-3-20
12	8/2653/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 24-3-20	150019320	28-3-20
13	8/2660/152(5)/चतुर्थ रावि0आ0/2019-20दिनांक 27-3-20	246579516	28-3-20
	योग	2,50,87,12,079	

(ख) अनावर्तक अनुदान—

(क) 14 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान निदेशक,स्थानीय, निकाय,उ०प्र०लखनऊ के पत्र संख्या—				
1	8/708/171(iv)/14ये वि०आ०/2019-20 दि० 19-7-19	423501609	27-7-19	
2	8/2086/171(iv)/14ये वि०आ०/2019-20 दि० 08-1-20	423500609	14-1-20	
	योग	847002218		
(ख)	कान्हा गौशाला गो सेवा आयोग,लखनऊ,उ०प्र०के पत्रांक—			
1-	691/गौ-8-2020/गो.से.आ. /2019-20दिनांक 26-3-20	50,00,000	31-3-20	
	योग	50,00,000		
(ग)	अमृत योजना शासनादेश अनुपलब्ध	5,40,000	23-3-20	
	योग	5,40,000		
(घ)	स्वच्छ भारत मिशन निदेशक/मिशन निदेशक(एस.बी.एम०) नगरीय विकास, उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक—	प्रयोजन		
1	पी.एम.यू./2360/415(9)/एस.बी. एम/आई.ई.सी/2016-17 दिनांक 22.6.19	आई.ई.सी.	8215000	29.6.19
2	पी.एम.यू./2394/427(4)/2019 दिनांक 01.7.19	व्यक्तिगत/सामु० सौचालय हेतु	13893400	27.7.19
3	पी.एम.यू./2568/427(6)/2019 दिनांक 14.8.19	सॉलिकवेस्ट मैनेजमेन्ट	8750000	22.8.19
4	पी.एम.यू./2568/427(8)/2019 दिनांक 14.8.19	सॉलिकवेस्ट (एम.आर.एफ) मैनेजमेन्ट	3367000	22.8.19
5	पी.एम.यू./2737/427(9)/2019 दिनांक 27.9.19	आई.ई.सी.	8215000	16.11.19
6	पी.एम.यू./3031/427(8)/2019 दिनांक 04.12.19	आई.ई.सी.	9858000	27.12.19
7	पी.एम.यू./3098/427(8)/2019 दिनांक 03.1.19	आई.ई.सी.	5000000	7.1.20
8	पी.एम.यू./3693/427(8)/2019 दिनांक 17.3.20	आई.ई.सी.	250000	23.3.20
क	कुल आवर्तक अनुदान रुपया		2,50,87,12,079	
ख	कुल अनावर्तक अनुदान रुपया		91,00,90,618	
	योग		3,41,88,02,697	

टिप्पणी:— (1) प्रमाणित किया जाए कि निगम को वर्ष 2019-20 में उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक/अनावर्तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।

(2) निगम द्वारा अनावर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित नहीं की गई थी। अनुदान पंजी के अभाव में अनुदानवार उपभोग की गई धनराशि का संकलन बाह्य गणना पर आधारित है, जो अनन्तिम एवं परिवर्तनीय है। अनावर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित करके अनुदान की प्राप्त धनराशि एवं उपभोग की गई धनराशि अंकित करके दिनांक 31-3-20 को उपभोग हेतु शेष धनराशि का सत्यापन कराया जाए।

(3) आवर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित नहीं की गई थी। बाह्य/रोकडबडी के आधार पर संकलन किया गया। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान, उपभोग एवं शेष अनुदान का विवरण निम्नवत् था—

विवरण	धनराशि
1-4-19 को प्रारम्भिक शेष	23,02,83,694
वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	2,50,87,12,079
योग	2,73,89,95,773
वर्षान्तगत उपभोग	2,26,15,91,994
31-3-20 को उपभोग हेतु शेष अनुदान	47,74,03,779

अनुदान पंजी अनुरक्षित कर इसका सत्यापन कराया जाए।

(4) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण के क्रमांक (1) एवं (2) विगत कई वर्षों से अप्रयुक्त चले आ रहे हैं। इस अनुदान की धनराशि रूपया-162995=00 के उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि को शासन को वापस किया जाए।

(5) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण के क्रमांक (3) (4) एवं (7) पर अंकित सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त अनुदानों की धनराशि रूपया-7,20,854=00 विगत कई वर्षों से अप्रयुक्त चले आ रहे हैं। इनके उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण में क्रमांक (5) के (1) से (12) तक पर अंकित अनुदान बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त थे जिनमें रूपया-1,54,73,720/- अभी भी उपयोग हेतु शेष था। इसे उपयोग करने हेतु यदि शासन से अनुमति ली गई हो तो दिखाया जाए अन्यथा स्थिति में इस धनराशि को निगम खातों में अवरुद्ध रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे शासन को ब्याज सहित वापस करते हुए सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाए।

(7) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण में क्रमांक (8) पर अंकित राजस्व विभाग से प्राप्त अनुदान की अवशेष राशि रूपया-371574/- को उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए इसे वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण में क्रमांक (9) के (1) से (10) तक पर अंकित 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि रूपया-98,73,25,879/- को उपभोग न करने का कारण स्पष्ट करते हुए इसे उपभोग न होने की दशा में ब्याज सहित शासन को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(9) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31-3-20 तक रू० 1,29,06,480/- की धनराशि अप्रयुक्त थी। इसका उपभोग सुनिश्चित किया जाए।

(10) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में 2013-14 में प्राप्त अनुदान में से रुपया 244070/-अप्रयुक्त थे। इसके उपयोग/वापसी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(11) अप्रयुक्त अनुदान के विवरण के क्रमांक (12) के (1)से(5) तक पर अंकित अमृत योजना हेतु प्राप्त अनुदान की वर्ष 2019-20 में रुपया 5299481/- की धनराशि अप्रयुक्त थी। इसका उपभोग/वापसी सुनिश्चित की जाए।

(12) अप्रयुक्त अनुदान के विवरण के क्रमांक(13) के (1)से(4) तक पर अंकित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान रुपया-11,76,000/- अप्रयुक्त था। इसका उपभोग सुनिश्चित किया जाए अथवा इसकी वापसी सुनिश्चित की जाए।

(13) आलोच्य वर्ष में 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की धनराशि रुपया-847002218/-में से अवशेष धनराशि रुपया-807967438/- एवं कान्हा गौशाला की अप्रयुक्त राशि रु0 50,00,000/-तथा अमृत योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त राशि रु0 5,40,000/-एवं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अवशेष रुपया 3,30,60,033 को व्यय/उपभोग न करने का कारण स्पष्ट किया जाए एवं इनका उपभोग सुनिश्चित किया जाए।

(14) वर्ष 2018-19 में कान्हा गौशाला हेतु रुपया-1,59,50,000/-अनुदान प्राप्त हुआ था जिसमें से वर्ष 2019-20 में रुपया 1,50,48,416/- का व्यय दर्शाया गया था। शेष धनराशि रु0 901584/- थी किन्तु वर्ष 2018-19 की सम्परीक्षा आख्या के फॉर्म-66 प्रपत्र में उक्त आय-व्यय दर्शित नहीं हुआ था। इसका उपभोग दिखाया जाए।

(15) नगरीय जल निकासी योजना हेतु नगर निगम को वर्ष 2018-19 में रुपया 1,00,00,000/- अनुदान प्राप्त हुआ था जिसे नगर निगम द्वारा दिनांक 30-5-19 को बैंक संख्या-030212 व्यय प्रमाणक संख्या-714 द्वारा जलनिगम को हस्तांतरित(अस्थायी अग्रिम) किया गया था। इसमें से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी थी एवं उसका उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ था या नहीं स्पष्ट किया जाए एवं उपभोग का सत्यापन कराया जाए। वर्ष 2018-19 की सम्परीक्षा आख्या में इसे अंकित फॉर्म-66 में नहीं किया गया था।

(16) अनुदानों का संहत विवरण संलग्न परिशिष्ट-‘घ’ पर दिया गया है।

(17)अप्रयुक्त अनुदानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-‘ड’प्रपत्र-66 में दिया गया है।

4- राजकीय ऋण एवं उनके प्रतिदान की स्थिति:-

सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका, आलोच्य अवधि में निगम को न तो कोई राजकीय ऋण प्राप्त हुआ था और न ही कोई धनराशि प्रतिदान की गई थी।

टिप्पणी:-(1) निगम द्वारा राजकीय ऋण पंजी अनुरक्षित नहीं की गई थी। इसे अनुरक्षित करकर सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

(2) गत सम्परीक्षा आख्यानसार दिनांक 31-3-19 को कुल मूलधन रुपया-18,68,27,600/- तथा एन.सी.आर. से प्राप्त ऋण पर देय व्याज सहित समस्त धनराशि बकाया थी। एन.सी.आर.से प्राप्त ऋण से सम्बंधित अभिलेख/शासनादेश जिनसे

ऋण अनुमत्य हुआ था को प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए तथा स्पष्ट किया जाए कि दिनांक 31-3-20 को ऋणों के बकाया की क्या स्थिति थी।

(3) महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज से प्राप्त लेखा पथी प्रस्तुत करके दिनांक 31-3-20 को अवशेष मूलधन एवं इस पर देय व्याज का सत्यापन कराया जाए।

(4) वर्ष 2019-20 में किसी भी ऋण के प्रतिदान हेतु कोई प्राक्धान बजट में नहीं किया गया था। इसका कारण स्पष्ट किया जाए।

(5) वर्ष 2019-20 में दिनांक 31-3-20 को प्राप्त प्रतिदान एवं प्रतिदान हेतु शेष ऋणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है।

5- विनियोजन-

विनियोजन से सम्बंधित अभिलेख गत सम्परीक्षा आख्या में अंकित विवरण तथा सम्परीक्षा में उपलब्ध कराई गई सूचना/विवरण के आधार पर निम्नविवरणानुसार धनराशि विनियोजित की गई थी एवं निम्न विवरण में दर्शित सभी सावधि जमा रसीदों को दिनांक 5-4-2021 में नकदीकरण करने के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक के खाता संख्या-50200056920639 में से रु083000000/- एवं पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 3703000102210072 में से रु 5853220/- जमा कर दिया गया था। सावधि जमा रसीदों का विवरण निम्नवत् था-

क्र०	विनियोजन का विवरण/खाता सं०/दिनांक	विनियोजित धनराशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता धनराशि	प्राप्त व्याज की धनराशि
1-	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-नगर निगम	परिसर, गाजियाबाद में सावधि जमा रसीद संख्या			
(1)	सं०-1991567 खा. 555203030000284 दि. 7-2-2007	30,33,000	5-4-21	8582420	5559420
(2)	सं० ई.एम./सी.ओ.एम./ई. 113307 खा. सं. -555203030381667 दि. 11-3-13	73,35,070	5-4-21	13928909	6593839
(3)	सं.-1991568 खा. सं.-55520328002007 दि. 7-2-2007	25,00,000	5-4-21	7446088	4946088
(4)	सं.-ई.एम./टी.डी.एस./041595 खा. सं. -555203030000353 दि. 24-4-07	10,19,032	5-4-21	2946905	1927873
(5)	सं.-1991568 खा. सं. 555203030040272 दि. 7-2-07	25,00,000	5-4-21	6436410	3936410
(6)	सं०-1991583 खा. सं.-555203280000007 दि. 7-2-07	25,00,000	5-4-21	7446079	4946079
2-	पंजाब नेशनल बैंक अम्बेडकर रोड गा.बाद में				

	विनियोजित-				
1-	सं.-370300जी.आर 00000307 दि.5-3-13 प्रभावी तिथि-24-12-12	22045882	5-4-21	36559469	14513477
3-	पंजाब नेशनल बैंक,शास्त्रीनगर रोड,गोवाबाद में खासतः-2051003105288018 दि.7-3-13 प्रभावी तिथि-23-03-12	3019480	5-4-21	5496940	2477480
	योग	43952544		88853220	44900676

टिप्पणी-(1) विनियोजन पंजी अनुरक्षित नहीं की गई थी। इसे अनुरक्षित कर दिखाया जाए।

(2) मूल विनियोजन/छायाप्रति सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, इन्हें शीघ्र प्रस्तुत कर उसका सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहा।

(3) समस्त विनियोजनों को दिनांक 574-2021 को भुनाकर बैंक में जमा कर दिया गया था।

(4) प्रमाणित किया जाए कि निगम द्वारा उक्त विवरण में अंकित 8 सावधि जमा रसीदों के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि विनियोजित नहीं की गई थी।

6- सम्परीक्षा शुल्क के आरोपण एवं देयता की स्थिति:-

सम्परीक्षा शुल्क के आरोपण के सम्बंध में उ.प्र. शासन के वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-आडिट-2-685/दत्त-2018-355(ii)2017 दिनांक-01-10-2018 के द्वारा शासन ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ.प्र. द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं से सम्परीक्षा शुल्क समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में वर्ष 2019-20 की सम्परीक्षा हेतु कोई सम्परीक्षा शुल्क आरोपित नहीं की गई।

शासनादेश संख्या-1/2019/आडिट-2-1155/दत्त-2019-355(ii)/2017 दिनांक-27-9-2019 के अनुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ.प्र. एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,उ.प्र. द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं पर बकाया सम्परीक्षा शुल्क का अपलेखन किया गया।

7-परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार न कराया जाना अनिदमित:-

आलोच्य अवधि हेतु निगम द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नहीं बनाया गया था,यह अनियमित था। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नहीं बनाये जाने से निगम की आर्थिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण बनाकर सम्परीक्षा में जोंच हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

8- नजूल:-

गत एवं विगत वर्षों की सम्परीक्षा आख्या के अनुसार नगर निगम के पास कोई नजूल सम्पत्ति नहीं थी। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी कार्यालय से प्रमाणपत्र प्राप्त कर कराया जाये। नजूल एवं नौकाघाट के सनबंध में विस्तृत आपत्ति सम्परीक्षा आख्या भाग-क के प्रस्तर ' ' पर अंकित है।

9- सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना न किया जाना अनियमित:-

सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना एवं प्रावधानों से सम्बंधित नियमावली नगर पालिका विज्ञप्ति सं.-204 एच/ग्यारह-ए-63-49 दिनांक 9-2-1956 द्वारा बनाई गई थी किन्तु नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना नहीं की गई थी। नगर निगम में भारी संख्या में नियमित सफाई कर्मचारी एवं दैनिक वेतन तथा संविदा पर थे इसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना न किया जाना सफाई कर्मचारियों के हित में न था एवं शासनादेश के प्रतिकूल था। अतः इस निधि की स्थापना करके सम्परीक्षा में जाँच कराया जाना अपेक्षित है।

10- विविध करों एवं राजस्व की मॉग समाहरण की स्थिति:-

गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की मॉग एवं समाहरण पंजी जोनवार बनाई गई थी, परन्तु आलोच्य वर्ष की मॉग एवं समाहरण पंजी अपूर्ण थी तथा इस पर मॉग वसूली की धनराशि अंकित नहीं की गई थी। गत एवं विगत वर्षों की सम्परीक्षा आख्या में भी मॉग एवं समाहरण पंजी अपूर्ण रहने सम्बन्धी आपत्ति की गई थी। जोनल कार्यालयों में कम्प्यूटर से रसीदें निर्गत की गई थी, परन्तु इसकी कार्यालय प्राप्ति अनुरक्षित न कर केवल प्रतिदिन कुल जमा का विवरण अंकित था। इसके अभाव में इनकी जाँच सम्भव न हो सकी। गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की वसूल की गई धनराशि मॉग वसूली पंजी में अंकित कर समस्त मॉग वसूली पूर्ण कराकर सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाए।

उपर्युक्तानुसार ही दुकान किराया, भवन किराया, जलमूल्य तथा अस्थायी प्रयोग भूमि हेतु मॉग समाहरण पंजिकाओं को पूर्ण करके लेखाबन्दी नहीं की गई थी। इन्हें पूर्ण कराकर व लेखाबन्दी कराकर सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराकर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कर निर्धारण सूची नहीं बनाई गई थी। आलोच्य अवधि में निगम के अन्तर्गत स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू थी, इसके बाद भी आलोच्य अवधि में निर्धारित किये गये करों की सूची नहीं बनाई गई थी। अतः वर्ष 2019-20 में प्रत्येक बार्डवार/जोनवार निर्धारित किये गये करों की कर निर्धारण सूची बनाकर सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराकर सम्परीक्षा में सत्यापन कराया जाए।

वगीकृत सार पंजिकाओं एवं बजट के अनुसार आलोच्य अवधि में विभिन्न मदों से निम्न विवरणानुसार आय प्राप्त हुई थी-

क्र०	मद का नाम	प्राप्त आय
1	गृहकर	57,90,25,800
2	जलकर	36,98,98,441

3	सीयरकर	17,87,88,372
4	विज्ञापन कर	5,16,31,565
5	प्रेक्षाकर	11,60,320,
6	भवन एवं दुकान किराया	1,11,20,456
7	अस्थायी प्रयोग भूमि	32,23,631
8	पानी का टैकर	8,32,345
9	पार्किंग	1,17,24,823
	योग	1,20,74,05,753

टिप्पणी:- (1) उक्त का विवरण परिशिष्ट 'ज' में भी दिया गया है।

11- निष्कर्ष:-

आख्या में वर्णित उपर्युक्त अभ्युक्तियों के अतिरिक्त लेखे का रख-रखाव सन्तोषजनक था। सम्परीक्षा में निर्गत मूल आपत्ति पत्र उत्तर सहित वापस नहीं किया गया। इसे अब अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छ आपत्ति पत्रावली में अब कोई पद शेष नहीं है।

स्थान:-मेरठ,

दिनांक:- 21-5-2022

1 ह0
(विनोद कुमार यंसल)

उप निदेशक

स्थानीय निवि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
मेरठ मण्डल मेरठ

निर्गमन प्राधिकृत

(देवेन्द्र)

उप निदेशक

स्थानीय निवि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0

मेरठ मण्डल मेरठ

सम्परीक्षा टोली के सदस्यों के नाम :-

- 1-श्री भूपेन्द्र शर्मा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी।
- 2-श्री हरवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
- 3-श्री बृजनाथ तिवारी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
- 4-श्री अनिल कुमार तृतीय, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
- 5-श्री मनोज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।

सम्परीक्षा आख्या भाग-ख के प्रस्तर 1 में संदर्भित

लेखे का नाम- नगर निगम, गाजियाबाद

अवधि - 209-20

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
1981-82	3टि0(1)(2)(3)(4)(अ)4टि0(2)(3)5,6(2)(3)7(1)(2)9,11टि0(अ)(ब)(स)(व) 12टि0,13टि0(1)(2),14,15,16,17,18(अ)(ब)(स)19(1)(2),39,40(1)(2)(3) 41(1)(2)(3)(4)42,43,44,45(1)(2)46,47,48,49(2),50,51(2)52,53,54,55,56 ,57,58,59(1)(2)(3)(4)(5)(6)61,62,63,64,65,66(1)67(क)(ख)(ग)(घ)68,69, 70(1)(2)(3)(4)71,72(2)(3)73टि0(1)(2)(3)(4),74,75,76(1)(2)77	-	89
1982-83	17(ख)(घ)18(1)(2)(3)(4)(5)(ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)19(क)(4)	-	14
1983-84	3टि0(1)(2)(3)(4)4टि0,6टि0(1)(2)(3)7टि0(1)(2)(3)(4)8टि0(1)(2)10,11टि (1)(2)12,13टि0(1)(2)(3)(4)(5)14,17,18(1)(2)(3)(4)19,20,21(2)22,23,24,25 (1)(2)26(1)(2)27,28(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)(3)27 (1)(2)(3)30(1)(2)31,32,33,34(1)(2)35(1)(2)	-	65
1984-85	3टि0(1)(2)(3)4टि0(2)5टि0(1)(2)(3)(4)7टि0(1)(2)(3)(4)8(1)(2)10,11 (1)(2)(3)12,13(1)(2)(3)(4)(5)14,15(1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(3),16(क) 17,18,19,20,21,22,23,24(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)25(क)(1)(2)(4) (5)(ख)(1)(2)(3)	-	61
1985-86	3टि0(1)(2)(3)4टि0(1)(2)(3)(4)5टि0(1)(2)(3)(4)6टि0(1)(2)(3)(4)7टि0 (1)(2)(3)(4)(5)8टि0(1)(2)(3)(4)10,11टि0(1)(2)14टि0(1)14(ख)15(1)(2) 16(1)(2)17,18,19(क)(1)(2)(ख)20,21,22,23,24,25,26,27	-	46
1986-87	3टि0(1)(2)(3),4टि0(1)(2)(3)(4)5,6(1)(2)(3)(4)12,14टि0(1)(2)15(2)(3) 16(क)(ख)17,18,19,20नोट(1)(2)21,22,23,24(1)(2)25(2)27,28,29,30, 31,32,33(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ),34,35(1)(2)(3)36,37,38 (1)(2)39(1)(2)(3)40(1)(2)(4)41,42,43,44,45,46	-	64
1988-89	3टि0(1)(2)4टि0(1)(2)(3)5(1)(2)(3)5(क)(1)(2)(3)(4)(5)टि06(1)(2) 14,15टि0(1)(2)(ग)(घ)(ङ)(च)17,18,19,20,21,22,23,24टि025टि0,26,27,28, 29,30(क)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(4)31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43	-	56
1989-90	3टि0(1)(2)(3)(4)4टि0(1)(2)(3)(4)4टि0,5टि0(1)(2)8,9,10,11,12टि0, 13टि0नोट14(1)(2)(क)नोट16(1)(2)(3),17,18,19,20(ख)(1)(2)(3)(ग) (1)(2)(3)(ङ),(घ)(छ)(ज)22(1)(2)23नोट,24,25(1)(2)(3)(4),26,27 (1)(2)28,29(1)(2)30,31(क)(ख)32(1)(2)(3),33,34,35,36(1)(2)37नोट (1)(2)38,39	-	71
1990-91	3टि0(1)(2)(3)(4)(6)4टि0(1)(2)(3)5टि0(1)(2)(3)6,7टि0(1)(2)(3),8,10,11	-	21
1991-92	12नोट13टि0(1)(2)14,15टि0(1)(2),16(क)(ख)(ग)(घ)(ङ),(1)(2)(3)(4) (घ)(1)(2)(छ)(ज)17(1)(2)18,19(1)(2)20,21नोट(1)(2)(3)22,23(1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)(8)(1)(2)। नोट24(ख)(ग)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ)(ञ)25नोट,	-	54

	26 गोट 27, 28, 31, 32 (1) (2) (3) 35		
1992-93	1, 3 टि० (1) (4) 4 टि० (1) (2) 5 टि० (1) (2) (3) 6 टि० (1) (2) टि० (1) (2) 11, 12, 13 टि०, 14 टि० (1) (2) 15, 16 टि० (1) (2) 17 (1) (2) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (1) (2) 34, 35, 36 (1) (2) 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	—	63
1993-94	3 टि० (1) (2) 4 टि० (1) (2) (3) 5 टि० (1) (2) (3) (4) (5) 6 टि० (1) (2) (3) 10, 11, 12 टि० (1) (2) (3) (4) (5) 13, 14, 15 टि० (1) (2) (3) 16 (1) (2) 17 टि० (क) (ख) (ग) (1) (2) (घ) 19 (क) टि० (1) (2) 20 (1) (2) (3) 21 (4) 22, 23 टि० 25 (क) (ख) (ग) 26, 27, 28, 29 (क) (ख) 30 (1) (2) (3) 31 (क) (ख) 32 (क) (ख) 33 (2) 35 (क) (ख) 36 (1) (2) (3) (4) (5) 37	—	77
1994-95 (प्रथम छमाही)	3 टि० (1) (2) (3) 4 टि०, 5 टि० (1) (2) (3) 6 टि० (1) (2) (3) (4) (5) (6) 8, 9 (1) (2) (3) (4) (5) 10, 11 टि० (1) (2) 12 (1) (2) 13 टि०, 14 (1) (2) 15 (1) (2) 16 (1) (2) 17 (1) (2) 18 टि०, 19, 20 (1) (2) (3) (4) 21 (1) (2) (3) 24 (1) (2) (3) 25 (1) (2) 26, 27 (1) (2) (3) (4) 28 (1) (2) (3) 29, 30, 31 (1) (2) (1) (2) 32 (1) (2) 33 (1) (2) (3) (4) (5) 34 (1) (2) (3) 35 (1) (2) (3)	—	79
1994-95 (द्वितीय छमाही)	3 टि० (1) (2) 4 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 6 (1) (2) टि० (1) 7 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (क) (ख) (2) 9, 10 (1) (2) (3) (4) 11 (1) (2) (3) 12, 13, 14, 15 (1) (2) (3) (4) (5) 16 (1) (2) 17 (1) (2) 18 (1) (2) (3) (4) 19 (1) (2) 20	—	52
1995-96	1 (क) (ख) 2, 3, 4 (1) (2) (3) (4) (5) 6, 7 (ख) (1) (2) (3) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज)	—	19
1996-97	1 (अ) 2, 3, 4 टि० (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10), 7, 9 (1) (ब) 2 (क) (ख) 3 टि०, 4 टि० (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9), 10, 11, 15, 6, 7, 8 (2) (3) (4) (7)	—	36
1997-98 से 1998-99	1, 2, 3 टि० (1) (2) (3) (क) (ख) 4 टि० (1) (2) (3) (4) 4 (अ) (क) (ख) (ग) (घ) 4 (ब) (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) 2 (क) (ख) 1, 3, 4, 5 (ग) (घ) 2 (क) (ख) (ग) (घ) 4 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ), 5 (क) (ख) (ग) (घ) प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम किन्ता 7 (1) (2) (3), 3 (क) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1) (2) (3) (4) (5) 9 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) 11 (क) (ख) (ग) (घ) 12 (1) (2) (3) (4) (5) 15 (1) (2) (3) (4) (5) 16 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (अ) (ज) 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 21, 22, 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 27 (1) 28 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) 29, 30 (क) (ख) (ग) टि० (1) (2)	—	133
1999-2000	1 (क) (ग) (घ) (ङ), (छ) (ज) (ण) (त) (थ) (ध) (न) (प) (फ) (ब) 2, 3 टि०, 4 (1) (2) (5) (6)	—	22
2000-01 (प्रथम छमाही)	1 (ए) (बी) (1) (2) (3) (4) (सी) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (डी) (1) (2) (3) (4) (5) (ई) (1) (2) (3) (4) (एफ) (1) (2) (जी) (एच) (आई) (जे) (के) (एल) (एम) (ओ) (पी) (क्यू) (आर) (एस) 2, 3 टि० (1) (2) (3) (4) (5) 6, 7, 8	—	46
2000-01 (द्वितीय छमाही)	1 (ए) (बी) (सी) (डी) (इ) (एफ) (जी) (एच) (आई) (जे) (के) (एल) (एम) (ओ) (पी) (क्यू) (आर) (एस) (टी) (यू) (वी) (डब्ल्यू) (एक्स) (वाई) (क) (ख) (ग) (घ) (ङ), (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (ट) (ठ) (ड) 2, 3 टि०, 2 टि०, 1, 2, 3, 4 टि० (1) 6, 7 (2) (3) (4) (7), 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	—	58
2001-02	1 (क) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) 2 (ग) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (घ) (1) (2) (3) (4) (5) (च) (1) (2) (3) (4) (छ) (ज) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (अ) 2 (अ) टि० (1) (2) (3) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	—	93

	(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)() (1(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) (12)(13)(14)		
2002-03	I(क)2(क)2(ग)(2)(3)2(घ)2(3)(4)टिप्पणी 5(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(ख)(ग) (घ) (1(2)(3)(घ)(घ)2(3)(4)(5)(6)(ज)(झ) (1(2)(3)(घ)(घ)(घ)(घ)(3)(4)(5)(6) (7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25) (7)(9)(1(2)(11,13,14,15(ग) (1(2)(3)(4)16(7)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ) (ल)(घ)(स)(घ)(स)(ह)(अ)(त्र) (1(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(ज) (1(2) II (III) I (II) III (I / 5) (I / 6) वर्ष 2001-02 के आपत्तियाँ (1(2)(3)(4)(5)(6) (7)(8)(9) 2,3,4,5,6 टिप्पणी सम्पूर्ण 7	-	122
2003-04	I(क) (1(2) (1(2)(ख)(ग) (1(2)(3)(4) (1(2)(3)(5)(6)(7) (1(2)(3) (1(घ) II (III) 2(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (1(घ) (1(2) I(घ) (1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (1(घ) (1(2) I(घ) (1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) (1(2)(3)(15)) (1(2)(3) (16)(17)(18)(19)(20) (1(2)(3)(21)(22) II (III) (1(2)(3) (1(2)(4)(5) (1(2) (6)(7)(8)(9) (1(2)(3)(4)(10) (1(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) (14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21) (1(घ) (1(2)(2) (1(2)(3)(4)(5)(6) (1(2)(3)(4)(7) 3 टि (1(2)(4) (1(3)(4)(5)(6) 7 (1(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (10)(11)(12)(13)(14)	1 से 10	143
2004-05	I(क) (1(2)(3)(ख) (1(2)(3)(ग)(घ) (1(2)(ख) (घ)(घ) (1(2)(3)(4)(5)(6) (ज) (1(2)(अ)(अ)(क)(ख)(ग)(घ)(अ.(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ) (घ) (1(2)(ग) (1(2)(न)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ) (1(2)(घ) (1(2)(21) (1(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (1(2)(3) 3 टि (1(2)(3)(4)(5)(6)(7) 4 टि (1(2)(3)(4)(5)(6) 5,6 टि (1(2)(3), 7, 8 (क) (ख) (1(अ)(ब)(अ)(घ)(ग)	1 से 37	122
2005-06	I(क) (1(2)(3)(4)(5)(ख)(ग)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ) (घ) (घ) 4 टि (1(2)(3)(4)(5)(6) 5 टि (1(2) 7, 8, 9 (क)(ख)	3,4,5, 6,11, 12,13, 14,15	73
2006-07	I(क) (1(2)(3)(अ)(घ)(II) III (I) II (III) VI (ख) (1(2)(3) टि (ग) (1(2)(3) (4) टि (घ) (1(2) II (क)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ) II (III) III (घ) (I) III (IV) (घ) (II) III (V) (घ)(न)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ)(घ) III (घ)(घ)(घ)(घ) (1(2)(घ)(घ) (1(2)(ल)(घ)(घ)(घ) 3 टि II (III) IV (V) VI (VII) VIII 4 टि (क)(ख) (I) III (IV) V (VI) VII (VIII) IX X 5 II (III) III (IV) V (VI) 7 (1(2) 8, 9 (क)(ख) (I) III (IV) 10 (क)(ख) (I) III (ख)(ग)(घ)	1 से 42	140
2007-08	I(क) (1(2)(3)(ख) (1(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(ग) (1(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (ग) (1(2)(3)(4)(5)(6)(घ) (1(अ)(घ)(स)(द)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) (11)(12)(13) 3 टि (1(2)(3)(4) 3 क 3 ख 4 टि (1(2)(3)(4) 5, 6 टि (1(2)(3) 7 टि (1(2)(3)(4) 8, 9 (क)(ख)(ग)(घ)(अ.(घ)	1 से 32	91

2013-14	भाग—“क” 1,2 (1)(2)(3) 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31 भाग—“ख” 1,2 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 3 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6) 4,5 टि० (1)(2) 6,7,8,9 (1)(2)(3)(4)(5)(6) 10	1 से 56	117
2014-15	भाग—“क” 1,2,3,4,5,6,7(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ) 8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20 भाग—“ख” 1,2 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 3 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6) 4,5 टि० (1)(2) 6,7,8,9 टि० (1)(2)(3)(4) 10	1 से 37	95
2015-16	भाग—“क” 1(क)(ख)(ग)(घ)(क)(ख)(ङ)(क)(ख)(च)(क)(ख)(छ)(ज)(क)(ख)(ग)(घ) (ङ)(घ)(झ)(ज)(क)(ख)(ग)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)(थ)(व)(घ)(न) 2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53,54,55 भाग—“ख” 2 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) (18) 3 टि० (1)(2)(3) 4,5 टि० (1)(2) 6,7,8,9 टि० (1)(2)(3)(4) 10	1 से 67 तक	183
2016-17	भाग—“क” 1,2,3,4(1)(2),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2 6,27,28,29(1)(2)(3),30(1)(2),31(1)(2),32 भाग—“ख” 2 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10) 3 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12), 4,5 टि० (1)(2)(3)(4), 6 टि० (1)(2)(3)(4), 7,8,9,10,11(1)(2)(3)(4)(5)(6) 7(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)	1 से 47 तक	131
2017-18	भाग—“क”—1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 (1)(2)(3)(4), 24(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 25(1)(2)(3), 26,27(1)(2) 28,29,30,31,32(1)(2)(3), 33,34,35,36(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 37,38(क)(ख)(ग) 39,40,41,42,43(1)(2), 44(1), 45,46,47,48(1)(2)(3), 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62(1)(2)(3), 63,64 भाग—“ख”—2 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11), 3 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(15) 4,5 टि० (1)(2)(3)(4) 6 टि० (1)(2)(3)(4) 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	1 से 11 तक	151
2018-19	भाग—कः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(1)(2)(3)(4)(5)(6), 10(1)(2)(3)(4)(5), 11(1)(2), 13(1)(2)(3)(4)(5)(6), 14(1)(2)(3)(4), 15(1)(2)(3)(4)(5), 16(1)(2)(3)(4), 17(1)(2), 18(1)(2), 19(1)(2)(3), 20(1)(2), 21(1)(2), 22,	1 से 11	164

	23(1)(2)(3), 24(1)(2), 25(1), 26(1)(2)(3), 27(1)(2)(3), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39(1)(2), 40, 41(1)(2), 42, 43, 44, 45(1)(2), 46, 47(1)(2), 48, 49, 50(1)(2), 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 <u>भाग-ख ::</u> 2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (9)(10)(11)(12), 4टि0(1)(2)(3)(4), 5टि0(1)(2)(3)(4)(5), 6, 7, 8, 9, 10टि0		
	योग-		3143

संक्र. भगि-ख के प्रत्यक्ष '2' में सदाशिव (145) -7-

परिचित '2'

नगर निगम, गाजिपाराद
बिनीप सिमि लि वर्ष 2019-20

विवरण

नगर निगम निधि खाता

01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष
वर्ष की आय
योग
वर्ष का व्यय
31.3.2020 को इतिराेष
अंशोक्तवही के अनुसार शेष
31.3.20 को बैंक शेष
अन्तर (भम)(र-ख)

3,41,29,33,722=63
4,87,55,67,932=56
8,28,85,01,655=19
4,83,14,83,620=00
3,45,70,18,035=19
3,45,70,18,035=19 'र'
3,17,59,64,176=68 'ख'
28,10,53,858=51

शु. अदि. डी. एल.
एल. एम. सी. खत
8,21,59,293=00
32,44,382=00
8,54,03,675=00
शु. म
8,54,03,675=00
8,54,03,675=00
8,54,03,523=50
151=50

का नाम/आरका/रकम सं

का नाम/आरका/रकम सं
रकम- 8448002
आरका सं- 8448001020000000
का नाम/आरका/रकम सं

का नाम/आरका/रकम सं
निगम परिसर
नया गल
कमिना
भाडल हाउस
रकम सं
555201010024002
428502010270443
448402010092154
398602010869357

276717614=00
का नाम/आरका/रकम सं
31.3.20 को अंशोक्त
का नाम/आरका/रकम सं
31,67,29,8038
1239=00
707,930=87
1971=00

सामान्य निवास परिसर	555202010509405 /	16,75,484=72	—
वैश्विक — " —	555202010509916 /	74,32,837=92	—
सामान्य वसुधारा	617501010050081 /	1,52,153=50	—
वैश्विक निवास परिसर	555201010024001 /	2,22,915,442=08	—

वैश्विक बैंक

सामान्य मालीलाइट	1149101027894 /	24,98,191=00	—
------------------	-----------------	--------------	---

5) इन्डस इन्ड बैंक

सामान्य रजिस्ट्रार	1000086711278 /	24,75,786=93	—
--------------------	-----------------	--------------	---

5) पंजाब नेशनल बैंक

(i) सामान्य विश्वव्यापी	3946002100002579 /	14,96,339=58	—
(ii) सामान्य वसुधारा	1443002100416501 /	27,76,087=61	—
(iii) सामान्य अक्सेस रोड	3703000102237927 /	20,78,18=64	—
(iv) सामान्य अक्सेस रोड	3703000102283874 /	9,12,066=84	—
(v) विश्वव्यापी मकानपुर	4052000100024286 /	22,69,152=05	—
(vi) सामान्य अक्सेस रोड	3703000102232010 /	9,89,148=00	—
(vii) सामान्य वसुधारा	4718000100022533 /	25	—
(viii) सामान्य जी.टी. रोड	0180000103033784 /	3815=24	—
(ix) औद्योगिक क्षेत्र निजमनगर	3946002100005512 /	86,87,534=10	—
(x) औद्योगिक क्षेत्र वसुधारा	4718000100003095 /	10,39,5064=29	—
(xi) एकदम अक्सेस रोड	4483000100037301 /	5,40,45,638=45	—
(xii) हार्ड सिटी नएपुन मॉडल	0294001100000890 /	1,60,62,356=00	—
(xiii) अक्सेस रोड नएपुन मॉडल	0294001100000368 /	87,31,858=50	—
(xiv) अक्सेस रोड	3703000102210072 /	76,82,342=58	—

147

147

XV) 14वां विल आन्दोलन रोड	3703000/02211857	2083452749-94	
(vi) 14वां विल आन्दोलन रोड	1116000/00202347		714
(vii) —" — आन्दोलन रोड	3703000/02224127		904
(viii) —" — नवपुरा मार्केट	0674000/02125976		988
(ix) सामान्य	2051000/00364260	रामायण में दंड	

6- आर्थिक विल आर्थिक विल

i) सामान्य राजस्व	0066104000214049	222064=00	
7- विल विल			

i) सामान्य नवपुरा मार्केट	916020021612420	3450111=75	
8- विल विल			

i) विधानसभा विधायी	1391830856	2672013=00	
9- विधानसभा विल			

विधानसभा नवपुरा मार्केट	85562200001327	4918816=07	
10- विल विल विल विल			

सामान्य राजस्व	01531110000014	201225=74	
सामान्य सिरीजोन राजस्व	50100056181525	6192786=84	

सामान्य विधानसभा लोक राजस्व	50100056181601	2759094=85	
सामान्य विल विल लोक राजस्व	50100056181653	107212304=46	

सामान्य विल विल लोक राजस्व	50100056180498	34715822=22	
सामान्य विल विल लोक राजस्व	50100056181488	86327377=77	

148

2- आदि एषि आदि एषि आदि वीर

14- 122 वा 3वा 203वा

14- 1222 और आरंभ 2023

(i) सी.सी.टी. नवगुण मॉडल 34179226186 - 44174=00

(ii) लेखन नवगुण मॉडल 34869682084 - 401984197=50

(iii) लेखन नवगुण मॉडल 34869682084 - 401984197=50

5- कोटक भिन्ना बैंक

(i) सामान्य राजस्व 6211530525 / 704556=00

16- आ-आ बैंक

(i) सामान्य आगिजावद 016010100000539 / रकम बन्द

17 एन्टी एन्ड सी

(i) सामान्य राजस्व 50100290416233 / 2640240=22

8- पंजाब नेशनल बैंक

अन्तर भोजना नगर निगम 0294000110120710 / 3203911=20
 सी-एल अकशाला कोहाली 3000000100247438 / 61,66,611=40

मार्ग

3,17,59,64,176=68	85403523=50
-------------------	-------------

-13-

(150)

परिशिष्ट ख-1

वर्ष 2019-20 में आय एवं व्यय का विवरण

माह	आय	व्यय
अप्रैल 2019	11711256.00	146119357.00
मई 2019	471720337.48	377819264.00
जून 2019	135643877.31	442167009.00
जुलाई 2019	804121034.38	404300479.00
अगस्त 2019	490033549.08	431951646.00
सितम्बर 2019	307400912.76	376641177.00
अक्टूबर 2019	470091302.96	798089821.00
नवम्बर 2019	92631566.89	143128484.00
दिसम्बर 2019	290439703.54	513693743.00
जनवरी 2020	870894893.48	290024745.00
फरवरी 2020	90681336.71	448622933.00
मार्च 2020	840198161.97	458924962.00
योग (A)	4875567932.56	4831483620.00

यू0आई0डी0एस0एम0टी0

वर्ष 2019-20 में आय एवं व्यय का विवरण

	आय	व्यय
	3244382	0
योग (B)	3244382	0

सहायक सेकुटारि
मृग

01	02	03
6.11	(सन्त)	10918614
6.12	साई मनिरु दान पात्र से	322583
6.13	जुजर न्याजिजा	16187789
7.1	स्विम्य मुल्क से शाम	23494630
7.2	राज्य विन (योगिता)	2508712679
7.10	(सन्त)	15820050
(स)	मू. जमिनी रस. रस. रस. वी.	3244382
7.7	मू. जमिनी रस. रस. रस. वी.	920699387
7.14	14 वीं विन (योगिता) (व्याज सटित)	59265304
7.15	स्वच्छ भारत मिशन	613107
7.16	स्मार्ट सिटी मिशन	1078845
7.17	समाज योजना	5255042
7.18	कान्हा राकुभावा रस. रस. रस. वी.	15369325
	समाज योजना	1804219
8.1	व्याज	
8.2	मिशन रस. रस. रस. वी. से प्राप्त	
	योगिता	4078812315

-12-
साजिवाबाद नगर निगम (153)

व्यय का विवरण - 2019-20

क्रमांक	सद	2019-20 वित्तीय
01	02	03
	<u>सार्वजनिक निर्माण</u>	
1.	आवधिकार	38117546
2.	गत वर्ष में कराये गये निगम फंड के सुपरलव कामों के संबंध में	556276468
3.	वायु के सुपरलव काम एवं मार्ग एवं सड़क निर्माण कार्य	96326592
6.	भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य	1058900
7.	पंच कार्य	2110000
10.	रोड कंठिंग से प्राप्त आय से दीर्घगुस्त सड़कों की मरम्मत	2239500
11.	पिकी की दीर्घगुस्त बाडूनी वाला निर्माण कार्य	2127546
	<u>जल आपूर्ति एवं निस्तारण</u>	
1.	आवधिकार	154028571
2.	गत वर्ष में कराये गये निगम फंड के सुपरलव कामों के संबंध में	177096730
3.8	टैंक पम्प लगाना	11482876
3.8	नयी पम्प लगाना	7770900

01	02	03
3.C	नल कय रिकोर एवं स्थापना	25834203
4.A	नल कयों का टैक पर संचालन एवं अभिलेख कार्य	53466329
4.B	पोस्ट लाइन सरम्मा	13162900
4.C	टेलिफोन सरम्मा	13586500
4.D	सीनरिज पोस्टिंग प्लॉट का संचालन एवं अभिलेख कार्य, डी.जी. एवं डी.जि. संस्था	1599700
5.	ग्रामों के विद्युत बिलों का भुगतान	329929
6.	ग्रामोडाल पेग ऑडिटिंग	15000000
7.	सीवर सिस्टिम प्लान्ट का संचालन	35187500
8.A	सीवर व्यवस्था	78958404
8.B	सेन्ट्रल सरम्मा	18932600
9.	रेडोर	17116531
10.	आदरी मालिन कमी / आदरी गरीब कोला आदरी ग्रामीण कोला के पञ्जाल आजगा हट	13916600

01	02	03
11	विद्युत विभाग के उपबलों के विद्युत संयोजन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित (सोदी) <u>पंच पुंकाश विभाग</u>	321851
1.	सुविधान	29804604
2.	ग्राहक वर्ष में करेनुमेनु निगम फंड के अनुदान कार्य के आवेदन नगरपालिका	23854216
3.	अनुदान कार्य स्वीकृत सामग्री उपकरण का रख रखाव	42202698
4.	6 मं पर अनुदान कार्य	10980501
5.	विद्युत विभाग का नगरपालिका	5680406
6.	ग्राहक मासिक बिली ग्राहक गरीब कोला ग्राहक गरीब कोला के विकास हेतु	773300
8.	सुख्य (मोल सिमिटिंग सोदी)	9375900

20
(156)

01	02	03
	स्वास्थ्य विभाग व नगरिय दौस सुपरमिडट प्रवन्धन	
1(1)	सफाई कर्मचारी	469422934
1(2)	सामान्य कर्मचारी	5976109
2.	गांव वृष में कराने वाले निगम फंड के अनुदान को अविवेक संग्रहण	63185555
3.	अनुदान (सफाई सामग्री उपकरण अविवेक)	55400533
4.	ठेका/उत्प्रेषण प्रमोशन से सफाई कार्य	314294647
4-A	सफाई कार्य सफाई कार्य	32312086
5.	नौकों की सफाई का कार्य एवं मिडट डेन	4756376
6.	संरक्षण के शोधन व अन्य आवधिक कार्य	4574770
7.	गहरी मलिन वस्ती गहरी मलिन कोल/गहरी ग्रामीण कोल को सफाई कार्य	118630300

01	02	03
	<u>उद्यान अनुभाग</u>	
1.	अभिषेक	41523078
2.	गांव बंध में करीब दो मी निगम फंड के अनुदान कागजात का निवेदन प्रस्ताव	63403753
3.	इस पर पार्क का अनुदान कार्य	91262414
4.	विद्युत बिलों का प्रस्ताव	1462450
5.	अनुदान उपकरण सरमाप्त, मध्य प्रदेश	21319524 -
	<u>मिना खेडकर, समाज कल्याण</u>	
	<u>पुस्तकालय</u>	
1.	अभिषेक	1213507
3.	पुस्तकालय, सबल सरमाप्त (श्रीद)	163569
4.	इस पर अनुदान कार्य	20749116 -

22
158

01	02	03
	<u>सम्पत्ति एवं पुर्वापन विभाग</u>	
1.	अभिलेखन	1074267
2.	दूकें एवं जमा-खस की वापसी पुर्वापन कार्य आदि।	3725262
3.	नगर की सुविधाओं के रख-रखाव पर व्यय	397703
	<u>वित्त विभाग</u>	
1.	अभिलेखन	3602651
2.	अभिलेखना फीस	4232390
3.	वित्त व्यय (नोट फीस आदि)	121424
	<u>सामान्य प्रशासन कार्यालय नजारा खर्चा आदि।</u>	
1(1)	अभिलेखन पुस्तक का मालिक	71962758
1(2)	आइट विभाग	1889632
1(3)	खर्चा विभाग	3326698
1(4)	कर विभाग	39796324
1(5)	पुस्तक खर्चा	13563409
1(6)	पेंशन	250272344

01	02	03
1(7)	सांगीटक बीमा	1797900
2	सामान्य स्तर के रात वरि के सुविधाय मुगसान	20873454
3	सामान्य स्तर	26334032
4	टेलीफोन	1699243
9	विविध ठेके पर कार्य सीटिंग समावेष्ट, किशाफन	8537801
10	कन्सल्टेन्सी फीस	1328806
11	कन्सल्टेन्सी फीस	2906734
12	विविध व्यय	21652267
13	ठेके पर रखे गये मकनीनी कर्मियों पर व्यय	27212819
14	डीजल एवं पेट्रोल ग्राहकीय अनुदान एवं अन्य सौदों से कार्य	355323687
1	संविदात्मिक योजना में कार्य गये विकास कार्य	334000

241
(160)

01	02	03
2	सा. सदन / सा. कार्यकारी / सा. सचिव यापिका के सुन्य विकास कार्य	9976900
4(A)	सुवस्थापना विकास निधि	505096215
10	सुन्य	14377105
11	जी.डी.ए.	716787
(ख)	पुंजीगत व्यय	
3	13 वॉ. विना सुगोरा व्यय	23771584
12	नगरीय जल विकास योजना	100000000
13	14 वॉ. विना सुगोरा व्यय	585713113
14	स्वच्छ भारत मिशन	30063969
16	समुदाय योजना	6762672
17	कान्हा राउत गोला स्व. वसधरा फण्ड	15048416
	सुगोरा योजना	
	योग	4831483620

वित्तीय स्थिति का विवरण-

वर्ष	विवरण	प्रारम्भिक अवधि	अन्तिम	वैद्य	विवरण	अन्तिम
2019-2020	मूल निधि अर्पण	238847172	2508712079	2747559251	2261591994	485967257
	13 वां निधि अर्पण	61295143	0	61295143	23771584	37523559
	14 वां निधि अर्पण	1445218889	920699387	2565918276	583713113	1980205163
	निधीकरण	3553602	0	3553602	0	3553602
	दु.आर्.सी.एच.एच.एच.सी.	82159293	3244382	85403675	0	85403675
	सर्वोप महासूचक योजना	0	0	0	0	0
	सर्वोप महासूचक	10000000	0	10000000	10000000	0
	सर्वोप महासूचक	18356292	59265304	77621596	30063989	47557627
	सर्वोप महासूचक	15449249	613107	16062356	0	16062356
	सर्वोप महासूचक	17619756	1078843	18698601	6762672	11935929
	सर्वोप महासूचक	15960068	5255042	21215110	15048416	6166694
	सी.सी.ए.	42801701	0	42801701	716787	42084914
	निधी योजना	1340504297	1379944168	2720448465	1897815085	822633380
	Total-	3491765462	4878812314	8370577776	4831483620	3539094156

-27- (162)
 28 अगस्त 1962 के जल 2 में सलमोरी

पोलिमर 'ग'

पृष्ठ सं० ६०-१६६

सर्वप्रथम परियोजना-संशोधनकार पंचायत/लेख पंचायत
 वर्ष 2019-20 नगर निगम, गानिभातल के जल सौर पत्र सलमोरी
 (किसी रूप में नहीं)

क्र.सं.	संशोधन कार्य का नाम	1. अगस्त 1962 को आरम्भित संशोधन	2-अगस्त 1962 वर्ष की मात्रा					आवधिक व्ययों का सारांश (रु० में)	किसी भी प्रकार का व्यय	आवधिक व्ययों का सारांश (रु० में)	कुल व्यय
			संशोधन कार्य के आरम्भित होने के बाद	संशोधन कार्य के आरम्भित होने के बाद	संशोधन कार्य के आरम्भित होने के बाद	संशोधन कार्य के आरम्भित होने के बाद	संशोधन कार्य के आरम्भित होने के बाद				
3	4	5	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	6 (ङ)	7	8	9	10
1	नगर निगम सौर पत्र	3412933723	1456765235	910070618	2508712079	-	4875567938	8288501655	4831483620	3457018035	
		82159293	8244382	-	-	-	8244382	85403675	4831483620	3457018035	
2	सू. अं० 21 एम. एम. एम. - सी. जमान										

कुल व्यय रु० ६०-१६६ १००-००० (रु० में)

प्रमाणित किया जाता है कि
रु० २०१९-२०२० के

आनन्द के आरा '३' में प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाता है कि

क्र.सं.	विवरण	प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि
1	आनन्द के आरा '३' में प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि
2	(क) आनन्द के आरा '३' में प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि
(ख) आनन्द के आरा '३' में प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि
(ग) आनन्द के आरा '३' में प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि
(घ) आनन्द के आरा '३' में प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि	प्रमाणित किया जाता है कि

आनन्द के आरा '३' में प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाता है कि

1341880267 2508712079 910090618

29

सं० ११० से १० सं०-११

नाम निम्न, अजिमासाद, शरा अथवा कृषक की वसति

वर्ष २०१३-२० के अवधि

क्र.सं.	राज्यीय आर्थिक सेवा तथा शोध, निदेश, अनुसंधान, संशोधन तथा अन्य सेवाएं	अनुदान का आवेदन संख्या	अनुदान की अधिकतम पर्याप्तता	अनुदान की अधिकतम पर्याप्तता	अनुदान में प्रतिशत अंतर	अनुदान में प्रतिशत अंतर	अनुदान में प्रतिशत अंतर	अनुदान में प्रतिशत अंतर	अनुदान में प्रतिशत अंतर	अनुदान में प्रतिशत अंतर	अनुदान में प्रतिशत अंतर	अनुदान में प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[०१]	श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश - २०००-११४६५ के पत्रा '३' के सारांश ३०-६-२०००	श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश - २०००-११४६५ के पत्रा '३' के सारांश ३०-६-२०००	२,००,०००	३१-३-२०००	७०३	—	७०३	—	७०३	—	७०३	—
[०२]	श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश १-१८ के पत्रा '३' के सारांश ३०-३-१९९८	श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश १-१८ के पत्रा '३' के सारांश ३०-३-१९९८	१२७३०००	३०-३-२०००	१६२२९२	—	१६२२९२	—	१६२२९२	—	१६२२९२	—
[०३]	श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश १-१८ के पत्रा '३' के सारांश ३०-३-१९९८	श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश १-१८ के पत्रा '३' के सारांश ३०-३-१९९८	३७६२००	३०-३-२०००	३७६२००	—	३७६२००	—	३७६२००	—	३७६२००	—

राज्यीय सेवा, निदेश, अनुसंधान, संशोधन तथा अन्य सेवाएं के आवेदन में प्रतिशत अंतर, अनुदान तथा प्रतिशत अंतर, अनुदान तथा प्रतिशत अंतर

श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश

श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश

श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश

श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश

श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश

श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश

श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश

श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश

श्री ११० से १०३७/११-१५ के पत्रा '३' के सारांश

991

सिद्धांत गान्धर्वशास्त्र

2019-20

— १० —

10/10/2007

[illegible]

के संदर्भ में महालिङ्गाकार, जल-जिरी के, इलाहाबाद जल-खाने, का पूरक पाठ्य

निवेदकः
स्वाध्याय निधि सेवा,
नगर प्रवेश ।

5. 100.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000 8.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000 12.500.000 13.000.000 13.500.000 14.000.000 14.500.000 15.000.000 15.500.000 16.000.000 16.500.000 17.000.000 17.500.000 18.000.000 18.500.000 19.000.000 19.500.000 20.000.000 20.500.000 21.000.000 21.500.000 22.000.000 22.500.000 23.000.000 23.500.000 24.000.000 24.500.000 25.000.000 25.500.000 26.000.000 26.500.000 27.000.000 27.500.000 28.000.000 28.500.000 29.000.000 29.500.000 30.000.000 30.500.000 31.000.000 31.500.000 32.000.000 32.500.000 33.000.000 33.500.000 34.000.000 34.500.000 35.000.000 35.500.000 36.000.000 36.500.000 37.000.000 37.500.000 38.000.000 38.500.000 39.000.000 39.500.000 40.000.000 40.500.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000 42.500.000 43.000.000 43.500.000 44.000.000 44.500.000 45.000.000 45.500.000 46.000.000 46.500.000 47.000.000 47.500.000 48.000.000 48.500.000 49.000.000 49.500.000 50.000.000 50.500.000 51.000.000 51.500.000 52.000.000 52.500.000 53.000.000 53.500.000 54.000.000 54.500.000 55.000.000 55.500.000 56.000.000 56.500.000 57.000.000 57.500.000 58.000.000 58.500.000 59.000.000 59.500.000 60.000.000 60.500.000 61.000.000 61.500.000 62.000.000 62.500.000 63.000.000 63.500.000 64.000.000 64.500.000 65.000.000 65.500.000 66.000.000 66.500.000 67.000.000 67.500.000 68.000.000 68.500.000 69.000.000 69.500.000 70.000.000 70.500.000 71.000.000 71.500.000 72.000.000 72.500.000 73.000.000 73.500.000 74.000.000 74.500.000 75.000.000 75.500.000 76.000.000 76.500.000 77.000.000 77.500.000 78.000.000 78.500.000 79.000.000 79.500.000 80.000.000 80.500.000 81.000.000 81.500.000 82.000.000 82.500.000 83.000.000 83.500.000 84.000.000 84.500.000 85.000.000 85.500.000 86.000.000 86.500.000 87.000.000 87.500.000 88.000.000 88.500.000 89.000.000 89.500.000 90.000.000 90.500.000 91.000.000 91.500.000 92.000.000 92.500.000 93.000.000 93.500.000 94.000.000 94.500.000 95.000.000 95.500.000 96.000.000 96.500.000 97.000.000 97.500.000 98.000.000 98.500.000 99.000.000 99.500.000 100.000.000 100.500.000 101.000.000 101.500.000 102.000.000 102.500.000 103.000.000 103.500.000 104.000.000 104.500.000 105.000.000 105.500.000 106.000.000 106.500.000 107.000.000 107.500.000 108.000.000 108.500.000 109.000.000 109.500.000 110.000.000 110.500.000 111.000.000 111.500.000 112.000.000 112.500.000 113.000.000 113.500.000 114.000.000 114.500.000 115.000.000 115.500.000 116.000.000 116.500.000 117.000.000 117.500.000 118.000.000 118.500.000 119.000.000 119.500.000 120.000.000 120.500.000 121.000.000 121.500.000 122.000.000 122.500.000 123.000.000 123.500.000 124.000.000 124.500.000 125.000.000 125.500.000 126.000.000 126.500.000 127.000.000 127.500.000 128.000.000 128.500.000 129.000.000 129.500.000 130.000.000 130.500.000 131.000.000 131.500.000 132.000.000 132.500.000 133.000.000 133.500.000 134.000.000 134.500.000 135.000.000 135.500.000 136.000.000 136.500.000 137.000.000 137.500.000 138.000.000 138.500.000 139.000.000 139.500.000 140.000.000 140.500.000 141.000.000 141.500.000 142.000.000 142.500.000 143.000.000 143.500.000 144.000.000 144.500.000 145.000.000 145.500.000 146.000.000 146.500.000 147.000.000 147.500.000 148.000.000 148.500.000 149.000.000 149.500.000 150.000.000 150.500.000 151.000.000 151.500.000 152.000.000 152.500.000 153.000.000 153.500.000 154.000.000 154.500.000 155.000.000 155.500.000 156.000.000 156.500.000 157.000.000 157.500.000 158.000.000 158.500.000 159.000.000 159.500.000 160.000.000 160.500.000 161.000.000 161.500.000 162.000.000 162.500.000 163.000.000 163.500.000 164.000.000 164.500.000 165.000.000 165.500.000 166.000.000 166.500.000 167.000.000 167.500.000 168.000.000 168.500.000 169.000.000 169.500.000 170.000.000 170.500.000 171.000.000 171.500.000 172.000.000 172.500.000 173.000.000 173.500.000 174.000.000 174.500.000 175.000.000 175.500.000 176.000.000 176.500.000 177.000.000 177.500.000 178.000.000 178.500.000 179.000.000 179.500

2019-20

॥ १ ॥

70K 17 114 21125 217919.

— 1117 —

7610 170 80 40—66

[illegible]

6

आ. सं. - 8/177/19-
12 वां वि. क्र. 28/19
दिनांक 2006-07
पृ. 28-5-2007

6

(7)

[illegible]

1539880	31-3-08	306197
1539788	31-3-08	1929705

306197	—	306197
1929785	—	1929785

राजधानी बंगलूर ————— दिनांक —————

श्री राजेश्वरी मठवासीजीकाट, उपाध्याय श्री विद्यादासजीवर तथा गणित, तत्त्वज्ञान शास्त्राधीन

—----- मित्राभा की प्रार्थना

[illegible]

9.

विशेषतः
व्यापक विधि सेवा,

168

कृ. 2017-20 के अन्तर्गत नगर निगम राउतगढ़ द्वारा अनुदान प्रदान की गई है।

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम तथा पता, जिसने अनुदान स्वीकृत किया	अनुदान का अर्थव्यय	अनुदान की सीमा	अनुदान का प्रकार	अनुदान प्रदान की तिथि	अनुदान में शामिल अन्य व्यय	प्रतिफल प्राप्त हुआ है	नोट	अनुदान प्राप्त की तिथि	अनुदान की सीमा	अनुदान का प्रकार	अनुदान प्रदान की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(8)	आ.सं.-08/867/92 12 को सि. नि. राउतगढ़ रा.सं.-2017-08 दि. 11-02-08	14880	31-03-08	14880	—	—	14880	—	14880	—	—	—
(9)	आ.सं.-08/1592/12 12 को सि. नि. राउतगढ़ रा.सं.-2008-09	15307880	25-11-08	190661	—	—	190661	—	190661	—	—	—
(10)	आ.सं.-08/3027/92 9/12 को सि. नि. राउतगढ़ रा.सं.-2008-09	15309880	31-03-09	262636	—	—	262636	—	262636	—	—	—

राजधानी सेवा विभाग के माध्यम से मरुतिवांकार, लालपुरा, देहातवासी लालपुरा, लालपुरावासी लालपुरा

निवेदन
स्वास्थ्य विभाग
रा.सं. 2017-20

श्री 100 रु. 100—10 रा.सं. 2017-20—2001—100,000 (अन्य)

दिनांक 2019-20

के अंतर्गत

एक सहायक अधिकारी/अधीक्षक

को नियुक्त करने के लिए

दिनांक 20.10.2019

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम और पिता/पति का नाम	जन्म का तिथि	शिक्षण की योग्यता	सर्वोच्च शिक्षा की तिथि	सर्वोच्च शिक्षा का स्तर	सर्वोच्च शिक्षा का स्तर	योग	सर्वोच्च शिक्षा का स्तर	सर्वोच्च शिक्षा का स्तर	सर्वोच्च शिक्षा का स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(10)	श्री. श्री. B/670/92 12 वीं 1980-81 1001-2010	1983.3.30	8-1-10	562307	—	562307	—	562307	—	562307
(12)	श्री. श्री. B/670/92 12 वीं 1980-81 1001-2010	1983.3.30	8-1-10	562307	—	562307	—	562307	—	562307
	श्री. श्री. B/670/92 12 वीं 1980-81 1001-2010	1983.3.30	8-1-10	562307	—	562307	—	562307	—	562307
	श्री. श्री. B/670/92 12 वीं 1980-81 1001-2010	1983.3.30	8-1-10	562307	—	562307	—	562307	—	562307

उम्मीदवार का नाम: श्री. श्री. B/670/92
दिनांक: 2019-20
के अंतर्गत: एक सहायक अधिकारी/अधीक्षक
को नियुक्त करने के लिए: दिनांक 20.10.2019

परीक्षा क्र. 1001-2010-100,000 (अर्थ)

32

परीक्षा
आयोग
को
अधीक्षक

2019-2020

अ. नं० १००

द्वारा अभ्यवृत्त अनुदान की र. निहा

[illegible]

10

34

1

品名

17025.467

इसका नाम निधि है।

सुखी र प्रेमिका ।

[illegible]

2019-20

—ਭ੍ਰਿ. ਫ਼ਾਇਰੀਜ਼

11/15/2017

— ६४ —

FD-302 (Rev. 4-15-64)

[illegible]

कालान्तरे _____ विनाश _____ के सारा में मनुष्यजीवता, जरा, प्रेम, प्रार्थना एवं धर्म, जलवायु अथवा _____ प्रकाश की शक्ति
 सो _____
 किन्तु _____

710 450 40 710—10 450 710 710 0—31-10-2001—100,000 (M)

9.

$$\frac{209.13}{20} = 10.4565$$

participa

175

[illegible]

970 270 70 01-12 4770 570 60-019-74 69-59,000 (4770) :

[illegible]

[illegible]

पुस्तक को पढ़िए ।

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जिला, उत्तर प्रदेश

विनिर्देश—उपरोक्त में अधिलेखित

संज्ञा संज्ञा

निदेशक,
स्वातंत्र्य मित्रि सेना,
कानर प्रदेश ।

ਸੀ 0 ਟਾਪੂ ੩0 ਜੀ--12 ਸਾਥ ਨਿ0 ਜੀ0--18-24-30--50,000 (ਸਾਥ) :

$$\text{cis-1,2-FeO} \cdot 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{FeO}$$
[illegible]

DATE: _____

प्रतिभा

[illegible]

प्रमाण नही है कि

0

Figure 1

Figure 1

कवि-विरचितं पद्यम्

2017 7/20/2017

410 770 10 770—10 770 770 770—31-10-1901—100,000 (214)

100

Countdown to 2015: 2014/5

— 10 —

(14)

$$\frac{1}{20} \sqrt{1-2\pi} \frac{1}{H}$$

2000-01-14 14:30

 $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{12}$

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

(ii) $\approx 17.68 / (17.68 / 10) / 10$

2019-12-19 20

150219-2-19

10

8/2086/121(w)/14

7-11A 2010/2019-20

10

6/14/12

$$S_1 = \frac{1.44 \times 10^{-12} \text{ J}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

0.4

Fig. 15.

10

10

Гидрографический

10

10

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

•

•

Form No. 10 (1-10-2010)

Sl. No.	Name of the person	Age	Sex	Religion	Marital Status	Occupation	Address
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(16) 2019-20 के लिए
प्रमाणित की जाती है
जारी 30/10/19

(17) 3-10-2019

प्रमाणित की जाती है
जारी 30/10/19
प्रमाणित की जाती है
जारी 30/10/19

Form No. 10 (1-10-2010)

Form No. 10 (1-10-2010)

Form No. 10 (1-10-2010)

[illegible]

—fourth and five—

100

1999

10

1999

$$\frac{2\pi\sqrt{2} \times 10^{-10} \times 10^{-10}}{6.626 \times 10^{-34}} = 4.77 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$
[illegible][illegible][illegible]

2552337077

12/12/93

ad 2019-2020 sulla sostenibilità e nuova Piana

[illegible]

and job training

[illegible]

-81-

189

REPORT FOR THE YEAR 2010-2011

Sl. No.	Particulars	Particulars	2010-2011		2011-2012		2012-2013		2013-2014		2014-2015		2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-2027		2027-2028		2028-2029		2029-2030		2030-2031		2031-2032		2032-2033		2033-2034		2034-2035		2035-2036		2036-2037		2037-2038		2038-2039		2039-2040		2040-2041		2041-2042		2042-2043		2043-2044		2044-2045		2045-2046		2046-2047		2047-2048		2048-2049		2049-2050		2050-2051		2051-2052		2052-2053		2053-2054		2054-2055		2055-2056		2056-2057		2057-2058		2058-2059		2059-2060		2060-2061		2061-2062		2062-2063		2063-2064		2064-2065		2065-2066		2066-2067		2067-2068		2068-2069		2069-2070		2070-2071		2071-2072		2072-2073		2073-2074		2074-2075		2075-2076		2076-2077		2077-2078		2078-2079		2079-2080		2080-2081		2081-2082		2082-2083		2083-2084		2084-2085		2085-2086		2086-2087		2087-2088		2088-2089		2089-2090		2090-2091		2091-2092		2092-2093		2093-2094		2094-2095		2095-2096		2096-2097		2097-2098		2098-2099		2099-2100		2100-2101		2101-2102		2102-2103		2103-2104		2104-2105		2105-2106		2106-2107		2107-2108		2108-2109		2109-2110		2110-2111		2111-2112		2112-2113		2113-2114		2114-2115		2115-2116		2116-2117		2117-2118		2118-2119		2119-2120		2120-2121		2121-2122		2122-2123		2123-2124		2124-2125		2125-2126		2126-2127		2127-2128		2128-2129		2129-2130		2130-2131		2131-2132		2132-2133		2133-2134		2134-2135		2135-2136		2136-2137		2137-2138		2138-2139		2139-2140		2140-2141		2141-2142		2142-2143		2143-2144		2144-2145		2145-2146		2146-2147		2147-2148		2148-2149		2149-2150		2150-2151		2151-2152		2152-2153		2153-2154		2154-2155		2155-2156		2156-2157		2157-2158		2158-2159		2159-2160		2160-2161		2161-2162		2162-2163		2163-2164		2164-2165		2165-2166		2166-2167		2167-2168		2168-2169		2169-2170		2170-2171		2171-2172		2172-2173		2173-2174		2174-2175		2175-2176		2176-2177		2177-2178		2178-2179		2179-2180		2180-2181		2181-2182		2182-2183		2183-2184		2184-2185		2185-2186		2186-2187		2187-2188		2188-2189		2189-2190		2190-2191		2191-2192		2192-2193		2193-2194		2194-2195		2195-2196		2196-2197		2197-2198		2198-2199		2199-2200		2200-2201		2201-2202		2202-2203		2203-2204		2204-2205		2205-2206		2206-2207		2207-2208		2208-2209		2209-2210		2210-2211		2211-2212		2212-2213		2213-2214		2214-2215		2215-2216		2216-2217		2217-2218		2218-2219		2219-2220		2220-2221		2221-2222		2222-2223		2223-2224		2224-2225		2225-2226		2226-2227		2227-2228		2228-2229		2229-2230		2230-2231		2231-2232		2232-2233		2233-2234		2234-2235		2235-2236		2236-2237		2237-2238		2238-2239		2239-2240		2240-2241		2241-2242		2242-2243		2243-2244		2244-2245		2245-2246		2246-2247		2247-2248		2248-2249		2249-2250		2250-2251		2251-2252		2252-2253		2253-2254		2254-2255		2255-2256		2256-2257		2257-2258		2258-2259		2259-2260		2260-2261		2261-2262		2262-2263		2263-2264		2264-2265		2265-2266		2266-2267		2267-2268		2268-2269		2269-2270		2270-2271		2271-2272		2272-2273		2273-2274		2274-2275		2275-2276		2276-2277		2277-2278		2278-2279		2279-2280		2280-2281		2281-2282		2282-2283		2283-2284		2284-2285		2285-2286		2286-2287		2287-2288		2288-2289		2289-2290		2290-2291		2291-2292		2292-2293		2293-2294		2294-2295		2295-2296		2296-2297		2297-2298		2298-2299		2299-2300		2300-2301		2301-2302		2302-2303		2303-2304		2304-2305		2305-2306		2306-2307		2307-2308		2308-2309		2309-2310		2310-2311		2311-2312		2312-2313		2313-2314		2314-2315		2315-2316		2316-2317		2317-2318		2318-2319		2319-2320		2320-2321		2321-2322		2322-2323		2323-2324		2324-2325		2325-2326		2326-2327		2327-2328		2328-2329		2329-2330		2330-2331		2331-2332		2332-2333		2333-2334		2334-2335		2335-2336		2336-2337		2337-2338		2338-2339		2339-2340		2340-2341		2341-2342		2342-2343		2343-2344		2344-2345		2345-2346		2346-2347		2347-2348		2348-2349		2349-2350		2350-2351		2351-2352		2352-2353		2353-2354		2354-2355		2355-2356		2356-2357		2357-2358		2358-2359		2359-2360		2360-2361		2361-2362		2362-2363		2363-2364		2364-2365		2365-2366		2366-2367		2367-2368		2368-2369		2369-2370		2370-2371		2371-2372		2372-2373		2373-2374		2374-2375		2375-2376		2376-2377		2377-2378		2378-2379		2379-2380		2380-2381		2381-2382		2382-2383		2383-2384		2384-2385		2385-2386		2386-2387		2387-2388		2388-2389		2389-2390		2390-2391		2391-2392		2392-2393		2393-2394		2394-2395		2395-2396		2396-2397		2397-2398		2398-2399		2399-2400		2400-2401		2401-2402		2402-2403		2403-2404		2404-2405		2405-2406		2406-2407		2407-2408		2408-2409		2409-2410		2410-2411		2411-2412		2412-2413		2413-2414		2414-2415		2415-2416		2416-2417		2417-2418		2418-2419		2419-2420		2420-2421		2421-2422		2422-2423		2423-2424		2424-2425		2425-2426		2426-2427		2427-2428		2428-2429		2429-2430		2430-2431		2431-2432		2432-2433		2433-2434		2434-2435		2435-2436		2436-2437		2437-2438		2438-2439		2439-2440		2440-2441		2441-2442		2442-2443		2443-2444		2444-2445		2445-2446		2446-2447		2447-2448		2448-2449		2449-2450		2450-2451		2451-2452		2452-2453		2453-2454		2454-2455		2455-2456		2456-2457		2457-2458		2458-2459		2459-2460		2460-2461		2461-2462		2462-2463		2463-2464		2464-2465		2465-2466		2466-2467		2467-2468		2468-2469		2469-2470		2470-2471		2471-2472		2472-2473		2473-2474		2474-2475		2475-2476		2476-2477		2477-2478		2478-2479		2479-2480		2480-2481		2481-2482		2482-2483		2483-2484		2484-2485		2485-2486		2486-2487		2487-2488		2488-2489		2489-2490		2490-2491		2491-2492		2492-2493		2493-2494		2494-2495		2495-2496		2496-2497		2497-2498		2498-2499		2499-2500		2500-2501		2501-2502		2502-2503		2503-2504		2504-2505		2505-2506		2506-2507		2507-2508		2508-2509		2509-2510		2510-2511		2511-2512		2512-2513		2513-2514		2514-2515		2515-2516		2516-2517		2517-2518		2518-2519		2519-2520		2520-2521		2521-2522		2522-2523		2523-2524		2524-2525		2525-2526		2526-2527		2527-2528		2528-2529		2529-2530		2530-2531		2531-2532		2532-2533		2533-2534		2534-2535		2535-2536		2536-2537		2537-2538		2538-2539		2539-2540		2540-2541		2541-2542		2542-2543		2543-2544		2544-2545		2545-2546		2546-2547		2547-2548		2548-2549		2549-2550		2550-2551		2551-2552		2552-2553		2553-2554		2554-2555		2555-2556		2556-2557		2557-2558		2558-2559		2559-2560		2560-2561		2561-2562		2562-2563		2563-2564		2564-2565		2565-2566		2566-2567		2567-2568		2568-2569		2569-2570		2570-2571		2571-2572		2572-2573		2573-2574		2574-2575		2575-2576		2576-2577		2577-2578		2578-2579		2579-2580		2580-2581		2581-2582		2582-2583		2583-2584		2584-2585		2585-2586		2586-2587		2587-2588		2588-2589		2589-2590		2590-2591		2591-2592		2592-2593		2593-2594		2594-2595		2595-2596		2596-2597		2597-2598		2598-2599		2599-2600		2600-2601		2601-2602		2602-2603		2603-2604		2604-2605		2605-2606		2606-2607		2607-2608		2608-2609		2609-2610		2610-2611		2611-2612		2612-2613		2613-2614		2614-2615		2615-2616		2616-2617		2617-2618		2618-2619		2619-2620		2620-2621		2621-2622		2622-2623		2623-2624		2624-2625		2625-2626		2626-2627		2627-2628		2628-2629		2629-2630		2630-2631		2631-2632		2632-2633		2633-2634		2634-2635		2635-2636		2636-2637		2637-2638		2638-2639		2639-2640		2640-2641		2641-2642		2642-2643		2643-2644		2644-2645		2645-2646		2646-2647		2647-2648		2648-2649		2649-2650		2650-2651		2651-2652		2652-2653		2653-2654		2654-2655		2655-2656		2656-2657		2657-2658		2658-2659		2659-2660		2660-2661		2661-2662		2662-2663		2663-2664		2664-2665		2665-2666		2666-2667		2667-2668		2668-2669		2669-2670		2670-2671		2671-2672		2672-2673		2673-2674		2674-2675		2675-2676		2676-2677		2677-2678		2678-2679		2679-2680		2680-2681		2681-2682		2682-2683		2683-2684		2684-2685		2685-2686		2686-2687		2687-2688		2688-2689		2689-2690		2690-2691		2691-2692		2692-2693		2693-2694		2694-2695		2695-2696		2696-2697		2697-2698		2698-2699		2699-2700		2700-2701		2701-2702		2702-2703		2703-2704		2704-2705		2705-2706		2706-2707		2707-2708		2708-2709		2709-2710		2710-2711		2711-2712		2712-2713		2713-2714		2714-2715		2715-2716		2716-2717		2717-2718		2718-2719		2719-2720		2720-2721		2721-2722		2722-2723		2723-2724		2724-2725		2725-2726		2726-2727		2727-2728		2728-2729		2729-2730		2730-2731		2731-2732		2732-2733		2733-2734		2734-2735		2735-2736		2736-2737	
---------	-------------	-------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

[illegible][illegible]

89

193

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2010

Sl. No.	Particulars	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	760	759	758	757	756	755	754	753	752	751	750	749	748	747	746	745	744	743	742	741	740	739	738	737	736	735	734	733	732	731	730	729	728	727	726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701	700	699	698	697	696	695	694	693	692	691	690	689	688	687	686	685	684	683	682	681	680	679	678	677	676	675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663	662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650	649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637	636	635	634	633	632	631	630	629	628	627	626	625	624	623	622	621	620	619	618	617	616	615	614	613	612
---------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

admission and fees

[illegible]

del sistema sanitario e dell'assistenza sociale.

[illegible]

... sufficient use from

Abstract

[illegible]

2010-01-02 14:00:00

[illegible]

...and the ...

...and the ...

[illegible]

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

[illegible]

RECEIVED AND FORWARDED

[illegible]

1999-2000
 2000-2001
 2001-2002
 2002-2003
 2003-2004
 2004-2005
 2005-2006
 2006-2007
 2007-2008
 2008-2009
 2009-2010
 2010-2011
 2011-2012
 2012-2013
 2013-2014
 2014-2015
 2015-2016
 2016-2017
 2017-2018
 2018-2019
 2019-2020
 2020-2021
 2021-2022
 2022-2023
 2023-2024
 2024-2025
 2025-2026
 2026-2027
 2027-2028
 2028-2029
 2029-2030
 2030-2031
 2031-2032
 2032-2033
 2033-2034
 2034-2035
 2035-2036
 2036-2037
 2037-2038
 2038-2039
 2039-2040
 2040-2041
 2041-2042
 2042-2043
 2043-2044
 2044-2045
 2045-2046
 2046-2047
 2047-2048
 2048-2049
 2049-2050
 2050-2051
 2051-2052
 2052-2053
 2053-2054
 2054-2055
 2055-2056
 2056-2057
 2057-2058
 2058-2059
 2059-2060
 2060-2061
 2061-2062
 2062-2063
 2063-2064
 2064-2065
 2065-2066
 2066-2067
 2067-2068
 2068-2069
 2069-2070
 2070-2071
 2071-2072
 2072-2073
 2073-2074
 2074-2075
 2075-2076
 2076-2077
 2077-2078
 2078-2079
 2079-2080
 2080-2081
 2081-2082
 2082-2083
 2083-2084
 2084-2085
 2085-2086
 2086-2087
 2087-2088
 2088-2089
 2089-2090
 2090-2091
 2091-2092
 2092-2093
 2093-2094
 2094-2095
 2095-2096
 2096-2097
 2097-2098
 2098-2099
 2099-2100
 2100-2101
 2101-2102
 2102-2103
 2103-2104
 2104-2105
 2105-2106
 2106-2107
 2107-2108
 2108-2109
 2109-2110
 2110-2111
 2111-2112
 2112-2113
 2113-2114
 2114-2115
 2115-2116
 2116-2117
 2117-2118
 2118-2119
 2119-2120
 2120-2121
 2121-2122
 2122-2123
 2123-2124
 2124-2125
 2125-2126
 2126-2127
 2127-2128
 2128-2129
 2129-2130
 2130-2131
 2131-2132
 2132-2133
 2133-2134
 2134-2135
 2135-2136
 2136-2137
 2137-2138
 2138-2139
 2139-2140
 2140-2141
 2141-2142
 2142-2143
 2143-2144
 2144-2145
 2145-2146
 2146-2147
 2147-2148
 2148-2149
 2149-2150
 2150-2151
 2151-2152
 2152-2153
 2153-2154
 2154-2155
 2155-2156
 2156-2157
 2157-2158
 2158-2159
 2159-2160
 2160-2161
 2161-2162
 2162-2163
 2163-2164
 2164-2165
 2165-2166
 2166-2167
 2167-2168
 2168-2169
 2169-2170
 2170-2171
 2171-2172
 2172-2173
 2173-2174
 2174-2175
 2175-2176
 2176-2177
 2177-2178
 2178-2179
 2179-2180
 2180-2181
 2181-2182
 2182-2183
 2183-2184
 2184-2185
 2185-2186
 2186-2187
 2187-2188
 2188-2189
 2189-2190
 2190-2191
 2191-2192
 2192-2193
 2193-2194
 2194-2195
 2195-2196
 2196-2197
 2197-2198
 2198-2199
 2199-2200
 2200-2201
 2201-2202
 2202-2203
 2203-2204
 2204-2205
 2205-2206
 2206-2207
 2207-2208
 2208-2209
 2209-2210
 2210-2211
 2211-2212
 2212-2213
 2213-2214
 2214-2215
 2215-2216
 2216-2217
 2217-2218
 2218-2219
 2219-2220
 2220-2221
 2221-2222
 2222-2223
 2223-2224
 2224-2225
 2225-2226
 2226-2227
 2227-2228
 2228-2229
 2229-2230
 2230-2231
 2231-2232
 2232-2233
 2233-2234
 2234-2235
 2235-2236
 2236-2237
 2237-2238
 2238-2239
 2239-2240
 2240-2241
 2241-2242
 2242-2243
 2243-2244
 2244-2245
 2245-2246
 2246-2247
 2247-2248
 2248-2249
 2249-2250
 2250-2251
 2251-2252
 2252-2253
 2253-2254
 2254-2255
 2255-2256
 2256-2257
 2257-2258
 2258-2259
 2259-2260
 2260-2261
 2261-2262
 2262-2263
 2263-2264
 2264-2265
 2265-2266
 2266-2267
 2267-2268
 2268-2269
 2269-2270
 2270-2271
 2271-2272
 2272-2273
 2273-2274
 2274-2275
 2275-2276
 2276-2277
 2277-2278
 2278-2279
 2279-2280
 2280-2281
 2281-2282
 2282-2283
 2283-2284
 2284-2285
 2285-2286
 2286-2287
 2287-2288
 2288-2289
 2289-2290
 2290-2291
 229

[illegible]

[illegible]

Sl. No.	Particulars	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	2146-2147	2147-2148	2148-2149	2149-2150	2150-2151	2151-2152	2152-2153	2153-2154	2154-2155	2155-2156	2156-2157	2157-2158	2158-2159	2159-2160	2160-2161	2161-2162	2162-2163	2163-2164	2164-2165	2165-2166	2166-2167	2167-2168	2168-2169	2169-2170	2170-2171	2171-2172	2172-2173	2173-2174	2174-2175	2175-2176	2176-2177	2177-2178	2178-2179	2179-2180	2180-2181	2181-2182	2182-2183	2183-2184	2184-2185	2185-2186	2186-2187	2187-2188	2188-2189	2189-2190	2190-2191	2191-2192	2192-2193	2193-2194	2194-2195	2195-2196	2196-2197	2197-2198	2198-2199	2199-2200	2200-2201	2201-2202	2202-2203	2203-2204	2204-2205	2205-2206	2206-2207	2207-2208	2208-2209	2209-2210	2210-2211	2211-2212	2212-2213	2213-2214	2214-2215	2215-2216	2216-2217	2217-2218	2218-2219	2219-2220	2220-2221	2221-2222	2222-2223	2223-2224	2224-2225	2225-2226	2226-2227	2227-2228	2228-2229	2229-2230	2230-2231	2231-2232	2232-2233	2233-2234	2234-2235	2235-2236	2236-2237	2237-2238	2238-2239	2239-2240	2240-2241	2241-2242	2242-2243	2243-2244	2244-2245	2245-2246	2246-2247	2247-2248	2248-2249	2249-2250	2250-2251	2251-2252	2252-2253	2253-2254	2254-2255	2255-2256	2256-2257	2257-2258	2258-2259	2259-2260	2260-2261	2261-2262	2262-2263	2263-2264	2264-2265	2265-2266	2266-2267	2267-2268	2268-2269	2269-2270	2270-2271	2271-2272	2272-2273	2273-2274	2274-2275	2275-2276	2276-2277	2277-2278	2278-2279	2279-2280	2280-2281	2281-2282	2282-2283	2283-2284	2284-2285	2285-2286	2286-2287	2287-2288	2288-2289	2289-2290	2290-2291	2291-2292	2292-2293	2293-2294	2294-2295	2295-2296	2296-2297	2297-2298	2298-2299	2299-2300	2300-2301	2301-2302	2302-2303	2303-2304	2304-2305	2305-2306	2306-2307	2307-2308
---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2019-2020 අග්‍රයේ සිට 2020-2021 අග්‍රය දක්වා වාර්ෂික වශයෙන් සිදු වූ වෙනස්කම්

අංක	විස්තරය	2019-2020	2020-2021	වෙනස්කම්	2019-2020	2020-2021	වෙනස්කම්	2019-2020	2020-2021	වෙනස්කම්	2019-2020	2020-2021	වෙනස්කම්	2019-2020	2020-2021	වෙනස්කම්
1	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
2	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
3	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
4	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
5	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
6	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
7	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
8	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
9	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
10	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
11	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
12	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
13	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
14	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
15	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
16	සමස්ත වශයෙන්	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0

27257602

-122

[illegible][illegible]

परिशिष्ट - २

[illegible]

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \left(\frac{\partial x'}{\partial t} - v \frac{\partial x'}{\partial x} \right) = \gamma \frac{\partial x'}{\partial t}$$

15.29.10.12

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

பெரிய சிவசுந்தரி

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
4.	408/28-12-20	कॉन्स-57 80 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय	119.54 (सिंकम तककीय)	95.26	00	9526
5.	136/31-7-20	सिंकम चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय	115.50 (सिंकम तककीय) 221.91 (सिंकम तककीय)	115.50	00	11550
6.	133/31-7-20	सिंकम चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय	223.63 (सिंकम तककीय) 23.30 (सिंकम तककीय)	21036	00	21036
7.	911/19-6-19	कॉन्स-57 80 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय को छोड़कर चौड़ाई 40 फुट चौड़ाई पर सिंकम तककीय	146.20 (सिंकम तककीय)	9503	00	9503

1	2	3	4	5	6	7
8.	5.31/11-2-20	बॉर्ड-63 कोरवापुरी से 4199 कोरवापुरी से कोरवापुरी सिनेमा हॉल कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से	365.91 (कोरवापुरी से) 73.63 (कोरवापुरी से)	23784 8099	60 50	23784 8099
9.	714/31-12-19	बॉर्ड-23 सिनेमा हॉल 111-24 से कोरवापुरी कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से	177.08 (कोरवापुरी से) 365.96 (कोरवापुरी से) 904.16 (कोरवापुरी से)	11510 38055 99458	60 60 60	11510 38055 99458
10.	803/31-7-21	बॉर्ड-65, कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से	671.91 (कोरवापुरी से) 2268 (कोरवापुरी से)	73910 1474	60 60	73910 1474
11.	17/3-3-25	बॉर्ड-65, कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से कोरवापुरी से	20.25 (कोरवापुरी से) 31.09 (कोरवापुरी से)	2227 2021	60 60	2227 2021

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
17	687/31-12-19	बर्फ-78 बीग बी-बोब्स बोर बोर बीग बी- बोब्स बीग	77.386 बीग बीग	5029	60	5029
			306.15 बीग बीग	30615	60	30615
			612.30 बीग बीग	61230	60	61230
18	674/31-12-19	बर्फ-78 बीग	847.87 बीग बीग	3112	60	3112
			89.25 बीग बीग	8925	60	8925
			178.50 बीग बीग	19637	60	19637
			478.46 बीग बीग	4781	60	4781
19	230/10-12-19	बर्फ-28 बीग	100.64 बीग बीग	6442	60	6442
			127.35 बीग बीग	12735	60	12735
			254.70 बीग बीग	28017	60	28017
			1018 बीग बीग	111980	60	111980

-196-

(220)

1	2	3	4	5	6	7
20	1472/ 24-3-20	का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म	39.49 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म) 59.62 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म) 119.26 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म) 362.18 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म)	2567 5962 13119 39840	20 00 00 00	2567 5962 13119 39840
21	58/20-11-19	का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म	1184.75 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म) 188.76 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म)	130322 18876	00 00	130322 18876
22	369/7-10-20	का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म का-30 मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म	33.83 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म) 23.57 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म) 46.75 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म) 38.57 (मास-9 पुनः-ओ-वर्ग-म)	2199 2337 5142 3142	00 00 00 00	2199 2337 5142 3142

1	2	3	4	5	6	7
23.	815/31-7-21	बसन्तपुर चौ. लाविनीदेव साईकें सुभागा-पुनर बोडाली चौक चौ. पुनिका चौ. नवगरी बोडाली चौक साईकें सुभागा चौक चौ. सुभागा चौक	586.59 (रुपये) (मोबाइल)	64525	00	64525
			224.96 (रुपये) (मोबाइल)	14622	00	14622
			130.58 (रुपये) (मोबाइल)	13058	00	13058
24.	802/31-3-21	बसन्तपुर चौ. पुनर साईकें चौक सुभागा-पुनर बोडाली चौक चौ. पुनिका चौ. नवगरी चौ. सुभागा चौक	81.68 (रुपये) (मोबाइल)	5309	00	5309
			115.31 (रुपये) (मोबाइल)	12684	00	12684
25	792/31-7-21	चौ. चैतन्य चौक चौ. पुनिका चौक चौ. सुभागा चौक चौ. पुनिका चौक चौ. सुभागा चौक चौ. पुनिका चौक	502.89 (रुपये) (मोबाइल)	55318	00	55318
			93.52 (रुपये) (मोबाइल)	9352	00	9352
			934.51 (रुपये) (मोबाइल)	102796	00	102796
26.	263/89-21	चौ. चैतन्य चौक चौ. पुनिका चौक चौ. सुभागा चौक चौ. पुनिका चौक चौ. सुभागा चौक चौ. पुनिका चौक	170.42 (रुपये) (मोबाइल)	17042	00	17042
27.	705/15-7-21	चौ. चैतन्य चौक चौ. पुनिका चौक चौ. सुभागा चौक चौ. पुनिका चौक चौ. सुभागा चौक चौ. पुनिका चौक	29.61 (रुपये) (मोबाइल)	3257	00	3257
			5.29 (रुपये) (मोबाइल)	529	00	529

1	2	3	4	5	6	7
28	26/8-9-21	वस-21 के मास में वर्धमान विदार के फल उपचारित कालिदास चंद्रको का सुधार का फल उपचारित विवरण के अनुसार वस-13 के मास में उपचारित फल का उपचारित फल का विवरण के अनुसार वस-13 के मास में उपचारित फल का उपचारित फल का विवरण के अनुसार	7-57 (मास में) 179 (मास में) 911-62 (मास में) 237-54 (मास में) 59-38 (मास में) 40 (मास में) 6158 (मास में) 12-28 (मास में) 10 (मास में)	492 11635 45278 26129 5938 2660 6774 1238 650	60 60 60 60 60 60 60 60	492 11635 45278 26129 5938 2660 6774 1238 650
29	26/8-9-21					
30	14/3/24-20					
31	4/9/28-12-20					

1	2	3	4	5	6	7
32	2180A/ 24-10-19	733-31 (2277) 117.48 (2277) 578 (2277) 375	80664 7636 375	00 00 00	80664 7636 375	
33	690/31-12-19	700-31 (2277) 62-06 (2277) 4034	77037 4034	00 00	77037 4034	
34	42/7-8-2020	64-67 (2277) 15-65 (2277) 62-01 (2277) 25518 (2277) 141482 (2277)	4203 1565 6887	00 00 00	4203 1565 6887	
35	807/31-12-1	16587 155630	16587 155630	00 00	16587 155630	
36	679/31-12-19	7709 (2277) 13465 (2277) 5011 15362	5011 15362	00 00	5011 15362	
37	261/8-9-21	43-78 (2277) 93-58 (2277) 31-73 (2277) 2846 9258 3490	2846 9258 3490	00 00 00	2846 9258 3490	

(22)

140

1	2	3	4	5	6	7
38	506/27-12-19	क्र-10 फरवरी 2020 को नाली की नई पंक्ति का निर्माण करा गया। माली ने फरवरी 2020 को नाली का निर्माण कराया।	39.80 (1000 रु) 79.20 (2000 रु)	2587 8712	60 60	2587 8712
39	972/19-10-19	क्र-126 9 अक्टूबर 2019 को नाली की नई पंक्ति का निर्माण करा गया। माली ने 12 अक्टूबर 2019 को नाली का निर्माण कराया।	38.24 (1000 रु) 6.87 (2000 रु)	4223 756	60 60	4223 756
40	102/24-5-20	क्र-26 24 मई 2020 को नाली की नई पंक्ति का निर्माण करा गया। माली ने 26 मई 2020 को नाली का निर्माण कराया।	36.58 (1000 रु) 189.25 (2000 रु)	2378 20817	60 60	2378 20817
41	677/24-12-19	क्र-75 24 दिसंबर 2019 को नाली की नई पंक्ति का निर्माण करा गया। माली ने 24 दिसंबर 2019 को नाली का निर्माण कराया।	92.70 (1000 रु) 98.60 (2000 रु)	6025 4026	60 60	6025 4026

1	2	3	4	5	6	7
42.	844/23-3-21	कल-90 21/9/97 (अतिरिक्त मालिक के प्रमाण के अनुसार) <u>सामान्य बर्तमान प्रमाण के अनुसार</u> <u>एक (एक) प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u> <u>प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u>	10.65 (अतिरिक्त) 33.67 (अतिरिक्त) 21.70 (अतिरिक्त) 6.79 (अतिरिक्त)	692 3369 2387	60 60 60	692 3369 2387
43.	845/23-3-21	कल-94 21/9/97 (अतिरिक्त मालिक के प्रमाण के अनुसार) <u>सामान्य बर्तमान प्रमाण के अनुसार</u> <u>एक (एक) प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u> <u>प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u>	345.08 (अतिरिक्त) 60.79 (अतिरिक्त) 39.15 (अतिरिक्त)	37959 6079 2545	60 60 60	37959 6079 2545
44.	846/21-7-21	कल-94 21/9/97 (अतिरिक्त मालिक के प्रमाण के अनुसार) <u>सामान्य बर्तमान प्रमाण के अनुसार</u> <u>एक (एक) प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u> <u>प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u>	336.74 (अतिरिक्त) 73.97 (अतिरिक्त) 194.38	37041 7397 12635	60 60 60	37041 7397 12635
45.	847/17-3-21	कल-94 21/9/97 (अतिरिक्त मालिक के प्रमाण के अनुसार) <u>सामान्य बर्तमान प्रमाण के अनुसार</u> <u>एक (एक) प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u> <u>प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u>	5.47 (अतिरिक्त) 6.730	602	60	6.730
46.	848/30-3-21	कल-94 21/9/97 (अतिरिक्त मालिक के प्रमाण के अनुसार) <u>सामान्य बर्तमान प्रमाण के अनुसार</u> <u>एक (एक) प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u> <u>प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u>	1.35 (अतिरिक्त) 1.6020	6730	60	1.6020
47.	849/8-9-21	कल-94 21/9/97 (अतिरिक्त मालिक के प्रमाण के अनुसार) <u>सामान्य बर्तमान प्रमाण के अनुसार</u> <u>एक (एक) प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u> <u>प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u>	1.6020 (अतिरिक्त) 2.12915	8493	60	2.12915
48.	850/31-12-19	कल-94 21/9/97 (अतिरिक्त मालिक के प्रमाण के अनुसार) <u>सामान्य बर्तमान प्रमाण के अनुसार</u> <u>एक (एक) प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u> <u>प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u>	4.54.05 (अतिरिक्त) 4.397	49945	60	49945
49.	914/19-6-19	कल-94 21/9/97 (अतिरिक्त मालिक के प्रमाण के अनुसार) <u>सामान्य बर्तमान प्रमाण के अनुसार</u> <u>एक (एक) प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u> <u>प्रमाण प्रमाण प्रमाण</u>	6.7.44 (अतिरिक्त) 155.2 (अतिरिक्त) 93.00 (अतिरिक्त) 5.1260	4397 10076 9300 5260	60 60 60 60	4397 10076 9300 5260

5/12/06

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
57.	13.25/03.07.20	ਕਾਨ-24 ਕਾਮਰਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰ (ਕੋਰਮਪੋਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਿਰੀਕਾ ਸਿੰ ਭਾਸੀਨਾ ਕਾਮਰਾ	40.23 (ਕਾਮਰਾ 366.37 (ਕਾਮਰਾ 143.80 (ਕਾਮਰਾ)	2615 40303 14380	00 08 00	2615 40303 14380
58.	1964/10.01.20	ਕਾਨ-16 ਕਾਮਰਾ ਕਾਨ-2 (ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਨ-2790 ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਨ-2790 ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਨ-2790 ਕਾਮਰਾ 2790	81.53 (ਕਾਮਰਾ 81.53 (ਕਾਮਰਾ)	5297	00	5297
59.	438/13-8-20	ਕਾਨ-26 ਕਾਮਰਾ ਕਾਨ-27 (ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਨ-2790 ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਨ-2790 ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਨ-2790 ਕਾਮਰਾ 2790	133.05 (ਕਾਮਰਾ 82.16 (ਕਾਮਰਾ 4.15 (ਕਾਮਰਾ)	8648 9038	00 00	8648 9038
60.	36/02-8-20	ਕਾਨ-27 ਕਾਮਰਾ ਕਾਨ-28 (ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਨ-2790 ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਨ-2790 ਕਾਮਰਾ 2790 ਕਾਨ-2790 ਕਾਮਰਾ 2790	62.90 (ਕਾਮਰਾ 36.20 (ਕਾਮਰਾ 110.00 (ਕਾਮਰਾ 45.88 (ਕਾਮਰਾ)	68959 36520 11000 2982	00 00 00 00	68959 36520 11000 2982

1	2	3	4	5	6	7
61	603/22-2-20	14-88 (1015/20) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	14-88 (1015/20) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500	00 00 00 00 00 00 00 00 00	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500
62	16/3-3-20	96-96 (20/5) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	96-96 (20/5) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500	00 00 00 00 00 00 00 00 00	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500
63	578/12-3-21	96-96 (20/5) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	96-96 (20/5) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500	00 00 00 00 00 00 00 00 00	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500
64	18/3-3-20	96-96 (20/5) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	96-96 (20/5) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500	00 00 00 00 00 00 00 00 00	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500
65	964/16-3-20	96-96 (20/5) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	96-96 (20/5) 11-29 (23/2) 74-96 (20/7) 33-82 (20/4) 35-954 81-90 (20/5) 27-91 (20/7) 90-3-11 (20/7) 225 (20/5)	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500	00 00 00 00 00 00 00 00 00	9672 1242 8246 3362 35954 8190 1814 99403 22500

1	2	3	4	5	6	7
66-	323/147-19	बर्ड-50 पीटल चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	6517/15017 एडमंड रॉ	71688	००	71688
67.	696/22-2-2	बर्ड-76 पीटल चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	2054/15017 एडमंड रॉ	2259	००	2259
68.	140/11-8-20	बर्ड-68 ब्रुन गिडर चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	1865/15017 एडमंड रॉ	2051	००	2051
69	680/22-2-20	बर्ड-84 ब्रुन गिडर चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	4304/15017 एडमंड रॉ	2798	००	2798
70	677/22-2-20	बर्ड-84 ब्रुन गिडर चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	999/15017 एडमंड रॉ	1099	००	1099
		बर्ड-84 ब्रुन गिडर चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	499/15017 एडमंड रॉ	499	००	499
		बर्ड-84 ब्रुन गिडर चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	2350/15017 एडमंड रॉ	2350	००	2350
		बर्ड-84 ब्रुन गिडर चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	10148/15017 एडमंड रॉ	1163	००	1163
		बर्ड-84 ब्रुन गिडर चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	726/15017 एडमंड रॉ	726	००	726
		बर्ड-84 ब्रुन गिडर चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	3297/15017 एडमंड रॉ	3297	००	3297
		बर्ड-84 ब्रुन गिडर चार डीपीए. रॉ (आमरीक) एडमंड रॉ सिंगीय श्री ए. ए. ए. गिडर	330/15017 एडमंड रॉ	330	००	330

	7	6	5	4	3	2	1
71.	26884 13366 900	00 00 00	26884 13366 900	244.40 205.63 90 (1000000)	244.40 205.63 90 (1000000)	225/13-0-20	
72.	2755 39164 13385	00 00 00	2755 39164 13385	42.39 356.04 138.85	42.39 356.04 138.85	983/19-10-19	
73.	2083 382 841	00 00 00	2083 382 841	32.05 382 7.66	32.05 382 7.66	484/27-12-19	
74.	6597 1350	00 00	6597 1350	59.97 12.27	59.97 12.27	504/27-12-19	
75.	3588 7831 2418	00 00 00	3588 7831 2418	61.35 71.19 241.18	61.35 71.19 241.18	556/27-12-19	

निर्माण अनुभाग के कार्यों में विलम्ब अवधि हेतु अर्थदंड
च वसूले के काव आर्थिक शक्ति का विवरण

क्र. कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम	निधि/ वसूल प्रमाण/सं./दिनांक	अनुबंध/कार्यदेश के अनुसार समाप्ति तिथि	मास/दिनांक के अनुसार कार्य समाप्ति तिथि	विलम्ब की अवधि	अर्थदंड
1. वाड 78 लोम/चोड रोड पर रैलवे ब्रिकोपनर रोड पर मक जल निकासी कार्य RCC ब्रास नाला निर्माण कार्य मै. (अ. 2) के बिन्दु के बीच वि.	14 वॉ. कि. हस्ताक्षर/687/3-12-19	06-9-19	10-11-19	65	9,19,000
2. वाड 78 गालीबंद मार्ग पर वाड 78 दया नंद आ के के पास (आ.) मक सड़क नाला एवं सड़क पटरी पर रोजिंग का कार्य	14 वॉ. कि. हस्ताक्षर/690/3-12-19	1-9-19	10-10-19	39	8,48,400
3. राजनगर की मुख्य सड़क सड़क के मोड़ के पास की सड़क का सुधार कार्य मै. प्रेम कान्हा	14 वॉ. कि. हस्ताक्षर/802/3-7-21	5-9-19	12-2-20	161	5,00,000
4. वाड 78 राधा कृष्ण मार्ग एवं बिजली घर (अ. 2) के बीच वाड 78 पर जल निकासी कार्य (अ. 2) वी. सी. ब्रास नाला निर्माण कार्य पटरी पर रोजिंग का कार्य मै. के बीच	14 वॉ. कि. हस्ताक्षर/676/3-12-19	1-9-19	20-12-20	110	3,30,800

5. चार्ज-39 मोहल्ला नैरु नगर मुरगि 14 को/ 02-7-19 11+10-19 110
 शक, जी. व. र. शक. जी. की कि. 39/ 10.00,000
 आनारिक सुडनों का निमिष 792/3-7-21
6. चार्ज-28 टोका कम्पाउन्ड की 14 को/ 1-9-19 15+0-19 44
 निमिष मोहल्ला सुडनों का कि. 39/ 1988200
 सुधार नाबाली निमिष रण सुडनों 22+ 10+2-19
 फटरी पर रणिया का काम में
 में मोहल्ला चण्ड मोहल्ला
7. चार्ज 72 वेलमाच से आरि सी. सी. (अनुरोधना) 03-9-19 05+2-20 458
 45 टोका टोका सुडनों का 264/ 14,90,000
 8-9-21
 टोका नाली निमिष रण डावर कि
 पीटि डेवटर टोका निमिष सुडनों का
 में सुधार जी. निमिष टोका सुडनों का
8. चार्ज-13 मेरु रण से सुकन मुरगि (अनुरोधना) 1-9-19 22+2-20 477
 सारी का सुकन मुरगि का निमिष 262/ 625500
 व नाली निमिष का काम में 8-9-21
 में सुधार जी. निमिष टोका
9. सुकन मुरगि में सुकन रण से (अनुरोधना) 6-9-19 25-2-21 537
 सुकन मुरगि सुडनों का 815/ 18,10,600
 सुकन मुरगि सुडनों का 21-7-21
 सुकन मुरगि सुडनों का
 सुकन मुरगि सुडनों का

10. मेरठ रोड डिप्टी कमिश्नर के 14 वॉ. वि. 1-12-19 18-3-20 168
 डबल पल्लिका तमक साका (आ) 3210600
 निर्माण 31-7-20
11. बड-7 सुवामापुरी पानी की 14 वॉ. वि. 02-7-19 1610-20 471
 डबल सुवामापुरी पानी की (आ) 8,00,000
 सुवामापुरी पल्लिका तमक 16-12-19
12. लोनी रोड पर डबल लाईन रोड 14 वॉ. वि. 2-8-19 30-12-19 150
 से सिंकरपुर रोड तक सड़क (आ) 27-12-19 19,00,000
 पानी और सिंदूर करवा का काम
13. बड-37 80 कचरा रोड पर विकस 14 वॉ. वि. 1-9-19 30-12-20 485
 सन्कलिन को जोड़ बाधा मरम्मत (आ) 488/ 1109900
 मार्ग एवं डबल लाईन की निर्माण 28-12-20
 राखियों का सुधार काम एवं
 जल निष्कासनी टैंक नालियों का
 निर्माण काम
14. बड-24 नाथकल रोड का सुधार 14 वॉ. वि. 02-5-20 247-20 83
 मार्ग का निर्माण एवं (आ) 686 20,00,000
 सिंकरपुर नाथकल निर्माण 31-12-19
15. गोबिन्दपुरम सन्कली (आ) 0-2-20 20-7-20 323
 रोड पर कंक्रीट का सड़क 14 वॉ. वि. (आ) 688/ 980,000
 सड़क का सुधार काम 31-12-19
 के (आ) 0-2-20 निर्माण

- 152 (236)
16. सोहनगढ़ जेल के कडा (अनुरोध) / 28-2-20 10-9-20 194
 367/7-10-20 90058
17. गोरखा जेल के सामने (अनुरोध) / 7-7-19 21-12-19 147
 3-3-20 536300
18. गोरखा जेल के सामने (अनुरोध) / 14-1-19 20-7-20 303
 688/31-12-19 9,00,000
19. 16-17 गोरखा जेल के सामने (अनुरोध) / 5-9-19 20-7-20 319
 437/7-8-20 3,06,800
20. 16-17 गोरखा जेल के सामने (अनुरोध) / 6-5-19 20-2-20 291
 42/7-8-20 15790
21. 38-39 गोरखा जेल के सामने (अनुरोध) / 14-1-19 30-11-19 271
 893/31-12-19 853900

22. बॉर्ड-34 ग्रैव/नगर में जी.पी.रोड 14 को बि.डा. 1-9-19 30-11-19 90
 ये टैक्सीमिटर रखने के लिए तारक 685/31-12-19 11,000.00
 जल मिश्रण सिस्टम (आर.सी.सी.)
 द्वारा नाला निर्माण कार्य एवं
 फागिंग्स सड़क का निर्माण कार्य
23. कविनगर में (आर.सी.सी.) (अनुमानित) 8-6-19 20-7-20 407
 प्लासिडिंग के बाइलिंगी 36/28-22 60,1900
 तारक रखने के लिए 2 रीयर
 लाइन द्वारा फागिंग्स सड़क का
 टैक्सीमिटर सड़क सुधार काम
 में (आर.सी.सी.) बि.डा. 20
24. कलनगर (सी. सी. नगर) में (अनुमानित) 20-8-17 18-12-19 819
 चार दीवारों की मरम्मत एवं 1964/10-11-20 1,68,700
 स्टाई - फागिंग्स का काम
 में बि.डा. 20
25. सिज्ड नगर में सुपरटेक प्लाजा (अनुमानित) 1-9-19 10-12-19 100
 सि. सी.सी. टैक्सीमिटर निकट 438/ 954900
 सिज्ड नगर पुलिस चौकी तारक 13-8-20
26. बॉर्ड 44 सिज्ड कालोनी में (अनुमानित) 1-9-19 15-9-20 379
 शम्भू कदम मन्दिर सि. 2257/ 862600
 चि.सी.सी. कालोनी (सी.सी.) 13-11-20
 सि.सी. लाइन फागिंग्स सड़क
 का टैक्सीमिटर सड़क
 द्वारा सुधार काम

-151- (238)

27. वॉर्ड-20 सिंकराड गांव में
 पाइप लाई का काम
 जमान सिंकराड में
 स्कूल के सामने सुरक्षा बांध
 फाट नाला निर्माण और भी
 भीड़भाड़
 में ० (अवकाश) का
 14 वॉ. वि. (अवकाश) / 18-8-19 20-7-20 327
 1327 / 30-7-20 4,73,400

28. आलीमार गांव की ब्लाक में (अवकाश) / 19-19 10-6-20 283
 तब निर्माण में पाइप लाई
 पर सुरक्षा बांध निर्माण का
 काम
 794/23-7-20 576300

29. बिहारिया मीन कस्बा की
 बिहारिया मीन में नाली का
 20 फीट का काम
 में ० (अवकाश) का
 14 वॉ. वि. (अवकाश) / 08-7-19 19-10-20 468
 526/31-12-20 420,000

30. नाथिमगर में भी ब्लाक की
 सुरक्षा का काम
 काम
 में ० (अवकाश) का
 652/10-6-19 4-9-19 20-7-20 32
 495700

31. आलीमार गांव में सुरक्षा बांध-2 (अवकाश) / 1-9-19 25-6-20 298
 ब्लाक का सुरक्षा बांध का
 सुरक्षा बांध का निर्माण
 और भी भीड़भाड़ नाली निर्माण
 काम
 437/12-8-20 10,00,00

32. रिकवरी नगर में (अनुवाक 14 वीं 19 1-9-19 20-8-20 201
 एमिडस से गंगा के बाट (आ०)
 डेक्को को जंग बाबा मुखम 804/ 7,50,000
 मारु हवन एक साई साजा 23-7-20
 निगम का काम
 मे० सैडम-पउ कास्टे ०
33. सडपरी में विरिड से केकराज निगम निधि/ 6-9-19 30-10-19 54
 के मेकाप व अनुव गली में 1065/ 50470
 नाली व ड्रिड लोकम डेक्को 26-2-20
 निगम का काम
 मे० (अनुव) नगर पंचायत
 ब्रजकिशोर जी-कलाक में
 रामधनिया मेकाप के सामग 3
 की सडक का डेक्को डाय
 निगम निधि/ 28-7-19 03-10-19 67
 393/19-9-20 110300
34. बाड 17 सैडम नगर जंगम निगम निधि/ 24-9-19 20-10-19 26
 कामाचम निगम नगर निगम 443/24-12-19 52160
 सडक नवा डेक्को-16 की
 सरमाता व देगादे पुनार कामे
35. बाड-83 अमामा के एक्को में निगम निधि/ 10-8-19 20-8-19 10
 एमिडस से-3 कलाक 9 में 734/22-2-20 50348
 एमिडस से पाक के चारा
 तरफ डेक्को लोकम डेक्को का
 काम एक्को पाक से (आमर)
 एक्को पुनार पुनार का काम
 मे० सैडम नगर नाली

-156-

(240)

37. कार्ड-83 अमाम मार्के में निगम निधि/ 18-8-19 30-8-19 12
रजिस्ट्रार कार्ड नं० 002 721/
मे मोटेडा जामोते पाके के 22-2-20 110660
चोरा तरफ मुपडर खोकिंग
डाइलस का काम
मे 000 कान्स
38. कार्ड-62 गोविन्दपुरम में निगम निधि/ 24-7-19 16-8-19 23
रजि-252 के चोरा डरखोकिंग 672/
डाइलस का काम 22-2-20 41,275
मे 000 कान्स
39. कार्ड-83 अमाम मार्के रजिस्ट्रार में निगम निधि/ 18-9-19 25-9-19 7
रजिस्ट्रार कार्ड नं० 003 क्लॉक 10 165/
मे विप्रेकान-के पाके हुकि मुल्का 11-8-20 62998
पाके नी साई फटरी पर डरखोकिंग
डाइलस रजि कार्ड नं०/काके पर जारवर
रजि रजिस्ट्रार पाके का काम
40. कार्ड-60 शोलेट नाम ओठे मे निगम निधि/ 732/ 17-9-18 5-4-19 200
मे मोहिमी कार्ड में नाली 22-2-20 151480=
मे डरखोकिंग दाइलस मे
मार्क मे मेरेडा-पड मेरे
- 41- कार्ड-37 शोलेट नाम कार्ड में नाली निगम निधि/ 316/ 9-8-19 15-9-19 36
मे डरखोकिंग दाइलस मे 6.4.20 90970
मार्क
मे 000 कान्स

42. ला.-29 बुड़ी में नू डिपेस 415200 77-19 25.2.19 49 41520
 लासी में नू डिपेस बुड़ी में
 निमिष पद नू डिपेस निमिष
 नं० आ.आ.आ 2-19

43. ला.-83 नू डिपेस 1,54,000 10-1.19 25.2.19 46 154000
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस

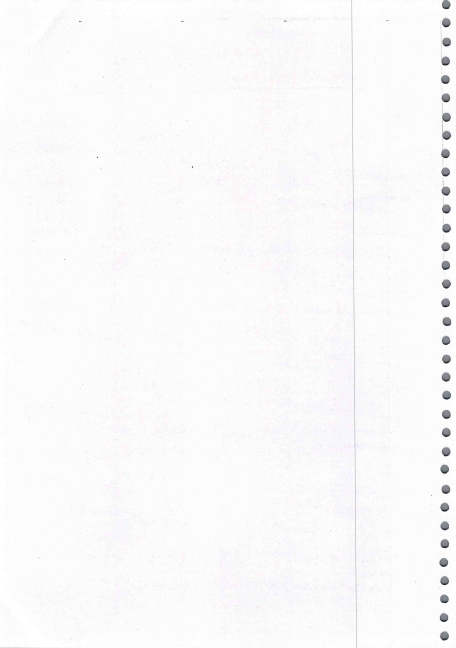
44. ला.-91 कविनगर रामजीला 3,67,215 30-10-19 24-11-19 25 36721
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस

45. ला.-102 नू डिपेस 4,84,200 29-6-19 30-7-19 31 48420
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस

46. ला.-07 नू डिपेस 2330.800 29-9-19 04-11-19 36 233080
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस

47. ला.-75 नू डिपेस 4,44,300 11-1-19 31-3-19 79 44430
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस
 नू डिपेस में नू डिपेस

मै 3,97,682



-160-
(243)

6. वॉर्ड-37 मोहल्ला नैहरा नगर
महानगर स्था. जी., स्था. व. जी.
की स्थापना के लिए कार्य निर्माण

14 वॉ. निर्माण
वि. 13/17-21

6456/00 64561

कार्य
मो. जी. के स्था. नगर काली

7. वॉर्ड-94 सुवेमनगर के 3 ब्लॉक में (अवस्थापना) 668531 66115-89
सीकर लक्ष्मण से स्थापना स्था. 705/157-21
का निर्माण कार्य
में (अवस्थापना) के.

8. वसुन्धरा में स्था. नि. 85 स्था. के
अमानात के मा. जी. के 05 की
पुर्विक्ता से लाना वनी पुर्विक्ता
महानगर स्था. कार्य
में (अवस्थापना) के.

(अवस्थापना) 11847502 118475
815/37-21

9. वॉर्ड-80 लेनी स्था. सार्वजनिक
स्था. के स्था. स्था. के
व्यक्तिगत स्था. निर्माण
के RCL स्था. स्था. निर्माण

14 वॉ. निर्माण 8067546 80675
988/16-3-20

10. वॉर्ड-62 शांतिनगर में
पुर्विक्ता स्था. निर्माण के
से स्था. स्था. के स्था. निर्माण
के स्था. स्था. के स्था. निर्माण
में (अवस्थापना) के.

14 वॉ. निर्माण 21788997 217889
845/28-10-20

11. बार्ड-30 गोविन्दपुरम जी वडाक (अवरुपापना) 2912582 29125

सें जी-619 से जी-597 1472

RCC लाठी न डेन्स काय 24-3-20

सुन्दर कार

से 0 आगुन कन्स.

12. मेरड रोड से सिवनी गांव को (अवरुपापना) 4444221 44442

लोम वाली रोड जी विनाय

म्याम/ केमकाय मरु सडक 58/20-11-19

सुन्दर व लाजा निर्माण कार

से 0 (अवरु जी) विण्ड डेक

13. बार्ड-42 में कडा विहार 14 वॉ विण्ड (अ) 2569672 25697

मान सैरवर याकि से जी-डी 846/28-10-20

सिंह मरु लाजा निर्माण

14. लोनी रोड पर रमर जोरि मीपेट 14 वॉ विण्ड (अ) 10166816 101668

से सिन्दूर मरु से मरु सडक 634/14-5-20

के वीने और मीपेट कारण का

कार 14 वॉ विण्ड (अ) 12599280 125992

15. बार्ड-24 नासिकल गांव का 1361/31-7-20

सुन्दर मार का निर्माण मरु

से 0 (अवरु जी) विण्ड डेक से

16. बार्ड-62 गोविन्दपुरम रमर जी 14 वॉ विण्ड (अ) 5643794 56437

(अवरु मरु रोड पर के मरु 1326/30-7-20

मोज की से मरु सडक का

सुन्दर कार

से 0 (अवरु जी) विण्ड डेक

से 0 वि

गोविन्द (अग्रज) के नाम से (अग्रज) 3735657 37356
 गोविन्द (अग्रज) के नाम से 17/3-20
 गोविन्द (अग्रज) के नाम से 768141 7681

3. बर्ड-36 सुपर डेट रिजल्ट (अग्रज) 768141
 बर्ड-9 नॉन रिजल्ट का निर्माण 517/28-7-20

19. बर्ड-62 गोविन्द प्रमूख 14 वॉ बि (अ) 5643794 56437
 श्री. हरि प्रमूख के नाम से 1334/30-7-20
 श्री. हरि प्रमूख के नाम से 2146260 21462

20. बर्ड-16 गोविन्द प्रमूख के नाम से (अग्रज) 43/7-8-20
 श्री. हरि प्रमूख के नाम से 1085598 10856
 श्री. हरि प्रमूख के नाम से 42/7-8-20

21. बर्ड-16 गोविन्द प्रमूख के नाम से (अग्रज) 1085598 10856
 श्री. हरि प्रमूख के नाम से 42/7-8-20
 श्री. हरि प्रमूख के नाम से 30860448 308055

22. श्री. हरि प्रमूख के नाम से (अग्रज) 14 वॉ बि / अ-21
 श्री. हरि प्रमूख के नाम से 30860448 308055
 श्री. हरि प्रमूख के नाम से 30860448 308055

23. कोड-38 सुरक्षा के ~~काम~~ 14 वॉ 5751657 57516
 अमनद सेना के सुरक्षा गांव विन.अप/ 695/3-12-79
 को सुरक्षा गांव के सुरक्षा परिसर
 11 वॉ कोडिंगर सड़क को सुरक्षा
 काम
24. कोड-34 अद्वितीयता में जी 14 वॉ वि.अप/ 7778359 77783
 जी.सी.सी. डी.सी.डी.न. अमनद सेना
 सेना के अंतर्गत सुरक्षा गांव 685/3-12-79
 सेना के अंतर्गत सुरक्षा गांव
 जी.सी.सी. डी.सी.डी.न. अमनद सेना
 काम एवं कोडिंगर सड़क को
25. कोडिंगर में अमनद सेना के (अमनद सेना) 2974823 29748
 सुरक्षा से अमनद सेना को 28/7-8-20
 11 वॉ डी.सी.डी.न. अमनद सेना
 काम
26. कोडिंगर में अमनद सेना के (अमनद सेना) 3866735 38667
 अमनद सेना से अमनद सेना को 28/3-8-20
 अमनद सेना से अमनद सेना को
 सुरक्षा को काम
27. कोडिंगर में अमनद सेना के (अमनद सेना) 3198462 31984
 अमनद सेना से अमनद सेना को 1325/ 30-7-20
 अमनद सेना से अमनद सेना को
 अमनद सेना से अमनद सेना को
 अमनद सेना से अमनद सेना को
28. कोडिंगर में अमनद सेना के (अमनद सेना) 6222046 62220
 अमनद सेना से अमनद सेना को 438/13-8-20
 अमनद सेना से अमनद सेना को
 अमनद सेना से अमनद सेना को
 अमनद सेना से अमनद सेना को

-164-

(247)

2. बर्ड-44 संजय कोलोन में (अवस्थापना) 5378 686 53786

राजा कुछन मोनिए के से 2257/ 13-11-20

बिनाकुट कोलोन/डोरा डुर

रेलवे लाइन तक पोमिया

सड़क का इन्टरलॉकिंग काटव

डाय सुचार काम

में (अवस्थापना) कोट 14 को वि 3694646

30. बर्ड-20 सिमेट्स में कोट 1329/ 30-7-20

कुछल से बाल लगात सिनकर

में (अवस्थापना) कोट 14 को वि 3694646

31. आलमार साइड की बलक में (अवस्थापना) 3760716 37607

नवनिर्मित सड़क को रोड पटरी 794/23-7-20

में सार्वजनिक कन्वेंस 14 को वि 2657727 26577

32. बिहार में सार्वजनिक कन्वेंस 14 को वि 526/31-12-20

विशेष गांवों में नाली

व 21 मई का काम

में जुबन कन्वेंस 3115003 31150

33. कपिलनगर में सी. बलक की (अवस्थापना) 652/10-6-79

सड़क का इन्टरलॉकिंग काटव

सुचार काम

में (अवस्थापना) कोट 14 को वि 3694646

3. आलीमार गार्डन एकड़ 28
कलाक की मुख्य सड़क (अच्छा 44) 6515946 65159
दो गलियाँ सड़क का मुख्य सड़क 437/13-8-20
एवं जल निमाषी टा
आर सी सी काय नाषी निमाष
कार्म एवं सार्वजनिक जल नाषी
व जल निमाषी कार्म का
कार्म
35. राजेश्वर नगर एकड़ 28
राजेश्वर नगर के जल नाषी 14 नॉ कि/ 4311765 43118
राजेश्वर नगर के जल नाषी 804/22-7-20
राजेश्वर नगर के जल नाषी
निमाषी कार्म
36. आलीमार गार्डन एकड़ 28
कलाक में गली में कार्म का निमाषी कार्म 520/14-8-20 615226 6152
गली में नाषी व जल निमाषी
जल निमाषी कार्म
37. गली में निमाषी व जल निमाषी निमाषी कार्म 330788 3308
सड़क व जल गली में नाषी 1065/26-2-20
व जल निमाषी जल निमाषी
का कार्म
38. जल निमाषी व जल निमाषी निमाषी कार्म 751622 7516
जल निमाषी व जल निमाषी 393/19-9-20
जल निमाषी व जल निमाषी
जल निमाषी कार्म
39. जल निमाषी व जल निमाषी निमाषी कार्म 425922 4259
जल निमाषी व जल निमाषी 27/4-12-19
जल निमाषी व जल निमाषी

- 166- (249)
40. जलकपुरी में ग्राम सन्कलन निगम निधि/ 66636 6860
 से जी. 16 सुरेश कुमार के 571/
 सन्कलन से नं. 120 के 29-12-19
 ग्राम के सन्कलन तक नापी
 सरसगा एवं मुन्डर लाकिंग एडिप्स
 का काम
 नि. विजेन्द्र सिंह
41. गरिमा गाँव के जे ब्लाक में निगम निधि/ 568299 5682
 काकयम वाली, कन्या वाली 715/22-2-20
 एकर सन. सिंह वाली कन्या
 गेलिमें में नापी एवं मुन्डर लाकिंग
 एडिप्स का काम
42. मुन्डर वनगर में कोलीम पावट के निगम निधि/ 732024 7320
 एमके वाली रोड पर सिव्ही 288/17-1-20
 सरोवर, पावट कटने का काम
 के संचिक कन्स
43. गरिमा गाँव में मुन्डर लाकिंग निगम निधि/ 5703/08 570300
 से - 26-27 से सागे लाल के 36/4-12-19
 40 मुन्डर वाली एवं मुन्डर लाकिंग
 एडिप्स का काम
 के राज एन्डर पावट
44. नाई-8, रीनागढ़ी में पुल के दोनों ओर अभ्यापन 3374800 31527
 व जी. एल. पी. अफिस में फाटन तक 90/19.6.19
 मडक हुआ काम
 में. आ. जी. विजेटेक

45. वर्ग-17 साइट नं० 17 जोख मिगमिगि 394299 3943
का. 17 साइट नं० 17 जोख मिगमिगि 394299 3943
वर्ग-17 साइट नं० 17 जोख मिगमिगि 394299 3943
वर्ग-17 साइट नं० 17 जोख मिगमिगि 394299 3943
वर्ग-17 साइट नं० 17 जोख मिगमिगि 394299 3943

46- वाई-72 नौगाम्नी रुब की० मिमम मिमि/ 1058 873 10558
मे. कुंसाय रुब रुब 548/27.12.19
मामि

47. बसि = 6/ वसुन्धरा ई-6 कागजिक निगम लिमिटेड / 68/23) 68/2
सा साइडी नं. सीमाने राई नाई 565/27-12-19
काय एवम् साइडी पट्टी ना इष्ट जातिना
ना माया

48. वड-77 वैजाली ई-० ईमें गोट सिगम सिगम/ 595571 5951
गंगा के सामने 4/443 476/
मह दामिस्ता 27-12-19
मह दामिस्ता 4456

मे० अमर नन्द
49. वडि-83 आसपाके समुहअन सिगम सिगि/ 724/22-2-76 445561 445562
मे० रीतउलगर मे० व्याकु के
मुंजी पाकि के योग तरफ
जुवरजाकिंग टाईक्स का नाम
जुव पाकि के जाम्बर खब
राहि गुप्ता का नाम
मे० सैदम चन्द कास्टे

-168-

(251)

50. बडि-73 गार्डियन गार्डियन
प्राप्ति-2 में पाडी चौक
प्राप्ति-2 में पाडी चौक
प्राप्ति-2 में पाडी चौक

55. वाड-56 चिंरंजीव बिठार में निगम निधि/ 476335 4763

04/74 से 04/61 तक उन्स 648/

द्वारा सड़क नया खुपार कामे 22-2-20

में २० २० २० २० २०

56. वाड-62 गोविन्दपुरम में सन्ध - निगम निधि/ 248866 2848

252 के समेत उन्स लाकिया 92/

द्वारा सड़क नया कामे 22-2-20

में (सुरेन्द्र कुमार)

57. वाड-84 राजनगर में निगम निधि/ 967772 9678

0 पंचायत समिति से 01/89 680/

अभिमान बैंक तक उन्स द्वारा 22-2-20

सड़क खुपार कामे

में २० २० २० २० २०

~~58. सन्ध ०० ०० ०० ०० ०० निगम निधि/ 983634 9837~~

~~में २० २० २० २० २० 376/~~

~~द्वारा सड़क नया खुपार कामे 21-2-19~~

~~59. सन्ध ०० ०० ०० ०० ०० निगम निधि/ 431889 4319~~

~~में २० २० २० २० २० 377/~~

~~द्वारा सड़क नया खुपार कामे 21-2-19~~

~~60. निगम निधि/ 431889 4319~~

~~में २० २० २० २० २० 378/~~

~~द्वारा सड़क नया खुपार कामे 21-2-19~~

~~61. निगम निधि/ 356224 3563~~

~~में २० २० २० २० २० 379/~~

~~द्वारा सड़क नया खुपार कामे 21-2-19~~

-170- (253)

58. वॉर्ड-76 केवली से 2 सीटें निर्गमनिधि/ 372433 3724

हजारों/वाट सुमाटिमन्ट की 696/
नोविग्रस सड़को का इन्टरलॉकिंग
सुधार काम
से उनाम कन्स

59. वॉर्ड-62 गणेश बाटिका से नन्दलाल निर्गमनिधि/ 403291 4033
के सम्मान से मनीष के सम्मान 704/
मक इन्टरलॉकिंग ड्राइव का 22-2-20

काम
से 0 25 25 25 कन्स

60. वॉर्ड-83 ज्योतिबा के सम्मान से निर्गमनिधि/ 899781 89000
रजिन्द्रनगर से 3 ब्लाक 10 के 165/
विवेकानन्द बाई उर्फ मूल्या बाई 11-8-20

की सड़क पट्टी पर इन्टरलॉकिंग
ड्राइव एवं वाइल्डिंग पर आस्तर
एवं इमारत पूरा का काम
से 0 सामान्य प्रकार का नोट

61. वॉर्ड-60 रावेड गल ओर से निर्गम निधि/ 1076317 10763
के मोहिनी गाँव से नाली व
इन्टरलॉकिंग ड्राइव का कार्य
में नोट - नोट आये

- 62- સોની રોડ પર ગુપ્ત દોર
જે મોડેલ પૂર્વે મન કિશોર
પા રંગે પૂર્વે ના રંગ
જે પરીત ગુપ્ત
- નિર્માણ/747/ 322631 3226
22-2-20
- 63- વાઈ-7 કિશોરીપુત્ર જે
નાની ના રંગે મન કિશોર
ના રંગ
જે રંગે મન કિશોર
- નિર્માણ/145/ 893479 8935
11-2-20
- 64- વાઈ-2 રંગે મન કિશોર ગુપ્ત
જે-જેના રંગે જે નાની
ના રંગે મન કિશોર
ના રંગ
જે નિર્માણ કિશોર
- નિર્માણ/337/ 633121 6331
13-8-20
- 65- વાઈ-61 વાઈ-મન 108 જે
જેના રંગે ના રંગે મન કિશોર
ના રંગે મન કિશોર
જે રંગે મન કિશોર
- નિર્માણ/757/ 1279592 12796
22-2-20
- 66- વાઈ-5 રંગે મન કિશોર જે નાની
ના રંગે મન કિશોર
જે રંગે મન કિશોર
- નિર્માણ/784/ 534097 5340
22-2-20
- 67- વાઈ-29 વાઈ જે-જેના રંગે
નાની રંગે જે રંગે મન કિશોર
જે નિર્માણ જે નાની રંગે
નાની રંગે
- નિર્માણ/1125/ 285230 2852
26-5-20
- જે નિર્માણ રંગે

-172- (255)

- 68- 915-50 ਮੁਰ ਨਗਰ ਜੋ 'ਮੀਲੀ' 305723 3057
 ਜੋ 'ਮੁਲਕੀ' ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
 ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ
- 69- 915-24 ਮੈਕਸੀਕੋ ਜੋ 'ਮੀਲੀ' 375382 3754
 'ਮੀਲੀ' ਜੋ 'ਮੁਲਕੀ' ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
 ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ
- 70- 915-54 ਮੈਕਸੀਕੋ 9 ਮੈਕਸੀਕੋ 570024 5700
 ਮੈਕਸੀਕੋ 9 ਮੈਕਸੀਕੋ 9 ਮੈਕਸੀਕੋ
 ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ
- 71- 915-28 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ 1102668 11026
 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ
 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ
- 72- 915-77 ਮੈਕਸੀਕੋ 9 ਮੈਕਸੀਕੋ 1591405 15914
 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ
 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ
- 73- 915-56 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ 921489 9214
 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ
 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ
- 74- 915-24 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ 691272 6912
 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ
 ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ

75. 67 संजय नगर में 352158 3521
आरंभ की गई नाला एवं पुलिका
को शीर्ष
में अलापी अलापी
76. 97-97 पंडित गाँव में 1148965 11490
हस्त गाँव को शीर्ष
हस्त पुलिका शीर्ष
में अलापी अलापी
77. 83 नाला पुलिका पुलिका 662997 6630
में नाला पुलिका पुलिका
पुलिका पुलिका पुलिका पुलिका
78. 70 के पुलिका पुलिका 704620 7046
के पुलिका पुलिका पुलिका
पुलिका पुलिका पुलिका पुलिका
79. नाला पुलिका पुलिका 699015 6990
पुलिका पुलिका पुलिका
पुलिका पुलिका पुलिका पुलिका
80. 91 के पुलिका पुलिका 229424 2294
पुलिका पुलिका पुलिका पुलिका
पुलिका पुलिका पुलिका पुलिका
81. 34 पुलिका पुलिका पुलिका 305827 3058
पुलिका पुलिका पुलिका पुलिका
पुलिका पुलिका पुलिका पुलिका

82. बर्ड-4 बिहार से 1524056 15241

174/ (257)

बाली व मुन्डर लोका
डाइलस का काम
से ० डिप्टी कंस

83. बर्ड-37 भावीमार साइन से 621314 6213

बाली व मुन्डर लोका
का काम
से ० डिप्टी कंस

84. बर्ड-41 मुन्डर लोका से 152841 152841

का मुन्डर लोका
का काम
से ० डिप्टी कंस

85. बर्ड-20 राजेश नगर से 921309 9213

डाइलस जगदीश का काम
से ० डिप्टी कंस

86. बर्ड-65 बिबेका चन्द नगर से 750782 7508

सं. नं. - 526 के सामान
मुन्डर लोका डाइलस का काम
से ० डिप्टी कंस

87. बर्ड-41 डाई साइन से 741315 7413

का डिप्टी कंस
से ० डिप्टी कंस

88. बर्ड 47 मैट्रिडा एन्कलव में 1713784 17138
 (आर. सी. सी. लाठी व
 जून्वर लाठी का ड्राइंग का काम
 में दीर्घक साधनी
89. बर्ड - 13 बुकला में लाठी 1070675 10706
 व जून्वर लाठी का ड्राइंग
 का काम
 में (सुरक्ष के)
90. बर्ड 75 व बर्ड 80 में विभिन्न 360395 3604
 प्रकार के कन्सिस्टेंट पिस्टोल का
 ड्राइंग का काम
 में गैलोनल ड्राइंग साध के
91. बर्ड नं. में क्रिमचन नगर 383797 3838
 काय. एंथरपीनगर में लाठी
 बर्ड 3 में लाठी व जून्वर लाठी का
 ड्राइंग का काम
 में साधन प्रकाश आदर
92. बर्ड नं. - 1 भीम नगर में लाठी 605301 6053
 व जून्वर लाठी का काम
 में (सुरक्ष के)
93. बर्ड - 7 विद्यार्थी पुरा में लाठी 2428884 24288
 जून्वर लाठी का ड्राइंग का काम
 में (सुरक्ष के)

-176-

(25A)

94. वाड-62 बम्बई में नाली व
गुब्बारा का डाल कर का
काम
में जुबन मारी कास्ट

1182738

11827

95. वाड-77 में बम्बई में
रिज का डाल कर का
काम
में जुबन मारी कास्ट

1355/68

13552

96. वाड-86 रिज में निर्माण
रखें गोली की सुरक्षा का
काम
में जुबन मारी कास्ट

444951

4450

97. वाड-80 रिज नगर के निर्माण
काम में गोली की सुरक्षा का
काम
में जुबन मारी कास्ट

390934

3909

98. वाड-86 रिज नगर के निर्माण
काम में गोली की सुरक्षा का
काम
में जुबन मारी कास्ट

340134

3401

कुल 28,55,060

कार्ड का नाम / हेमदार का नाम	अन प्रमाण सं	मिल सी धनराशि	अग्रिम मिल में जोड़ी गई लेख सेम सी धनराशि
9- कार्ड 72 लखपुरी रिमा अपाई में में जात 322 सेम नल हुए 12 सेम सेम सेम सेम सेम सेम सेम सेम सेम सेम सेम सेम सेम सेम सेम	08/4-2-20	1112248	1732
100- कार्ड 54 लखपुरी सेम	828/22220	222485	2225
01- कार्ड 75 लखपुरी सेम	1048/26-220	317620	3176
02- कार्ड 16 मोरवा गांव सेम	731/22221	1234057	12360

-178- (26)

3- ऑर्डर-25 अक्टूबर 1947 में
राजी इलाहाबाद जिले हाथुदास के
श्रीचालक के पीछे आरंभ की गई
गंगा निर्माण कार्य
में 20000 रु. की

11/4-2-20

387007

3870

104- ऑर्डर नं. 48 निर्माण में दोरी
के शीशर माली व बाहिर
के शीशर माली से दोरी
उभार के माला एक गली
व इलाहाबाद जिले में निर्माण
कार्य
में 20000 रु. की

12/4-2-20

303917

3039

105- अक्टूबर 1947 में निर्माण में
दोरी/पीछे शीशर माली के
दोरी माला दोरी पाईला
कार्य में कार्य
में 20000 रु. की

14/4-2-20

220934

2209

106- ऑर्डर-26 21/3/47 में निर्माण
में दोरी माला के माला व
माला गली में गली व
इलाहाबाद जिले में निर्माण
कार्य

1065/26.2.20

332217

3322

- 07- आई-56 विरंजीक सिहर में
 107- 105 मकान - 8-96 से
 127 लम डेनर कम सिहर
 का हुआ 558/27-12-19 52585 5289
- 08- आई-46 मानसी सिहर में
 भदिर से मकान सिं-125
 सी-01 से मकान सिं-167
 फाई से मकान सिं-80
 लम सिहर मकान का
 आई 563/27-12-19 691878.52 691878
- 09- आई-75 लाजपतनगर C ब्लॉक
 में C-54 से शनि भदिर
 लम सिं C-89 से शनि भदिर
 रोड लम सिं C-12 से C-109
 लम सिहर मकान के अन्तर्गत
 C-12 से का आई 1057/26-2-20 188998 18899
- 10- आई-72 कौशाली में गैला
 निरमल एनं लम हुआ आई 360/7.10.20 8913617 89137
- ~~आई-55 कौशाली में कौशाली~~
 11- नृनगरी की मुख्य सिहर का हुआ आई 802/31.7.21 3652337 36523
- 112- आई-51 सेंकर-11 में कौशाली भदिर
 से जगल विहा लम हुआ आई 581/17.3.21 4138615 41386
- 113- आई-28 लम कौशाली में नाली
 निरमल व सिहर पटरी 1126/24.7.19 6098562 60985

(263)

-180-

1- कार्ड-85 राजपसन्गा में सड़क कुशाग कार्य	2180 A/24.10.19	5836531	58365
5- कार्ड-97 रामप्रसाथ कालोनी में कुंसे द्वारा सड़क कुशाग कार्य	53/4.9.19	6848913	68439
16- मेरठ रोड इण्ड. एरिया में सड़क विभाज	902/19.6.19	4891518	48915
12- कार्ड-96 होली आउट से गालीउर फालक रक सड़क विभाज कार्य	16/3.3.20	6139711	61397

कुल योग

33,83,247

विस्तारित विभाग में विभिन्न कार्यों में इंटरलॉकिंग टाइटल का
लैब से बिना परीक्षण कोप भुगतान का विवरण

क्र.	कार्य का नाम/होनेवाला नाम। तिथि	इंटरलॉकिंग कार्य काप भुगतान लैब/ विभाग	इंटरलॉकिंग के कार्य की मात्रा	इंटरलॉकिंग कार्य हेतु किया गया भुगतान
1.	गुडगुरी में रिज से लेस्टर के सकार व हान्स गली में नाली व इंटरलॉकिंग टाइटल निर्माण का कार्य में (इलेक्ट्रिकल) काप	1065/ 26-2-20	225.65 की मी.	162.468
2.	जानकपुरी में इमान लक्ष्मण में पी-14 सुरभ कुमार के सकार से 2-12 के मी. गुला के सकार तक नाली मरम्मा एवं इंटरलॉकिंग का कार्य में विजय सिंह	571/ 27-12-19	594/16	428 7950 4
3.	वाड-61 वसुन्धरा से -6 वातोवा सा साइट के सावन से का डेन वाड से सावित्री परी का इंटरलॉकिंग का कार्य में सुरेश कुमार के.		422	303 840

4. बर्ड-83 उमासपाके रकसदेवगु के 734/ 444 320260
 राजेन्द्रनगर से 3 कलाक 9 से 22-2-20
 (सुपरी पाके के पाये तरफ)
 सुन्दरलाकिंग डेविस का नाम
 रंग पाके के लोखर रंग रंग
 पुता का नाम
 से सेटम चंद काटो
5. बर्ड-54 नमूनर से 5 सेट-4 828/ 207 149688
 मलाच से - 1468 वाली सिड के 22-2-20
 वीनो राखड मरी का पुता
 नाम
 से माकुमरी कन्स
6. बर्ड-83 उमासपाके रकसदेवगु के 721/ 1099 791,445
 राजेन्द्रनगर से 2 से सुडला 22-2-20
 (सुपरी पाके के पाये तरफ)
 सुन्दरलाकिंग डेविस
 का नाम
 से सुन्दर नमून
7. बर्ड-43 कडकड से डल से 467/ 454 327168
 सुपरी का लोच में सीपी 27-12-19
 सुपरी का लोच नाजी निमोन
 डेविस सुडक व
 नाम
 से नाच डेविस डेविस
8. बर्ड-48 से मिजिपु से डेनी 12/ 225.51 198674
 से माका सुपरी नाजी व डेविस 4-2-20
 लोच नाम
 से निमोन सुपरी सुडक

-184-
(267)

4. वाई-24 धौलेली में नाली
व इन्टरलॉकिंग टाइप का
कार्य में विनिर्माण

~~267.21~~

192391

15. वाई-70 मिडिल टाइप का
कार्य में नाली का
इन्टरलॉकिंग टाइप
का कार्य
में इन्टरलॉकिंग

555.42

399902

16. वाई-16 युवांचल नाली
में नाली का इन्टरलॉकिंग
टाइप का कार्य

587.18

422770

17. वाई-34 टाइप का कार्य
कार्य में नाली का इन्टरलॉकिंग
टाइप का कार्य
में नाली का इन्टरलॉकिंग

253.10

182232

18. वाई-65 विवेकानंद में
में वाई-26 के कार्य
इन्टरलॉकिंग टाइप का
कार्य
में नाली का इन्टरलॉकिंग

84.45

633145

19. वाई-47 मिडिल टाइप का
में नाली का इन्टरलॉकिंग
टाइप का कार्य
में नाली का इन्टरलॉकिंग

1260.45

907524

1207-62

869486

20. वाई-13 बुलगा में नाली
 व इन्टर लॉकिंग अडिब्ल
 वार्मि
 में उपर्युक्त कार्य नं.

313-04

225389

21. वाई नं. 1 किमनात नगर वार्म
 सुप्रीम नगर में प्रलीम 3
 नाली व इन्टर लॉकिंग अडिब्ल
 का कार्य
 में उपर्युक्त कार्य नं. 97

प्रोग

~~8282537~~
 8282537

22. वाई-83, एपाम पार्म एक्सेटेन्शन में
 राजेठ नगा, सैमर-3, ब्लॉक-9 में
 भेग्री पार्म में प्लाटर एवं रेगार्ड
 पुनर्बांध का कार्य
 में अटेण चत कौन्सलर

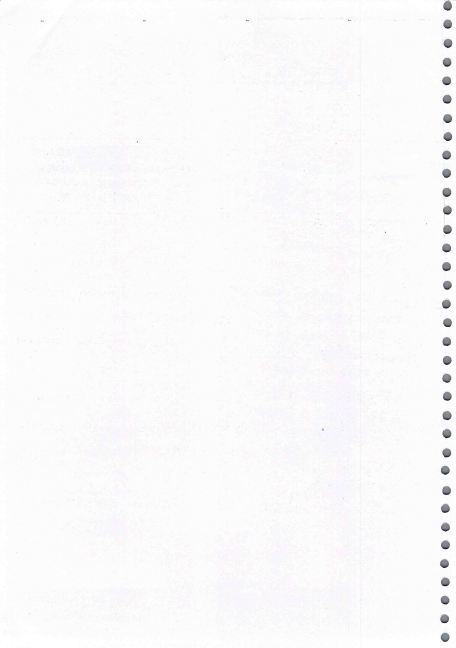
734/22.2.20 444.81 320263-20

23. वाई-23 मोरटा गौन में विभिन्न
 जालिफों में नाली व इन्टरलॉकिंग
 राइफल का कार्य

731/22.2.21

727.42 523742.40

कुल योग = 92,26,542



6. वाड-78 राणा कृष्ण मंगल स्तूप 3308000 581700 694680 112980
विजयपुर नक्षत्र शिव मंदिर
जाय मिनासी देव आरंभी. श्री
वृषभ साक्षा निर्माण स्तूप साई मंदिर
पर मन्दिर लोकाटि दाम्भ्य का नाम
मै 2 का श्री
7. वाड-39 मोहम्मद नंदर नगर 1,00,00,000 2186200 27,00,000 513800
मुसलि स्तूप जी. व. स्तूप
जे. ली आनारिक स्तूप का
निर्माण
8. वाड-28 टाकी कन्साडल की निर्माण 1,98,82,000 4060000 4970500 910500
साहिबगसा स्तूप का नाम
साही निर्माण स्तूप साई 4 मी
पर स्तूप का नाम
9. वाड-72 वैद्य मंगल से स्तूप श्री 1,47,00,000 3469754 4023000 553246
स्तूप श्री स्तूप के स्तूप
स्तूप स्तूप की स्तूप
निर्माण स्तूप स्तूप का नाम
स्तूप स्तूप स्तूप
10. वाड-21 कोआम्बो में सिमाना 95,00,000 1553672 24,70,000 916328
विद्यर की आनारिक स्तूप
स्तूप का नाम
स्तूप आरंभी. स्तूप

1,32,00,000 2262769 3564000
13,01,231

1,47,00,000 28/54/ 38,22,000
940459

~~1,08,82,000 406000 49,79500~~
910000

1,81,06,000 294/607 4707560
1765953

14. बड 80 खानी रोड से 1,46,52,000 2597198 3956040 1358842

रु-ब्लक साईट में कालिया
मक जल निकासी हेतु
(आर.सी.सी. ड्राय नाला
निर्माण काम
में आर.सी.सी. पिस्ट डेक

15. बड-62 गोविन्दपुरम में खानी 3,59,00,000 70,00,000 10150000 11,50,000

चरण सिट/विजली घर में गौर
होमस चौक मक डेक व ड्राय
सडक सुधार व नाला निर्माण
काम

16. बड-30 गोविन्दपुरम जी.ब्लक 46,70,000 1148025 1360100 212075

में जी-619 से जी-597
RCC नाली व ड्रेजिंग सडक
सुधार काम
में आनन कल्स

17. मरु रोड से सिटनी गांव को 1,16,65,000 25,00,000 3032900 532900

जोने वाली रोड नीचे विना
नामा की मक सडक
सुधार व नाला निर्माण काम
में (आर.सी.सी. पिस्ट डेक ड्राय
वि)

18. मरु रोड से डेक चम के रोड से 3,21,06,000 7569754 8989680 1419926

डेक पुलिया मक (आर.सी.सी.)
नाला निर्माण काम
में (आर.सी.सी. पिस्ट डेक

19. नॉड-42 नन्देय में कठला मातृशाला पर
 मातृशाला के लिए नॉड ताला
 निर्माण
 में आरंभ विवरण
 39,02,000 751524 936480 181956
20. नॉड-07 मानी की डेकी सुधार
 एवं नॉड के सुधार कार्य
 सुधार ताला ताली व डेकी
 का कार्य
 में निम्न कर्म. क.
 89,00,000 18,32,000 22,40,000 4,08,000
21. नॉड-07 पर सुधार कार्य
 नॉड के सुधार कार्य
 ताला ताली व डेकी
 सुधार कार्य का कार्य
 में निम्न कर्म. क.
 1,90,00,000 44,00,000 55,00,000 9,10,000
22. नॉड-37 नन्देय पर
 विकास एवं सुधार का कार्य
 नॉड मातृ एवं आस पास की
 विभिन्न नन्देय गाँवों का
 सुधार कार्य एवं जल आपूर्ति
 में नॉड के निर्माण कार्य
 1,10,99,000 17,67,626 28,85,740 11,18,114
23. नाथक गाँव में नॉड-07
 एवं आरंभिक नॉड
 निर्माण कार्य
 में आरंभ विवरण
 2,00,00,000 50,00,000 58,00,000 8,00,000

(244)

4. वाड-62 गोविन्दपुरम्
रामजीपुर
शेड पर केमल केस की
में सड़क का मुन्धार
में (आर.बी. विन्ड टैक)
90,00,000 21,00,000 2529,000 479,000
25. वाड-77 रामपुरा कोल्हानी
ए-ब्लॉक की मर्रा सिटि
सिन्धु के पास वाली
(आनारक सड़क) का फेन्स
वोला मुन्धार काम
1,32,00,000 18,24,530 3168,000 1343470
26. गणेश (अस्पताल) के सामने
अशोका (अस्पताल) की ड्र
गोपीनगर मध्य ड्रस कारपोरा
वज्र सड़क मुन्धार
870,000 1126230 256230
27. वाड-36 सुपरटेक सैन्डिट सिटि
से-9 की सड़क का निमोन
1250,000 269424 325000 55576
- ~~28. वाड-62 गोविन्दपुरा
आर.बी. विन्ड टैक
में सड़क का मुन्धार
काम~~
~~22,00,000 21,00,000 21,00,000 50,000~~
~~24,00,000 24,10,000~~
28. वाड-59 में (आर.बी. विन्ड टैक)
डिमाटेमन्ट स्टोर में
रामलीला में राम मठ RCL
नाला निमोन
में एच पी कम्पस कं.
47,90,000 316471 848300 531829

29. बड-16 गाम मोरडा में 30,68,000 6,00,000 674960 74960

साथ के सकार के सिविल
के सकार तक नाली व
गुन्ना लाकेन डालने का
कार्य
म. सुजय मशरफि कार्पें

30. जी. पी. रोड के एकमा 4,50,00,000 4334079 67,50,000 24,19,921=

पुलिस के बीच बीच नाली
की सिविल वॉल एवं
एकमा पुलिस का
निर्माण
म. सुजय मशरफि कार्पें

31. बड-381 सुर्खा के (आनन्द 85,39,000 1474922 1978580 403658

डॉ. दाता में सुर्खा गांव
के नाली सहा के डालने का
सह सहायता एवं का सुधार
एवं पुल विकास डाल नाला
निर्माण

32. बड-34 मुर्खिनार में जी. पी. 1,10,00,000 1195826 23,10,000 11,14,174

रोड के डालने का सुर्खिनार
पर पुल विकास डाल पुल
जी. पी. नाला निर्माण एवं
सुधार कार्य
म. सुजय मशरफि कार्पें

-194- (276)

33. बर्ड-91 काबिलार में शामिल 99,71,000 1170650 1391800 221230

मैदान के मुख्य द्वार से आसानी
 एक एक डेरा द्वारा सड़क
 सुचारु काम
 मै. (अर. जी. विड्डेक
 मुन्जी वि

34. काबिलार में अर. जी. पी. फर्मा 60,19,000 1404626 1625130 220504

होकर से हाथ डुंकी तक खर्च
 रोड पर खींच लगाने का सामान
 रोड का डेरा द्वारा सड़क
 काम
 मै. (अर. जी. विड्डेक मुन्जी

35. बल-कमर सि. कोल मुन्जी 1687000 310000 388010 78010

फा. यार दीवार की मरम्मत
 खरब खर्च याता मा. नाले
 मै. दीपक सहनी

36. कथाना गांव में नमोस सिद्ध 49,19,000 10,00,000 1180560 180560

क. बलकाम से विद्या पाविक
 नाले की डेरा नमोस में नाल
 एक डेरा सी. पी. नाल सिद्ध
 मै. आनंद कम्प

37. रोजिड नगर में सुन्दर लाजा 95,99,000 16,27,303 2482740 855427

से सीनल सुप्रीमन्ट निम्न
 रोजिड नगर पुलिस मै. पी. सिक
 सड़क रुक के जल सिद्धाई
 नाल सिद्धाई
 मै. (अर. जी. विड्डेक मुन्जी

-195-

(274)

38. वड 44 संजय कोलोनी में राधा 86,26,000 1382,796 2070240 687444
 कल सोनिर से चिह्न कट
 कोलोनी में राधा से लेने
 लाइन फासला सुदक का
 गुन्टर लाइन ड्राइंग कर
 सुधार कार्य
 में (संजय जमीन) का है
39. वड-20 सिविल गंग में पोटरी 47,34,000 632462 852120 219658
 जंगल से बाह्य जंगल सिमर
 सुदक से लेने के पीछे सुदक
 माथे तक और सीसी नासा
 निर्माण
 में (संजय जमीन)
40. गालीमार गड्डन की ब्लाक में 57,63,000 12,50,000 14,40,750 190750
 नवसर्गिता सुदक की ब्लाक में
 पर गुन्टर लाइन ड्राइंग का
 निर्माण
 में सोनिक करस
41. बिडर पर सोनिक वस्ती की 42,00,000 962,000 11,76,000 214,000
 विभिन्न गाली में सोनिक
 ड्राइंग का कार्य
42. गालीमार गड्डन सुदक 2 1,00,00,000 21494 26,00,000 878506
 ब्लाक का सुदक सोनिक
 माथे का सोनिक एवं जल सिमर
 और सीसी नासा निर्माण
 कार्य में और जी बिडर

-196-
(278)

43. शेखर नगर में सुगन्धक रसोई 70,00,000 15,40,000 1890,000 3 1000
से गंगा बँकट होल का
वाला सुगन्ध सागरे राग राग
नाला सिमोन कामे
में सेखर नगर कान्ठे

44. बुज बिहार की ब्लाक में रामजी 11,03,000 121330 132360 11030
में रामजी का
उत्तर ब्लाक सुखर कामे
में सुखर नगर कान्ठे

45. सुपुला गली में - 8 डेल्स जावन 6,39,200 87341 115056 27715
उभालता न गली में - 11 में
सुमन 1996 में नं 1496 सुपुला
से विरम के सुकान निक
नाली न सुखर लोकिंग डेल्स
का कामे
में सुखर नगर कान्ठे

46. जनकपुरी में सुमन डेल्स में 9,67,700 103230 203217 99987
की न 16 सुखर नगर के सुकान
से डे-120 के सुखर
सुखर नगर नाली सुखर नगर
सुखर लोकिंग डेल्स का कामे
में विजय सिंह

47. गोरिया गली में डे ब्लाक में 822,600 57740 164520 106780
का कामे
नाली सुखर नगर कान्ठे
नाली सुखर नगर कान्ठे
नाली सुखर नगर कान्ठे
नाली सुखर नगर कान्ठे
नाली सुखर नगर कान्ठे

-197-

(279)

48. ग्रेडिंगार् में सौदा/पार्क के सामने बाड़ी गेट पर मोड़नी
समय व पार्क गेट का काम
में सौदा/पार्क का काम

988,524 104424 158164 53740

49. ग्रेडिंगार् में सौदा/पार्क
में 26-27 के मोड़नी
में 40 मक मोड़नी में मोड़नी का काम
में मोड़नी का काम

8,70,700 107416 165433 58017

50. गेट में पार्क का काम में
समय व पार्क का काम
में पार्क का काम
में पार्क का काम

482400 42420 67536 25116

51. गेट-8, दीनागरी में पुल के दोनों ओर
व पी. एल. डी. ड्रिप्स से बाइक तक
सड़क खुला काम में भाजी बिल्टेड

4168902 1100000 1313040 213040

52. गेट-17 मोहननगर विभाग कार्यालय
विभाग नगर विभाग सड़क बनाई
में 15 की मरम्मत एवं सड़क
पुनर्स्थापना का काम
में सड़क का काम

521600 00 57376 57376

53. गेट-61 कृष्णनगर में 6 बागीचा में
सौदा/पार्क का काम
में सड़क का काम
में सड़क का काम

991900 131475 188461 56786

198- (280)

54. बॉ-83 अमर पालि रक्षक से
 राजिन्दनगर से 03 ब्लॉक 2
 में (अमर पालि) पालि के
 चौराहे पर अमर पालि
 बॉ-83 का नाम रक्षक पालि
 में अमर पालि रक्षक पालि
 का नाम
 में अमर पालि रक्षक पालि

63/300 74870 113634 38.4
 644400 65560 148212 82652

55. बॉ-73 अमर पालि रक्षक
 रक्षक-02 में अमर पालि
 में अमर पालि रक्षक पालि
 अमर पालि रक्षक पालि
 अमर पालि रक्षक पालि
 में अमर पालि रक्षक पालि

1106,600 56522 254518 197776

56. बॉ-83 अमर पालि रक्षक से
 राजिन्दनगर से 02 में अमर पालि
 अमर पालि पालि के चौराहे पर
 अमर पालि रक्षक पालि
 अमर पालि रक्षक पालि
 में अमर पालि रक्षक पालि

985000 183500 246250 62750

57. मोहन नगर बॉ-83 में अमर पालि
 अमर पालि पालि के चौराहे पर
 अमर पालि रक्षक पालि
 अमर पालि रक्षक पालि
 अमर पालि रक्षक पालि
 में अमर पालि रक्षक पालि

58. वॉर्ड-73 मालासार 18,13,300 21709 362660 340951

गोडिन रूकस 02 सी ब्लाक में
सी-07 तक एवं सी 82 तक
माली व इन्टरलॉकिंग का
कार्य
में अमरी नन्स

59. वॉर्ड 43 कडकड में डाला 8,71,000 58472 133650 75178

इन्फेजी कोलोनी तथा
वाल्मीकी कोलोनी में सी-07
डालस रूक व माली निर्माण
का कार्य
में सार्प डेडिया डबलधर

60. वॉर्ड-62 गामिन्दपुर में रूक-412747 60320 94931 34611

252 के पास इन्टरलॉकिंग डालस
का कार्य
में सुरविन्द कुमार

61. वॉर्ड-84 राजनगर से 01 में 14,70,000 293175 362500 74325

पैकेज प्रम्य से 01/89 से निम्न
में तक डालस का
सामान का कार्य

62. वॉर्ड-65 कविनगर में रूक-40 8,45,000 164287 211250 46763

से 22 तक रूक का डालस
तथा सुधार कार्य

-200 (282)

63. वॉर्ड-76 वैशाखी में 22 सीटों में 510,000 68970 91854 22801
 उन्नीसवाँ उपार्जनिक की
 दसवाँ सड़क का
 व्यापक कार्य
 में उन्नीस लाख

64. वॉर्ड-62 गणेश वडिका में 6,22,773 129000 161721 32921
 चन्दवाली के मकान से मनीष
 के मकान तक कुन्डर लाँकेगा
 टाँक्स का कार्य
 में जोरदार कार्य

65. वॉर्ड-83 उग्रामपाठ संस्कृत में 12,27,000 125300 220860 95560
 राजनगर से 10 मी
 निष्कासन या के लगे मकान
 या के लगे मकान पर
 कुन्डर लाँकेगा टाँक्स का
 वॉर्ड-83 पर लाँकेगा
 संगम पुनर्स्थापना का
 में सड़क का कार्य

66. वॉर्ड-60 राजेंद्र नगर ओके रो
 के मोहनी गार्डन में नाली व
 ड्रिपलाइज्ड टाँक्स का कार्य
 में मोहनी गार्डन का कार्य

67. वॉर्ड-2 राजेंद्र विला पर 12,52,300 227913 313075 85092
 ए-कॉम गली में नाली व
 ड्रिप लाइज्ड टाँक्स का कार्य
 में नाली का कार्य

- 201 - (283)

- 6.- ડાઉન-61 અમુલ 10૯ ટ 1701300 4870 204156 199286
 સરકારી પાણી ના સરકારી
 ડાઉન 500 ટન અમુલ
 નો ડાઉન અમુલ
- 69.- ડાઉન-37 ડાઉન 100 ટ 909700 181030 209231 282201
 નો ડાઉન 500 ટ અમુલ
 નો ડાઉન અમુલ
- 70.- ડાઉન-54 ડાઉન 100 ટ 878000 77200 228280 151080
 નો ડાઉન 500 ટ અમુલ
 નો ડાઉન અમુલ
- 71.- ડાઉન-28 ડાઉન 100 ટ 1688400 190660 438984 248324
 નો ડાઉન 500 ટ અમુલ
 નો ડાઉન અમુલ
- 72.- ડાઉન-24 ડાઉન 100 ટ 972000 128761 174960 46199
 ડાઉન 500 ટ અમુલ
 નો ડાઉન અમુલ
- 73.- ડાઉન-67 ડાઉન 100 ટ 805650 144664 177243 32399
 ડાઉન 500 ટ અમુલ
 નો ડાઉન અમુલ

-202- (284)

74. वाड-97 चक्र नाग मे सड़ि
नाग मे डेरा डेरा मुवा
अन
मे बाबाजी अन

1499000

16800

239840

71740

75. वाड-70 के कान्हा देव
वाड नाग मे सड़ि
मुवा नाग मे सड़ि
अन

751000

104900

161670

56770

76. कावेर नाग मे सड़ि
नाग मे सड़ि
अन
मे बाबाजी अन

357,215

279

106492

106213

77. वाड-75 लोखना नगर मे
वाड नाग मे सड़ि
अन
मे बाबाजी अन

2970,000

370,000

657800

337800

78. वाड-75 लोखना नगर मे
वाड नाग मे सड़ि
अन
मे बाबाजी अन

4,84,200

10,400

125892

24,492

79. वाड-07 विहार मे
वाड नाग मे सड़ि
अन
मे बाबाजी अन

23,30,800

4,20,000

512776

92776

80. वाड-37 जालीमार गाँव में 7,44,000 155600 226560 70760
 जाली में इंटरलॉकिंग का
 काम
 में प्रारंभ रण्ट
81. वाड-41 तुलसीपुर में बौरी में 301,000 00 36120 36120
 का मालाज में बौरी का
 काम
 में इंटरलॉकिंग रण्ट
82. वाड-80 राजेन्द्र नगर में 13,53,900 387382 387382 0
 टारिक्स लोकोमो का काम
 में प्रारंभ रण्ट
83. वाड-65 निवेकानन्द नगर में 11,51,387 267281 277361 32080
 में में 526 के सामने
 इंटरलॉकिंग टारिक्स का काम
 में बौरी में इंटरलॉकिंग रण्ट
84. वाड-41 डोही मजिस्ट्रेट जाली में 11,22,000 ~~280500~~ 280500 124656
 का सामाजिक माली का
 काम
 में प्रारंभ रण्ट
85. वाड-10 श्रीरामलाल नगर में 1304200 155,500 326050 170550
 में इंटरलॉकिंग टारिक्स रण्ट
 प्रारंभ का
 में प्रारंभ रण्ट

204 (286)

86. बॉर्ड-47 मेट्रो-डा एन्फोर्स 26,58,000 415,000 717660 302660
 में एयर-सी-सी नाली
 व ड्रिप-लोको ड्रिप-लोको
 का काम
 में वी-विक साइनी
87. बॉर्ड-13 नाली में नाली 1481800 155977 266724 110745
 व ड्रिप-लोको ड्रिप-लोको
 का काम
 में एयर-लोको का
88. बॉर्ड-46 मानसी विहार में नाली 887585 65858 106510 4682
 में एयर-लोको का काम
 में एयर-लोको का
89. बॉर्ड-1 में फिमासन नाली का 5,79,000 102368 127380 25012
 में एयर-लोको का काम
 में नाली व ड्रिप-लोको का काम
 में एयर-लोको का
90. नाली में नाली व ड्रिप-लोको 9,34,700 208000 243022 43022
 का काम
 में एयर-लोको का

3,24,01,242
 3,24,01,242

निर्माण विभाग में विभिन्न कार्यों में मिट्टी के कार्य पर

12.5% सॉरिलमेट चार्जेंज न कोट जाने के कारण

हृद आर्थिक क्षति का विवरण :

१. कार्य का नाम / ठेकेदार का नाम / विधि	कार्य प्रमाणक लक्ष्य	मिट्टी के कार्य की मात्रा	12.5% सॉरिलमेट चार्जेंज	12.5% सॉरिलमेट चार्जेंज कोट करने काव 5 आर्थिक
1. बड-78 रास्ता बनाना कार्य मिठाई घर के लिए मिट्टी का काम मिठाई घर के लिए मिट्टी का काम मिठाई घर के लिए मिट्टी का काम मिठाई घर के लिए मिट्टी का काम मिठाई घर के लिए मिट्टी का काम मिठाई घर के लिए मिट्टी का काम				
2. हड्डि में गल्ली में - 8 डरल आकर हड्डि में गल्ली में - 11 में रास्ता बनाना स. नं. 1496 के लिए नगर से विपरीत गल्ली के इन्टरलॉकिंग टोपल का काम स. रा. इन्टरलॉकिंग	37/ 4-12-19	173.58	21.70 229 496	

2- वर्ड-60 रास्ता नाम ओके के मोड़ में गली के इन्टरलॉकिंग टोपल का कार्य ओके मरेक नड मरेक

732/22-230 534.60 66.82 229 1530

-206-

288

3. वॉर्ड 37 शालीमार गार्डन में
माली व इन्टरलॉकिंग टाइल्स
का कार्य

255.75 31.96 229 7321

में अग्रज वर्क

4. वॉर्ड-83 इमाम साहिब
इमाम साहिब
इन्टरलॉकिंग का कार्य

215.57 26.25 229 6171

में (इमाम साहिब)

5. वॉर्ड 34 मेडिकल नगर पंचायत
में जी ब्लाक के लॉन्ग
व इन्टरलॉकिंग टाइल्स का

126.61 15.83 229 3625

कार्य
में समान इन्टरलॉकिंग

6. वॉर्ड-80 राजेश नगर
टाइल्स लॉन्ग का कार्य
में प्रो. कृष्ण सिंह

251.60 31.45 229 7202

7. वॉर्ड-10 फ्रीडम इकाई कोषाधीन
में इन्टरलॉकिंग टाइल्स
इमाम साहिब का कार्य
में प्रो. कृष्ण सिंह

347.38 43.42 229 9943

28/12/23

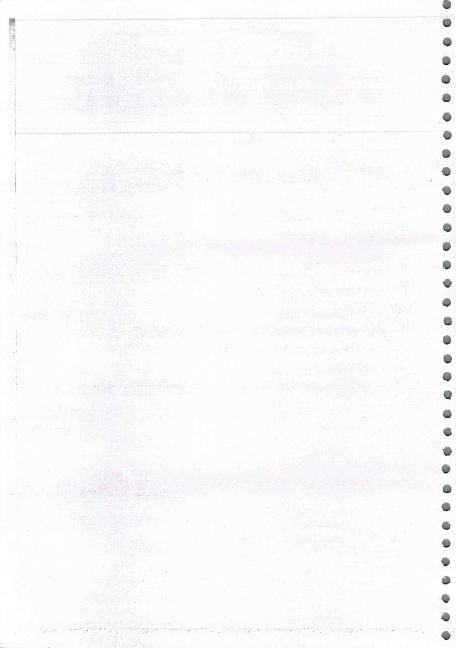
28

- 207 -
(289)

आरंभ का नाम / ठेकेदार का नाम / निति	कम आरंभ सं	मिमी के अर्थ की माप	12.5% से 12.5% के दर के मैदानों की माप	12.5% से 12.5% के दर के मापों के अर्थों के अर्थ
8- पार्स-73 अलीभा गार्डन एम्स C ब्लॉक में C-1 से C-7 तक एवं C-82 से C-72 तक वाली ए 22 एलमिना एलमिना	1044/26720	534.60	66.82 229	1530.78
9- पार्स-75 लाजपत नगर C ब्लॉक में C-54 से अति अधिकतर एवं C-89 से अति अधिकतर रोड तक एवं C-12 से C-104 तक तक विभिन्न गिफ्टों में 2000 एलमिना एलमिना 20 अर्थ	1047/26220	715.06	89.38 229	20468.59

कुल माप

9030.3



निर्माण विभाग में विभिन्न कार्यों में 10% बॉन्ड्स न मोटे जाने के कारण हुई आर्थिक क्षति का विवरण

क्र.	कार्य का नाम / ठेकेदार का नाम / विधि	अवधि प्रमाणक संख्या	स्टेशन नं. की मात्रा	10% बॉन्ड्स का न मोटे जाने के कारण हुई आर्थिक क्षति	10% बॉन्ड्स न मोटे जाने के कारण हुई आर्थिक क्षति
1.	वर्ड-78 राधा कृष्ण मार्ग एवं बिजुली घर बेल रोड पर (जब निष्कर्षी) से 0.500 के 2500 इन्कॉर्पोरेटिंग	690/ 31-12-19	742.46	74.25 3048	152064
2.	वर्ड-78 राधा कृष्ण मार्ग एवं बिजुली घर बेल रोड पर (जब निष्कर्षी) से 0.500 के 2500 इन्कॉर्पोरेटिंग	676/ 31-12-19	43.46	4.35 2048	8709
3.	वर्ड-39 मोटर रोड के बुकना मुख्य मार्ग का (जब निष्कर्षी) से 0.500 के 2500 इन्कॉर्पोरेटिंग	792/ 31-7-21	502.89	50.29 2048	102993
4.	वर्ड-13 मोटर रोड के बुकना मुख्य मार्ग का (जब निष्कर्षी) से 0.500 के 2500 इन्कॉर्पोरेटिंग	262/ 8-9-21	411.62	41.16 2048	84296

-210-

(29)

5. वड-74 सुपिनगर के वडी 705/ 29.61 3.0X 2024 6072
 कलाक में सीनर लोडिंग 157-21
 फोमिंगला सुडक का निमाप

का/प

मे ० सुडक का काम

6. वड 7276 वैमाली से 263/ 851.63 85.16 2024
 1/18 से 1/14 तक मकान में 89-21 172364

216 से 240 तक मकान में

267 से 245 तक फोमिंगला

सुडका का काम

मे ० सुडक का काम

7. कम्पन्स में रेलवे स्टेशन के 815/31-7-21 586.59 58.65 2048
 समानर वैमाली से 005 की 121115=0
 पुलिया से कालानगी पुलिया तक

सुडक सुधार काम

8. वड-30 गोविन्दपुर में जी.प्याक 1472/24-3-22 64.24 6.46 2048
 में जी 619 से जी 597 तक 13230

आरंभीय लायन हैन्ड
 डाब सुडक सुधार काम

मे ० आरंभ काम

9. मरठ से सिडानी में वडी 58/Nov.19 593.10 59.31 2048
 डाब वाली से 101 मी. तक 121467

आरंभिक समान तक सुडक

व नाला सिडानी का काम
 मे ० आरंभ जी. विपडक

10. वाड-37 नं 80 कुरुवेड पर 408/ 543.92 54.39 2048
 विक्रम सन्मेलन का जमाना 28-12-20 111390
 वाड मुख्य मार्ग पर (हजार) पर
 की निमित्त पालिका में
 का पुनर्वास काम करने (निर्माण) का
 के निर्माण का निर्माण कार्य
 में हजार की निमित्त पर
 लि०
11. वाड-24 नामक गांव का मुख्य 1361/ 983.99 98.40 2048
 मार्ग का निर्माण एवं (हजार) की 31-7-20 201523
 नाला निर्माण का कार्य
12. वाड-62 मोडिलपुरम रुग्ण 1336/ 789.28 78.93 2048
 (हजार) रुग्ण पर कुरुवेड 30-7-20 161649
 की सैन रुग्ण का पुनर्वास
 कार्य
13. वाड-36 कुरुवेड स्टेट स्पा 517/ 60.98 6.01 2024
 की सैन रुग्ण का निर्माण 28-7-20 12164
 कार्य
 में रुग्ण कुरुवेड के.
14. वाड-82 मोडिलपुरम रुग्ण 43/ 131.92 13.19 2048
 (हजार) रुग्ण पर कुरुवेड की सैन रुग्ण 7-8-20 27013
 का पुनर्वास कार्य
14. वाड-16 नाम मोडिल में सतपाल 43/ 131.92 13.19 2048
 सतपाल के निर्माण में सतपाल 7-8-20 27013
 में नाला व रुग्ण लोका का कार्य

5.

15. वड-16 गोरवा में युसाफ नोता 42/ 293
 ली के सक्कान के रिजिग 7-8-20
 पदसवान के सक्कान सक्क नाली
 व फुटरलॉकिंग डिप्लोमा का
 काम

62-61 6-26 2-48 12820

16. वड-38 अरुणा के अरुणा के नोता 693/ 3-4-92 30-49 2048 62444
 में अरुणा कां के मुख्य भाग के 3-12-79
 रिजिग

17. कनिमगर के अरुणा के नोता 36/ 2-8-20 282 33-2 2048 67993
 पलीट डिग्री के अरुणा के नोता
 सक्क लॉकिंग डिप्लोमा का काम

18. राजवन्दनार में सुपरटेक अरुणा 438/ 626-70 62-69 2048 128389
 के मसिब सुमाटे गेट, सिमेट 13-8-20
 राजवन्दनार पुलिस चौकी के
 सक्क लॉकिंग डिप्लोमा का काम
 नाली सिमेट का काम
 में अरुणा के सिमेट के नोता

19. वड-44 संजय कालानि में याना 225/ 432 43-2 2048 88474
 काका मालिक के सिमेट का काम 13-1-20
 में अरुणा के लॉकिंग डिप्लोमा का काम
 सक्क लॉकिंग डिप्लोमा का काम
 सुपरटेक का काम
 में संजय का काम

20. डालीमार गार्डन की बलाक में 794/ 181-81 18.13 2048
 नवनिर्मित सड़क की चौड़ाई 23-7-20 37130
 पट्टी पर इंटरलॉकिंग ड्राइव
 का काम
 में मोलिक करण

21. डालीमार गार्डन सड़क-2 रा 437/ 525.21 525.2 2048
 बलाक का मुख्य मार्ग को पार करने 13-8-20 107560
 मार्ग का सुचारु रूप से चल
 सिविलीय और ड्राइंग रीटिंग
 द्वारा नवीनीकरण कार्य

22. रोजेड नगर में ड्राइंग रीटिंग से 804/ 258.66 25.86 2048
 सड़क के चौड़ाई में ड्राइंग नोवा 23-7-20 52961
 मुख्य मार्ग से सड़क सड़क नोवा
 सिविलीय काम
 में मोलिक करण

23. डालीमार में ड्राइंग रीटिंग के 238/ 299.14 29.91 2048
 समित्त वाली सड़क पर मोलिक 17-1-20 61256
 सड़क व पार्क के चौड़ाई का काम
 में मोलिक करण

24. बर्ड-62 मोलिक करण में सड़क
 25.2 के मोलिक करण के चौड़ाई का काम

25. बर्ड-60 मोलिक करण में सड़क 732/ 68.64 6.86 13912
 के चौड़ाई में मोलिक करण में मोलिक 22-2-20
 अ इन्टरलॉकिंग ड्राइव का
 काम में मोलिक करण

-241 (145)

5 वाई-2 1150 विद्युत पम्प
 1-6000 मी में 1000 व
 2 2200 मी 2150 मी
 अर्ध
 नै. निक्षेप (2150)

334/13.8.20 38.88 3.88 2048 7946

26- वाई-81 1000 मी 10 पम्प
 1150 मी 2150 मी
 2150 मी 2150 मी
 नै. 2150 अर्ध

757/22.2.20 80.48 8.04 2048 16466

27- वाई-70 1150 मी 10 पम्प
 1150 मी 2150 मी
 2150 मी 2150 मी
 नै. 2150 अर्ध

1009/26.2.20 43.77 4.38 2048 8970

28- वाई-10 1150 मी 10 पम्प
 1150 मी 2150 मी
 2150 मी 2150 मी
 नै. 2150 अर्ध

506/27.12.19 79.20 7.92 2048 16220

2150 2150 2150

कार्ड का नाम / ठेकेदार का नाम / विधि	कन्स आउट नं०	मैन बील्डिंग की मंजूर	10% कन्सट्रक्शन की मंजूर	OR	10% कन्सट्रक्शन न ऑर्डर के अन्तर्गत आर्थिक सहायता
19- कार्ड-77 ओझाजी लैंड-4 में गाँव गंगा के किनारे से 4/443 एर शक्तिशाली फ्लैट्स का डेन ड्रा सक्षम का पुधार कार्य में प्रेम अन्तः	496/27.12.19	16.17	1.62	2048	3317
30- कार्ड-61 वासुन्धरा लैंड-6 कार्पोरेट सोसाइटी के फ्लैट्स रोड का डेन एवं सड़क पट्टी का कार्य में अरुण अन्तः	565/27.12.19	85.07	8.50	2048	17408
31- कार्ड-72 ओझाजी लैंड लैंड वीर डेन में प्रवेश A-1 से A-24 एर एका A-52 से A-46 एर डेन ड्रा सक्षम पुधार में जयवीर सिंह अन्तः	543/27.12.19	49.37	4.93	2048	10096.6
32- मोहन नगर जोन में विभिन्न फ्लैटों पर पानी का पंप/पीएल टैंक डेन के अन्तर्गत से शक्तिशाली ड्रेन / डाइग्री सीमाना कार्य	475/27.12.19	89.10	8.9	2048	18227

-216-
(297)

3- आई 54 अस्तुमरा खोड गे 828/22.2.20 16.5 1.65 2048 3379

नो नो नो नो 1468 वाली
रोड से दोनो खोड्ड डरलविकि
दिल्लो दारा खोड्ड पली
नो लुआल अर्थ
नो खोड्ड अर्थ

34- आई-64 गरिमा गार्डिन में 36/4-2-19 50 5 2048 10240

खोड्डो लोमा E-26,27
से भांगोलाल (E-17) दक
गली ओ डरलविकि अर्थ

35- आई 56 रिजलीक सिटी में फो 558/27.12.19 15.84 1.58 2048 3235

5 मसन नो 96 से 127
नो डोस दारा खोड्ड नो
लुआल अर्थ
नो सिद्ध अर्थ नो

36- आई-70 अं निधु दामोई 1009/26.2.20 4377 4.37 2048 8949.76

से पीके फोड्ड रोड नाली
मलमल फो डरलविकि
दिल्लो
नो खोड्ड अर्थ

32- आई 46 भागसी सिद्ध में 563/27.12.19 81.60 8.16 16711.68

भक्ति से भागन फो 125
फी-01 से भागन फो-167
फो से भागन फो-80 नो लुआल

कुल योग- 2070.354

(299)

क्र.	विवरण	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
4.	क्र-50 प्रिन्सिपल II की आमासिक वेतन का प्रत्येक मास की एक हफ्ते विराम	14 वीं तिथि	18-10-17	1,26,00,000	123,67,730	
5.	क्र-78 प्रमाणित शास्त्र के मासिक वेतन का प्रत्येक मास की एक हफ्ते विराम	14 वीं तिथि	02-3-19	84,84,000	61,97,219	
6.	क्र-78 प्रिन्सिपल II की आमासिक वेतन का प्रत्येक मास की एक हफ्ते विराम	14 वीं तिथि	07-3-19	91,91,000	66,31,352	
7.	क्र-38 प्रिन्सिपल II की आमासिक वेतन का प्रत्येक मास की एक हफ्ते विराम	14 वीं तिथि	10-10-17	75,00,000	69,71,326	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
8. 9/5-63 कागज 5/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक	14 वीं दिनांक	18-10-17	1,08,2500	85,53,429	
9. 9/5-29 कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक	14 वीं दिनांक	18-10-17	1,19,66,000	1,09,05,639	
10. 9/5-40 कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक	14 वीं दिनांक	18-10-17	1,08,08,000	1,08,28,590	
11. 9/5-40 कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक कागज से कागज 4/1 से 4/1 तक	14 वीं दिनांक	13-10-16	2,52,53,600	2,47,45,970	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
16. वाई-80 की नई बाइक साप्लाय से 19 लाख साप्ले के साथ 17 क बाइक सिमर्स वीरू Rcc दुसरा नाला सिमर्स कै 80 लाख की सिमर्स वीरू	14 जॉ सिमर्स	7-3-19	1,44,52,000	63,78,755	
17. वाई-60 दुसरा बाइक सिमर्स साप्ले 19 लाख बाइक सिमर्स दुसरा बाइक सिमर्स वीरू सिमर्स वीरू वीरू नाला दुसरा बाइक सिमर्स वीरू कै 80 लाख की सिमर्स वीरू	14 जॉ सिमर्स	5-4-19	1,00,00,000	72,88,146	
18. वाई-62 वाइरलेस दुसरा बाइक साप्ले 19 लाख बाइक सिमर्स दुसरा बाइक सिमर्स वीरू कै 80 लाख की सिमर्स वीरू	14 जॉ सिमर्स	02-3-19	94,00,000	63,78,755	

क्र.	विवरण	क्र.	दिनांक	रकम	कुल
19.	क्र. 86 राजस्थान सरकार के आदेशानुसार अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले	14	20-2-19	74,60,000	49,38,790
20.	क्र. 75 राजस्थान सरकार के आदेशानुसार अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले	15	01-3-19	57,65,000	42,58,272
21.	क्र. 72 राजस्थान सरकार के आदेशानुसार अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले	16	13-10-16	114,95,000	12,77,331
22.	क्र. 71 राजस्थान सरकार के आदेशानुसार अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवा में कार्य करने वाले	17	2-3-19	1,16,65,000	53,43,000

-225-

30

क्र.	विवरण	दिनांक	प्रमाण	मूल्य	कुल
31.	गन्त-गुप्तगान्धर्व के अर्थ. विलोम के अर्थ. विलोम के अर्थ. विलोम के अर्थ. प्रमाण. प्रमाण. प्रमाण. प्रमाण. प्रमाण. प्रमाण. प्रमाण. प्रमाण.	01-3-19	132,00,000	74,71,030	
	मोटा			247,83,374	

308

-228

1

2

3

4

5

6

7

3.

693/31-2-19

842400

वार्ड-38 (सुपुल) के सामान्य क्षेत्रों की
सं. सुपुल गांव के सुपुल गांव से
प्रदेश पर गांव की सीमा रेखा का
समाप्त 22 नं. जल निष्कास/डै
नगावा निगी
नं. सुपुल गांव

10,000

नई

85,38,000

4.

2180A/24-10-19

2529500

वार्ड-85, 75 राजधानी नगर
समाप्त के सामान्य क्षेत्रों
नं. सुपुल
नं. सुपुल निगी

10,000

नई

94,16,000

5.

1126/24-9-19

1545300

वार्ड-28 (सुपुल) के सामान्य क्षेत्रों की
सीमा रेखा समाप्त के सामान्य क्षेत्रों
नं. सुपुल, नगावा निगी
नं. सुपुल निगी
नं. सुपुल निगी

10,000

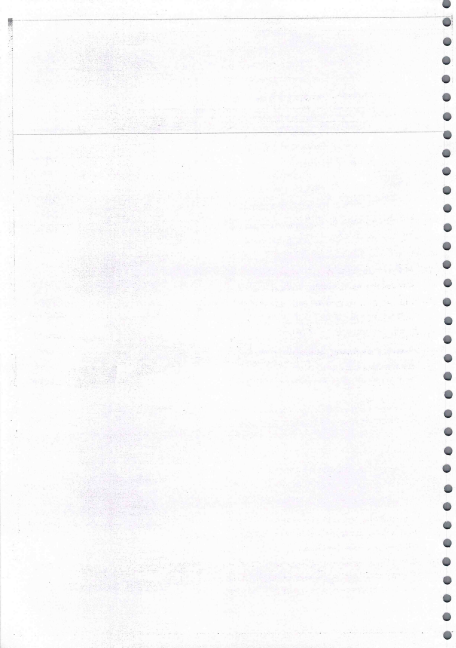
नई

198,82,000

२००० भाग - ८ के फल ' २७ ' में सम्मिलित

जलमल अनुभाग के कामों में विलम्ब अथवा हेतु शर्द्ध
न वसूले के कारण शर्द्धि क्षति का विवरण

क्र.	कर्म का नाम/हेतु का नाम स्वीकृत अथवा नहीं	मिति	कार्यक्रम के अनुसार अनुभाग समाप्ति तिथि	कार्यक्रम के अनुसार मिति	विलम्ब की अथवा कारण	शर्द्ध (रुपये 100 भागों में उत्तीर्ण)
1-	वार्ड-२५ अमरकाल-नगर की वीथी न गासीयो में सीवर लाइन बदलने का कार्य में ० पुर्बे ८ अमरकाल-नगर के रुपये ३२५३०५६	14 नो वर्ष	५-६-१९	1५-७-१९	५०	130082
2.	वार्ड-१८ जोन अमरकाल जोन एवं एच ब्लॉक की वीथी न गासीयो में 160 एम० एम० व्यास की वीथी न जोन पाउप लाइन डालने का कार्य रु० ३८५२३५७	"	२२-९-१९	२६-१२-१९	९५	270783
3.	वार्ड नं० 17 टिन्डुल वीथी में ३०० एम० एम. लाइन डालने का कार्य में २-२८ एच ब्लॉक रुपये - २९९६३२५ (तामिल)	"	६-६-१९	९-१२-१९	३६६	२२५५०६
4.	वार्ड नं० 1९ उदक-नगर की वीथी न गासीयो में ३०० एम० एम० व्यास की ८०० मी० एवं ५५० एम० एम० व्यास की ५५० मी० लाइन डालने का कार्य कार्य - में ० अमरकाल वार्ड नं० २२ - रुपये ५१२६६०८ (तामिल)	"	७-६-१९	९-१०-१९	1२५	२८७६६१
5.	वार्ड नं० 1 जोन के अमरकाल वार्ड नं० ७६ में ३०० एम० एम० व ५५० एम० एम० व्यास की लाइन डालने का कार्य में ० अमरकाल वार्ड नं० २२ - रुपये २९१५३२८ (तामिल)	"	७-६-१९	२७-१२-१९	२०३	३८६३१२
6.	वार्ड नं० 1 जोन - वार्ड नं० ८९ के शाली में ३०० एम० एम० ३०० एम० एम० व्यास की लाइन डालने का कार्य में ० अमरकाल वार्ड नं० २२ - रुपये ५२८२७८१	"	६-६-१९	२६-१२-१९	२०३	८६९५०५



जलजल अनुभाग में निर्माण कार्यो पर कम ली गई अतिरिक्त परफार्मेंस गारन्टी का विवाण

क्र.	कार्य का नाम / ठेकेदार का नाम	स्वीकृत निर्माता मूल्य / आगमन व्यय	ती गई अति. परधर्मित जाली	हीने योग परधर्मित जाली	कमली गई अति. परधर्मित जाली
1.	जयदेवनाथ जलम अतिरिक्त जाली एवं अन्य व्यय की सीमेंट गाली में वेबलस व्यय जलम की छाने का कार्य - में 180000 की है डि-गाले	2850347/ 3695000	681000	847550	166550
2.	वाटिंग 17 डिग्रेड गैलरी में 300 लम 1 मर सीमेंट लाइन कार्य - में 250000 व्यय जलम	2996325/ 4445000	996532	1486500	470318
3.	मिरी जल - II वाटिंग 19 उद्वहन अतिरिक्त जलम जलम में सीमेंट लाइन जलम का कार्य - में 180000 का कार्य	4126608/ 5820000	1402360	1687800	285440
4.	जयदेवनाथ जलम वाटिंग 76 में सीमेंट लाइन जलम का कार्य में 180000 व्यय जलम	2810438/ 3995000	923153	1090600	167447
5.	जयदेवनाथ जलम वाटिंग 76 में सीमेंट लाइन जलम का कार्य में 180000 व्यय जलम	4282741/ 6105000	1500000	1835000	331500
6.	जयदेवनाथ जलम वाटिंग 76 में सीमेंट लाइन जलम का कार्य में 180000 व्यय जलम	2204444/ 3265000	905000	1077500	172450
7.	मिरी जल II वाटिंग 19 उद्वहन अतिरिक्त जलम जलम में सीमेंट लाइन जलम का कार्य - में 180000 का कार्य	3992814/ 3833000	644300	1034910	390610
8.	मिरी जल II वाटिंग 19 उद्वहन अतिरिक्त जलम जलम में सीमेंट लाइन जलम का कार्य - में 180000 का कार्य	3452318/ 4348000	660943	913080	852137
9.	जयदेवनाथ जलम वाटिंग 25 अतिरिक्त जलम का कार्य जलम में सीमेंट लाइन जलम का कार्य - में 180000 का कार्य	3352046/ 4946393	1396100	1522846	186746
10.	जयदेवनाथ जलम वाटिंग 25 अतिरिक्त जलम का कार्य जलम में सीमेंट लाइन जलम का कार्य - में 180000 का कार्य	1900043/ 2671227	637651	774685	137004

(314)

-236-

11. नैजाली कोठ के ओलापुट कनिष्ठ मीठा

1750965/

588244

714667

126423

लाजा के मिलासरी अपार्टमेंट तक 438 मीटर तक

2464369

आसपास 400 मीटर लाजा के नाले का काम - मीठा नाले का काम

कुल मीठा

26,86,625

जलबल अनुभाग के बिलों में 1% अतिरिक्त लेनर
सेस जोड़े जाने के कारण अधिक अनियमित भुगतान
का विवरण :

क्र.	कार्य का नाम/हेतु का नाम	निधि	बिल की संख्या	अतिरिक्त में जोड़ी गयी लेनरों की संख्या
1	वार्ड-25 अम्बेडकर नगरपालीका में गालीबो में सीवर लाइन बदलने का कार्य M/S पुर्नर कान्स्ट्रक्शन्स कं	14 वॉर्षल	2740673	24254
2	कवि-नगर जोन अन्तर्गत ली एवं एम एलए की वीओ नगरपालीका में 16 एम एलए वलन की पी-वीसी पाइप लाइन रखने का कार्य एम के सी ड्रेनिंग कं	-	2738840	24238
3	वार्ड नं-17 हिन्दुनगर में 300 एम एलए सीवर लाइन कार्य - ई-एल एल एल एल	1	2796579	24748
4	वार्ड नं-19 उदयनगर की वीओ नगरपालीका में 300 एम एलए वलन की पी-वीसी पाइप लाइन रखने का कार्य एम के सी ड्रेनिंग कं	-	4114424	36411
5	गुन्धारा जोन के अन्तर्गत वार्ड नं-89 वीओ में 300 एम एलए वलन की सीवर लाइन रखने का कार्य - एम के सी ड्रेनिंग कं	1	3639838	32211
6	वार्ड नं-9 परेलनगर डिस्ट्रिक्ट, बालकपुर में गालीबो में 300 एम एलए वलन की 300 एम एलए वलन की सीवर लाइन रखने का कार्य - एम के सी ड्रेनिंग कं	1	1855334	16419

-238 (316)

7. ટીવી બોર્ડ II નાંદે-19 ઉલ્લખનગરની
 સિનેમા ગણિતો એ 110 લગભગ વખત
 ચલિતી હતી અને 80 લગભગ 8 વખત
 બી.નર્મદા વાવણ ડાહ્યા
 તે 80 લગભગ 8 વખત ફેરિંગ કરવા

પાણીની

2652551

23562

કુલ મોગ

1,81,843

विज्ञापनों पर 15% ट्रेड डिस्काउंट की विवरण

क्र. विज्ञापन एजेंसी का नाम/ समानता/ पत्र का नाम/ विभाग का नाम/	विज्ञापन की दिनांक	मुद्रागत मी शानि	15% ट्रेड डिस्काउंट	ट्रेड डिस्काउंट के परमाणु मुद्रागत मैथम (रि.)	अन श्रमागत लॉ/ दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. सुदमेन एडवरटाइजिंग सर्विस विभाग (1. टैनिड मात्राण, टिडुक्कान)	8-11-19 ब 9-11-19	231296	36694	196602	254/16-12-19
2. सुदमेन एडवरटाइजिंग टैनिड मात्राण, टिडुक्कान टैनिड डिस्ट निमाणा विभाग	3-12-19	217944	32692	185252	255/16-12-19
3. सुदमेन एडवरटाइजिंग टैनिड मात्राण, कन्नड कन्नड	3-11-19	112272	16841	95431	256/16-12-19
4. सुदमेन एडवरटाइजिंग कन्नड मात्राण, टैनिड टिडुक्कान	17-11-19 ब 18-11-19	170267	25540	144727	257/16-12-19
5. सुदमेन एडवरटाइजिंग टैनिड मात्राण	24-11-19	83560	12534	71026	258/16-12-19
6. सुदमेन एडवरटाइजिंग टैनिड मात्राण, टिडुक्कान टिडुक्कान, कन्नड कन्नड मात्राण, टिडुक्कान निमाणा विभाग	5-1-20	338704	50836	288068	01/03-20

-240- (318)

1	2	3	4	5	6
सुप्रीम सुडकराजिग दला दलिया, सुना कपूर पानिका विभाग	7-12-19 13-12-19	68000	10,200	57800	02/3-2-20
सुप्रीम सुडकराजिग दला दलिया, सुना कपूर पानिका विभाग	13-12-19	93560	14,034	79526	03/03-2-20
सुप्रीम सुडकराजिग दला दलिया, सुना कपूर पानिका विभाग	10-12-19	622200	93,330	528870	463/27-12-19
सुप्रीम सुडकराजिग दला दलिया, सुना कपूर पानिका विभाग	5-10-19 6-10-19	64864	9730	55134	464/27-12-19
सुप्रीम सुडकराजिग दला दलिया, सुना कपूर पानिका विभाग	4-2-20 5-2-20	370392	55559	314833	567/12-2-20
सुप्रीम सुडकराजिग दला दलिया, सुना कपूर पानिका विभाग	17-1-20	24152	36173	204979	568/12-2-20

[illegible]

-242- (320)

1	2	3	4	5	6
०. सुप्रभु सुप्रभु (सुप्रभु) सुप्रभु (सुप्रभु) सुप्रभु (सुप्रभु) सुप्रभु (सुप्रभु) सुप्रभु (सुप्रभु)	7-2-20 8-2-20	175008	26251	148757	10851 26-2-20
५. सुप्रभु सुप्रभु (सुप्रभु) सुप्रभु (सुप्रभु) सुप्रभु (सुप्रभु)	7-12-19	61088	9163	51925	10861 26-2-20
२२. सुप्रभु सुप्रभु (सुप्रभु) सुप्रभु (सुप्रभु) सुप्रभु (सुप्रभु)	16-2-20	176928	26539	150389	10871 26-2-20
		योग	5,75,705		

डीएनबीसी. रूपा भुजान न का अधिकारी 'पा' से मिली. की
 का का। अनिवार्य भुजान का विना।

$$2.71 \text{ aff} = 11.72$$
[illegible]

322

2111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	18/11-19	88	1909	167992	94.50	8316	159676	257/16-12-19	174700	
	18-11-19	88	25.85	2,275	25.85	2275	00			
5.	24-11-19	40	20089	83560	214.94	8598	74962	258/16-12-19	85700	
6.	5-1-20	56	2089	116984	214.94	12037	104947	01/03-20	347700	
	5-1-20	56	1777	99512	128.26	7183	92329			
	5-1-20	56	1709	14000	94.50	5292	8708			
	5-1-20	56	26.85	106704	26.85	1504	105400			
	5-1-20	56	26.85	14000	28.95	1621	12379			
	5-1-20	56	250	24000	28.95	2779	21221	02/03-20	69700	
	7-12-19	96	250	24000	16.87	1620	22380			
	13-12-19	40	250	10,000	28.95	1158	8862			
	13-12-19	40	250	10,000	16.87	675	9375			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार	13-12-19 13-12-19 13-12-19 13-12-19	40 40 40 40	2089 2089 2089 2089	83,560 83,560 83,560 83,560	214.94 214.94 214.94 214.94	8598 8598 8598 8598	74962 74962 74962 74962	43/05-20 43/05-20 43/05-20 43/05-20	96000 96000 96000 96000
9.	पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार	10-12-19 10-12-19 10-12-19 10-12-19	204 204 204 204	1850 1850 1850 1850	377400 377400 377400 377400	128.26 128.26 128.26 128.26	26165 26165 26165 26165	351205 351205 351205 351205	40/07-19 40/07-19 40/07-19 40/07-19	638500 638500 638500 638500
10.	पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार	5-10-19 5-10-19 5-10-19 5-10-19	32 32 32 32	1777 1777 1777 1777	56,864 56,864 56,864 56,864	128.26 128.26 128.26 128.26	4104 4104 4104 4104	52760 52760 52760 52760	40/07-19 40/07-19 40/07-19 40/07-19	66500 66500 66500 66500
11.	पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार पुणे जिल्हा सरकार	4-2-20 4-2-20 4-2-20 4-2-20	88 88 88 88	2089 2089 2089 2089	183832 183832 183832 183832	214.94 214.94 214.94 214.94	18914 18914 18914 18914	164918 164918 164918 164918	43/05-20 43/05-20 43/05-20 43/05-20	96000 96000 96000 96000

324

246

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	17-01-20	32	1200	38,100	94.50	3024	35376	568/	242400
12	1	17-01-20	32	1909	61088	94.50	3024	58064	12-2-20	
	2	17-01-20	32	1777	56864	128.26	4104	52760		
	3	17-01-20	32	1200	38400	94.50	3024	35376		
	4	17-01-20	32	250	8000	28.95	926	7074		
	5	17-01-20	32	1200	38400	94.50	3024	35376		
	6	17-01-20	32							
	7	17-01-20	32							
	8	17-01-20	32							
	9	17-01-20	32							
	10	17-01-20	32							
	11	17-01-20	32							
	12	17-01-20	32							
	13	17-01-20	32							
	14	17-01-20	32							
	15	17-01-20	32							
	16	17-01-20	32							
	17	17-01-20	32							
	18	17-01-20	32							
	19	17-01-20	32							
	20	17-01-20	32							
	21	17-01-20	32							
	22	17-01-20	32							
	23	17-01-20	32							
	24	17-01-20	32							
	25	17-01-20	32							
	26	17-01-20	32							
	27	17-01-20	32							
	28	17-01-20	32							
	29	17-01-20	32							
	30	17-01-20	32							
	31	17-01-20	32							
	32	17-01-20	32							
	33	17-01-20	32							
	34	17-01-20	32							
	35	17-01-20	32							
	36	17-01-20	32							
	37	17-01-20	32							
	38	17-01-20	32							
	39	17-01-20	32							
	40	17-01-20	32							
	41	17-01-20	32							
	42	17-01-20	32							
	43	17-01-20	32							
	44	17-01-20	32							
	45	17-01-20	32							
	46	17-01-20	32							
	47	17-01-20	32							
	48	17-01-20	32							
	49	17-01-20	32							
	50	17-01-20	32							
	51	17-01-20	32							
	52	17-01-20	32							
	53	17-01-20	32							
	54	17-01-20	32							
	55	17-01-20	32							
	56	17-01-20	32							
	57	17-01-20	32							
	58	17-01-20	32							
	59	17-01-20	32							
	60	17-01-20	32							
	61	17-01-20	32							
	62	17-01-20	32							
	63	17-01-20	32							
	64	17-01-20	32							
	65	17-01-20	32							
	66	17-01-20	32							
	67	17-01-20	32							
	68	17-01-20	32							
	69	17-01-20	32							
	70	17-01-20	32							
	71	17-01-20	32							
	72	17-01-20	32							
	73	17-01-20	32							
	74	17-01-20	32							
	75	17-01-20	32							
	76	17-01-20	32							
	77	17-01-20	32							
	78	17-01-20	32							
	79	17-01-20	32							
	80	17-01-20	32							
	81	17-01-20	32							
	82	17-01-20	32							
	83	17-01-20	32							
	84	17-01-20	32							
	85	17-01-20	32							
	86	17-01-20	32							
	87	17-01-20	32							
	88	17-01-20	32							
	89	17-01-20	32							
	90	17-01-20	32							
	91	17-01-20	32							
	92	17-01-20	32							
	93	17-01-20	32							
	94	17-01-20	32							
	95	17-01-20	32							
	96	17-01-20	32							
	97	17-01-20	32							
	98	17-01-20	32							
	99	17-01-20	32							
	100	17-01-20	32							
	101	17-01-20	32							
	102	17-01-20	32							
	103	17-01-20	32							
	104	17-01-20	32							
	105	17-01-20	32							
	106	17-01-20	32							
	107	17-01-20	32							
	108	17-01-20	32							
	109	17-01-20	32							
	110	17-01-20	32							
	111	17-01-20	32							
	112	17-01-20	32							
	113	17-01-20	32							
	114	17-01-20	32							
	115	17-01-20	32							
	116	17-01-20	32							
	117	17-01-20	32							
	118	17-01-20	32							
	119	17-01-20	32							
	120	17-01-20	32							
	121	17-01-20	32							
	122	17-01-20	32							
	123	17-01-20	32							
	124	17-01-20	32							
	125	17-01-20	32							
	126	17-01-20	32							
	127	17-01-20	32							
	128	17-01-20	32							
	129	17-01-20	32							
	130	17-01-20	32							
	131	17-01-20	32							
	132	17-01-20	32							
	133	17-01-20	32							
	134	17-01-20	32							
	135	17-01-20	32							
	136	17-01-20	32							
	137	17-01-20	32							
	138	17-01-20	32							
	139	17-01-20	32							
	140	17-01-20	32							
	141	17-01-20	32							
	142	17-01-20	32							
	143	17-01-20	32							
	144	17-01-20	32							
	145	17-01-20	32							
	146	17-01-20	32							
	147	17-01-20	32							
	148	17-01-20	32							
	149	17-01-20	32							
	150	17-01-20	32							
	151	17-01-20	32							
	152	17-01-20	32							
	153	17-01-20	32							
	154	17-01-20	32							
	155	17-01-20	32							
	156	17-01-20	32							
	157	17-01-20	32							
	158	17-01-20	32							
	159	17-01-20	32							
	160	17-01-20	32							
	161	17-01-20	32							
	162	17-01-20	32							
	163	17-01-20	32							
	164	17-01-20	32							
	165	17-01-20	32							
	166	17-01-20	32							
	167	17-01-20	32							
	168	17-01-20	32							
	169	17-01-20	32							
	170	17-01-20	32							
	171	17-01-20	32							
	172	17-01-20	32							
	173	17-01-20	32							
	174	17-01-20	32							
	175	17-01-20	32							
	176	17-01-20	32							
	177	17-01-20	32							
	178	17-01-20	32							
	179	17-01-20	32							
	180	17-01-20	32							
	181	17-01-20	32							
	182	17-01-20	32							
	183	17-01-20	32							

-247-

325

[illegible]

- 249 -

(324)

सो भाग भाग-क के प्रत्येक पृष्ठ 73 में सार्वजनिक

परिशिष्ट 'ब'

नामान निराला कर्माग्री विभाग

क्र.सं.	व्यय प्रमाण्य संकेत/विभाग	अभि.काली/कर्मचारी का नाम	पदनाम	ग्रेड में पद सीमा	प्रतिमाह कर्माग्री योग्य धनराशि	प्रतिमाह कर्माग्री यदि धनराशि	प्रतिमाह व्यय कर्माग्री यदि धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(1)	482/10-2-20	श्री. मोहन लाल	प्रमाण्य कर्मचारी	40400	4040	225	4040
(2)	"	" सोनील कुमार शर्मा	" "	37000	3700	प्रमाण्य	3700
(3)	"	" सुभाष सिन्हा	डि. गै. सि.	35900	3590	प्रमाण्य	3590
(4)	482/10-2-20	" नरेश कुमार	प्रमाण्य	39200	3920	प्रमाण्य	3920
(5)	"	" संजय कुमार	प्रमाण्य	27600	2760	150	2610
(6)	"	" विजय सिंह	"	23500	2350	प्रमाण्य	2350
(7)	"	" विजय कुमार	"	31400	3140	150	2990
(8)	"	" सुबोध कुमार	"	26000	2600	प्रमाण्य	2600
(9)	"	" रवीन्द्र कुमार	प्रमाण्य	22800	2280	प्रमाण्य	2280
(10)	"	" राजेश सिंह	प्रमाण्य	38100	3810	प्रमाण्य	3810
(11)	482/10-2-20	" सुनील कुमार	प्रमाण्य	43600	4360	प्रमाण्य	4360
(12)	"	" वरुण कुमार	प्रमाण्य	44100	4410	प्रमाण्य	4410

-253-

(329)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	484/10-2-20	श्री गुरुदेव गुरुदेव	०८ दिनांक	35900	3590	२५५	3590
27	" "	" सुदेव	" "	36400	3640	२५५	3640
28	" "	" श्री गुरुदेव	" "	27600	2760	२५५	2760
29	485/10-2-20	श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	39200	3920	२५५	3920
30	486/10-2-20	श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	34900	3490	२५५	3490
31	487/10-2-20	श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	22800	2280	२५५	2280
32	488/10-2-20	श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	25600	2560	१५०	2410
33	" "	" श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	17950	1795	२५५	1795
34	" "	" श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	56900	5690	2000	3690
35	" "	" श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	40400	4040	1014	3026
36	487/10-2-20	श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	20300	2030	150	1880
37	" "	" श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	26800	2680	२५५	2680
38	" "	" श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	33300	3330	२५५	3330
39	" "	" श्री गुरुदेव गुरुदेव	१० दिनांक	33300	3330	150	3180

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
488	10-2-2080	५११०००	५११०००	३५९००	३५९०	३५९	३५९०
"	"	"	"	३८१००	३८१०	३८१	३८१०
491	10-2-20	५११०००	५११०००	१९७००	१९७०	१९७	१९७०
"	"	"	"	३०२००	३०२०	३०२	३०२०
"	"	"	"	२२८००	२२८०	२२८	२२८०
"	"	"	"	२२१००	२२१०	२२१	२२१०
"	"	"	"	३०५००	३०५०	३०५	३०५०
"	"	"	"	३०५००	३०५०	३०५	३०५०
"	"	"	"	३५९००	३५९०	३५९	३५९०
492	10-2-20	५११०००	५११०००	२२१००	२२१०	२२१	२२१०
"	"	"	"	२३१००	२३१०	२३१	२३१०
"	"	"	"	२६८००	२६८०	२६८	२६८०
"	"	"	"	३८१००	३८१०	३८१	३८१०
"	"	"	"	३९२००	३९२०	३९२	३९२०

-259-

392

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
494	10-02-20	ਮੀ ਏਤਰੀ	454-1008	37000	3700	150	3550
"	"	" ਮੀਤਰੀ-15	"	35300	3530	10	3520
"	"	" ਮੀਤਰੀ	"	24500	2450	150	2300
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	34900	3490	245	3420
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	33000	3300	150	3150
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	35300	3530	245	3530
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	27900	2790	150	2640
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	30500	3050	150	2900
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	37000	3700	150	3550
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	35300	3530	150	3380
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	35900	3590	150	3440
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	24900	2490	245	2490
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	30500	3050	150	2900
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	29300	2930	245	2930
"	"	" ਮੀਤਰੀ-2000	"	29200	2920	150	2770

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	494 / 10-2-20	" विमानस्थल	विमानस्थल	29600	2960	150	2810
	495 / 10-2-20	" एअरलाइन्स विमान	विमानस्थल	18500	1850	150	1700
	" "	" एअरलाइन्स	विमान	37000	3700	150	3550
	" "	" एअरलाइन्स	विमान	37300	3730	150	3180
	" "	" एअरलाइन्स	"	35300	3530	150	3380
	" "	" एअरलाइन्स	"	35900	3590	150	3440
	" "	" एअरलाइन्स	विमान	24900	2490	250	2490
	" "	" एअरलाइन्स	विमान	35900	3590	150	3440
	" "	" एअरलाइन्स	"	27200	2720	150	2570
	" "	" एअरलाइन्स	विमान	25600	2560	150	2410
	" "	" एअरलाइन्स	विमान	22800	2280	250	2280
	" "	" एअरलाइन्स	"	22800	2280	150	2130
	" "	" एअरलाइन्स	"	22800	2280	150	2130
	" "	" एअरलाइन्स	"	22800	2280	150	2130
	" "	" एअरलाइन्स	"	22800	2280	150	2130
	" "	" एअरलाइन्स	"	22800	2280	150	2130

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
495/10-2-20	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	22800	2280	150	2130
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	22800	2280	217	2280
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	22800	2280	150	2130
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	22800	2280	150	2130
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	20300	2030	217	2030
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	21500	2150	150	2000
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	20900	2090	217	2090
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	20900	2090	150	1940
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	29300	2930	150	2780
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	29300	2930	150	2780
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	35900	3590	150	3440
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	35900	3590	150	3440
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	35900	3590	150	3280
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	35900	3590	150	3440
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	34300	3430	150	3280
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	27200	2720	150	2570
"	"	॥ श्री गणेशाय ॥	—	23500	2350	150	2200

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
496	10-2-20	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	14858	1985	150	1835
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	34300	3430	325	3430
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	35900	3590	151	3440
497	10-2-20	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	18000	1800	325	1800
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	18000	1800	151	1650
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	18000	1800	151	1650
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	19700	1970	151	1820
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	20300	2030	151	1880
498	10-2-20	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	18000	1800	151	1650
499	10-2-20	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	25600	2560	325	2560
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	30500	3050	325	3050
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	30500	3050	325	3050
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	34300	3430	325	3430
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	35300	3530	325	3530
"	"	مبلغ ١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	34300	3430	325	3430

-223-

(339)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
504 10-2-2020	سید محمد علی	Om 15-16-17	35900	3590	150	3440	
"	سید محمد علی	"	35900	3590	سید	3590	
"	Om 17	"	35900	3590	سید	3590	
"	سید محمد علی	Om 17-18	35900	3590	سید	3590	
"	سید محمد علی	"	38100	3810	سید	3810	
"	سید محمد علی	"	34300	3430	سید	3430	
"	سید محمد علی	Om 17-18	25600	2560	150	2410	
506 10-2-2020	سید محمد علی	Om 17-18	35900	3590	سید	3590	
"	سید محمد علی	"	34300	3430	150	3280	
"	سید محمد علی	"	35900	3590	150	3550	
"	سید محمد علی	"	34300	3430	سید	3430	
"	سید محمد علی	"	35900	3590	سید	3590	
"	سید محمد علی	"	34300	3430	سید	3430	
"	سید محمد علی	"	29300	2930	150	2780	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
506	10-2-2020	श्री श्री विगत	28400	28400	2840	225	2840
		" विगत	16000	28645	2864	225	2864
507	10-2-2020	" विगत	35900	35900	3590	225	3590
		श्री श्री विगत	35300	35300	3530	150	2840 3380
		श्री श्री विगत	32300	32300	3230	225	3230
		श्री श्री विगत	35900	35900	3590	225	3590
		श्री श्री विगत	29300	29300	2930	225	2930
		श्री श्री विगत	35900	35900	3590	225	3590
		" विगत	35900	35900	3590	225	3590
					559727	225	559727
					559727 x 12 = 6716724.00		

पूरे वर्ष का प्रमाणित कर माफ़ी की राशि -

-222-

‘इं’ शिवा भाग - ७ के अंतर्गत ‘१५’ में शामिल

(34)

Be. 37112

[illegible]

342

श्री.जी.के.के.अवधि, विमान, प्र.सं. विमान, 2018-20							
क्र.सं.	वर्ग व नाम	प्रमाण की तिथि	वर्ग व नाम	वर्ग 2018-20 का विमान प्रमाण	वर्ग 2019-20 का विमान प्रमाण	वर्ग 2020-21 का विमान प्रमाण	वर्ग
15	श्री.जी.के.के.अवधि	23.02.2017 to 22.02.2019	वर्ग 1, श्री.जी.के.के.अवधि		25579300.00	4600000.00	21479300.00 श्री.जी.के.के.अवधि, प्र.सं. 15/11/2019 श्री.जी.के.के.अवधि, प्र.सं. 15/11/2019 श्री.जी.के.के.अवधि, प्र.सं. 15/11/2019 श्री.जी.के.के.अवधि, प्र.सं. 15/11/2019
16	श्री.जी.के.के.अवधि		वर्ग 1, श्री.जी.के.के.अवधि		37200.00	37200.00	---
17	श्री.जी.के.के.अवधि		वर्ग 1, श्री.जी.के.के.अवधि		87900.00	87900.00	---
18	श्री.जी.के.के.अवधि		वर्ग 1, श्री.जी.के.के.अवधि		38319.00	38319.00	---
19	श्री.जी.के.के.अवधि		वर्ग 1, श्री.जी.के.के.अवधि		4440000.00	4440000.00	22200000.00

१०. मॅ. पोलिट एडमन्स	७. ८. २००८	मोहम्मद सैदुल्लाह खान पोरम
२७. मॅ. दारिण हॉर्जिम जे. पी.	७. ८. २००८	नययुग मॉर्टल व्हे इन्वेंशन फॉर द फुट बॉल गेम्स

23513068

22	नगर अधिपत्य (मिनिग)	305/7-1-02	काश्चित्तर सोनरी ब्लाड के पास स्थिति वस्ती मिनिग	39,000 =
23	— " —	434/15-1-02	बाल के भित्ति नु स्थापित अनाम भग्ना हैतु	30,000 =
24	— " —	653/25-1-02	क सानरली विद्यालय स्थापना	5,600 =
25	— " —	17/25-1-02	राज्यप्रभुपद कालेनी केसकरा पद की पारदर्शनी हैतु	20,000 =
26	— " —	42/2-2-02	सौर उपवर्ग के कोणीय भाग हैतु	200,000 =
27	— " —	144/6-3-02	के का खुल के पास मिनिग हैतु	2,00,000 =
28	— " —	604/19-3-02	आहोनाम से ट्रांसपोर्ट लक सीनर मिनिग हैतु	2,00,000 =
29	— " —	150/16-04-02	हामरट मुव. क. हैतु	37,200 =
30	— " —	162/01-04-02	विनिग स्तर सामग्री-अग्राले	10,00,000 =
31	— " —	34/3-05-02	सातु बाराचरितु के पास रचना मिनिग हैतु	19,19,500 =
32	मिनिग आधीपद	148/15-4-02	मुकप का लप हैतु	15,000 =
33	हैडरु गप-बालु	50/01-05-02	इ. सांग हैतु आरिग	20,000 =
34	नगर अधिपत्य (मिनिग)	210/1-5-02	हमोनिग पाडर की-आधुनी हैतु	12,47,93 =
35	नगर अधिपत्य (मिनिग)	525/10-05-02	इ. सांग हैतु आरिग	2,00,000 =
36	— " —	310/10-05-02	सामर सेसिल पत्र क. हैतु	5,37,06 =
37	नगर अधिपत्य (मिनिग)	362/22-5-02	सिपलमर सी-06 के सामने पाड मिनिग हैतु	10,00,000 =
38	— " —	747/24-5-02	— " — " —	10,00,000 =
39	जी रामचन्द्र (मिनिग)	155/1-06-02	पामो राम की रिफ्ट क. हैतु	5,000 =
40	नगर अधिपत्य (मिनिग)	300/15-6-02	क. गे. पी. क. हैतु	10,80,000 =
41	— " —	384/30-7-02	पानी के स्लाब हैतु आरिग	2,00,000 =
42	— " —	503/4-7-02	मोनी नो बौ पार्क क. हैतु	2,00,000 =
43	— " —	504/01-7-02	110 स्लाब हैतु के पास क. हैतु हैतु	2,00,000 =

44	नगर आभियान (आभियान)	66/20.3.02	प्रादेशिक आभियान	6440061-
45	— १ —	246/19.10.02	महोदय के आभियान	237400-
46	नगर	289/10.10.02	महोदय के आभियान	200000-
47	प्रादेशिक आभियान (आभियान)	520/17.10.02	महोदय के आभियान	6500-
48	नगर आभियान (आभियान)	489/11.10.02	महोदय के आभियान	25358-
49	नगर आभियान (आभियान)	520/10.10.02	महोदय के आभियान	80000-
50	— १ —	524/00-	महोदय के आभियान	110000-
51	नगर आभियान (आभियान)	489/11.10.02	महोदय के आभियान	110000-
52	— १ —	687/03.10.02	महोदय के आभियान	80000-
53	नगर आभियान (आभियान)	790/20.08.02	महोदय के आभियान	100000-
54	नगर आभियान (आभियान)	110/27.11.02	महोदय के आभियान	6000-
55	नगर आभियान (आभियान)	441/3.12.02	महोदय के आभियान	25000-
56	नगर आभियान (आभियान)	236/7.12.02	महोदय के आभियान	37200-
57	— १ —	107/4.12.02	महोदय के आभियान	39633-
58	— १ —	110/4.12.02	महोदय के आभियान	38614
59	नगर आभियान (आभियान)	566/15.12.02	महोदय के आभियान	500000-
60	नगर आभियान (आभियान)	533/15.12.02	महोदय के आभियान	198200-
61	नगर आभियान (आभियान)	531/19.12.02	महोदय के आभियान	3250-
62	नगर आभियान (आभियान)	1130/2.6.11.02	महोदय के आभियान	20000-
63	नगर आभियान (आभियान)	530/19.02.02	महोदय के आभियान	25000-
64	नगर आभियान (आभियान)	916/19.8.02	महोदय के आभियान	20000-
65	— १ —	720/01.04.03	महोदय के आभियान	125000-

६६	नगर आवास (निर्माण)	१५६/१०-०२	पार्क परिसर है	१००००० -
६७	— " —	४०/१-३-०३	कमलेश्वर के कच्चे के अर्ध आवास है	२००००० -
६८	नगर आवास (निर्माण)	११/१-३-१२	पार्क परिसर है	३२६१० -
६९	परिसर आवास (निर्माण)	१६५/३-३-०३	पार्क परिसर है	६५५७ -
७०	— " —	१०३/३-३-०३	पार्क परिसर है	६९९१० -
७१	नगर आवास (निर्माण)	११५/३-३-०३	पार्क परिसर है	१००००० -
७२	— " —	१२१/१३-०३	पार्क परिसर है	१००००० -
७३	— " —	१२१/१३-०३	पार्क परिसर है	१००००० -
७४	— " —	१२१/२१-३-०३	पार्क परिसर है	१००००० -
७५	— " —	१२१/२१-३-०३	पार्क परिसर है	१००००० -
७६	— " —	१०२/१०२/१०-३	पार्क परिसर है	१३१७०९३ -
७७	— " —	१३०/१२-३-०३	पार्क परिसर है	१००००० -
७८	परिसर आवास (निर्माण)	१३१/२७-२-०३	पार्क परिसर है	२००००० -
७९	— " —	१३१/२७-२-०३	पार्क परिसर है	२००००० -
८०	नगर आवास (निर्माण)	१०६/८३३/१०-३	पार्क परिसर है	१६०००० -
८१	— " —	१०६/८३३/१०-३	पार्क परिसर है	१००००० -
८२	— " —	१०६/८३३/१०-३	पार्क परिसर है	१००००० -
८३	— " —	१०६/८३३/१०-३	पार्क परिसर है	१००००० -
८४	— " —	१०६/८३३/१०-३	पार्क परिसर है	१००००० -
८५	— " —	१०६/८३३/१०-३	पार्क परिसर है	१००००० -
८६	— " —	१०६/८३३/१०-३	पार्क परिसर है	१००००० -
८७	नगर आवास (निर्माण)	१०६/८३३/१०-३	पार्क परिसर है	१००००० -

88-	नगर आरक्षण (नगरपालिका)	1303/30-1-03	नगरपालिका के कार्य लागू गर्ने हेतु	145118/-
89	- १ -	605/12-08-03	प्रादेशिक हेतु	200000-
90	- १ -	1303/30-11-02	- १ -	70125-
91	- १ -	603/12-09-03	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	200000-
92	नगर आरक्षण (नगरपालिका)	1505/25-9-03	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	84410-
93	- १ -	1035/25-9-03	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	49500-
94	नगरपालिका आरक्षण (नगरपालिका)	1624/26-9-03	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	50211-
95	- १ -	1624/26-9-03	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	50000-
96	- १ -	1624/26-9-03	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	1083-
97	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	565/19-10-03	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	100000-
98	नगर आरक्षण (नगरपालिका)	624/1-12-03	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	10000-
99	नगरपालिका आरक्षण (नगरपालिका)	409/20-5-03	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	200000-
100	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	198/4-3-04	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	50000-
101	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	01/2-7-04	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	9550-
102	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	140/8-6-04	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	12022-
103	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	61/6-7-04	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	10000-
104	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	395/12-01-05	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	45000-
105	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	442/18-2-05	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	10000-
106	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	177/11-02-05	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	15000-
107	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	602/17-3-05	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	9700-
108	नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका	694/17-3-05	नगरपालिका क्षेत्र नगर के कार्य लागू गर्ने हेतु	11000-

109.	नगर आवास (आवास)	9/12/22-03-05	नगर आवास के रखरखाव हेतु	103216-00
110.	उपभोग (आवास)	1/12/22-3-05	उपभोग के रखरखाव हेतु	27756-10
111.	नगर आवास (आवास)	1/12/22-3-05	नगर आवास के रखरखाव हेतु	64589-00
112.	उपभोग (आवास)	2/5/10-5-05	उपभोग के रखरखाव हेतु	20000-00
113.	नगर आवास (आवास)	5/7/12-01-05	नगर आवास के रखरखाव हेतु	43751-00
114.	उपभोग (आवास)	7/4/30-5-05	उपभोग के रखरखाव हेतु	19677-00
115.	नगर आवास (आवास)	5/3/3-6-05	नगर आवास के रखरखाव हेतु	9700-00
116.	उपभोग (आवास)	13/2/20-7-05	उपभोग के रखरखाव हेतु	10000-00
117.	नगर आवास (आवास)	03/2-7-05	नगर आवास के रखरखाव हेतु	10000-00
118.	उपभोग (आवास)	6/6/26-10-05	उपभोग के रखरखाव हेतु	54972-00
119.	नगर आवास (आवास)	72/4/28-10-05	नगर आवास के रखरखाव हेतु	96000-00
120.	उपभोग (आवास)	22/10-05-06	उपभोग के रखरखाव हेतु	10000-00
121.	नगर आवास (आवास)	10/9/12-2-04	नगर आवास के रखरखाव हेतु	196000-00
122.	उपभोग (आवास)	3/2/19-5-03	उपभोग के रखरखाव हेतु	100000-00
123.	नगर आवास (आवास)	2/7/10-9-05	नगर आवास के रखरखाव हेतु	9400-00
124.	उपभोग (आवास)	8/4/12-2-07	उपभोग के रखरखाव हेतु	1135000-00
125.	नगर आवास (आवास)	3/25/18-8-02	नगर आवास के रखरखाव हेतु	345000-00
126.	उपभोग (आवास)	3/10/21-3-08	उपभोग के रखरखाव हेतु	154710-00
127.	नगर आवास (आवास)	7/30/14-2-08	नगर आवास के रखरखाव हेतु	8600-00
128.	उपभोग (आवास)	2/4/65/31-3-08	उपभोग के रखरखाव हेतु	4000000-00
129.	नगर आवास (आवास)	8/65/18-3-08	नगर आवास के रखरखाव हेतु	2000-00
130.	उपभोग (आवास)	5/32/12-2-08	उपभोग के रखरखाव हेतु	167277-00

131	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	902/1-12-08	कार देवू	4000 = 00
132	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	104/1-8-08	10 अरवि लिमिटेड (नगर) देवू	25000 = 00
133	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	237/1-10-08	श्री अरवि लिमिटेड देवू	20000 = 00
134	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	320/1-3-09	श्री अरवि लिमिटेड (नगर) देवू	690000 = 00
135	— 9 —	00/1-3-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	690000 = 00
136	नगर	102/1-3-09	अरवि लिमिटेड देवू	30000 = 00
137	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	326/1-5-09	अरवि लिमिटेड देवू	495000 = 00
138	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	366/1-6-09	अरवि लिमिटेड देवू	305000 = 00
139	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	268/1-5-09	अरवि लिमिटेड देवू	23100 = 00
140	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	268/1-5-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	358810 = 00
141	नगर	89/1-9-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	50000 = 00
142	नगर	57/1-10-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	27060 = 00
143	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	119/1-10-09	— 9 —	24570 = 00
144	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	120/1-10-09	— 9 —	24570 = 00
145	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	90/1-10-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	21500 = 00
146	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	25/1-10-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	24570 = 00
147	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	117/1-5-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	5000 = 00
148	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	84/1-1-10	श्री अरवि लिमिटेड देवू	24570 = 00
149	नगर	125/1-6-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	32895 = 00
150	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	521/1-5-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	03970 = 00
151	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	111/1-10-09	श्री अरवि लिमिटेड देवू	25860 = 00
152	श्री अरवि लिमिटेड (नगर)	24/1-2-09	— 9 —	21150 = 00

350

288-

23403106-

153	श्री अण्ण पुत्र श्री लोचन	220/1.7.09	व नग अर्था	24180-
154	न गेरेय पुत्र श्री रमेश चन्द	197/अवसा	- 0 -	22380-
155	न गेरेय पुत्र श्री रमेश	106/1.5.09	- 0 -	अवसा
156	न सुभाष पुत्र विरय पुत्र	110/1.3.09	- 0 -	20000-
157	न श्रीपाल पुत्र सोहनपाल	25/1.2.10	- 0 -	24570-
158	न गेरेय पुत्र पुत्र श्री लोचन	23/1.2.10	- 0 -	24570-
159	श्रीमाने नगर पुत्र श्री लोचन	121/1.2.10	- 0 -	50000-
160	श्री सुभाष पुत्र श्री रमेश	52/1.3.10	- 0 -	24570-
161	न सोहनपाल पुत्र श्री लोचन	32/1.3.10	- 0 -	27030-
162	न सुभाष पुत्र श्री लोचन	38/1.3.10	- 0 -	24570-
163	न गेरेय पुत्र	31/1.1.10	अवसा श्री लोचन पुत्र अर्था	20000-
164	न सुभाष पुत्र	49/1.1.10	- 0 -	81970-
165	न - 0 -	170/1.1.10	- 0 -	81970-
166	श्री विजय पुत्र श्री लोचन	8 अर्था	व नग अर्था	24570-
167	न गेरेय पुत्र	294/अवसा	- 0 -	32310-
168	न गेरेय पुत्र	01/अवसा	- 0 -	25320-
169	न सुभाष पुत्र श्री लोचन	165/अवसा	- 0 -	30810-
170	श्रीमाने नगर पुत्र श्री लोचन	31/अवसा	न गेरेय पुत्र श्री लोचन	4635592-
171	श्री रमेश पुत्र अण्ण	11/8.2.11	व नग अर्था	25320-
172	न गेरेय पुत्र	32/7.3.11	- 0 -	100000-
173	न गेरेय पुत्र	164/16.3.11	- 0 -	22220-
174	न गेरेय पुत्र	163/16.3.11	- 0 -	18300-

2874330

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	प्रमाण	मूल्य
175	अ.सं. १२४	180/26.3.11	१-१	50000-
176	अ.सं. १२४	143/18.4.11	१-१	24180-
177	अ.सं. १२४	208/24.4.11	१-१	25320-
178	अ.सं. १२४	203/24.9.11	१-१	30000-
179	अ.सं. १२४	113/16.1.12	१-१	28500-
180	अ.सं. १२४	225/18.9.12	१-१	285920-
181	अ.सं. १२४	81/20.4.13	१-१	452948-
182	अ.सं. १२४	760/20.9.13	१-१	166360-
183	अ.सं. १२४	28/3.10.13	१-१	237690-
184	अ.सं. १२४	124/24.10.13	१-१	206190-
185	अ.सं. १२४	344/30.11.13	१-१	2718000-
186	अ.सं. १२४	100/7.1.13	१-१	100000-
187	अ.सं. १२४	55/16.9.12	१-१	338936-
188	अ.सं. १२४	272/30.4.12	१-१	100000-
189	अ.सं. १२४	70/5.5.12	१-१	422626-
190	अ.सं. १२४	623/28.9.12	१-१	202968-
191	अ.सं. १२४	181/17.10.12	१-१	163057-
192	अ.सं. १२४	316/26.11.12	१-१	30000-
193	अ.सं. १२४	337/25.5.12	१-१	206898-
194	अ.सं. १२४	119/7.7.12	१-१	704009-
195	अ.सं. १२४	184/12.7.12	१-१	206898-
196	अ.सं. १२४	247/18.7.12	१-१	206898-

क्र.सं.	विवरण (Description)	दिनांक (Date)	विवरण (Remarks)	मूल्य (Amount)
197	प्रत्यक्ष 1081 निष्पत्तिवार	01/12/13	डीएमएस	725250-
198	प्रै. प्रमाण मोटर	18/5/25-10/13	10 वटा लाम्प ट्यूब	343422-
199	— " —	44/7/12/13	20 लाम्प —	103000-
200	श्री सुशमा पुत्र निवास	19/4/1/14	बैलगाडी साधक	31530-
201	अनिराजलाल पुत्र कलाल थिए	24/6/2/14	— " —	22220-
202	न. प्रमाण पुत्र रामलाल	18/3/20-1/14	— " —	27840-
203	न. प्रमाण पुत्र महेश्वर	26/5/17-2/14	— " —	25920-
204	गणेश पुत्र लाल पुत्र महेश्वर	26/4/17-2/14	— " —	22220-
205	डायरेक्टर 0105CE/मनमथ	45/1/13-3/14	70 MLD STP रिपेयर के उपकरण	63966000-
206	मि. नारायण मोनादलाल शर्मा	38/3/10-3/14	पेन्टिंग की आपूर्ति	124500-
207	समाप्त के मोमेट नैसि	38/4/385/अवधि	समाप्त की आपूर्ति	1227000-
208	भारतीय रक्षासैनिक	146/11-12/13	डायरेक्टर के लिये	30281-
209	प्रै. प्रमाण सारलाल 12 मोटर	53/4/535/28/3/14	डायरेक्टर के लिये	893907-
210	— " —	30/3-3/14	डायरेक्टर के लिये	862874-
211	श्री वैकुण्ठ कुमार	33/7/25-5/12	1 वटा लाम्प रिपेयर	3000-
212	प्रै. प्रमाण सारलाल सार	64/21-5-14	डायरेक्टर	465235-
213	श्री नरसीन शंखलाल	50/23-6-14	नगर के साफ	29070-
214	मि. नारायण शर्मा बालकृष्ण	82/9-7-14	नये की लोच	49940-
215	श्री उमेश पुत्र सांगलाल	65/22-4/14	नये के लोच	24390-
216	भारतीय रक्षासैनिक	327/31-7/14	डायरेक्टर की आपूर्ति	727500-
217	श्री अनामोलाल	622/20-7/14	नये के लोच	31260-
218	श्री कल्याणलाल शंख	70/16-10-14	— " —	29520-

X

[illegible]

पत्रावली

106229063-

354

292

241	पत्रावली	315/926 अर्ध 16	पत्रावली	19102 -
242	- 0 -	317/926 अर्ध 16	- 0 -	19102 -
243	- 0 -	320/926 अर्ध 16	- 0 -	91386 -
244	- 0 -	295/926 अर्ध 16	- 0 -	19102 -
245	- 0 -	297/926 अर्ध 16	- 0 -	19102 -
246	- 0 -	298/926 अर्ध 16	- 0 -	28848 -
247	- 0 -	299/926 अर्ध 16	- 0 -	19102 -
248	- 0 -	294/926 अर्ध 16	- 0 -	19102 -
249	पत्रावली	514/3033 अर्ध 20/5	पत्रावली	29070 -
250	पत्रावली	8/30663 अर्ध 15	- 0 -	33540 -
251	पत्रावली	839/2934 अर्ध 15	पत्रावली	328581 -
252	पत्रावली	169/545 अर्ध 15	पत्रावली	293362 -
253	- 0 -	168/545 अर्ध 15	- 0 -	897901 -
254	पत्रावली	880/557 अर्ध 15	पत्रावली	276202 -
255	पत्रावली	338/36251 अर्ध 16	पत्रावली	26700 -
256	पत्रावली	3715/700.6/16	पत्रावली	100000 -
257	पत्रावली	3715/700.6/16	पत्रावली	35500 -
258	पत्रावली	3715/700.6/16	पत्रावली	29520 -
259	पत्रावली	3715/700.6/16	पत्रावली	28110 -
260	पत्रावली	3715/700.6/16	पत्रावली	251610 -
261	पत्रावली	3715/700.6/16	पत्रावली	22290 -
262	पत्रावली	3715/700.6/16	पत्रावली	49542 -

सं. गांधीनगर 1

263	श्री. प्रभाकर मोरारि	१२०/०५५/२००८-१६	सं. गांधीनगर १	१९/१०२ -
264	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९/१०२ -
265	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९/१०२ -
266	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९/१०२ -
267	श्री. प्रभाकर मोरारि	१२०/२७-८-१६	श्री. प्रभाकर मोरारि	२५९२० -
268	श्री. प्रभाकर मोरारि	१२०/२७-८-१६	- १ -	२६७०० -
269	श्री. प्रभाकर मोरारि	१२०/२७-८-१६	- १ -	३६२७० -
270	श्री. प्रभाकर मोरारि	१२०/२७-८-१६	- १ -	२६७०० -
271	श्री. प्रभाकर मोरारि	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
272	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
273	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
274	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
275	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
276	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
277	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
278	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
279	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
280	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
281	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
282	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
283	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -
284	- १ -	१२०/२७-८-१६	- १ -	१९१०२ -

१०८५१३५७ -

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	विवरण	दिनांक	मूल्य
307	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	70000-00
308	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	200000-00
309	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	34200-00
310	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	722985-00
311	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	909119-00
312	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	18428, 450-00
313	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	6, 42, 55 000-00
314	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	10000000-00
315	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	10000000-00
316	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	श्री. राजेश्वर शर्मा	12/12-83-19	10000000-00

श्री. राजेश्वर शर्मा

11473993-10

